

# काला धन

श्वेत पत्र

मई 2012

राजस्व विभाग  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय



सत्यमेव जयते

प्रणव मुखर्जी

वित्त मंत्री, भारत

## प्रस्तावना

पिछले एक साल में भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा सार्वजनिक बहस नागरिक समाज और हमारी संसदीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारीके साथ से खुलकर सामने आ गई है। इस बहस में दो मुद्दों पर ज्यादा ध्यान जाता है, पहला यह कि अक्सर बिना पर्याप्त तथ्यों के आधार के बिना देश में उत्पन्न काले धन की राशि के बारे में कई तरह के अनुमान लगाना और यह कि विदेशों में छिपाकर रखा गया बेशुमार धन। दूसरे यह धारणा सी बन गई है कि सरकार ने इस मुद्दे से निपटने में अपर्याप्त और बिखरी हुई कार्रवाई की है यह दस्तावेज इन्हीं विचारों को दूर करने की कोशिश करता है।

"काले धन पर श्वेत पत्र" में देश में नीति और प्रशासनिक शासन के साथ जटिल सम्बंधों में काले धन के विभिन्न पहलुओं और इसके विभिन्न चेहरों को प्रस्तुत किया गया है। यह नीति विकल्पों पर भी प्रतिबिम्बित करता है और रणनीतियों सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और कालेधन की समस्या से निपटने पर हाल में ही की गई पहल और इस हालिया पहल के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों एवम नीतिगत विकल्पों के साथ हाल में सार्वजनिक जीवन में काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने के लिए भविष्य में सरकार द्वारा की गई जरूरी पहल को भी प्रकट करता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जगत में काले धन की मौजूदगी है, जिसका देश में प्रशासन की संस्थाओं और सार्वजनिक नीति के संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शासन की असफलता और सिस्टम में भ्रष्टाचार गरीबों को असमानुपातिक रूप से प्रभावित करते हैं। निकट भविष्य में काले धन और भ्रष्टाचार जैसी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने पर ही हमारे समाज के समग्र विकास की रणनीति सफलता आलोच्य रूप से भारत में एक अधिक पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख आर्थिक प्रबंध प्रणाली विकसित करने के लिए हमारी क्षमतापर निर्भर होगी जिसके लिए हमारे प्रयास शीघ्रता से इस ओर उठाए जाने आवश्यक हैं।

कराधान, व्यापार और शुल्क और यूआईडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस पर सामाजिक धन ट्रांसफर, , विवेकाधिकार और नौकरशाही के विलंब, भ्रष्टाचार और काले धन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रोडे माने जाते रहे हैं इन संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल करने के लिए हाल के वर्षों में कदम उठाए गए हैं। पिछले साल सरकार ने पांच विधेयक, जैसे लोकपाल विधेयक, न्यायिक जवाबदेही विधेयक, व्हिसिल्लोअर्स बिल, शिकायत निवारण बिल और सार्वजनिक खरीद बिल, प्रस्तुत किए हैं, जो संसद में विभिन्न चरणों में विचारार्थ हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना विनिमय नेटवर्क को संस्थागत बनाने एवम उसका विस्तार कालेधन के अवैध रूप से सीमा पार प्रवाह को रोकने और इसके लौटाने को सरल बनाने में एक बड़ा कदम है इन उपायों से समान, पारदर्शी और अधिक कुशल अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, समाज के नैतिक ताने बाने को मजबूत करने को बहुत कुछ करना है।

अगर मैं काले धन की गम्भीरता का आकलन करने के लिए इस काम में संलग्न संस्थानों की तीन प्रमुख रिपोर्टों के निष्कर्षों को यहां शामिल कर सकता होता तो मैं बहुत खुश होता परंतु ये रिपोर्ट वर्ष के अंत में ही प्राप्त होने की संभावना है हालांकि मैंने इस दस्तावेज को संसद में दिए एक आश्वासन के जवाब में पेश करना चुना है।

उम्मीद है, यह दस्तावेज इस विषय पर एक स्वस्थ बहस में योगदान करेगा और प्रभावी नीति निर्माण की प्रतिक्रिया स्वरूप हमें आगे मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा।

नई दिल्ली

16 मई, 2012

ह०

(प्रणव मुखर्जी)

## अंतर्वस्तु

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
<b>1</b>	<b>परिचय</b>	<b>10</b>
	1.1 संदर्भ	10
	1.2 इस पत्र का उद्देश्य	
	1.3 समस्या और इसकी जटिलताएं	10-11
<b>2</b>	<b>काला धन और उसका अनुमान</b>	<b>12</b>
	2.1 काले धन ('ब्लैक मनी') की परिभाषा	12-13
	2.2 काला धन उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक	13-14
	2.3 खातों की हेरफेरी द्वारा काले धन को उत्पन्न करना	14-19
	2.4 अर्थव्यवस्था के कुछ कमजोर क्षेत्रों में काले धन की पैदाइश	19-24
	2.5 भारत में उत्पन्न काले धन का अनुमान	24-31
	2.6 विदेश में जमा काले धन का अनुमान	31-32
	2.7 भारत के बाहर हस्तांतरित किया गया: अवैध धन	32-36
	आईएमएफ और जीएफआई की रिपोर्ट के अनुसार	
	2.8 क्या विदेश में हस्तांतरित किया गया अवैध धन लौटा है?	36-38
	2.9 कॉर्पोरेट संरचना का दुरुपयोग	38-39
	2.10 अधिक शोध की आवश्यकता	39-40
<b>3</b>	<b>काले धन पर नज़र रखने हेतु संस्थान</b>	<b>41</b>
	3.1 परिचय	41

3.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	41-43
3.3 प्रवर्तन निदेशालय	43-44
3.4 वित्तीय खुफिया इकाई	44-46
3.5 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और डीआरआई	46
3.6 केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो	47-48
3.7 अन्य केंद्रीय एजेंसियां	48-51
3.8 सीबीआई और पुलिस अधिकारी	51-52

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
4	काले धन की समस्या से निपटने हेतु अवसंरचना	53
	4.1 भारत में ब्लैक मनी को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों का विकास	53-55
	4.2 काले धन के खिलाफ वैश्विक धर्म युद्ध में शामिल क जी 20 के माध्यम से भारत के कार्य	55-60
	ख ग्लोबल फोरम	
	ग मल्टीपल पर बहुपक्षीय कन्वेंशन कर मामलों में प्रशासनिक सहायता	
	घ वित्तीय कार्य बल भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	
	च ट्रांसनेशनल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संगठित अपराध	
	छ दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन तंकवाद के वित्तपोषण	
	ज अवैध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कोटिक ड्रग्स	
	और साइकोट्रोपिक पदार्थों में आवागमन	
	झ एगमोन ग्रुप	
4.3	एक उपयुक्त विधायी ढांचा बनाना	61-71
	क. उन सभी सहित प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को मजबूत करना	
	अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य से संबंधित	
	ख. अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार डीटीएए और	
	टीआईईएस के नेटवर्क का निर्माण करना	
	ग धन शोधन निवारण अधिनियम की रोकथाम	
	घ बेनामी लेनदेन की रोकथाम	
	ड. सार्वजनिक खरीद बिल	
	च विदेशी अधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक	
	छ लोकपाल और लोकायुक्त बिल	
	ज नागरिकों का शिकायत निवारण बिल न्यायिक मानक और जवाबदेही बिल	
	झ व्हिस्लेब्लॉवर विधेयक बैंक खातों के भुगतानकर्ताओं में प्रत्यक्ष भुगतान	
	ट अद्वितीय पहचान (यूआईडी) - आधार	
	ठ एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन	

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
4.4	<b>अवैध धन से निपटने के लिए संस्थाएं स्थापित करना</b> क आपराधिक जांच के निदेशालय ख सूचना के एक्सचेंज के लिए सेल ग आयकर ओवरसीज इकाइयां घ सीबीडीटी के बीच एफटी और टीआर डिवीजन को मजबूत करना ड. सीबीडीटी की जांच प्रभाग की सुदृढीकरण	<b>72-75</b>
4.5	<b>कार्यान्वयन के लिए प्रणाली विकसित करना</b> क एकीकृत करदाता डेटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) और 360 डिग्री रूपरेखा ख साइबर फोरेंसिक लैब्स और वर्क स्टेशनों की स्थापना ग फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए सी एआईटी घ माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ड. काले धन की समिति	<b>75-76</b>
4.6	<b>प्रभावी कार्रवाई के लिए कार्मिकों को कौशल प्रदान करना</b>	<b>76-77</b>
4.7	<b>प्राप्त परिणाम / उपलब्धियां</b> क टीएए और टीआईईए के बड़े नेटवर्क ख डी टी ए ए और टीआईईए के तहत विदेश से प्राप्त जानकारी ग इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा कार्रवाई घ आयकर अधिनियम के तहत अभियोजन ड. अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य च एफआईयू द्वारा प्रसारित सूचना छ पीएमएलए के तहत मामले	<b>77-87</b>
5.	<b>आगेकारास्ता</b>	<b>88</b>
51	<b>परिचय</b>	<b>88</b>
5.2	<b>ब्लैक मनी की पैदाइश पर अंकुश के लिए रणनीतियाँ</b> कानूनी और वैध गतिविधियों से क स्वैच्छिक अनुपालन के सम्बंधित बाधा को कम करना क .1 कर दरों का युक्तिसंगत होना क. 2 अनुपालन के लेनदेन लागत को कम करना और प्रशासन	<b>88-108</b>
अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	क 3 और आर्थिक उदारीकरण ख ब्लैक मनी उत्पादन के लिए नाजुक क्षेत्रों में सुधार ख .1 वित्तीय क्षेत्र ख 2 रियल एस्टेट ख 3 बुलियन और ज्वेलरी सेक्टर ख 4 नकद अर्थव्यवस्था	

ख 5 संपत्ति और संपत्ति के अधिकार का आवंटन  
प्राकृतिक संसाधनों पर

ख .6 इक्विटी ट्रेडिंग

ख .7। काले धन हेतु कॉर्पोरेट संरचना का दुरुपयोग

ख.8 गैर लाभ संगठन और सहकारी सेक्टर

ग. प्रभावी विश्वसनीय प्रतिरोधकता का निर्माण

ग. डेटाबेस के एकीकरण में अग्रणी

मॉनिटरिंग एजेंसियों द्वारा क्रियाशील खुफिया तंत्र

ग 2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए रणनीतियां

ग .3 अभियोजन तंत्र का सुदृढीकरण

ग .4 सूचना का उन्नत विनिमय

ग .5 आयकर ओवरसीज यूनिट्स

ग .6 अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए जाने वाले प्रयास

ग 7 अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य

ग.8 टैक्स हेवन के माध्यम से संरचना को प्रभावी रूप से रोकना

ग 9 अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को सुदृढ बनाना

ग.10 एफआईयू-आईएनडी का सुदृढीकरण

सीईआईबी को मजबूत बनाना

ग .12 अन्य संस्थाओं को मजबूत करना

ग 13 भारत में ब्लैक मनी के उत्पादन की रोक के लिए अन्य कदम

घ. सहायक उपाय

घ सार्वजनिक जागरूकता और सार्वजनिक सहायता बनाना

घ 2 लेखा परीक्षक की जवाबदेही बढ़ाना

घ .3 व्हिसिलब्लोअर्स और गवाहों की सुरक्षा

घ.4 अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल होने और अंतर्राष्ट्रीय

प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की आवश्यकता

घ.5 व्यवस्थित प्रासंगिक कानूनों और विनियमों की आवश्यकता

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
5.3	डी 6 सामाजिक मूल्यों को मजबूत करना अवैध या आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से काला पैसा कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए रणनीतिया क संगठित अपराध ख भ्रष्टाचार ग अन्य आपराधिक गतिविधियों जिनसे खासतौर से काला धन पैदा होता है	108-110
5.4	<b>विदेशों में रखे गए काले धन के प्रत्यावर्तन के लिए रणनीतियाँ और संबंधित मुद्दे पर सूचना की गोपनीयता</b> क विदेश में जमा काले धन की प्रत्यावर्तन ख स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाएं और कर वसूली ग राजस्व हिस्सेदारी के लिए देशों के बीच समझौते घ डीटीए / टीआईईएस के तहत सूचना की गोपनीयता	<b>110-114</b>

तालिकाओं की सूची

तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1	भारत में ब्लैक मनी का एनआईपीएफपी अनुमान 1 975-1983	28
2.2	ब्लैक इनकम के अनुमान में बदलाव	30
4.1	विदेश से भारतीय करदाताओं के बारे में टैक्स संबंधी जानकारी	79
4.2	क्षेत्र अधिकारी से विदेशी कर अधिकारियों के लिए अनुरोध 45	79
4.3	खोज और जब्ती सांख्यिकी 2006-2012	82
4.4	आयोजित किए गए सर्वेक्षणों की संख्या और अपरिवर्तित आय का पता चला 2006-2012	83
4.5	शिकायतें दर्ज की गईं, मामले पकड़े, अपराध मोचन, और सफलता दर 2005-2012	84
4.6	क्रॉस-सीमा लेनदेन से संग्रह 2002-2012	85
4.7	स्थानांतरण-मूल्य निर्धारण समायोजन 2004-2012	85
4.8	एसआरआर की संख्या के विवरणानुसार वर्षवार विवरण एफआईयू-एनडी 2006-2012	86
4.9	इंटेलिजेंस से जानकारी के लिए अनुरोधों के अनुसार वर्ष-वार ब्रेक-अप और कानून प्रवर्तन एजेंसियां	86
4.10	विदेशी एम०आई०यू० को किए गए अनुरोध का वर्षवार ब्यौरा 2006-2012	87

बाक्स की सूची

बाक्स संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1	टैक्स हेवन के लक्षण	21-22
2.2	प्रतिभागी टिप्पणियां	23
4.1	कनाडा से उपहार पर जानकारी	80
4.2	विदेश से मिली जानकारी पर समर्थित सर्च के दौरान पाया गया साक्ष्य	80-81
4.3	जापान से तत्काल सूचना का विनिमय आंकड़ों की सूची चित्र विवरण क्रमांक पृष्ठ संख्या 81-82	
2.1	कर चुकाने के लिए खातों के विनियमन 4	

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पीएमएलए की सूची में सूचीबद्ध अपराध	114-117
2	जी 20 विज्ञप्तियों का पाठ	117-119
3	काले धन पर सी बी डी टी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें क. काले धन के उत्पादन की रोकथाम ख. काले धन का उपयोग करने के लिए हतोत्साहन ग. काले धन का प्रभावी खोज घ. प्रभावी जांच और वि निर्णय ड. अन्य कदम	119-129

अनुलग्नक	सारणियां	तालिकाएं
तालिका 1	भारतीयों के प्रति स्विस बैंक की देयताएं	130

तालिका 2	स्विस बैंकों की देयताएं - सभी देश	131-132	
तालिका 3	अवैध प्रवाह, जीएफआई रिपोर्ट, दिसंबर, 2011	132	
तालिका 4	शेयरों का सबसे बड़ा निवेश एफडीआई इक्विटी के उच्चनिवेश देश	133	
तालिका 5	उन देशों की सूची जो कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहयोग पर बहुपक्षीय कन्वेंशन में हस्ताक्षर / पुष्टि कर चुके हैं		133-136
तालिका 6	नई स्विस संधि का सारांश	136-137	
तालिका 7	जो लागू है/जिन पर बातचीत चल रही है। ऐसे डीटीए / टीआईईए की सूची		137-148

## परिचय

### 1.1 संदर्भ

काले धन की उत्पत्ति और विदेशों में टैक्स हेवन और ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स में विदेशों में निवेश करना पिछले दो सालों के दौरान सार्वजनिक मंचों पर खुलकर बहसका मुद्दा बन गया है। संसद सदस्यों, भारत के सुप्रीम कोर्ट और बड़े पैमाने पर जनता ने विशेषकर कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कि विदेशों में जमा इस तरह के बेहिसाब धन की खबर के बाद इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की है।

वित्त मंत्री ने 'मुद्रा से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए विदेशी बैंकों में अवैध रूप से जमा धन और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर 'लोकसभा में 14 दिसंबर 2011 को आश्वासन दिया था कि काले धन पर एक श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप यह दस्तावेज़ संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है

### 1.2 इस पेपर का उद्देश्य

इस पत्र का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में काले धन के विभिन्न चेहरों और आयामों और देश में इसके नीति, प्रशासनिक शासन के साथ जटिल संबंध को प्रस्तुत करना है। यह पत्र ढांचा, नीति के विकल्प और भारत सरकार द्वारा इसके उन्मूलन के लिए विशेषकर हाल में अपनाई गई रणनीतियों एवम विकास की पहल को प्रस्तुत करता है।

काले धन के मुद्दे पर चल रही बहस में यह सहायक होगा और भविष्य में इसकी रोकथाम हेतु की जाने वाली कार्रवाई के लिए व्यापक राजनीतिक आम सहमति विकसित करने में मदद करेगा।

### 1.3 समस्या और इसकी जटिलताएं

1.3.1 ब्लैक मनी एक पद ( टर्म) है जिसे सामान्य भाषा में इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ है कि मालिक के हाथ में जो है वह पूर्ण रूपेण वैध नहीं है

ऐसा दो संभावित कारणों से हो सकता है पहला यह है कि कानून के तहत नाजायज़ गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न, जैसे अपराध, नशीली दवा व्यापार, आतंकवाद, और भ्रष्टाचार, जिनमें से ये सभी राज्य के कानूनी ढांचे के तहत दंडनीय हैं, से पैसा पैदा किया हो और दूसरा और शायद अधिक प्रबल सम्भावना वाला यह है कि बकाया राशि का किसी न किसी तरह से सरकारी खजाने में कर के रूप में जमा ना करके इसे छिपा कर रखा हो

सरकारी खजाने को किसी न किसी तरह इस मामले में, उत्पीडक द्वारा किए गए कार्य देश

के कानून के तहत वैध और अन्यथा स्वीकार्य हों, लेकिन टैक्स की आवश्यकताओं का अनुपालन, या सरकारी खजाने को देय राशि का भुगतान करते हुए वह सही सही आय की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं, इस तरह धन एकत्र किया गया है।

1.3.2 काले धन उत्पन्न होने वाले दो तरीकों की तुलना इसे समझने के लिए जरूरी है और समस्या और उचित नीति मिश्रण तैयार करने के साथ जो इसे नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है

शुरुआत में, यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली श्रेणी वह है जहां राज्य सभी अस्त्र शस्त्रों से पर्याप्त भागीदारी के साथ असहिष्णु रवैये अपनाता है और परिणाम प्राप्त करता है। दूसरी श्रेणी वह है

जहां समस्या अधिक जटिल हो जाती है और इसके प्रमुख रूप से को संशोधित करने, सुधारने और पुनः डिज़ाइन करने की आवश्यकता हो जाती है ताकि कानूनों, नियमों और करों के अनुपालन को बढ़ावा मिले समाज के सक्रिय देने और सक्रिय आर्थिक एजेंटों को एसी नीतियों से रोकें जो, होर्डिंग, और अवैध रूप से विदेशों में इस तरह के बेहिसाब धन हस्तांतरण करती हैं।

1.3.3 काले धन की समस्या की जटिलता के लिए, हितों और करदाताओं के उद्देश्यों और कर प्राधिकरण के नज़रिये में भारी अंतर, एक कारण माना जाता रहा है सिद्धांततः कोई एक विशेष स्तर का कर

नियमन बने जो तीन अलग-अलग लेकिन संबंधित उद्देश्यों के बीच उचित संतुलन बनाता है,

अर्थात् एक बाजार अर्थव्यवस्था की दक्षता सुनिश्चित करना, अपने लक्ष्यों के संबंध में राज्य की दक्षता सुनिश्चित करना

अपेक्षित सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने और इक्विटी को बढ़ावा देने, या जिसे अक्सर सुशासन ( गुड गवर्नेंस ) के रूप में जाना जाए ,और यह सुनिश्चित करे कि अनुपालन के लिए जो प्रोत्साहन है वह आत्म-पराजयी और विकृति पैदा नहीं होने देते हैं हालांकि, व्यवहार में यह हितधारकों के हितों में इस संतुलन और अभिसरण को लाना मुश्किल हो सकता है।

इसलिए इन पहलुओं के बारे में इस जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या के लिए किसी भी सार्वभौमिक हर मर्ज की एक दवा या जादू छड़ी खोजने की बजाए जागरुकता पैदा करना आवश्यक है और इसके बारे में समझ प्रोत्साहित करना है।

1.3.4 अस्वीकार्य अटपटे व्यवहार की रोकथाम के लिए मजबूत नीतिगत प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। कार्रवाई करने योग्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग करके, खुफिया इकाई और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली को , समय की जरूरत के अनुसार , चुस्त बनाने की जरूरत है । प्रशासन की एक संघीय संरचना में केंद्र और राज्य की एजेंसियों के मध्य सहयोग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा तेजी से पनप रहे वैश्विक वातावरण में काले धन और इसके आकलन के लिए मजबूत पहल की आवश्यकता होगी कि दुनिया के बाकी हिस्सों से आपसी सहयोग विकसित करने और उसे मजबूत करने के लिए भारतीय राज्य( केंद्र सरकार ) उपाय करे ।

## 2

# काला धन और उसका आंकलन

## 2.1 'काले धन' की परिभाषा

2.1.1 साहित्य या आर्थिक सिद्धांत में काले धन की कोई समान परिभाषा नहीं है। वास्तव में, कई इसी तरह के अर्थ के साथ प्रचलित शब्द प्रचलित हैं, जिसमें 'बेहिसाब आय', 'काली आय', 'गंदा पैसा', 'काला धन', 'भूमिगत धन', 'काला अर्थव्यवस्था', 'समानांतर अर्थव्यवस्था', 'छाया अर्थव्यवस्था', और 'भूमिगत' या 'अनौपचारिक' अर्थव्यवस्था, ये सभी पद बंध आम तौर पर किसी भी उस आय को संदर्भित करती हैं जिस पर सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया कर भुगतान नहीं किया गया है इस तरह के धन में वैध गतिविधियों या गतिविधियों से उत्पन्न जो गैर-कानूनी हैं, जैसे तस्करी, अवैध व्यापार में प्रतिबंधित पदार्थ, नकली मुद्रा, हथियार तस्करी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार उद्देश्य के लिए जैसी कमाई या आय शामिल हो सकती है

इस दस्तावेज में, इस प्रयोजन के लिए 'काला धन' उस संपत्ति या संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनके बारे में सार्वजनिक अधिकारियों को उस कमाई होने के वक्त न तो सूचित किया गया हो, और न ही उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय उसका खुलासा किया गया हो।

2.1.2 काले धन की यह परिभाषा राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा उपयोग की गई परिभाषा के अनुरूप है ब्लैक इकोनॉमी के पहलुओं पर 1985 की अपनी रिपोर्ट में, एनआईपीएफपी ने परिभाषित करते हुए बताया कि 'काली

आय' के रूप में वह सकल आय जो कर योग्य है लेकिन कर अधिकारियों को नहीं बताई गई इसके अलावा, काले आय या बेहिसाब आ यवह 'हैं जो और जानबूझकर आय, आउटपुट और लेनदेन की झूठी रिपोर्टिंग के कारण, कर चोरी के कारण, अन्य आर्थिक नियंत्रण और कानून के उल्लंघन के कारण इसी तरह के इरादों के कारण राष्ट्रीय आय का अनुमान नीचे की ओर झुकता है।

2.1.3 इस प्रकार, अवैध साधनों के माध्यम से अर्जित धन के अलावा, काले धन शब्द में वह

कानूनी आय भी शामिल होगी जो

सार्वजनिक अधिकारियों / प्राधिकरणों से छिपाई गई है: जैसे :-

- > कर के भुगतान से बचने के लिए (आय कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्टॉप ड्यूटी, आदि);
- > अन्य वैधानिक अंशदान का भुगतान न करके बचना;
- > औद्योगिक कानूनों जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस अधिनियम 1936 का भुगतान, कारखाना अधिनियम 1948 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970; और / या
- > अन्य कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुपालन से बचने के लिए

## **2.2 ब्लैक मनी को उत्पन्न करने वाले मुख्य कारक**

2.2.1 अपराध और भ्रष्टाचार जैसी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला काले धन में एक अंतर्निहित असामाजिक तत्व है। काले धन के 'आपराधिक' घटक में कई गतिविधियों जैसे लूटमार, नकली और निषिद्ध माल के सामान की तस्करी, नशीले पदार्थोंका, व्यापार व उत्पादन जालसाजी, अवैध खनन, जंगलों के अवैध रूप से गिरफ्तार, अवैध शराब व्यापार, डकैती, अपहरण, मानव तस्करी, यौन शोषण और वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी और वित्तीय धोखाधड़ी, गड़बड़ी, नशीली दवाओं के कमाई, बैंक धोखाधड़ी और हथियारों के अवैध व्यापार की आय शामिल हो सकती है। इनमें से कुछ अपराधों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की अनुसूची में रोकथाम के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस तरह के पैसे का 'भ्रष्ट' घटक रिश्वतखोरी और चोरी से हो सकता है। लोक पद बैठे व्यक्तियों द्वारा- जैसे व्यवसाय की अनुमति देने, सरकारी सामाजिक खर्च वाले कार्यक्रम के अनुदान से रिसाव, तिकडम या फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाओं के जरिए जल्दी मालामाल होना, मूल्य-नियंत्रित वस्तुओं की काला बाज़ारी से और भूमि उपयोग में परिवर्तन अनधिकृत निर्माण को नियमित करना ये सभी गतिविधियां अवैध है और यह सामाजिक मूल्यों में गिरावट, स्थिति को रोकने के लिए राज्य की अक्षमता और मानवीय लालच का मिलाजुला नतीजा हैं। इस तरह काला धन उत्पन्न होने के लिए सामाजिक और प्रशासनिक दोनों ही अग्रणी कारक हैं।

2.2.2 केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों ही के विभिन्न अधिनियमों के तहत ये अवैध गतिविधियां दंडनीय हैं जो विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रशासित हैं इन अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।

2.2.3 काले धन की महत्वपूर्ण राशि, हालांकि, कानूनी तौर पर अनुमत्य आर्थिक कार्यों से उत्पन्न होती है, जो कि कानून के अनुसार, लोक अधिकारियों को सही हिसाब से नहीं बताई गई या उनके बारे में जानकारी नियमों के अनुसार नहीं दी गई है, जिससे इस तरह की आय को काले धन में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसी आय की गतिविधियों को रिपोर्ट या प्रकट करने में विफलता, करों से बचने या इस से संबंधित अनुपालन की लागत से बचने के उद्देश्य से होती है यह किसी अन्य कानून के अनुपालन के रिपोर्टिंग या प्रकटीकरण का परिणाम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कारखाने का मालिक बिजली की चोरी के कारण अपने उत्पादन को कम रिपोर्ट कर सकते हैं जो बाद में कर चोरी की ओर ले जाता है करधान का भारी बोझ, चाहे वास्तविक या कल्पित, करों से

बचने और काले धन उत्पन्न करने की ओर एक मजबूत प्रलोभन प्रदान करता है। कभी-कभी प्रक्रियात्मक नियम ऐसे हो सकते हैं जिनका पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है और इस प्रतिकूल प्रोत्साहन की वज़ह से व्यक्ति इसे कर अधिकारियों से छिपाता है और करवंचना होती है और इस तरह का धन भारी अनुपात में बही खातों में दर्ज़ नहीं किया जाता और अर्थ व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाता। नागरिकों का ऐसे समाज निर्माण के प्रति सचेत करना है जहां संस्कृति और सामाजिक पृथा ऐसी विकसित की जाएं कि कर अनुपालन और काले धन की कमाई में जहां कर चोरी की ओर लोग प्रेरित न हों एक ऐसा समाज जहां आय को छिपाना और करवंचना आम बात मानी जाती हो तब इसे ही स्वीकार्य और ईमानदार कर अनुपालन गतिविधियां मानकर लोग अपने कर को लोक निधि में जमा करना अच्छा नहीं समझते। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि नियमों के अपेक्षाकृत खराब कार्यान्वयन वाले देशों में पृत्रति गैर हिसाब अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि जिन देशों में यह नियमों का अनुपालन ठीक से लागू है और हतोत्साहन भी है वहां 'काली' अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत कम हैं।

2.2.4 इस प्रकार विकसित देशों की तुलना में भारत जैसे विकासशील देश में काले धन के संचय और कमाई के खिलाफ लड़ाई अधिक जटिल होने की संभावना है, और राज्य के मजबूत हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है। इस खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा, अनुरूप प्रशासनिक उपाय की जरूरत है, और एक बहुत ही मजबूत संकल्प की जरूरत होगी इसमें राजनीतिक आम सहमति के साथ-साथ धैर्य और दृढ़ता भी शामिल है।

## **2.3 खातों के हेरफेर द्वारा काले धन को उत्पन्न करना**

2.3.1 काले धन के उत्पादन में दो अलग-अलग पद्धतियां शामिल हो सकती हैं। पहला है संपूर्ण आय या इससे सम्बद्ध गतिविधियों को न घोषित करना या रिपोर्ट करना, यह आपराधिक, अवैध और अयोग्य गतिविधियों के सभी मामलों में संभावित दृष्टिकोण है। पैसे की लॉन्डरिंग करने के उद्देश्य से कि बाद में इसे हिसाब में लेने (प्रयोग) और सफेद बनाने (प्रकट), इसे वैध रिपोर्टिंग धन में परिवर्तित किया जा सके के उद्देश्य से किया जा सकता है।


2.3.2 ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न कमाई को रिपोर्ट ना करना या प्रकट (घोषणा) न करना उन वैध गतिविधियों से हुई आय पर करवंचना के मामलों में भी अपनाया जा सकता है जहां नियमतः उत्तरदायित्व और अनुपालन के काम में विफल रहे हों तथापि पूर्णतः ऐसी आय छिपाना या नियमों को पूर्णतः अनदेखा करना आखिर ऐसे व्यक्ति को तब मुसीबत बन जाएगा जब कर अधिकारी ऐसी आय को ढूढ़ निकालेंगे।

2.3.3 करदाताओं द्वारा अपनाई गई विभिन्न तरीकों और तरीकों को वर्गीकृत करने और समझने का सबसे अच्छा तरीका काले धन के उत्पादन के लिए अपनाई गई वित्तीय विवरणी होगी, जिसके द्वारा कर अधिकारियों के समक्ष रिपोर्टिंग और बही खाता पेश हुई है जिनमें हेरफेर किया जाता है गलत तरीके से प्रस्तुत किए और आय छिपाए जाने का और काली कमाई का एक तथाकथित शालीन तरीका है।

2.3.4 करदाता द्वारा हर लेन-देन को उस बहीखाते की पुस्तकों में दर्ज़ किया जाना चाहिए जो वित्तीय विवरणी के रूप में वर्ष के अंत में संक्षेपित की जाती है इन वित्तीय विवरणियों में मूल रूप से आय और व्यय का विवरण शामिल होता है जिसे 'प्रॉफिट एंड लॉस

अकाउंट' या 'आय' और व्यय जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है' कर चोरी, बहीखाते की पुस्तकों में हेर फेर करके लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग या गैर-रिपोर्टिंग से होती है। वित्तीय विवरणों के विभिन्न प्रकार के हेराफेरी के कारण कर चोरी और काली कमाई का उत्पादन होता है जिसका चित्र 2.1 में संक्षेप हैं और इनमें से कुछ निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तार से दिए हैं।

### चित्र 2.1 कर चोरी के लिए खातों के हेरफेर



2.3.5 बही खाते से बाहर का लेनदेन: यह कर चोरी और काले धन की कमाई टैक्स के सबसे सरल और व्यापक रूप से अपनाई गई विधियों में से एक है ऐसा लेन-देन जिसके परिणामस्वरूप रसीदों या आय के कराधान होना जरूरी है करदाता द्वारा खाते की पुस्तकों

में दर्ज ही नहीं की जाती है या करदाता बही खाते नहीं रखता है खाताधारक दो सेट रखता है या आंशिक प्राप्ति का केवल रिकॉर्ड करता है ऐसा छोटी किराने की दुकानों, अकुशल या अर्द्ध कुशल सेवा प्रदाता आदि में आम तौर पर प्रचलित है।

### 2.3.6 सामान्तर बही खाते

ये खाते प्रायः वे लोग रखते हैं जिन्हें कानून के अंतर्गत या व्यापार की जरूरत के कारण बही खाते रखना जरूरी होता है ये जो भी कमाई करते हैं कर बचाने के कारण उनको रिपोर्ट नहीं करते और बही खाते दो प्रतियों में बनाते हैं एक उनके उपयोग के लिए जिससे कि कारोबार सुगमता से चले और दूसरा नियामक अथवा जैसे आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा-शुल्क, कर अधिकारियों के लिए रखा जाता है। दूसरे वाले वही खाते को केवल कानूनी और नियामक उत्तरदायित्व के कारण रखा जाता है जिसमें प्राप्ति में हेर-फेर किया जाता है या खर्च बढ़ा-चढ़ाकर कर बचाने के लिए दर्ज किए जाते हैं।

### 2.3.7 वही खाते में हेर-फेर

कर दाता जब विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जैसे कंपनी अधिनियम, 1956 बैंकिंग नियामक अधिनियम, आयकर अधिनियम आदि के प्रयोजन के लिए वही खाते रखना आवश्यक होता है तब इन करदाताओं के लिए कर से बचना दोहरे वही खाते रखना कठिन होता है। तब ये कर बचाने के लिए इन वही खातों में हेर-फेर करते हैं।

### 2.3.8 बिक्री और प्राप्ति में हेर-फेर

बिकोती या प्राप्ति एवं खर्च से हुई आय अथवा लाभ पर करदाता को आयकर चुकाना होता है। इनमें हेर-फेर करवंचन का एक आसान ढंग है। एक अन्य उपाय ये बिक्री को संबद्ध उद्यम के जरिए भी दिखा देते हैं जो कि कर न्याय क्षेत्र से भिन्न कहीं अन्य जगह स्थित होता है और इस तरह कीमत हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मुद्दे बीच में ले आते हैं।

2.3.9 डमी एवं संबद्ध इकाईयों में काला धन उत्पन्न करने अवसर बहुत होते हैं। सरल तरीके से समझे तो ये इकाईयां अपनी आय और गतिविधियां रिपोर्ट करने से छिपाती हैं। मुख्य इकाई इन डमी और संबद्ध इकाईयों को कम कीमत पर बेचना दिखाती है और इस तरह लाभ की रकम को कम दर्शाया जाता है।

2.3.10 जिन कर न्याय क्षेत्रों में कर की दर बहुत ही कम है और अगर डमी उद्यम उस न्याय क्षेत्र में है तो जटिल दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं इस तरह भारतीय इकाई का लाभ कम दर वाले न्याय क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है और इस कम न्याय क्षेत्र वाले वही खाते में दर्ज कर दिया जाता है।

2.3.11 उत्पादन की कम रिपोर्टिंग: कर के उत्तरदायित्व को कम करने के लिए एक अन्य उपाय उत्पादन के आंकड़ों को कृत्रिम रूप से कम करके दिखाया जाता है। ऐसा उत्पाद कर, बिक्री कर या आयकर बचाने के उद्देश्य से किया जाता है।

2.3.12 खर्चों में हेर-फेर: व्यवसाय में प्राप्ति से व्यवसाय का व्यय घटाने के बाद जो रकम बचती है उस पर आयकर का भुगतान करना होता है इसलिए व्यय का हेर-फेर, सामान्यतः कर की चोरी के लिए अपनाया जाने वाला तरीका है। ये खर्च अलग-अलग शीर्षों मर्दों के तहत हेर-फेर किए जाते हैं और परिणामस्वरूप सही आय की रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। इसमें खर्चों को ज्यादा दिखाना कभी-कभी बिल से बोगस या फर्जी चालान प्राप्त करके बिल मास्टर्स नाममात्र का कमीशन लेकर फर्जी बाउचर बनाते हैं।

2.3.13 कालेधन उत्पन्न करने का इरादा रखने वाले व्यय के हेर-फेर के अधिक सुधरे तरीकों में से कोई भी उपयोग करते हैं कभी-कभी इसमें हवाला आपरेटर भी शामिल हो जाते हैं। जो छद्म नाम से स्वामित्व वाली कंपनियां साझीदार फर्म कंपनियों और ट्रस्ट के रूप में या काम करते हैं ये आपरेटर्स कुछ कमीशन लेकर खर्च के भुगतान के लिए चेक स्वीकार करते हैं। सामने आए विदेशी संस्थाओं के लिए फर्जी व्यय के दावों के उदाहरण हैं। विदेशी संस्थाओं को विज्ञापन और विपणन खर्च या खरीद के लिए कमीशन के रूप में विदेशी संस्थाओं के लिए या बिक्री के भुगतान दिखाए जा सकते हैं। धन को विदेशी करदाता के खातों में जमा किया जा सकता

है और धन या तो नगद आहरित करके गैर कर योग्य रशीदों में भारत में वापस भेज दिया जाता है। विदेश में भारतीय करदाता की बे-हिसाब परिसंपत्तियों के रूप में ऐसा पैसा भी जमा हो सकता है।

2.3.14 लेखा के अन्य हेर-फेर; खरीद/कच्चे माल की लागत खर्चों के अलावा जैसे कि मुनाफे को कम दिखाने के लिए श्रम शुल्क मनोरंजन खर्च और कमीशन को फर्जी या गलत तरीके से कम करने के लिए दर्ज किया जा सकता है। इन मामलों में बही खातों में बढ़ाए गए खर्चों को बढ़ाने के लिए फर्जी बिल तैयार किए जाते हैं।

2.3.15 एसोसिएट इंटरप्राइजेज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में हेर-फेर: एक और तरीका है लेखा-जोखा मुनाफा और कर देय करने के तरीके के संबद्ध उद्यमों का उपयोग करना शामिल हो सकता है कम कर क्षेत्र वाले में जिसके माध्यम से सामान या अन्य सामग्री को चिंता में पारित किया जा सकता है इंटरकोर्पोरेट एक ही समूह से संबंधित इन सहयोगी उद्यमों या स्वामित्व के बीच लेनदेन और पार्टियों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ताकि व्यवस्था की जा सके और जिस तरह से चोरी हो करों। यह अक्सर ऐसी व्यवस्था से प्राप्त किया जा सकता है जो कर योग्य आय को कम कर न्यायालय में स्थानांतरित करते हैं या टैक्स हेवन, और भारत के भीतर किसी दूसरे देश में अर्जित काले धन की जमावट का कारण बन सकता है।

2.3.16 पूंजी का हेर-फेर: करदाता की कारोबारी विवरणी या बैलेंस शीट में संपत्ति, देनदारियों और पूंजी का विवरण शामिल रहता है। करदाता की पूंजी वह संचित धन है जो संपत्ति के रूप में या व्यवसाय की कार्यशील पूंजी के रूप में निवेश की गई है पूंजी का हेर-फेर बहीखातों की पुस्तकों में करते हैं जो कि कालेधन की लॉन्डरिंग और संग्रह होता है।

2.3.17 क्लोजिंग स्टॉक का हेर-फेर: गुणवत्ता और मूल्य के दोनों ही मामले में क्लोजिंग स्टॉक का सही न दर्शाना लाभ को कम करने के सबसे आम तरीकों में से एक है। इस तरह का अधिक परिष्कृत तरीका भुगतान किए गए और डेबिट किए गए माल में सामानों को शामिल न करना है, या ग्राहक को भेजे अनुमोदनार्थ सामान को शामिल न करना है। एक अधिक आय दृष्टिकोण माल में कीमत कम दिखाना है (बिना बिका माल) का जिसका मतलब है कि बही खातों में व्यय तो दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके मूल्य को जोड़ा नहीं जा रहा है, जिससे मुनाफा कृत्रिम रूप से कम हो जाता है।

2.3.18 पूंजी व्यय का हेर-फेर: प्लांट और उपकरण या किसी पूंजी परिसंपत्ति की ओवर इनवायस करना उच्च मूल्यहास का दावा करके व्यापार का लाभ कम दिखाया जाता है जैसा पहले ही कहा गया है, पूंजी में वृद्धि भी बैंकों से धन या बाजार से पूंजी जुटाने व्यापारी को अधिक उधार लेने के लिए सक्षम करने का एक साधन है यह देखा गया है कि पूंजी दृश्य के लिए इस तरह के उपाय कभी-कभी किए जाते हैं साथ ही कम इनवायस के निवेश अघोषित धन की प्रविष्टि का संकेत, काले धन का परिचय है।

## 2.4 अर्थव्यवस्था के कुछ नाजुक क्षेत्रों में काले धन का संग्रह / जमावड़ा।

2.4.1 आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में काले धन की कमाई का स्रोत हो सकता है, अर्थव्यवस्था / गतिविधियों के कुछ ऐसे निश्चित क्षेत्र हैं जोकि इस समस्या के ज्यादा ही अनुकूल हैं। इनमें रीयल स्टेट, सिक्के एवं जेवरात बाजार, वित्तीय बाजार एवं सार्वजनिक खरीद/प्रापण, और लाभकारी संगठन, विदेश व्यापार एवं टैक्स हेवन वाले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन एवं अनौपचारिक सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

2.4.2 भूमि और रीयल एस्टेट लेनदेन: अचल संपत्ति की बढ़ती कीमतों के कारण स्टैप ड्यूटी और पूंजीगत लाभ पर कर के रूप में रीयल एस्टेट लेनदेन पर लेने-देन की रकम कम दिखाकर कर चोरी की घटनाएं होती हैं जो इसे और संवेदनशील बना देते हैं। यह दोनों कालाधन संग्रह और निवेश का रास्ता खोलता है। खरीदार के पास दस्तावेजी बिक्री पर नकद भुगतान करके अपने काले धन को निवेश करने का विकल्प होता है इससे धन प्राप्तकर्ता के हाथों में काले धन बनाने का अवसर होता है। एक अधिक परिष्कृत उपाय कभी-कभी हस्तांतरण योग्य की खरीद विकास अधिकार (टीडीआर) नकदी पर होना है। 1 टीडीआर के अधिकार सामान्य सीमा से

अधिक पर अधिकार निर्मित होते हैं, जिन्हें मालिक द्वारा इन अधिकारों के बदले में मालिक की स्वामित्व क्षेत्र या भूमि स्थानांतरित किया जा सकता है।

2.4.3 बुलियन और आभूषण लेनदेन: सोने और आभूषण व्यापार में नकद बिक्री काफी आम है जिसके दो प्रयोजन हैं। खरीदार को खरीद से काले धन को सोने या बुलियन में परिवर्तित करने का विकल्प मिल जाता है जबकि यह व्यापारी को अपने बेहिसाब धन को स्टॉक के रूप में रखने का विकल्प देता है, जो बही खातों में घोषित नहीं की जाती या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर दर्शाई जाती है।

2.4.4 वित्तीय बाजार लेनदेन: वित्तीय बाजार लेनदेन में काला धन विभिन्न रूप में हैं। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) बड़े पैमाने पर जनता को इक्विटी शेयर की पेशकश करते हैं, वे प्रमोटरों या ऑपरेटरों के लिए काले धन उत्पन्न करने हेतु के लिए बहुत संवेदनशील हैं। बाजारों की रिगिंग इस हेराफेरी ऑपरेटरों का एक ऐसा ही साधन है। इसमें शेल कंपनियों के उपयोग और अधिक परिष्कृत तरकीबें शामिल हो सकते हैं जिनमें विदेशी टैक्स न्यायालय में अपतटीय कंपनियों या निवेशकों को शामिल करना आईपीओ द्वारा प्रस्तावित शेयरों में निवेश करना और हेरेफेर के व्यापार के जरिए उनकी कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाना है केवल इस वजह से कि बाद में इनको सामान्य निवेशकों की कम कीमत पर दे दें।

2.4.5 सार्वजनिक प्रापण: वर्ष में सार्वजनिक खरीद काफी बढ़ी है- मात्रा में, स्तर पर और विविध और साथ जटिलता को लेकर इसमें अक्सर परिष्कृत और उच्च तकनीक वाली वस्तुएं, जटिल काम, और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के एक अनुमान के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रापण का आंकड़ा 30 प्रतिशत है। जबकि विश्व व्यापार संगठन (विश्व व्यापार संगठन) के अनुमान के अनुसार यह आंकड़ों जीडीपी का 20 प्रतिशत है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के एक अध्ययन में अनुमान लगाया था कि भारत में वार्षिक सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद 8 लाख करोड़ की होगी जबकि प्रत्यक्ष सरकारी खरीद के कच्चे अनुमान के मुताबिक यह 2.5 और 3 लाख करोड़ रु. के बीच है। इससे भारत को कुल सार्वजनिक खरीद आंकड़ा प्रति वर्ष 10 से 11 लाख करोड़ रुपये है।

2.4.6 गैर लाभ क्षेत्र: कराधान कनून धमार्थी गतिविधियों को बढ़ा देने के लिए कुछ विशेषाधिकार और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं जो काले धन के उत्पादन के संभावित स्रोतों में से एक हैं। इस तरह का दुरुपयोग के दावे किए जाते रहे हैं। जो काले धन के उत्पादन के संभावित स्रोतों में से एक है। इस तरह का दुरुपयोग भी किया गया है यह वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स(एफएटीएफ) द्वारा प्रकाश में लाया गया है कि अंतरसरकारी संस्था जो विकसित और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा के लिए नीतियों को बढ़ावा देता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) सेक्टर मूल्यांकन समिति ने एनीओ क्षेत्र के मौजूदा नियंत्रण और कनूनी तंत्र की समीक्षा की है और सुधार के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है।

2.4.7 अनौपचारिक क्षेत्र और नकद अर्थव्यवस्था: काले धन का मुद्दा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नकद लेनदेन के परिमाण से संबंधित है। मुद्रा की मांग कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है जैसे आया, मूल्य स्तर और मुद्रा धारण की अवसर लागत। कृषि बड़े अनौपचारिक पर निर्भरता जैसे कारक (और गैर-बैंक वाले क्षेत्र) भारत में नकदी की बड़ी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।

2.4.8 बाहरी व्यापार और स्थानान्तरण मूल्य निर्धारण: 60 प्रतिशत से अधिक वैश्विक व्यापार बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) के संबद्ध उद्यमों के बीच किया जाता है। लागत और ओवरहेड्स का आवंटन और उत्पाद / सेवाओं की कीमत तय करना बेहद व्यक्तिपरक है, लागत और विशेष उत्पादों /सेवाओं और भौगोलिक न्याय क्षेत्रों के लिए कीमतें तय करना, एमएनई को आवंटन में काफी विवेकाधिकार हैं। यह उन्हें लाभ / आय स्थानांतरित करने के लिए कोई कर नहीं या कम कर क्षेत्र के लिए सक्षम बनाता है।

विभिन्न टैक्स क्षेत्रों में कर दरों में अंतर नगमों के लिए अपेक्षाकृत रूप से इन क्षेत्रों से कर योग्य आय को स्थानांतरित करने के लिए प्रतिकूल प्रोत्साहन बनाते हैं और अपेक्षाकृत कम कर दरों के साथ न्यायालयों के लिए कर की उच्च दरों से उनके कर दायित्व को कम करने के साधन के रूप में हैं।

2.4.9 भारत के बाहर हस्तांतरित अवैध धन विभिन्न तरीकों के माध्यम से हवाला, गलत तरीके से, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में लाभकारी कर इकाइयों के माध्यम से भारतीय कंपनियों द्वारा वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर), पूंजी जुटाने को, और भागीदारी नोट्स के माध्यम से भारतीय शेयर बाजारों में निवेश के लिए भारत में वापस आ सकता है। यह संभव है कि भारत के बाहर हस्तांतरित बड़ी राशि वास्तव में इन तरीकों के माध्यम से वापस आ गई हो ।

#### बॉक्स 2.1: टैक्स हेवन के लक्षण

टैक्स हेवन्स, पर विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर ये छोटे देशों / इकाइयां हैं जो, विदेशियों के लिए कम या शून्य कराधान के साथ, जो वहां आने और वहां रहने का निर्णय लेते हैं, ये आमतौर पर धन और खातों के बारे में सख्त गोपनीयता की पेशकश करते हैं, एवम बेहिसाब धन की सुरक्षा के लिए वे बहुत उदार नियामक वातावरण अपारदर्शी अस्तित्व की स्थिति के साथ उन्हें बहुत ही आकर्षक स्थान बनाते हैं। और, जहां एक इकाई केवल खुद को उस क्षेत्राधिकार में पंजीकृत या शामिल होने के लिए आसानी से किसी भी अर्थपूर्ण वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल हुए बिना स्थापित की जा सकती हो और फिर भी एक वास्तविक व्यवसाय इकाई होने का दावा करती है।, इससे ये बहुराष्ट्रीय संस्थाए अपनी वैश्विक- कर देनदारियों को कम करने के उन्हें बेहद वांछनीय स्थान बनाते हैं कर बचाने की इच्छुक कई कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट निकाय, ये बहुराष्ट्रीय संस्थाए टैक्स हेवन्स में कृत्रिम कंपनियां ( कंड्रुइट ) बना कर इस नेटवर्क में शामिल है जो कर कमहोने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जाली ( कंड्रुइट ) कंपनियों को कृत्रिम रूप से अपनी आय को स्थानांतरित कर देती हैं ।

टैक्स हेवन्स की इस दुरुपयोगी और अवांछनीय भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता और चिंता बढ़ती जा रही है जो अन्य देशों के लिए आतंकवाद और अन्य गतिविधियों के संभावित वित्तपोषण के कारण मामले में महत्वपूर्ण राजकोषीय चुनौती है और जो शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है ।

**2.4.10 व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल):** एफएटीएफ, टीबीएमएल को व्यापारिक लेनदेन के उपयोग के माध्यम से अपराध की आय और चलती मूल्य के अवैध मूल को वैधता के प्रयास में धोखा देने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। उनके इस तरह के हेरफेर की सुविधा देने वाले कारकों में अंतरराष्ट्रीय स्तर का भारी मात्रा ( प्लो ) शामिल है व्यापार प्रवाह, वित्तपोषण व्यवस्था और मुद्रा एक्सचेंजों के साथ जुड़ी जटिलता और साथ ही साथ देशों के मध्य सत्यापन प्रक्रियाओं के सीमित आधार पर साधन होने के कारण हैं ।

**2.4.11 टैक्स हेवन:** 1950 के दशक से 'कर हेवन' शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। हालांकि, इस पद बंध की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। ओईसीडी शुरू में टैक्स हेवन्स को कम करों या शून्य करों, सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान की

कमी, और पर्याप्त वित्तीय लेनदेन गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता की कमी जैसी विशेषता युक्त परिभाषित करता है ।, वर्ष 2000 में 35 देशों / इकाइयों को टैक्स हेवन के रूप में इसने सूचीबद्ध किया था। समय बीतने के साथ-साथ टैक्स हेवन द्वारा जानकारी साझा करने के लिए हुए समझौतेके कारण यह सूची बदल गई है ।

2.4.12 अपतटीय वित्तीय केंद्र: कुछ पुराने टैक्स हेवन ने अधिक सौहार्दपूर्ण ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर '(ओएफसी) नाम अपनाया है और खुद को गैर-आवासीय वित्तीय लेनदेन के वित्तीय केंद्रों में विशेषज्ञता के रूप में वर्णित किया हैं

हालांकि, उनके नियमन के अभाव में गुप्तता प्रावधानों के साथ, शून्य या शून्य जैसे कराधान, और पर्याप्त पूंजी नियंत्रण की कमी के चलते, वे तर्कसंगत रूप से हैं पारंपरिक टैक्स हेवन्स के विस्तार ही हैं आईएमएफ ने ओएफसी को ऐसे केंद्रों के रूप में परिभाषित किया है जहां वित्तीय बड़ा हिस्सा बैलेंस शीट के दोनों छोर पर वित्तीय क्षेत्र का थोक लेनदेन व्यक्तियों या कंपनियों के साथ जो कि निवासी नहीं हैं, जहां लेनदेन कहीं और शुरू किए जाते हैं, और अधिकांश संस्थान गैर निवासियों द्वारा ये नियंत्रित हैं!

इस प्रकार, कई ओएफसी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. ऐसे अस्तित्व / इकाइयां जिन के वित्तीय संस्थानों में गैर-निवासियों के साथ मुख्य रूप से व्यापार जुड़ा हुआ है;
2. बाह्य संपत्ति और देनदारियों के साथ घरेलू वित्तीय के अनुपात से बाहर, वित्तीय प्रणाली घरेलू आर्थिक वित्त मध्यस्थता के लिए डिजाइन किया गया; तथा
3. खुले तौर पर, निम्न: या निम्न में से कुछ या सभी अवसर प्रदान करने वाले, बैंकिंग गोपनीयता और गुमनामी की मध्यम या हल्के वित्तीय विनियमन वाले ऐसे केंद्र जो कम या शून्य कर लगाते हैं ;

बीआईएस और आईएमएफ सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ओएफसी शब्द का इस्तेमाल टैक्स हेवन्स में विकसित होने वाली वित्तीय सेवाओं के बारे में सीमित रूप में करना शुरू कर दिया है

#### बॉक्स 2.2: पार्टिसिपेटरी नोट्स

एक सहभागी नोट (पीएन) एक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / उसके उप-खाते या इसके किसी एक सहयोगी सदस्य द्वारा, विदेशी भूमि में जारी किए गया एक प्रोद्भूत लिखित समझौता है जो अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूतियों के एवज में जारी किया जाता है । पीएन विदेशी निवेशकों में लोकप्रिय हैं क्योंकि वे इन निवेशकों को महत्वपूर्ण लागत और समय के प्रभाव से गुजरे बिना भारतीय बाजार में भारत में सीधे निवेश पर लाभ (रिटर्न) अर्जित करने की अनुमति देते हैं । इन उपकरणों के जरिए विदेशी व्यापार एसईबीआई ( सेबी) की निगरानी के प्रत्यक्ष दायरे से बाहर होता है इसलिए लाभकारी स्वामित्व और इन में निवेश किए गए निधियों की प्रकृति के बारे में मात्र आशंकाएं उठाना भर शेष बचा रह जाता है। यह चिंता का विषय रहा है कि पीएन के माध्यम से बाजार में आने वाला कुछ धन, जो एफआईआई निवेश के छद्म रूप में हैं, आशंका है कि ये बेहिसाब धन ( काला धन ) हो सकता है । सेबी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहे हैं कि पीएन का उपयोग काले धन या आतंकवादी वित्तपोषण के लिए छद्म रूप में नहीं हो रहा है ।

**2.4.13 अभिनव व्युत्पन्न उपकरणों के माध्यम से निवेश:** डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स बढ़ती हुई तर्कीबों के साथ, नियम और करों के अधीन हुए बिना निवेश करने और लाभ कमाने के नए अवसर खुल रहे हैं ऐसे अभिनव तरीकों का भी अनैतिक पक्षकारों / पार्टियों द्वारा बेहिसाब आय उत्पन्न करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे उपकरण जैसे भागीदारी नोट्स पर नियामक तंत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से उनकी निगरानी नहीं हो पाती हैं इसलिए इनके दुरुपयोग की संभावना है।

## 2.5 भारत में उत्पन्न काले धन का अनुमान

2.5.1 काले धन की कमाई या एकत्रीकरण के कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं हैं, और न इस तरह के आकलन के लिए सटीक स्वीकार्य पद्धति है। इसकी परिभाषा के अनुसार, काला धन हिसाब में नहीं होता है, इस प्रकार उसके अनुमान पर सभी प्रयास अंतर्निहित मान्यताओं पर निर्भर होते हैं और समायोजन के सोफिस्टिकेसन शामिल हैं अब तक किए गए अनुमानों में, इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणाली या दृष्टिकोण के बारे में सर्वसम्मति, या सहमति में एकरूपता नहीं है, रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में भी बहुत विविधताएं हैं, जो विभिन्न तरीकों को अपनाए जाने को लेकर आगे की सम्भावनाओं को सीमित करती हैं।

2.5.2 आकलन के लिए उपयोग किए गए व्यक्तिगत विधियों का विश्लेषण उनकी सीमाओं को आगे और जटिल बनाता है। एक ऐसी विधि इनपुट / आउटपुट विधि है सही आउटपुट जानने के लिए इनकी गणना के लिए इनपुट के साथ इनपुट / आउटपुट अनुपात का उपयोग करना शामिल है क्योंकि इनपुट / आउटपुट अनुपात के आधार पर घोषित आउटपुट और उत्पादन की उम्मीद के बीच का अंतर ही काले धन का अनुमान है। यह विधि बेहद सरल लगती है और, हालांकि उपयोगिता अगर एक समान उद्योग या अर्थव्यवस्था का एक विशिष्ट क्षेत्र पर लागू होती है, तो इससे बहुत लाभ मिलने की संभावना नहीं है। यह उन प्रौद्योगिकी सहित अर्थव्यवस्था के संबंधित क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों की भी उपेक्षा करता है।

2.5.3 वित्त शास्त्रियों द्वारा अपनाया गया एक अन्य दृष्टिकोण, इस तथ्य पर आधारित है कि पैसे की जरूरत हिसाब और बेहिसाब (काला धन) दोनों अर्थव्यवस्थाओं में है। आधिकारिक अर्थव्यवस्था के रूप में यह सभी जानते हैं, कि उस राशि और प्रचलन में धन के बीच के अंतर की राशि का अंश परिसंचरित 'काला' धन माना जा सकता है। धन की बारम्बारता का अनुमान (जो कि वह मुद्रा करेंसी (मुद्रा) की औसत संख्या जो एक वर्ष में कितने हाथों से गुजरती है) सालाना परिचालित आय के अनुमान लगाने को सरल बनाती है इसके साथ तुलना कीजिए कि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एनएएस) में जमा आय के अर्थव्यवस्था में काले धन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है हालांकि, यह धारणा है कि NAS द्वारा बताई गई आय हमेशा सही नहीं होती है आय के बड़े अनुपात, जैसे असंगठित क्षेत्र में, एनएएस सही रूप से नहीं समझ पाया, इस प्रकार काला धन के अनुमान में पूर्वाग्रह ऊपर की तरफ हो सकता है।

2.5.4 काले धन के आकलन की एक अन्य विधि सर्वेक्षण दृष्टिकोण है जिसमें नमूना सर्वेक्षण शामिल हैं जो किए गए हैं। वे एक प्रतिनिधि जनसंख्या नमूने के उपभोग पैटर्न पर हो सकते हैं, जो देश की कुल खपत के साथ तुलना करते हैं इस पद्धति में, समस्याएं वास्तव में प्रतिनिधि नमूना को प्राप्त करने, सवालों का सुस्पष्ट सेट, एवम, और नमूने में शामिल व्यक्तियों की तथ्यों को सच्ची प्रकट करने की इच्छा में मिलती हैं चूंकि आकार साक्षात्कारकर्ताओं के साथ अक्सर खुलकर बात नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग अजनबियों के सामने किसी भी अवैधता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

2.5.5 काली आय के अनुमान के लिए 'राजकोषीय दृष्टिकोण' पद्धति भी है। इस के अंतर्निहित आधारदृष्टिकोण कई क्षेत्रों के रूप से अर्थव्यवस्था को देखने की है, प्रत्येक की अपनी पद्धतियां हैं काले धन के उत्पादन के लिए इन क्षेत्रों में योगदान अलग से तैयार किया

जाता है, जो कि जोड़ने पर 'काले' अर्थव्यवस्था का सही आकार दे देंगे हालांकि, 'काला घटक' की पहचान करने के तरीके इन क्षेत्रों और मान्यताओं शोधकर्ता की अंतर्निहित आत्मीयता और मानकों की एकरूपता की कमी हैं।

2.5.6 भारत में 'काले धन' की कमाई की मात्रा जानने के लिए इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं। मोटे तौर पर कहें तो, अब तक किए गए अनुमानों में दो अलग-अलग तरीकों का अपनाया गया है:

- (i) आयकर की छूट सीमा के ऊपर गैर-वेतन आय का अनुमान लगाने के कल्डोर के दृष्टिकोण; तथा
- (ii) मुद्रा-जमा अनुपात के आधार पर लेनदेन आय जानने की एडगर एल फेगे पद्धति और इसमें से अर्थव्यवस्था की 'काली' आय घटाकर।

2.5.7 एन कल्डोर ने अपनी रिपोर्ट में (1956) राष्ट्रीय स्तर की आय को, निम्न तरीके से बांटकर, के आधार पर गैर-वेतन आय का अनुमान लगाया आय में:

- (i) वेतन और मज़दूरी,
- (ii) स्वयं-नियोजित आय, और
- (iii) लाभ, ब्याज, किराया, आदि

निबल (शुद्ध) घरेलू उत्पाद में योगदान से मजदूरी और वेतन को घटाकर, उन्होंने कुल गैर-वेतन की राशि निकाली। टैक्स के प्रयोजन हेतु आकलित कुल गैर-वेतन आय पर पहुंचने के लिए प्रत्येक सेक्टर के लिए वास्तविक गैर-वेतन आय का अनुमान लगाया गया था जो कि कर के लिए एसेस होनी हैं अनुमानित गैर-वेतन आय और छूट सीमा के ऊपर की आय के बीच के अंतर ही वास्तविक रूप से कर के हेतु गैर-वेतन आय का आकलन 'काली' आयका आकार है।

2.5.8 प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने कल्डोर द्वारा अपनाई गई विधि का कुछ संशोधनों के साथ पालन किया इसने यह अनुमान दिया कि वर्ष 1961-62 के लिए निर्धारणीय गैर-वेतन आय 2686 करोड़ रुपए और कर के लिए मूल्यांकन की गई गैर-वेतन आय वास्तव में 1875 करोड़ रुपए थी। तदनुसार 811 करोड़ की रकम आयकर से बच गई थी। छूट और कटौती के लिए कुछ समायोजन करने के बाद, वांचू समिति ने पाया कि 'जिस अनुमानित आय पर टैक्स चोरी हो गया है वह (काला आय) शायद 1961-62 और 1965-66 के लिए क्रमशः 700 करोड़ और 1000 करोड़ होगी।' राष्ट्रीय अनुमान में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर इस अनुमान को आगे बढ़ाते हुए यह बताया कि 1968-69 तक 1961-62 से 1968-69 तक की आय, जिस पर 1968-69 के लिए टैक्स की चोरी हुई थी, का अनुमान 1800 करोड़ रुपए था।

2.5.9 रांगेकर का अनुमान: डॉ. डी.के. वान्चू समिति के एक सदस्य रांगेकर ने, वांचू समिति द्वारा किए गए अनुमान से असहमत हो गए उनके अनुसार, 1961-62 के लिए टैक्स चोरी 1150 करोड़ रुपए की थी ना कि 811 करोड़ रुपए जैसा कि वांचू समिति का अनुमान था 1965-66 के लिए, यह वांचू समिति द्वारा अनुमानित 1000 करोड़ के बजाए 2,350 करोड़ रुपए की थी 1968-69 और 1969-70 के लिए उनके अनुमान क्रमशः 2833 करोड़ और 3080 करोड़ थे।

2.5.10 चोपड़ा का अनुमान: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ओ.पी. चोपड़ा ने इस विषय ( बेहिसाब आय ) पर कई पत्र प्रकाशित किए उन्होंने 17 वर्षों की अवधि, यानी 1 960-61 से 1 9 76-77 तक के लिए बेहिसाब आय के अनुमानों की एक श्रृंखला तैयार की चोपड़ा की पद्धति ने वांचू समिति के दृष्टिकोण से हटकर एक महत्वपूर्ण उल्लेख किया और, परिणाम के रूप में, उन्होंने 1 9 73 के बाद से दो श्रृंखलाओं में एक बड़ा विचलन पाया, जब छूट सीमा से अधिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई उनके व्यापक अंतर्निहित मान्यताओं/ पद्धति: मैं थे

- i. केवल गैर-वेतन आय छिपी है;
- ii. आयकर के अलावा अन्य करों से भी चोरी की गई है और अध्ययन केवल आय के उस हिस्से तक ही सीमित है जो आयकर के अधीन है इस प्रकार कर चोरी जो कि (क) नॉन-पेमेंट या उत्पाद शुल्क का भुगतान, (ख) बिक्री कर, (ग) सीमा शुल्क, या (घ) प्रतिस्थापन कृषि गैर-कृषि आय के लिए कृषि आय सम्भाली नहीं गई है;
- iii. कर प्रशासन की दक्षता अपरिवर्तित बनी हुई है;
- iv. गैर-वेतन आय में छूट की सीमा के ऊपर गैर-वेतन आय का अनुपात गैर-वेतन आय की कुल संख्या है उसी प्रकार रहा; तथा
- v. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से अर्जित कुल आय के लिए गैर-वेतन आय का अनुपात एक ही रहता है।

2.5.11 चोपड़ा के अध्ययन का महत्वपूर्ण शोध यह था कि 1 973-74 के बाद, बेहिसाब आय का अनुपात निर्धारणीय गैर-वेतन आय में वृद्धि हुई, जबकि वांचू समिति ने इस अनुपात को निरंतर स्थिर मान लिया । परिणाम के रूप में, 1 973-74 के बाद वांचू समिति और चोपड़ा के अनुमान के बीच व्यापक अंतर था चोपड़ा के अनुमानों ने इस परिकल्पना की पुष्टि की चोरी की तुलना वहां अधिक है जहां टैक्स की दर तुलनात्मक रूप से अधिक हैं । उनके निष्कर्ष ने इस अवधारणा का भी समर्थन किया है कि कीमतों में वृद्धि , बेहिसाब आय में वृद्धि के कारण होती है इसके अलावा, वह एक महत्वपूर्ण खोज में यह कहा कि धन को गैर-कर योग्य क्षेत्र कृषि क्षेत्र में लगाकर काले धन को सफेद किया गया है चोपड़ा के अध्ययन के अनुसार अनुमानित आय में 1 960-61 में '916 करोड़ से बढ़ी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) के कारक पर 6.5 प्रतिशत लागत 1 976-77 में '80 9 8 करोड़ (जीएनपी का 11.4 फीसदी) रही है ।

2.5.12 एनआईपीएफपी का भारत में काले अर्थव्यवस्था पर अध्ययन: एनआईपीएफपी ने डॉ एस आचार्य (1985) के मार्गदर्शन में एक अध्ययन किया ।

अध्ययन में 'काले धन' को उस कुल आय के रूप में परिभाषित किया गया था जो कर योग्य था लेकिन जो कर अधिकारियों को नहीं बताया गया था हालांकि, अध्ययन ने 'काला' आय की एक व्यापक परिभाषा दी और के उद्देश्यों की स्पष्टता के लिए इसे 'बेहिसाब आय' कहा चूंकि पर्याप्त डेटा की कमी थी, एनआईपीएफपी अध्ययन ने 'न्यूनतम अनुमान दृष्टिकोण' का पालन किया इसका मतलब यह है कि, कम घोषणा की इसका पता नहीं किया जा रहा है इस कम -घोषणा के रिसाव सुरक्षित रूप से रोका जा सकता है। संबंधित क्षेत्र में एक आंकड़े के बजाय न्यूनतम के रूप में माना जाएगा कई मामलों में अध्ययन पूरी रेंज का उपयोग किया गया ।

2.5.13 काले धन की आय का अनुमान तैयार करते समय, इस अध्ययन में गैर कानूनी क्रियाओं जैसे तस्करी, काला बाज़ारी के लेनदेन, रिश्वत और किक बैंक को छोड़ दिया गया है। काले धन के वैश्विक अनुमान तैयार करने में, अध्ययन इन छह क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है :

- i सेवा और माल के उत्पादन में छिपकर या खुलेआम ली गई रकम
- ii सम्पत्ति की बिक्री पर पूंजीगत प्राप्तियों से मिली काली आय
- ii सार्वजनिक क्षेत्र में नियत पूंजी निर्माण से कमाई गई काली आय
- iv निजी निगमित क्षेत्र से कमाई गई काली आय
- v निर्यात से कमाई गई काली आय
- vi निजी क्षेत्र में आयात लाइसेंस की बिक्री एवम आयात के बढ़े बीजक से उत्पन्न काली आय

2.5.14 काली आय के विभिन्न सर्वांगों के समेकन के पश्चात अध्ययन से काली आय की मात्रा विभिन्न वर्षों में तालिका 2.1 के अनुसार है :

तालिका 2.1 एनआईपीएफपी के भारत में 1975-1985 वर्ष के काली आय के अनुमान

वर्ष	काली आय ( करोड रु में )	जीडीपी का %
1975-76	9,958 से 11,870	15 से 18
1980-81	20,362 से 23,678	18 से 21
1983-84	31,584 से 36,784	19 से 21

2.5.15 एनआईपीएफपी के अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कुल 36,784 करोड़ रुपये का काली आय का उत्पादन 1,73,420 करोड़ के कारक लागत पर बहुत ज़्यादा था, हालांकि कुछ फ़ज़ूल अनुमानों कि यह 50 या जीडीपी का 100 प्रतिशत है, के मुकाबले यह सकल घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से भी कम है।

कुछ हद तक विश्वास के साथ इस अध्ययन में यह सुझाव दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काले आय का निर्माण 1983-84 बाजार मूल्य पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का 18% या जीडीपी का 16% से कम नहीं था।

2.5.16 जबकि एनआईपीएफपी रिपोर्ट ने वर्ष 1980-81 के लिए अपनी रिपोर्ट में (तस्करी और अवैध गतिविधियों को छोड़कर) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत 'काला' अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया था, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सूरज बी गुप्ता ने बताया कि एनआईपीएफपी अध्ययन में कुछ ग़लत मान्यताओं हैं और वर्ष 1980-81 के लिए जीडीपी का 42 प्रतिशत अनुमानित 'काला' आय बताई और 1978-88 के लिए 51 प्रतिशत बताई। अरुण कुमार ने गुप्ता की विधि में साथ ही एनआईपीएफपी अध्ययन में भी कुछ दोष बताया। उन्होंने अनुमान लगाया कि '1990-91 के लिए' काला 'आय लगभग 35 प्रतिशत है और 1995-96 के लिए 40 प्रतिशत।

**2.5.17** काली आय के अनुमान के बारे में अंतिम अध्ययन 1985 में एनआईपीएफपी द्वारा वित्त मंत्रालय की पहल पर किया गया था 1985 से एक दशक पहले के काली आय के वैकल्पिक अनुमान जो एनआईपीएफपी द्वारा इकठे किए गए तालिका 2.2 में दिए हैं, वे अनुमानों की भारी भिन्नता को दर्शाते हैं

काली आय और इसके अनुमान

तालिका 2.2 काली आय के अनुमानों के बारे में भिन्नता

वर्ष (1)	चोपडा वांचू तरीका (2)	के अनुमान अपना तरीका (3)	गुप्ताएवंगुप्ता अनुमान (4)	गुप्ता एव मेहता अनुमान (5)	घोष आदि अनुमान (6)	रंगनेकर अनुमान (7)	
1970-71	4.8	5.2	22.3	-	7.6	-	
1971-72	5.1	3.2	28.7	-	7.8	---	
1972-73	4.0	3.8	31.9	-	7.8	--	
1973-74	4.9	8.1	27.1	-	7.4	9.9	
1974-75	5.9	12.4	20.9	13.8	8.1	9.3	
1975-76	5.6	9.9	25.0	-	8.4	10.0	
1976-77	5.7	10.2	37.6	-	8.7	11.3	
1977-78			38.4	-	8.7	12.1	
1978-79			48.1	19.8		13.5	
1979-80			----			14.4	

2.5.18 यह देखना उपयोगी हो सकता है कि भारत काली आय और काली छाया अर्थव्यवस्था के अनुमानों पर विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे तुलना करता है विश्व बैंक विकास अनुसंधान समूह और गरीबी और असमानता और यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र मानव विकास अर्थशास्त्र इकाई ने जुलाई 2010 में यह अनुमान लगाया कि 1999 से 2007 तक 162 देशों की 'छाया अर्थव्यवस्था' हैं इस ने

यह रिपोर्ट दी कि इसका भारित औसत आकार 2007 में इन 162 देशों की छाया अर्थव्यवस्था जो 1999 में 34 प्रतिशत की तुलना में ('आधिकारिक जीडीपी' के प्रतिशत के रूप में) 31 फीसदी थी। भारत के लिए, ये आंकड़े क्रमशः 20.7 और 23.2 प्रतिशत थे। ये दुनिया के औसत के साथ अनुकूल थे छाया अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के सभी बाजार-आधारित कानूनी उत्पादन को शामिल किया गया जो, निम्न में से किसी भी कारण से लोक अधिकारियों की नज़र से जो जान-बूझकर से छुपाए गए, पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया था।

- > आय के भुगतान से बचने के लिए, मूल्यवर्धित या अन्य करों,
- > सामाजिक सुरक्षा योगदान के भुगतान से बचने के लिए,
- > कुछ कानूनी श्रम बाजार मानकों को पूरा करने से बचने के लिए, जैसे न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम कार्य समय, और सुरक्षा मानकों; तथा
- > कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करने से बचने के लिए, जैसे सांख्यिकीय पूरा करना प्रश्रावली या अन्य प्रशासनिक प्रपत्र

2.5.19 अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी की सीमा का अनुमान लगाने के लिए यहां विभिन्न तरीकों की चर्चा की गई है और उनकी कई धारणाओं और अनुमानों के लिए आलोचना की गई है।

यद्यपि वे उसी वर्ष के लिए काले धन के विभिन्न आंकड़ों दे रहे हैं हाल के वर्षों में मीडिया रिपोर्टों विशेष रूप से भारतीयों द्वारा विदेश में जमा किया बेहिसाब धन ने काले धन के अनुमानों को बढ़ा दिया है।

## 2.6 विदेशों में जमा काले धन का अनुमान

2.6.1 2009 में ईमेल की एक ऐसी श्रंखला सर्कुलेट हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि संसार के कुल देशों को मिलाकर भी उतना पैसा स्विस् बैंक में जमा नहीं है जितना कि भारतीयों का स्विस् बैंक में जमा है इससे यह दावा स्विस् बैंकिंग एसोसिएशन रिपोर्ट 2006 के अनुसार स्विट्जरलैंड में बैंक जमा केवल कुछ देशों का इस प्रकार है भारत 1456 बिलियन अमेरिकी डॉलर, रूस 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ब्रिटेन 390 बिलियन अमेरिकी डॉलर, उक्रेन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर चीन 96 बिलियन अमेरिकी डॉलर।

2.6.2 इससे स्पष्ट होता है कि स्विस् बैंकिंग एसोसिएशन नाम से कोई संगठन ही नहीं है हालांकि स्विस् बैंकर्स एसोसिएशन नाम से अवश्य है 13 सितंबर 2009 को जी न्यूज डॉट काम ने एक बयान जारी किया था जेम्स नेशन के हवाले से, जो के स्विच बैंकर्स एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय संचार के अध्यक्ष हैं जिसमें कथित रिपोर्ट के आधार पर बताए गए आंकड़ों के संदर्भ में उन्होंने दावा किया था कि बैंकर्स एसोसिएशन ने कभी भी ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है और यह कि भारतीय जमा के संबंध जो रिपोर्ट है वह एकदम झूठी है इसलिए यह आंकड़े केवल कल्पित है और जो ईमेल प्रचार में था वह आधारहीन और बदनीयती से था।

2.6.3 एक अन्य रिपोर्ट जो मीडिया में सर्कुलेट हो रही थी उसमें यह कहा गया कि ग्लोबल फाइनेंसियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट 2008 के आधार पर भारतीयों का विदेश में जमा संपत्ति 1.4 ट्रिलियन के आसपास है इसका शीर्षक था विकासशील देशों के वित्तीय अवैध प्रवाह 2002 से 2006 तक, नवंबर 2010 की रिपोर्ट में जिसका शीर्षक भारत से वित्तीय प्रवाह 1948 2008 द ड्राइवर एंड डायनामिक तथापि इस ने पेज 9 पर यह स्वीकार किया कि जो पद्धति आंकड़ों के संबंध में अपनाई गई वह दोषपूर्ण थी आंकड़े जियोफाई अनुमान औसत अवैध प्रवाह जो कि 22 पॉइंट 7 बिलियन प्रतिवर्ष 2002 से 2006 की अवधि के बीच और 61 वर्ष आजादी के गुणा करके निकाली गई थी यह दोषपूर्ण है ऐसे अवैध प्रवाह वर्ष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं।

2.6.4 तथापि यहां यह बता देना लाभकारी रहेगा कि एक अनुमान स्विस् बैंकों में भारतीयों की जगह पैसे के संबंध में स्विच नेशनल बैंक ने किया था इस के प्रवक्ता ने कहा कि 2010 के अंत में स्विस् बैंक की देनदारियां भारतीयों के प्रति 1.9:0045 बिलियन थी जो स्विस् फ्रैंक मेथी जिसकी भारतीय कीमत 9.295 करोड़ रुपए हैं भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर स्विस् विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि यह आंकड़े सही है क्योंकि यहां आंकड़े स्विस् नेशनल बैंक की

वेबसाइट पर मौजूद थे तब पूर्व के आंकड़े भी मान लिए गए और परिशिष्ट 1 की तालिका में उन्हें अंकित कर लिया गया इस तालिका से यह देख सकते हैं कि भारतीयों की स्विस बैंकों में जमा 2006 में जो 23 पॉइंट 303 करोड़ रुपए थी वह घटकर 2010 में 9,295 करोड़ रुपए रह गई है ।

2.6.5 तालिका 2 के परिशिष्ट में स्विस बैंक की देनदारियां विभिन्न देशों के नागरिकों के प्रति दी गई है इससे यह पता लगता है कि भारतीयों की स्विस बैंकों में जमा 0.1 3% कुल बैंक जमा का है आगे यह भी है कि कुल बैंक जमा में भारतीयों का हिस्सा 2006 में 0.29 प्रतिशत से घटकर 2010 में 0.1 3 % रह गया है ।

2.6.6 यह आंकड़े विदेशी बैंकों में भारतीयों की जमा पैसे से संबंधित है यह अधिकृत इन आंकड़ों से यह सुनिश्चित निर्णय निकाला जा सकता है किस चीज बैंकों में भारतीयों का अधिकतम पैसा जमा है यह बात सही नहीं है ।

## 2.7 भारत के बाहर हस्तांतरित किया अवैध धन : आईएमएफ और जीएफआई की रिपोर्ट

2.7.1 ऋषि और बोयस (1990) 9 द्वारा किए गए गई एक आईएमएफ के अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1971-86 की अवधि के दौरान में 20-30 बिलियन अमरीकी डॉलर या प्रत्येक वर्ष 1-2 बिलियन अमरीकी डालर में भारत से पूंजी का बहिर्गमन हुआ । इस अनुमान को बाद में 2001 में 1971-97 के लिए 88 बिलियन अमरीकी डालर आंका गया , जो 1971 से 1997 तक अर्थव्यवस्था में शुद्ध वास्तविक वितरित ऋण का लगभग 20 प्रतिशत के बराबर है। दूसरे शब्दों में, 1971 से 1997 तक भारत द्वारा जमा किए गए, विदेशी कर्ज के प्रत्येक डॉलर के लिए निजी भारतीय निवासियों ने बाह्य संपत्ति के 20 सेंट जमा किए ।

(नोट) 7 1921 से पहले यूनियन बैंक ऑफ स्विटजरलैंड स्विस बैंकिंग एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। 8 जीएफआई एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो राष्ट्रीय और बहुपक्षीय नीतियों, सुरक्षा उपायों और क्रॉसबॉर्डर को कम करने के उद्देश्य से समझौतों को बढ़ावा देता है अवैध धन का प्रवाह। इस खंड में संदर्भित जीएफआई के विभिन्न रिपोर्ट [www.gfintegrty.org](http://www.gfintegrty.org) पर देखी जा सकती हैं। 9 एम ऋषि, और जे.के. बोयस (1 99 0) 'द हिडन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स: कैपिटल फ्लाइट एंड ट्रेड मिसोन्वियोइंग इन इंडिया, 1 971-19 86', आर्थिक और

पॉलिसाल वीकली, जुलाई, पीपी। 1645-8

10 भारतीय अर्थव्यवस्था में बाह्य ऋण और पूंजी उड़ान, ऑक्सफोर्ड विकास अध्ययन, वॉल्यूम 29, नहीं 1, 2001

2.7.2 इन अनुमानों की गणना की विधि विश्व बैंक अवशिष्ट विधि थी । पूंजी बहिर्गमन का अनुमान इस प्रकार है पूंजी बहिर्गमन = विदेशी ऋण बकाया में परिवर्तन + चालू खाता अधिशेष + सरकारी रिजर्व में परिवर्तन + एफडीआई इस विधि का अंतर्निहित तर्क यह है कि निधियों के रिकॉर्ड किए उपयोग से अधिक धनराशि के स्रोत इस राशि के गैर दर्ज हुई बहिर्गमित राशि को प्रतिबिंबित करते हैं । गैर दर्ज इस आउटफ्लो इस अनारक्षित बहिर्वाह में वैध तरीके से अर्जित पूंजी शामिल हो सकती है जैसे कि एक वैध व्यवसाय के लाभ के रूप में या इसमें अवैध व्यापार के माध्यम से अर्जित पूंजी भी शामिल हो सकती है ।

2.7.3 पूंजी के इस बहिर्गमन का व्यापार, गलत चालान के माध्यम से समायोजित किया जाता है, जो लेन-देन फिर से दिखाते हैं जब एक चालान के तहत निर्यात के देश से बाहर जाने वाले सामान को आयात वाले देश में अलग चालान के तहत रिपोर्ट किया जाता है अंतर्निहित तर्क यह है कि निवासी आयात की ओवर-इनवॉइसिंग और निर्यात की अंडर-इनवॉइसिंग करके विदेशी संपत्तियां अवैध रूप से प्राप्त कर सकती हैं एक्सपोर्ट्स यह / आयात की तुलना करके अनुमान लगाया गया है माल / से भारत के साथ जो अन्य देशों आयात / निर्यात / भारत से निर्यात के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं इस प्रकार समायोजित पूंजी उड़ान का आकलन \$ 87,881 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

## 2.7. जीएफएफआई ने गैरकानूनी बहिर्वाहों और अन्य पर अनुमान लगाने के लिए कुछ संशोधनों के साथ समान पद्धति का इस्तेमाल किया रिपोर्टों की एक श्रृंखला में संबंधित विषय:

(ए) दिसंबर 2008: विकासशील देशों से अवैध वित्तीय प्रवाह: 2002-2006, जिसका अनुमान है कि विकासशील देशों से अवैध वित्तीय प्रवाह अमेरिका में \$ 850 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति ट्रिलियन प्रति वर्ष है

(बी) फरवरी 2010: ट्रेड मिस्प्रेसिंग से इंपैलिड टैक्स रेवेन्यू लॉस, जिसका अनुमान है कि विकासशील विश्व लगभग हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर राजस्व हानि में बेकार है वित्तीय प्रवाह

(सी) मार्च 2010: निजी तौर पर आयोजित, गुप्तचर क्षेत्राधिकार में अनिवासी जमाराशि, जिनका अनुमान है कि इस तरह की जमा राशि वर्तमान में \$ 10 ट्रिलियन तक पहुंच रही है और एक में बढ़ रही है पिछले 13 वर्षों में सालाना 9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर, विकास की तुलना में बहुत तेजी से विश्व सकल घरेलू उत्पाद पर 3.9 प्रतिशत प्रति वर्ष

(डी) मार्च 2010: अफ्रीका से अवैध वित्तीय प्रवाह: विकास के लिए छिपे हुए संसाधन, जो कि अनुमान है कि अफ्रीका ने 1970 से 2008 तक अवैध वित्तीय बहिर्वाह में \$ 854 बिलियन अमेरिकी डॉलर खो दिए थे।

(ई) मई 2010: विकासशील देशों से अवैध वित्तीय प्रवाह का अवशोषण: 2002-2006, जो जांचता है कि जहां विकासशील देशों के अवैध बहिर्वाहों में अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है अपराध, भ्रष्टाचार और कर चोरी की आय जमा की जा रही है। यह बताया गया है कि एक देश से निकलती है और दूसरे में आने वाले अवैध प्रवाह का बड़ा हिस्सा स्थानांतरित कर दिया जाता है छाया वित्तीय प्रणाली के माध्यम से नकदी के रूप में, जिसके परिणामस्वरूप देश के बाहर खातों में जमा मूल का। यह दिखाया गया है कि विकसित देशों नकदी के सबसे बड़े अवशोषण हैं विकासशील देशों से बाहर आ रहा है और विकसित देशों में बैंक 56 फीसदी के बीच अवशोषित करते हैं और इस तरह के प्रवाह का 76 प्रतिशत, ओएफसी की तुलना में काफी अधिक है।

(एफ) नवंबर 2010: भारत से अवैध वित्तीय प्रवाह की चालकों और गतिशीलता: 1948-2008, जिसका अनुमान है कि 1948 और 2008 के बीच कुल 213.2 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि है अवैध बहिर्वाह के माध्यम से भारत से बाहर स्थानांतरित पर वापसी की दर को ध्यान में लेने के बाद बाहरी संपत्ति, यह अनुमान है कि निवासियों द्वारा अवैध परिसंपत्तियों का समायोजित सकल स्थानांतरण भारत-दिसंबर 2008 के अंत तक 462 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यह और कहा गया है कियदिभारत की भूमिगत अर्थव्यवस्था का आकार अनुमानित जीडीपी का 50% (यूएस \$ 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद पर 2008 में 1.28 ट्रिलियन डॉलर), लगभग 72.2 प्रतिशत अवैध भूमिगत अर्थव्यवस्था से जुड़े संपत्तियां विदेश में आयोजित की जाती हैं।

(जी) जनवरी 2011: विकासशील देशों से अवैध वित्तीय प्रवाह: 2000-2009, जो अनुमान है कि 2000 से 2008 तक विकासशील देशों से अवैध बहिर्वाह लगभग 6.5 खरब अमेरिकी डॉलर थी।

काले धन और इसके आकलन

(एच) फरवरी 2011: विकासशील दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, जो कुल मिलाकर मूल्यांकन करता है 12 श्रेणियों में आपराधिक बाजार का आकार: दवाएं, मानव, वन्यजीव, नकली सामान और मुद्रा, मानव अंग, छोटे हथियार, हीरे और अन्य जवाहरात, तेल, लकड़ी, मछली, कला और सांस्कृतिक संपत्ति, और सोने 12 अवैध गतिविधियों का अध्ययन किया गया, ड्रग्स में व्यापार (प्रति 320 अरब डॉलर) वर्ष) और जालसाजी (प्रति वर्ष 250 अरब डॉलर) अवैध और अवैध रूप से दूसरे स्थान पर हैं। धन उत्पन्न

(आई) दिसंबर 2011: दशक समाप्त होने के दौरान विकासशील दुनिया से अवैध वित्तीय प्रवाह 200 9, जिसमें पता चला है कि 2009 के दौरान विकासशील देशों से अवैध बहिर्वाह यूएस \$ थे 903 बिलियन जो कि वर्ष 2008 में 1.55 खरब डॉलर दर्ज की गई थी रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 2000 से 200 9 तक, विकासशील देशों ने \$ 8.44 खरब को अवैध रूप से खो दिया है वित्तीय प्रवाह जनवरी 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, आउटफ्लो का परिमाण एक्सचेंज टेबल 3 में दिखाए गए अनुसार क्रमबद्ध हैं

2.7.5 इन रिपोर्टों में, अवैध वित्तीय प्रवाह (आईएफएफ) में बदलाव को जोड़कर अनुमान लगाया गया है कुल रिवर्सल छोड़कर (जीईआर) विधि के आधार पर गलत ऋण व्यापार करने के लिए बाह्य ऋण (सीईडी)। सीईडी को धन के स्रोत के रूप में गणना की जाती है (फंड से अधिक शुद्ध एफडीआई में परिवर्तन) धन के उपयोग से कम करने के बाद (वर्तमान खाता शेष प्लस रिजर्व में बदलाव) अंतर्निहित सिद्धांत पर है कि निधियों के रिकार्ड उपयोग से अधिक धन का स्रोत अचयनित बहिर्वाहों को दर्शाता है जीईआर देश के निर्यात / आयात की विश्व की तुलना में विश्व रिपोर्टों की तुलना में, बीमा और माल की लागत (10% एफओ.बी.) के समायोजन के बाद को तुलना करके गणना की जाती है (फ्री-ऑन-बोर्ड)।

2.7.6 हालांकि, सीईडी और जीईआर दोनों समायोजन केवल अवैध बहिर्वाहों पर विचार करते हैं। इस प्रकार, जब निधि का उपयोग स्रोत से अधिक है, ऐसा तब होता है जब अवैध पूंजी के के अंतरण होते हैं, सीईडी या जीईआर, जैसा भी हो, शून्य पर सेट, अवैध प्रवाहों को मुख्य रूप से इस आधार पर बाहर रखा गया है कि अवैध प्रवाह दर्ज नहीं होते हैं, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए सीधे उपयोग नहीं होते और न उन पर कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ये निवेश खुद अवैध गतिविधियों जैसे कि आयात शुल्क से बचने के लिए तस्करी या मूल्य-वर्धित कर (वैट) या निर्यात के अधिक-चालान-प्रक्रिया के माध्यम से पनपे हैं।

2.7.7 अवैध अंतर्प्रवाहों की अनदेखी बावजूद इसके कि दिए गए कारण वैध हैं, तो यह स्पष्ट है कि जीएफआई की नवंबर 2010 की रिपोर्ट में कुल 213.2 अरब अमरीकी डालर को भारत से 1948 से 2008 तक बाहर भेजा गया, यह अनुमान बहुत सटीक नहीं लगता / ज़्यादा लगता है।

2.7.8 इसके अलावा, जीएफआई रिपोर्ट अवैध आउटफ्लो के कुल प्रभाव पर विचार नहीं करती है जो कि देश के कानूनी वैध चैनलों जैसे एफडीआई और पी-नोट्स के माध्यम से देश में निवेश से वापस आ गई हैं। यह मान लिया है कि अवैध पूंजी के बाहरी स्थानान्तरण 'राउंड ट्रिपिंग' (घूमकर) नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से एक देश में वापस आ सकता है, जब तक जैसा कि भारतीय और चीनी अनुभव से यह पता चल चुका है, इन अंतर प्रवाहों पर कब्जा नहीं किया जाएगा और जैसा कि एफडीआई में सही दर्ज दिखाया जाएगा यह आगे कहा गया है कि अंतरंग रूप से यह यह आउटफ्लो से पूंजी, को रोकने का काम है। यह लागू करने में व्यावहारिक रूप से असंभव होगा क्योंकि यह संभव नहीं होगा। अपनाते के लिए नए निवेश और पूंजी बहिर्गमन की वापसी के बीच सकल प्रवाह अलग अलग ना हो सकेगा। इस मान्यता से भारत से बहिर्वाह का अनुमान कम करेगा।

2.7.9 इसके अतिरिक्त जीएफआई (और विश्व बैंक) मॉडल महत्वपूर्ण अवैध बहिर्वाहों पर पकड़ नहीं करते, जैसे कि

- > आईएमएफ व्यापार सांख्यिकी के निदेशन में सेवाओं और इंजिबिल्स में व्यापार के माध्यम से होने वाली गलत कीमत की समस्या का निदान नहीं करते
- > व्यापार गुमराही कीमत जो संबंधित या असंबंधित क्रेता के माध्यम से एक ही चालान के भीतर होती है
- > तस्करी
- > हवाला प्रकार के स्वैप (अदला - बदली) लेनदेन, के माध्यम से ।

2.7.10 इसलिए यह सुझाव देना उचित है कि हालांकि भारत के बाहर अवैध बहिर्वाहों का आईएमएफ और जीएफएफ जो अनुमान है उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, पर वे अधूरे होते हैं और सही अनुमान के लिए और अध्ययन की जरूरत बची रहती है ।

## 2.8 क्या विदेशों में भेजा अवैध धन वापस लौट आया?

2.8.1 भारत से अवैध वित्तीय प्रवाह ड्राइवर और डायनामिक्स में जीएफआई ने यह अनुमान व्यक्त किया था कि 1948 से लेकर 2008 तक 213 . 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत से बाहर गलत तरीके से भेजा गया है इसमें आगे यह अनुमान भी दिया था कि वित्तीय संपदाओं की वापसी की दर पर विचार करते हुए भारत के निवासियों द्वारा अवैध संपत्तियों का कुल ट्रांसफर समायोजन दिसंबर के आखिरी महीने तक 462 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था सुनिश्चित किया जाना है कि क्या अपतटीय बैंक खातों में जमा विदेशों में यह धन था और क्या इसका कुछ अंश भारत

वापस लौट आया है ।

2.8.2 एफडीआई की सांख्यिकी में शायद यह बात कही है नीति एवं संवर्धन विभाग ने जो आंकड़े अप्रैल 2000 से मार्च 2011 तक जारी किए गए उनके अनुसार मॉरीशस की एफडीआई भारत में प्राप्त एफडीआई की कुल राशि का 41 . 80% है थी और सिंगापुर की 9.17 मारीशस और सिंगापुर जैसे छोटे देश जहां छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं इतने बड़े निवेश का स्रोत नहीं हो सकते और यह साफ है कि यह निवेश इन इकाइयों के जरिए अधिकारियों से कर बचाने के लिए या इकाइयों की पहचान छुपाने के लिए अन्य निवेशकों द्वारा की गई है जिनमें से कई भारतीय निवासी भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही कंपनियों में यह निवेश किया हो जिसे हम राउंड ट्रिपिंग के जरिए जान सकते हैं ।

2.8.3 भारतीय स्टॉक मार्केट में पी एन के जरिए निवेश एक वह जरिया है जिस में काला धन भारतीयों द्वारा ही भारत में किया जाता है या ODI एफआईआई द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों के एवज में जारी किए जाते हैं कर्ज प्राइवेट या अन्य प्रकार के हो सकते हैं पी एन के निवेशक भारतीय प्रतिभूतियों के अपने नाम में नहीं करते यह वैधानिक रूप से एफआईआई के पास रखी जाती है लेकिन उनको भारतीय प्रतिनिधियों की कीमत में लाभ हानि का लाभ आर्थिक रूप से मिलता है साथ ही लाभांश और पूंजीगत सुविधाएं विशेष रूप से तैयार किए ठेकों के जरिए मिलती है इस तरह पी एन के अभिलेखों के जरिए भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश निवेशकों द्वारा किया जाता है जो भारतीय प्रतिभूति बाजार कोमा को लागत और समय और अपनी पहचान छुपाते हैं pN/ ODI का व्यापार मुख्य रूप से हो सकता है और वास्तविक लाभार्थी की पहचान जाने बिना इनको आसानी से हस्तांतरण भी किया जा सकता है pm उपयुक्त विदेशी नियामक प्राधिकरण द्वारा नियमित होने वाले व्यक्तियों को ही जारी होते हैं और केवाईसी नार्म पूरा होने पर जारी होते हैं से यह वांछा की जाती है कि वह सभी को मासिक रिपोर्ट भेजें जिसमें जिन व्यक्तियों के नाम पी एन पब्लिक ODI जारी हुई है उनके नाम और पते दिए हो तथापि इस तथ्य को देखते हुए कि जिन व्यक्तियों को पी एन जारी हुए हैं उनके देश UK और USA के अलावा ओवैसी जैसे केमन द्वीप ,ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, स्विटजरलैंड और लक्जम वर्ग भी

है ऐसी स्थिति में इन लाभार्थियों की पहचान विभिन्न परतों में छुपाई जाती है और इसकी पुष्टि सेबी द्वारा कुछ मामलों में जारी किया देशों से भी होती है हम पी एन के जरिए निवेश हुआ है वह भारतीय भी हो सकते हैं और इसमें उनके द्वारा काला धन भी लगाया जा सकता है ।

2.8.4 ऐसे उदाहरण सेबी के सामने आए हैं जिनमें भारतीय कंपनियों को जीडीआर जारी की थी और वह लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी और कुल उद्देश्य बाजार में हेरफेर करना था सेबी के 21 सितंबर 2011 के आदेश को देखें तो पता चलता है कि प्रारंभिक निवेशकर्ता जीडीआर में निवेश के इच्छुक थे और यह दिशा ऐसी कंपनियों की थी जो स्टार्ट अप में या जिनके शेयर ट्रेडिंग के बहुत कम थे और दो 3 वर्षों के बाद यह जीडीआर भारी डिस्काउंट पर घाटे के साथ बेची गई थी यह उदाहरण यह बताते हैं कि ऐसा धन काला धन था ।

2.8.5 धर्मार्थ संगठन, गैर सरकारी संगठन और ऐसे संगठन जिन्हें विदेशों से धन मिलता है उनको गृह मंत्रालय को प्रपत्र एफ सी 3 में वार्षिक विवरणी जमा करनी होती है और इस प्रपत्र में उन विदेशी दानदाताओं के नाम और पते दिए रहते हैं लेकिन लाभार्थी कौन है यह पता नहीं चलता ऐसा संभव है कि इन मामलों में भारतीयों द्वारा का की गई काली कमाई भारत में पुनः भेजी जा रही है ।

2.8.6 जीएफआई इस बात को विभिन्न रिपोर्टों में मान चुका है कि इस तरह की अवैध पूंजी का बाहर ट्रांसफर होता है और वह देश में राउंड ट्रिपिंग के जरिए फिर से भेजी जाती है लेकिन व्यवहारिक रूप से इस कठिनाई पर चर्चा नहीं हुई है तथापि उपयुक्त उदाहरणों से पता लगता है कि अवैध प्रवाह भारत से बाहर जो हुआ था वह वापस आ चुका है इसके लिए सम्यक जांच अंतर्राष्ट्रीय कराधान डिवीजन द्वारा होनी चाहिए और डीटीए , टी आई ई ए , और ओ एफ सी एवं तंत्र को सरल करके , सहित इनको मजबूत किया जाना चाहिए ।

## 2.9 कॉर्पोरेट संरचना का दुरुपयोग

2.9.1 कॉर्पोरेट ढांचा उत्पादन के घटकों को जोड़ने का एक कानून सम्मत माध्यम है जो व्यापार एवं उद्योग को अर्थव्यवस्था में मदद करेगा पूर्ण विराम तथापि एक कृत्रिम इकाई वास्तविक लाभ को छुपाने के लिए कारपोरेट इकाई के रूप में सृजित की जाती है छद्म कई इकाइयां बनाई जाती हैं जो आपस में एक दूसरे पर स्वामित्व का दावा करती हैं और कुछ अधिकार क्षेत्र में जो गोपनीयता मिली होती है उसका दुरुपयोग करती है।

2.9.2 2011 की विश्व बैंक की रिपोर्ट जिसका शीर्षक पपेट मास्टर है ने ऐसी ही 150 बड़ी भ्रष्ट कंपनियों के मामलों की जांच की थी और करीब-करीब सभी मामलों में कारपोरेट के वाहनों का कंपनियों और उनके ट्रस्टों का दुरुपयोग 50 बिलियन यूएस डॉलर पाया गया था ऐसे कानूनी सुविधाओं के भारी दुरुपयोग के जवाब में असली स्वामित्व के बारे में सार्थक सूचनाएं मांग रहे हैं। एफ ए टी एफ ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है एवं नियमों को मजबूत करने की सिफारिश की है ऐसी आशा है की कानूनी स्वामित्व के बजाय वास्तविक स्वामित्व का पता लगाया जाएगा और ऐसे वैश्विक प्रयत्न किए जाएंगे कि ऐसे अनैतिक कार्यकलाप जो आज चल रहे हैं वह विद्यमान ना रहे।

2.9.3 कारपोरेट ढांचे का कर वंचना मामला vodafone कर मामला एक ऐसा ही उदाहरण है इस मामले में हचिंसन ग्रुप ने भारत में 1992 से 2006 तक निवेश किया था और यह निवेश अपने अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किया था जिन कोविंद निगमित इकाई बताया गया था लेकिन जो कैमल द्वीप ब्रिटिश वर्जिन द्वीप एवं मारीशस में स्थित पोस्ट बॉक्स कंपनियां थी हचिंसन ग्रुप और एवं इसकी संपूर्ण

व्यापारिक गतिविधियां भारत में फरवरी 2007 से Vodafone ग्रुप को 11.2 बिलियन यूएस डॉलर में बेच दी थी जो के.मनदीप कंपनी के अकेले शेयर में ट्रांसफर के जरिए बेची थी। जब कर अधिकारियों ने कथित कंपनी के बही खातों की मांग की तो उन्हें यह जवाब दिया गया कि मैं भी कानून के अनुसार कंपनी के लिए बहीखाते रखना आवश्यक नहीं है।

2.9.4 इन जटिल निगमित स्वामित्व ढांचे के पीछे स्वामित्व को छिपाकर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसको महसूस करते हुए ऐसे ढांचों की समीक्षा की जा रही है भारतीय संदर्भ में एक तथ्य का विषय यह है कि भारतीय अधिकारी ऐसे धन पर प्रथम दृष्टि में कोई कार्यवाही भारत में इसलिए नहीं कर सकते राउंड ट्रिपिंग और अन्य कानूनी पहलू बीच में आते हैं एवं यह आशा की जाती है इस संदर्भ में भारत द्वारा उठाए गए कदम वैश्विक पहल इन प्रवृत्तियों पर अंकुश रखेगी।

## 2.10 और अधिक शोध की आवश्यकता

2.10.1 देश की सीमा के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर कालेधन के विधिवत अधिक विश्वसनीय अनुमान के लिए सम्यक अनुसंधान और परीक्षण के जरिए प्राप्त निष्कर्षों की आवश्यकता महसूस पहले ही हो चुकी है। यह आवश्यक है। नीति तैयार करने के उद्देश्यों के साथ-साथ फालतू अटकलों को रोकने के लिए यह जरूरी है। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी) बोर्ड एवम एनआईपीएफपी, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर), और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्रबंधन (NIFM) के बीच 21 मार्च, 2011 को 18 महीने की अवधि के भीतर एक अध्ययन निम्नलिखित कर्तव्यों के साथ पूरा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- > देश के अंदर और बाहर बेहिसाब आय और संपत्ति का आकलन करने / सर्वेक्षण करने के लिए।
- > राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए देश के अंदर और बाहर दोनों धन शोधन गतिविधियों को शामिल करने वाली गतिविधियों की प्रकृति और इसके असर का प्रोफाइल बनाने के लिए
- > अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिसमें बेहिसाब धन उत्पन्न होता है और कारणों और परिस्थितियों की जांच करने, जो परिणामस्वरूप बेहिसाब धन का उत्पादन कर रही हैं।
- > बेहिसाब धन की कमाई में प्रयुक्त तरीकों की जांच करना और उनका सफेद धन रूपांतरण करने की प्रक्रिया को समझना
- > बेहिसाब धन की पहचान और रोकथाम के तरीके और साधनों का सुझाव देना जिससे यह धन अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में आ सके
- > ब्हारत से बाहर रखे बेहिसाब धन पर कर लगाने के लिए नियोजित तरीकों का सुझाव देना
- > पंजीकृत कॉर्पोरेट निकायों द्वारा चोरी के कारण कर का भुगतान न करने का अनुमान (कर वंचना की रकम) का पता लगाना।

2.10.2 विदेशों में काले धन के निर्माण और उसके अवैध हस्तांतरण का मुद्दा पिछले 2 सालों में भारतीय नेताओं सहित विश्व के नेताओं के संकल्प के कारण इससे प्रभावी ढंग से निपटने के संकल्प के कारण इस क्षेत्र में प्रमुखता प्राप्त कर चुका है। विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन के बारे में व्यापक रूप से परिचालित आंकड़ों के बारे में जैसी पहले चर्चा हुई है,, आधारहीन अतिरंजना और इस तरह के पैसे को पर्याप्त मात्रा में विदेश में अवैध रूप से जमा /स्थानांतरित होने और अवैध रूप से भारत में वापसी की प्रबल संभावना है। काले धन के खिलाफ वैश्विक मुहिम में शामिल होनेकेलिए , एक उचित विधायी ढांचे का निर्माण, अवैध पैसे से निपटने के लिए संस्थानों की स्थापना, कार्यान्वयन के लिए सिस्टम विकसित करना, और प्रदान करना प्रभावी कार्रवाई के लिए कौशल, काले धन की कमाई के मुद्दे और उससे निपटने के लिए इस प्रकार एक बहु-आयामी रणनीति आवश्यक है। देश के बाहर स्थानांतरण, और इसे भारत वापस लाने के लिए बाद में इस पर चर्चा की जाएगी दस्तावेज़।

## काले धन से निबटने वाली संस्थाएं

### 3.1 परिचय

बेहिसाब धन और उसके परिणामों की चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से और सामूहिक रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों से संबंधित कई संस्थाओं द्वारा साझा की जाती है। इनमें विभिन्न कर विभाग शामिल हैं, जिन्हें कर कानून लागू करने का कार्य सौंपा गया है। इनमें से महत्वपूर्ण सीबीडीटी और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) हैं। हालांकि, पर्यवेक्षण और (निगरानी) पुलिसकरण के लिए कई अन्य नियामक प्राधिकरण हैं, इनमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू), राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध विंग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) जैसे समन्वय एजेंसियां हैं, जो काले धन के संकट से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अध्याय में इन संस्थानों और उनके प्रशासनिक ढांचे की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई है।

### 3.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

3.2.1 सीबीडीटी, नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का अंग है। सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, यह प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रबंधन के लिए भी इसके ही एक अंग आयकर के माध्यम से जिम्मेदार है। सीबीडीटी एक वैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 के तहत काम कर रहा है। बोर्ड के इन अधिकारियों ने पदेन हैसियत के अलावा संबंधित मंत्रालय के एक डिवीजन के रूप में प्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रह से संबंधित कार्य किया है। सीबीडीटी में एक अध्यक्ष और छह सदस्य शामिल हैं। सीबीडीटी के विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को, केवल मूलभूत मुद्दों को सामूहिक निर्णय के लिए छोड़कर, अध्यक्ष और सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसके अलावा, अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य के साथ, आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के निश्चित क्षेत्रों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है, जो पूरे भारतभर में फैले हुए हैं, जो ज़ोन के रूप में हैं और अठारह कैडर नियंत्रक मुख्य आयुक्तों द्वारा प्रशासित हैं। आयकर डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में आठ निदेशालय, सीबीडीटी से जुड़े हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीडीटी के बीच तालमेल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जांच इकाइयों का नेतृत्व आयकर महानिदेशक (जांच) करते हैं। आयकर के महानिदेशक (इंटरनेशनल टैक्सेशन) क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन और ट्रांसफर प्राइसिंग से उत्पन्न कराधान के मुद्दों के प्रभारी हैं। आयकर विभाग के पास भारत में 510 शहरों की 740 से अधिक इमारतों में कार्यालय हैं और इनमें 55,000 से अधिक कर्मचारी हैं

3.2.2 आयकर विभाग का दृष्टिकोण (विजन) प्रगतिशील कर नीति, कुशल और प्रभावी कर प्रशासन के माध्यम से सुधरे हुए स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर देकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनना है। यह एक सक्रिय नीति का वातावरण बनाने कानून के तहत इष्टतम राजस्व संग्रह के लिए राजस्व संग्रह उपकरण की वृद्धि को बढ़ाने और प्रणाली में करदाता के विश्वास को बनाए रखते हुए प्राप्त किया जाता है।

3.2.3 आयकर विभाग मुख्यतः काले धन की समस्या से निपटने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रयोजन के लिए, है टैक्स चोरी का पता लगाने एवम आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडित करने के लिए यह जांच मूल्यांकन के उपकरण के साथ-साथ सूचना-आधारित जांच के लिए उपयोग करता है ताकि कर वंचना के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण हो सके। ऐसा करने से, बेहिसाब काले धन का संचय, कमाई, उपभोग और उसे रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

आयकर (प्रशासन) के महानिदेशक, आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक, आयकर विभाग (सतर्कता) के महानिदेशक, आयकर के महानिदेशक (प्रशिक्षण), आयकर के महानिदेशक (कानूनी और अनुसंधान), आयकर के महानिदेशक (व्यापार प्रक्रिया पुन-अभियांत्रिकी), आयकर (इंटेलिजेंस) के महानिदेशक, आयकर के महानिदेशक (एचआरडी)

**क) नीति निर्धारित:** सीबीडीटी सभी नीतियों प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामलों, कानून के संशोधन सहित, नियम बनाने प्रक्रियाओं, और साथ अनुपालन की सुविधा में केंद्र सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड में विदेशी कर और कर अनुसंधान (एफटी और टीआर) प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों के लिए जिम्मेदार है और। एफटी और टीआर डिवीजन के अधिकारी डीटीए और टी आई ई ए पर लगातार बातचीत और पुनः बातचीत करते हैं। डिवीजन भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जैसे कि ओईसीडी, संयुक्त राष्ट्र, पारदर्शिता पर वैश्विक मंच और टैक्स के लिए सूचना के एक्सचेंज प्रयोजनों, कर प्रशासन के इंटर अमेरिकन सेंटर (सीआईएटी), और दक्षिण एशियाई एसोसिएशन क्षेत्रीय सहयोग के लिए (सार्क) समन्वय करता है। सीबीडीटी के अन्य विभाग नीति जांच, कानूनी संशोधन, मुकदमेबाजी, लेखा परीक्षा और प्रशासनिक मामलों से संबंधित मामलों से निपटते हैं

**ख) निर्धारण :** किसी व्यक्ति की आय का अता पता 'मूल्यांकन' के रूप में किया जाता है प्राथमिक तौर पर किसी की सही आय को घोषित करने की जिम्मेदारी करदाता पर / खुद होती है कि वह उसे कर विवरणी के जरिए फाइल करे इसके बाद कुछ रिटर्न का कम्प्यूटरीकृत चयन और निश्चित मानदंड पर चयन करके सरसरी तौर से त्रुटियों के लिए इसे देखा जाता है और आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है। इस तरह का आकलन रिफंड, सुधार, दंड और अभियोजनके लिए फ्रील्ड कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

**ग) जांच:** आयकर विभाग की जांच विंग जांच से संबंधित है टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए तलाशी और छापे की कार्रवाई की जाती है करों की पर्याप्त चोरी से जुड़े मामलों में ऐसी चोरी का व्यापक आपरेशन आमतौर पर पूर्ण प्रारंभिक जांच के बाद किया जाता है

**घ) सूचना का संग्रह:** अनुपालन रणनीति के अंग के रूप में विभिन्न रिपोर्टिंग तंत्र हैं जिसके तहत आयकर विभाग करों की चोरी के मामलों का पता लगाने के उद्देश्य से डेटा प्राप्त करता है बैंक खातों में नकद लेनदेन के संबंध में डेटा, अचल पंजीकृत सर्किल दर से नीचे की संपत्ति, और पूंजी बाजार लेनदेन, आदि। के सम्बंध में वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) के रूप में प्राप्त होता है उसके बाद लेन-देन के संदिग्ध डेटा की पहचान करने के लिए डाटाबेस से एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया जाता है। एक एकीकृत करदाता डेटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) एआईआर, स्थायी खाता संख्या (पैन) उपकरण, आयकर विभाग (आईटीडी) आवेदन, और टेलिफोन ऑपरेटर्स को अनैतिक तरीकेके लेन-देन का पता लगाने के लिए प्रभावी है।

**ई) क्रॉस-बॉर्डर लेन-देन वाली सूचना का संग्रह:** आयकर विभाग को भी विदेशी कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि डीटीए, टीआईईए और बहुपक्षीय सम्मेलन हैं, से सूचना का आदान-प्रदान होता है जिनका उपयोग कर प्रशासन द्वारा जांच और मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए किया जाता है

3.2.4 विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले कई अन्य प्रवर्तन और विनियामक एजेंसियां हैं जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काले धन जमा करने की रोकथाम में शामिल हैं। इन एजेंसियों की प्राथमिक जिम्मेदारी कुछ लेनदेन या संस्थाओं का विनियमन है ताकि अवैध गतिविधियों की जांच हो सके लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी काले धन के जमा को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आयकर विभाग इन एजेंसियों के साथ काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के लिए समन्वय करता है।

### 3.3 प्रवर्तन निदेशालय

3.3.1 विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम ( फेरा ) 1973 के प्रावधानों को प्रशासित करने हेतु प्रवर्तन निदेशालय 1956 में स्थापित किया गया . तथापि 31 मई 2000 को ( फेरा ) इसमें संशोधन हुआ और विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंध 1999 ( फेमा ) 1.06,2000 अस्तित्व में आया

3.3.2 वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय को पी एम एल ए ( 2002 का अधिनियम 22 ) धन शोधन अपराधों के अभियोजन एवम जांच और काले धन के काम में लगी संस्थाओं के इस अपराध में शामिल माल की जब्ती / कुर्की , का काम सौंपा गया है ), धन शोधन में गिनाए गए अपराधों के माल की कुर्की / जब्ती और विभिन्न न्यायालयों में अपराधियों का अभियोजन, साथ ही, प्र. निदेशालय विदेशी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार का संरक्षण और विकास करते हुए हवाला से जुड़े लोगों और संस्थाओं ( एंटीटीज ) संदेहास्पद अवैध धन के मामलों में जांच , तलाशी और छापे, कार्रवाई जैसे अनेक काम प्रवर्तन निदेशालय के जिम्मे हैं .

3.3.3 ईडी अखिल भारतीय स्वरूप का जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में फैला हुआ है। एक अभियोजक के नेतृत्व में एक अलग कानूनी शाखा है, जिसमें दो उप कानूनी सलाहकार और 10 सहायक कानूनी सलाहकार शामिल हैं। निदेशालय का पुनर्गठन मार्च 2011 में हुआ ,जिससे 22 से 39 कार्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी और अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 2063 तक बढ़ गई। पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, पांच क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ होंगे इस के अलावा विभिन्न स्थानों पर 11 क्षेत्रीय कार्यालय और 22 उप- कार्यालय , होंगे

3.3.4 निदेशालय, एफएएमए के अन्तर्गत अनधिकृत होल्डिंग्स के साथ विदेशों में बैंक खातों के रखरखाव सहित निवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित उल्लंघनों के लिए विशिष्ट सूचना / सूचना के आधार पर जांच शुरू करता है, और फेमा के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करता है।

3.3.5 ईडी भी पीएमएलए का संचालन करता है। पीएमएलए में काले धन को वैध बनाने और सर्च, जब्ती, सबूत एकत्र करने, अभियोजन पक्ष आदि के मामलों में जांच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसके लिए ईडी सक्षम प्राधिकारी है। पीएमएलए के तहत, 'मनी लॉन्ड्रिंग' एक आपराधिक अपराध है और किसी अनुसूचित अपराध से जुड़े आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त किया जाता है (अनुलग्नक-1 के अनुसार)। 200 9 के संशोधन के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गड़बड़ी के अपराध भी दूसरे देश में होने वाले अपराध हैं जो उस देश में एक भी अपराध है और जिसने एक गड़बड़ी कल अपराध घरेलू स्तर पर किया होता है। एडी जांच की शुरुआत करता है जब कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के अनुसूची में सूचीबद्ध किसी एक अपराध के तहत मामला दर्ज किया जाता है।

### 3.4 वित्तीय खुफिया इकाई

3.4.1 एफआईयू-आईएनडी भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर, 2004 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में जांच और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खुफिया के प्रयासों को समन्वय और मजबूत करने के लिए बनाया गया था। एफआईयू-आईएनडी एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया कौंसिल की रिपोर्ट करता है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, एफआईयू-इंडस्ट्रीज, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में है।

3.4.2 पीएमएलए के नियमों के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए निम्न प्रकार की रिपोर्टें निर्धारित की गई हैं: नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), और गैर-लाभ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर)

3.4.3 सीटीआर और एनटीआर थ्रेसहोल्ड-आधारित (एक महीने में 10 लाख और ऊपर) रिपोर्ट हैं और मासिक आधार पर जमा किए जाते हैं। एसटीआर और सीसीआर लेन-देन-आधारित रिपोर्ट हैं और जब ऐसा लेन-देन होता है तब यह प्रस्तुत किया जाता है। FIU-IND को हर महीने 7 लाख से अधिक सीटीआर और 1500 एसटीआर प्राप्त होते हैं।

3.4.4 एफआईयू-इंडस्ट्रीज के कार्यों को पीएमएलए के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 23 की सूचनाओं के संग्रह और प्रसार से संबंधित शक्तियों के प्रयोग पीएमएलए की धारा 12, 13 और 66 के तहत निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को अधिकार दिया गया है। खोज और जब्ती से संबंधित शक्तियों का उपयोग ईडी द्वारा किया जाता है, अधिसूचना सं। 5/2005, दिनांक 1 जुलाई 2005के अनुसार पीएमएलए के तहत निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3.4.5 एफआईयू के साथ सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएलए की धारा 12 में प्रत्येक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यस्थ (रिपोर्टिंग संस्थाओं) को सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए और निर्धारित तरीके से अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए एफआईयू को सूचित किया जाता है। लेनदेन की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक के लिए रिपोर्टिंग संस्थाओं को लेनदेन और रिकॉर्ड की पहचान बनाए रखने और उनका अभिलेख (रिकार्ड) सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। पीएमएलए की धारा 13 में निदेशक, एफआईयू को यह अधिकार दिए हैं कि वह रिपोर्टिंग इकाई से अनुरक्षित किए गए रिकॉर्ड मंगाए और पीएमएलए के प्रावधानों के अनुपालन की संदिग्ध विफलता के मामलों की जांच करें और जुर्माना लगाने का भी अधिकार है।

3.4.6 अधिसूचना सं। 13/2009 दिनांक 12 नवंबर 2009 से पहले, ग्राहक पहचान की आवश्यकताओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने और एफआईयू को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से 'नियामक', भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), और सेबी थे, अधिसूचना के बाद, नियामक की परिभाषा बदल दी गई है जिसका अर्थ किसी व्यक्ति या प्राधिकरण या सरकार के लिए किया गया है जो कि बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, या लाइसेंस की अधिकृतता, अधिकृत करने, रजिस्टर करने, विनियमन करने या उनकी निगरानी के लिए, जैसा भी मामला हो, निहित है। तदनुसार, वर्तमान में, विभिन्न 'नियामकों' ने ग्राहकों की पहचान करने और एफआईयू को रिपोर्ट करने के लिए केवाईसी मानदंड जारी किए हैं। उन्हें क्लाइंट की पहचान को सत्यापित करने के लिए उन्नत क्लाइंट, व्यापार संबंध, या प्रकृति और लेनदेन के मूल्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ाए गए उपायों को निर्धारित करने का काम सौंपा और अनिवार्य कर दिया है। इन नियामकों ने केवाईसी मानदंडों के लिए परिपत्र जारी किए हैं।

## 3.5 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और डीआरआई

3.5.1 सीबीईसी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक अंग है। यह सीबीईसी के दायरे के तहत सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी और उनके वसूलने से लेकर और नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों के नियंत्रण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तस्करी की रोकथाम, और प्रशासन के संबंध में नीति तैयार करने के कार्यों के संबंध में उत्तरदायी है।

कस्टम हाउसों , केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरेट और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण लेबोरेटरीज सहित अपने समस्त अधीनस्थ संगठनों के लिए यह बोर्ड प्रशासनिक प्राधिकरण है ।

3.5.2 सी बी ई सी के अंतर्गत , डी जी सी ई आई इंटेलीजेंस की शीर्ष संस्था है सेंट्रल एक्साएज और सेल टैक्स की वंचना से सम्बंधित मुद्दों का पता लगाना इसकी जिम्मेदारी है देश भर में अपनी खबरों के आधार पर यह अपना नेट वर्क तैयार करता है जहां कर वंचकों के नए क्षेत्रों का तंत्र विकसित किया जाता है ताकि ड्यूटी बचाने वालों के खिलाफ फील्ड फोर्मेसन को सावधान परिपत्र और उनकी कार्य विधि से सम्बंधित परिपत्र प्रसारित हों जहां भी जरूरी होता है डी जी सी आई ई अपने आप या फील्ड फोर्मेसन के सहयोग से सेवा कर और एक्साइज ड्यूटी बचाने वालों पर छापेमारी की कार्रवाई करते हैं .

3.5.3 डी आर आई भी सीबीईसी के अधीन है यह कस्टम कानून के उल्लंघन के मामलों की सूचना , उनके आंकड़े संग्रह , परीक्षण और उनके प्रसारण के लिए एवम कुछ हद तक मादक पदार्थ विरोधी कानून के लिए उत्तरदायी है यह इंटर पोल , विश्व कस्टम संगठन ब्रसेल्स और इसके क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय टोकियो , , विदेशी कस्टम प्रशासन से सीधे सम्पर्क में रहता है. इसका नेत्रत्व महा निदेशक करते हैं और भारत भर में इसके 7 ज़ोनल कार्यालय हैं ।

3.5.4 एफ आई यू द्वारा भेजी / अग्रसारित संदेहास्पद लेन देन मामलों की रिपोर्टों की जांच डीआरआई ( मुख्यालय ) एवम इसकी ज़ोनल इकाइयों द्वारा की जाती है जो भारत और विदेश में रखी गई बेहिसाब दौलत की पहचान करने में मदद करता है ।

## 3.6 केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

3.6.1. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय सी०ई०आई०बी० के कार्य, यह कर वंचकों , आर्थिक नियमों के भंग कर्ताओं , सफेद [पोश ओपरेटरों एवम ऐसे ही लोगों के कारनामों को रखने और उन रिकार्ड के अनुरक्षण , उनको तैयार करने , नीति समंवय और आंकड़े संग्रह करने के अलावा आर्थिक अपराधों से सम्बंधित मुद्दों पर " थिंक टैण्क " के रूप में काम करने के लिए जिम्मेदार है. यह आर्थिक अपराधों के उभर रहे नए तरीके और उनकी गतिशीलता पर नज़र रखता है . इन गतिविधियों में लिप्त लोगों की कार्रगारियों , तरीकों को समझकर उनकी प्रभावी काट के लिए सुझाव देना इसका काम है . साथ इना क्रियाओं का क्या ब्रह्त आर्थिक प्रभाव होगा यह आंकलन करता है . यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है . राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों पर यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ तालमेल रखता है . ।

3.6.2 सीईआईबी के चार्टर के अनुसार, डेटा संग्रहण और कोलेशन नीतियों का समेकन और तैयारी सहित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुद्दों पर और कर चोरी के दस्तावेज का रखरखाव, आर्थिक कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं, सफेद कॉलर ऑपरेटरों आदि उभरती प्रवृत्तियों और आर्थिक अपराधों आदि के की 'थिंक टैक' के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । आर्थिक अपराध के गठजोड़ का ध्यान रखा जाता है इन गतिविधियों के विभिन्न हितधारकों, उनके कार्य के संचालन और प्रभावी तरीके से इनसे निपटने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं । यह ऐसी गतिविधियों के व्यापक आर्थिक प्रभाव का भी विश्लेषण करता है और इसके लिए नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा की सूचना साझा करने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिषद सचिवालय के साथ यह समन्वय कार्य करता है ।

3.6.3 विभिन्न करों और कर्तव्यों की चोरी और काले धन की पैदावार की खुफिया जानकारी एकत्र करने का मानव सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जांच के दौरान सीमा शुल्क अपराध मामलों में, सीईआईबी काले धन को पैदा और उसको जमा करने से संबंधित जानकारी आगे की जांच के लिए यथा आवश्यक संबंधित विभागों / एजेंसियों के साथ साझा की जाती है आवश्यक कार्रवाई के रूप में किया जा सकता है ऐसी मामलों में अंतर-एजेंसी सहयोग और जानकारी साझा करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।।

3.6.4 बेईमान आयातकों / निर्यातकों और हवाला ऑपरेटरों काले धन या मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला लेनदेन पर कोई भी जानकारी नियमित रूप से ई.डी और आयकर के महानिदेशक के साथ साझा की जाती है ताकि सभी खातों पर उचित कार्रवाई शुरू की जाए। धन के स्रोत और उसके उचित लेखांकन को स्थापित करना होता है।

3.6.5 संदिग्ध आयात / निर्यात लेनदेन के बारे में जानकारी और सूचना साझा करने के लिए सीईआईबी अपने सीमा शुल्क प्रवासी जांच नेटवर्क (सीओओएन) के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है।

धन शोधन और कर चोरी के जटिल मामले और गलत घोषणा के जरिए काले धन को सफेद बनाने के मामले पुष्ट करने हेतु विदेशी कस्टम कार्यालय एवम अन्य विदेशी इकाइयों के डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए सी ओ आई एन कार्यालयों साक्ष्य एकत्र करते हैं।

### 3.7 अन्य केंद्रीय अभिकरण

3.7.1 एनसीबी, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, को 17 मार्च 1986 को स्थापित किया गया था और इसके कर्तव्यों में नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985, सीमा शुल्क अधिनियम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और प्रवर्तन के संबंध में लागू होने वाले एनडीपीएस अधिनियम अन्य कानून जो उस समय पृवृत्त हों के प्रावधानों के प्रवर्तन के सम्बंध में अवैध ड्रग्स ट्रेफिक के खिलाफ काउंटर उपायों के लिए अधिकारियों विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य कार्यों के साथ समन्वय का काम सौंपा गया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल, और विदेशों में संबंधित अधिकारियों को भी यह इस अवैध ड्रग ट्रेफिक की रोकथाम और दमन में सहायता करता है। नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) भारत में अफीम, अफीम की खेती की देखरेख करता है मादक पदार्थों की दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों के निर्माण, निर्यात और आयात के लिए लाइसेंस प्रणाली पर नज़र और नियंत्रण रखता है। यह संयुक्त राष्ट्र के ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन के भारत में कार्यान्वयन और के लिए शिपमेंट करने से पहले प्राधिकृत लेनदेन की वास्तविकता की पुष्टि करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (इनसीबी) वियना में और अन्य विदेशी के सक्षम अधिकारियों के साथ संपर्क रखता है।

3.7.2 एसएफआईओ कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है और जो अंतर-विभागीय और बहुआयामी असर के मौद्रिक दुर्विनियोजन अथवा जनता को परेशान करने वाले सार्वजनिक हित के जटिल मामलों की जांच करता है सिस्टम, कानूनों एवम प्रक्रियाओं में स्पष्ट सुधार के लिए योगदान करने की क्षमता के मामलों की भी यह जांच करता है,।

3.7.3 कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) कंपनियों और सीमित देयता वाली फर्मों के लिए रजिस्ट्री है और यह है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन है कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय की तीन-स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था जिसमें नई दिल्ली में एक सचिवालय, मुंबई में क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं

3.7.4 रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज (आरओएस): गैर-लाभकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार राज्य के क्षेत्राधिकार भीतर हैं सरकार को कार्यक्षेत्र और अधिकांश राज्यों में एक आरओएस कार्यालय है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है, लेकिन कई राज्यों ने इसे कुछ राज्य संशोधनों के साथ अपनाया है और उनके संबंधित अधिनियमों के तहत गैर-लाभकारी संस्थाओं को पंजीकृत कर रहे हैं

कुछ राज्य विधानसभाओं ने इस पर पूरी तरह से पृथक कानून लागू किया है। आरओएस कार्यालय सोसाइटियों के डेटा के संग्राहक हैं और उनके नियामक के रूप में भी कार्य करते हैं।

3.7.5 ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई): देश में 78 अप्रवास जांच-पोस्ट (आईसीपी) हैं

जो 26 हवाई अड्डों पर हैं, 20 बंदरगाहों में हैं, जबकि 32 भूमि आईसीपी हैं। इन 78 आईसीपी में से 12 को बी ओ आई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि शेष 66 को राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार की ओर से संचालित किया जाता है। आव्रजन जांच आगमन और प्रस्थान दोनों समय सभी यात्रियों, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए आईसीपी में आयोजित की जाती हैं, भारत आने के लिए या भारत से प्रस्थान करने वाले आगमन और प्रस्थान पर क्रमशः उतरने और घुसने पर कार्ड से सभी यात्रियों को भी पूरा करना होगा।

3.7.6 आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी), जो 2003 में अस्तित्व में आई, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में है

और आरबीआई के गवर्नर और सेबी के अध्यक्ष के अलावा इसमें विभिन्न मंत्रालयों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं

ईआईसी वर्ष में कम से कम एक बार बैठक कर चर्चा करता है और जिससे आर्थिक अपराधों और खुफिया साझाकरण, समन्वय आदि के बारे में रणनीतियों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। ईआईसी द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर इंटेलिजेंस कार्य समूह निगरानी रखता है, जो ईआईसी के अधीन इस उद्देश्य के लिए स्थापित है।

3.7.7 आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन की रोकथाम का मुकाबला करने के लिए अंतर-मंत्रिस्तरीय समन्वय समिति के प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 2002 में यह समिति स्थापित की गई है धन शोधन निवारण (आईएमसीसी) की रोकथाम की गई है

सभी सक्षम अधिकारियों के बीच और एएमएल / सीएफटी को लागू करने के लिए भारत की राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के उपायों जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते के बीच समन्वय हेतु यह समिति है। आईएमसीसी की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय, के भीतर आर्थिक मामलों के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव करते है

वित्त मंत्रालय। वर्तमान में समिति में 14 एजेंसियां हैं जिनकी एएमएल / सीएफटी में पर्याप्त भूमिका है

3.7.8 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) सशक्तीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना की गई है सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक खुफिया सूचना के साथ भारतीय पुलिस सेवाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक कानून लागू करने में सक्षम करने के लिए अपराध, अपराधियों, संपत्ति और संगठित आपराधिक गिरोहों पर सुरक्षित राष्ट्रीय बनाए और अनुरक्षित रखता है डेटाबेस इसलिए यह एक और बनाए रखता है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। एनसीआरबी विदेशी अपराधियों सहित अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को पहचान स्थापित करने के लिए प्रोसेस और प्रसारित करता है,।

3.7.9 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) एक विशेष और समर्पित जांच एजेंसी है

जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है अधिनियम में सूचीबद्ध, अपराधों विशेषकर आतंकवाद के वित्तपोषण सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराध की जांच और मुकदमा चलाने के लिए शक्ति सम्पन्न है।

एनआईए का राज्यों के साथ सम्वर्ती न्याय क्षेत्र है राज्यों में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए यह अधिकृत है। सशक्तिकरण किया गया है।

देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए एनआईए के अधिकारियों के पास वे सभी शक्तियां, विशेषाधिकार और उत्तर्दायित्व है, जो कि अपराध की जांच के संबंध में राज्य के पुलिस अधिकारी के पास होती हैं। केंद्र सरकार को किसी भी मामले की जांच को अपने आप एनआईए को एक मामला सौंपने की शक्ति है। एनआईए अधिनियम में विशेष स्थापित करने के लिए भी प्रदान करता है। अदालतों और परीक्षणों को एक दिन-प्रतिदिन आधार पर आयोजित किया जाएगा। एनआईए अधिनियम में विशिष्ट अपराधों की जांच जैसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, गैरकानूनी गतिविधियों सहित एनआईए अधिनियम की अनुसूची में वर्णित (रोकथाम) अधिनियम 1967, अपहरण विरोधी अधिनियम 1982, नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी क्रिया के दमन अधिनियम 1982, सार्क संधि (आतंकवाद का दमन) अधिनियम, 1993, अनैतिक कृत्यों के खिलाफ दमन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002 पर समुद्री नेवीगेशन और फिक्स्ड प्लैटफॉर्म की सुरक्षा, जन सन्हार हथियार और उनकी डिलिवरी सिस्टम (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 और इसके तहत अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय छठी और धारा 489-ए से 489-ई तक की जांच, परीक्षण और उनके अभियोजन की शक्तियां हैं।

3.7.10 एक उच्च स्तरीय समिति, राजस्व सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है जिसमें आरबीआई इंटेलेजेंस ब्यूरो (आईबी), ईडी, सीबीआई, सीबीडीटी, एनसीबी, डीआरआई, एफआईयू और विदेशी टैक्स डिवीजन के प्रतिनिधि शामिल हैं। संयुक्त सचिव (एफटी और टीआर-आई), इसके सदस्य सचिव हैं

देश के भीतर और भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी जगहों में विभिन्न कानूनों के तहत अवैध धन के उत्पादन / रखने और उनके प्रवाह से संबंधित मामलों में नज़र रखने के लिए समन्वय और जांच की जिम्मेदारे इसे सौंपी गई है।

### 3.8 सीबीआई और पुलिस अधिकारी

3.8.1 कार्मिक विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत सीबीआई, भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। यह विशेष रूप से खास श्रेणी के आपराधिक मामलों को सम्भालती है जिनमें भ्रष्टाचार के मामलों और सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों सहित आपराधिक मामलों की श्रेणी के अपराध, और आतंकवाद, बम विस्फोट, सनसनीखेज समलैंगिकता, अपहरण सहित अन्य विशिष्ट अपराध और अंडरवर्ल्ड पारस्परिक कानूनी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले शामिल हैं सहायता और प्रत्यर्पण मामले गृह मंत्रालय आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण है

और विदेश मंत्रालय, प्रत्यर्पण मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।

#### 3.8.2 राज्य पुलिस एजेंसियां

भारत के सम्विधान के अनुसार पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पास अपनी पुलिस है जो सामान्य पुलिस ड्यूटी के अलावा आर्थिक अपराधों की जांच के लिए विशेष इकाइयां गठित कर चुकी हैं। पुलिस की ईओ डब्ल्यू ( आर्थिक अपराध इकाई ) गम्भीर आर्थिक अपराध और राज्यों के मध्य फैले अपराधों की जांच सम्भालती है यह राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है इस को ज़िला पुलिस को वित्तीय अपराध, उनकी खोज , रोकथाम उपायों में उनसे सम्वाद करने सहयोग करने और मार्ग दर्शन की जिम्मेदारी भी दी गई है

### 3.8.3 राज्यों में ईओई के विभिन्न विभागों में आम तौर पर निम्न अनुभाग शामिल हैं:

- > धोखाधड़ी विरोधी और जालसाजी अनुभाग: कंपनी धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, गैर बैंकिंग द्वारा धोखाधड़ी वित्तीय कंपनियां, बिक्री कर धोखाधड़ी, आयकर से संबंधित धोखाधड़ी
- > एंटी लैंड एंड बिल्डिंग रैकेट सेक्शन: सहकारी समूह आवास धोखाधड़ी, भूमि के खिलाफ मामले माफिया, बिल्डर्स द्वारा धोखाधड़ी, भूमि से संबंधित बैंक धोखाधड़ी जिसमें दोहरी बंधक, फर्जी शामिल हैं फर्जी दस्तावेज, आदि, पूर्व-लॉन्च योजनाओं से संबंधित धोखाधड़ी, सरकारी भूमि की अवैध बिक्री आदि।
- > जालसाजी विरोधी अनुभाग: दस्तावेजों की जालसाजी, वसीयत से -संबंधित धोखाधड़ी, वीजा से संबंधित धोखाधड़ी, नौकरी रैकेट, जनशक्ति निर्यात घोटाले (रैकेट)
- > ट्रस्ट अनुभाग के आपराधिक उल्लंघन विरोधी: बहु-स्तरीय विपणन धोखाधड़ी, निर्यात / आयात संबंधित धोखाधड़ी, चिट फंड धोखाधड़ी, कर चोरी धोखाधड़ी, शेयर व्यापार धोखाधड़ी, आपराधिक शामिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी विश्वास घात करना
- > बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और ट्रेडमार्क अनुभाग: कॉपीराइट का उल्लंघन, ऑडियो- वीडियो चोरी, सॉफ्टवेयर चोरी, नकली दवाओं और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी), पुस्तक चोरी, ट्रेडमार्क अपराध, विनिर्माण क्षेत्र में ट्रेडमार्क का उल्लंघन
- > एंटी साइबर अपराध अनुभाग: डेटा चोरी, चोरी की पहचान, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन अश्लीलता और पोर्नोग्राफी, फ़िशिंग हैकिंग, सोशल नेटवर्किंग संबंधी शिकायतें

3.8.4 केंद्रीय और राज्य सरकारों के ये विभिन्न संगठन कानून का उल्लंघन करने वालों पर बारीकी से निगरानी करते हैं आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों पर उनके और ऐसा करने में काले धन के उत्पादन के खिलाफ रोकथाम का व्यापक नेटवर्क भी बनाते हैं। हालांकि प्रशासन की संघीय संरचना में उनके संबंधित मंत्रालयों में उनके ऊर्ध्वरिपोर्टिंग सिस्टम के कारण और

विभागों में डेटा, सूचना, और क्रियाओं का अधिकतम समन्वय इष्टतम से कम हो सकता है और काले धन के संग्रह और इसके खिलाफ लड़ाई में इस पहलू को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

## भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए ढांचा :

### 4.1 भारत में काले धन के नियंत्रण के लिए रणनीतियों का विकास।

4.1.1 कर वंचना एवं काले धन की कमाई कोई नई बात नहीं है। 1936 में, अय्यर समिति ने भारत में आयकर प्रशासन की समीक्षा करते हुए ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा एवं फर्जी ढंग से कर वंचना पर व्यापक संशोधनों के सुझाव दिए थे। कर वंचना की जांच करने एवं भविष्य कर वंचना की रोकथाम के लिए सुझाव 1947 में गठित आयकर जांच आयोग ने भी दिए थे के दौरान कराधान जांच आयोग (1935-54) ने भी कर सुधार के लिए कई परिवर्तनों की सिफारिश की थीं। 1956 में निकोलस कालदर ने विशेष रूप से भारतीय कर प्रणाली का अध्ययन किया था एवं उनके सुझाव एवं सिफारिशों पर नया कानून संपदा कर शुरू हुआ था। 1958 में एक प्रत्यक्ष कर जांच समिति बनाई गई जिसने कर वंचना की रोकथाम और उसके सुगम अनुपालन के लिए कर की समन्वित योजना की सिफारिश की थी। कर प्रशासन के पुनर्गठन में इसने विशेष योगदान दिया था कर वंचना की रोकथाम एवं कर अनुपालन मजबूत करने के लिए समय-समय पर गठित इन विभिन्न समितियों एवं प्रशासनिक सुधान आयोगों की रिपोर्टों सिफारिशों/सुझावों पर कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

4.1.2 इन सुधारों का मुख्य जोर कर दरों को संगत बनाने में निहित है। 1960 तक आयकर की दरें 25-30% की रेंज में थी लेकिन धीरे-धीरे 1970 में 15% सरचार्ज के साथ यह 85% के शिखर तक पहुंच गई। ये उच्च दरें युद्ध, सूखा और तत्समय आदि के कमी के कारण आवश्यक हो गई थीं जिनके कारण लासेंस व कंट्रोल शुरू किए गए। इससे कर वंचना को बढ़ावा मिला। यह इसी दौर में हुआ कि ऐसे आर्थिक माहौल में काला-धन की कमाई करने वाले पनप गए और एक खतरनाक स्तर तक काला-धन संग्रह किया गया। काले धन पर नियंत्रण और पता लगाने एवं इसके प्रतिरोध स्वरूप 1971 में कानूनी एवं प्रशासनिक उपायों के सुझाव एवं इन समस्याओं से निपटने के लिए समस्याओं एवं कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से परीक्षण कर कई सुझाव दिए।

4.1.3 गत वर्षों में सरकार ने उन आयकर वंचकों के लिए जिनके पास बेहिसाब धन है यदि वे अपनी आय घोषित करके उस पर टैक्स देते हैं तो माफी योजना प्रारंभ की है। इन योजनाओं की यह कह कर आलोचना हुई कि यह बेईमानों को बोनस है एवं ईमानदार करदाताओं के साथ बेईमानी है एवं अघोषित आय का पता लगाने के काम में इनकी विफलता है।

4.1.4 1970 के पूर्वार्द्ध में कर दरें जो 90 प्रतिशत के उच्च दर पर थी और जिनके कारण यह माना गया था कि कर वंचना एवं काला धन संग्रह के कारण जुड़े हैं, बाद में दर कम की गई और 1977 में यह 30 प्रतिशत तक लुढ़क आई। काले धन पर टेरिफ और नॉन टेरिफ जैसी बाधा हटाने से नरमी से एवं सीमा पर माल एवं सेवा के आवागमन में एव विदेशी व्यापार नियंत्रण में सख्ती पर नरमी से टैक्स हेव के जरिए कर वंचना ट्रांसफर प्राइस के दुरुपयोग एवं अन्य नई तरकीबें उभरीं। वैश्वीकरण से इन उपायों की कीमतें कम हुईं और काला धन संग्रह हुआ एवं यह सीमापार विनिमय होने लगा। इन परिवर्तनों से काला धन नियंत्रण के लिए नई रणनीतियों की जरूरत महसूस हुई।

4.1.5 कर हेवन की भूमिका धीरे-धीरे विश्व स्तर पर जांच के दायरे में आ गई है। करीब-करीब शून्य कर व्यवस्था के साथ, ये आतंकवादी वित्तपोषण और धन के जोखिम पैदा करने के अलावा कर चोरी और अन्य अवैध तरीके से काले धन को वैध बैंकिंग गापनीयता, और कमजोर वित्तीय नियमों, ये टैक्स हेवन जमा धन इकट्ठा करने और वैध बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। 1996 में लियंस में जी-7 के शिखर सम्मेलन में, ओईसीडी को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था जिससे एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए इन मुद्दों से निपटने के साथ, जिनके तहत देशों को संभव हो सके इन प्रथाओं के सीमित करने के लिए अलग-अलग और सामूहिक रूप से कार्य करने पर ओईसीडी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओईसीडी ने 1998 में और इन टैक्स हेवन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुझाव दिया। रिपोर्ट में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको ब्लैकलिस्टिंग

की सहमति दी गई एवं इन हेवनों के खिलाफ समन्वित प्रतिबंध लगाए जाने को कहा गया जो कि अन्य राज्यों के कर आधार को लूभा कर कमजोर बना रहे थे। काले धन की धमकी से निपटने:

4.1.6 देश अब यह महसूस कर चुके हैं कि पारदर्शिता और सहयोग उनको कर राजस्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। दुनिया भर में देशों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए हाल के दिनों में इस तरह के दबाव और अनैतिक वित्तीय प्रथाओं के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष में वृद्धि हुई है।

4.1.7 अप्रैल 2009 में लंदन में जी-20 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ जब ठीक शिखर सम्मेलन के स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, लक्जमबर्ग, और मोनाको जैसे देशों ने पारदर्शिता और सूचना के आदान प्रदान के ओईसीडी मानकों को स्वीकार करने के लिए अपनी तैयारियों की घोषण की जी 20 के बराबर के सदस्य के रूप में, भारत ने विभिन्न देशों को एक मजबूत संदेश भेजने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि अगर वे पारदर्शिता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों अनुपालन नहीं करते हैं तो वे 20 सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार रहें। भारत सहित जी-20 देशों ने यह घोषित किया, हम गैर-सहकारी टैक्स हेवन सहित अस्तित्वों (जुरिस्टिक्सन) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सहमत हैं हम अपने सार्वजनिक वित्त एवं प्रणाली की रक्षा के लिए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तैयार हैं। बैंकिंग गोपनीयता का युग खत्म हो गया है।

4.1.8 वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण में वृद्धि के साथ, सीमा पार लेनदेन कई गुना वृद्धि हुई है इससे विभिन्न देशों के विभिन्न कर नियमों का उपयोग कर टैक्स भुगतार से बचने और टैक्स हेवन्स को इस्तेमाल करने को कई परिष्कृत योजनाओं के लिए बढ़े अवसरों का भी परिणाम देखने में आया है। एमएनई के विभिन्न अंगों के बीच वैश्वीकरण में काफी वृद्धि हुई है वैश्वीकरण व्यापार में इसका महत्वपूर्ण अनुपात है। इसका मतलब यह भी है कि हस्तांतरण मूल्य का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि विकासशील हस्तांतरण-मूल्य निर्धारण हेरफेर के कारण विकासशील देश महत्वपूर्ण संसाधन खो रहे हैं ऐसी अंतरण-मूल्य निर्धारण व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने में कठिनाइयों में से एक इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कर प्रशासकों द्वारा तैनात संसाधनों के बीच बड़ी असमानता है विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ इसके लिए ऐसे आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए यथा आवश्यक संसाधन कर प्रशासन की क्षमता में सुधार और उनसे लैस करने के लिए भारी सुधारों की आवश्यकता है।

4.1.9 इस तरह के नाटकीय परिवर्तन के चलते काले धन की पैदावार और वैश्विक विकास जो उनको ऐसा करने की सुविधा प्रदान करता है, भारत सरकार ने पांच-आयामी रणनीति, अपनाई है। जिसमें निम्न शामिल हैं:-

(क) काले धन के खिलाफ वैश्विक मुहिम में शामिल होना;

(बी) उचित विधायी ढांचा बनाना;

(सी) अवैध धन से निपटने के लिए संस्थानों की स्थापना; कार्यान्वयन के लिए सिस्टम विकसित करना; तथा

(ई) प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मियों को कौशल प्रदान करना

4.2 ब्लैक मनी के विरुद्ध ग्लोबल धर्मयुद्ध में शामिल होना

क. जी-20 के माध्यम से भारत की कार्रवाइयां

4.2.1 2008 के वित्तीय संकट और परिणाम राजस्व की सुरक्षा के लिए आगे की जरूरत को और मजबूत बनाया टैक्स हेवन-मध्यस्थता व्यवस्था द्वारा उत्पन्न कर वंचना की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता महसूस हुई। भारत करों के संबंध में पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान का एक मजबूत हामीदार रहा है। जी-20 मंच को ऐसे देशों पर दबाव डालने के लिए प्रेरित किया है जो पारदर्शिता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

4.2.2 टैक्स हैवन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अप्रैल 2009 में लंदन शिखर सम्मेलन में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। पिट्सबर्ग में अपने सितंबर 2009 के शिखर सम्मेलन में जी-20 ने जोर दिया कि गैर सरकारी कानून के खिलाफ प्रतिरोधी उपायों के लिए उपकरण विकसित किया जाए जी-20 नेताओं ने परिकल्पित संभावित प्रतिबंधों के साथ एक टूलबॉक्स बनाया जिसमें निम्न उपाय सुझाए गए

- गैर-सरकारी अधिकारिताओं से संबंधित लेन-देन की रिपोर्टिंग करने के क्रम में कर दाताओं और वित्तीय संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण की बढ़ी हुई अपेक्षाएं विभिन्न प्रकार के भुगतानों के संबंध में करों को रोकना गैर सहकारी का योगदानकर्ताओं को भुगतान के संबंध में कटौती को नकार देना कर संधि नीति की समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय विकास बैंकों को अपने निवेश की समीक्षा के निर्देश देना तथा नीतियां बनाना

4.2.3 नवंबर 2010 में सिओल के शिखर सम्मेलन में यह भारत की पहल पर हुआ कि टी आई बी ए के लिए समापन का आह्वान जी-20 दल ने दिया इससे पहले कुछ देश टी आई एम ए प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे और डीटीए में प्रवेश करने पर वह जोर दे रहे थे डी टी ए और टी आईईए दोनों ही प्रभावी कर सूचना विनिमय तंत्र है क्योंकि डीटीए के समझौते के समय लगता है जिस से प्रभावित अंग से विनिमय तंत्र के विकास में देरी हो सकती है। भारत ने यह सतर्क स्वीकारा है कि कोई देश एक दूसरे देश के अनुरोध करने पर पीआईए पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है या फिर से भारत की पहल पर था की स्थिति स्वीकार कर ली है और अब वैश्विक सहमति उभरी है कि कोई देश डीटीए पर जोर नहीं दे सकता है और दूसरे देश द्वारा अनुरोध किया जाए तो टी आई अंतिम कर दे। इसके बाद कई देश जो पहले डीटीए पर जोर दे रहे थे अब भारत और दुनिया के अन्य देशों के साथ पीआईए से जुड़ने को सहमत है।

4.2.4 कुछ देश पिछली बैंकिंग जानकारी साझा करने के लिए तैयार नहीं है। फरवरी 2011 में पेरिस में सूचना साझा करने का मुद्दा जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत के वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया। इस मुद्दे को फिर से अप्रैल 2011 में वॉशिंगटन में जी-20 बैठक में उठाया गया था। इस के अनुसरण में जी 20 पारदर्शिता और एक्सचेंज ऑफ़ ग्लोबल फोरम से विज्ञप्ति जारी की कि कर प्रयोजनों के लिए जानकारी इसके बाद के वैश्विक मंच की प्रभावशीलता में सुधार के तरीकों का सुझाव देने और विनिमय साझाकरण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए। अक्टूबर 2011 में पेरिस में हुई बैठक में वित्त मंत्री ने पुणे जी-20 समूह के वित्त मंत्रियों की बैठक में यह मुद्दा उठाया जबकि प्रधानमंत्री ने नवंबर 2011 में कान में जी-20 शिखर सम्मेलन में से उठाया था। पिछली बैंकिंग जानकारी के साझा करने पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए अन्य देशों के साथ काम करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ भारत प्रतिबद्ध है।

4.2.5 भारत टैक्स संबंधी जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान के मुद्दे को भी उठा रहा है अर्थात् बिना किसी अनुरोध के और टी आई ए एस अब तक स्वैच्छिक आधार पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं। भारत का मानना है कि सूचना का स्वचालित आदान प्रदान स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है। भारतीय प्रयासों ने कान घोषणा जो देशों को स्वचालित रूप से जानकारी विनिमय करने के लिए प्रोत्साहित करती है में योगदान दिया है।

4.2.6 जी-20 शिखर सम्मेलन में जारी विज्ञप्ति जो कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना विनिमय से संबंधित है, का पाठ अनुलग्नक 2 के रूप में यहां संलग्न किया गया है।

## ख वैश्विक मंच

4.2.7 वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर वैश्विक मंच का पुनर्गठन किया गया था। जी 20 के नेताओं ने इसे 2009 में पुनः नवीन जनादेश दिया और पारदर्शिता के उच्च मानकों के एकसमान कार्यान्वयन के माध्यम से वित्तीय प्रणाली की अखंडता को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए कहा। इसका जनादेश वैश्वीकृत युग में कर प्रशासन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती जरूरत को दर्शाता है। फिलहाल, यूरोपीय संघ के साथ-साथ 108 इकाई / राष्ट्र इसके सदस्य हैं और नौ अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रेक्षक हैं।

4.2.8 भारत ग्लोबल फ़ोरम के पीयर रिव्यू ग्रुप के उपाध्यक्ष है जो सदस्य और प्रासंगिक इकाइयों की निगरानी और गुणदोष समीक्षा करता है। गुणदोष की समीक्षा दो चरणों में की जाती है। चरण एक क्षेत्राधिकार के कानूनी ढांचे से संबंधित है, जबकि चरण 2 उस ढांचे के व्यावहारिक अनुप्रयोग से संबंधित है। गुणदोष की समीक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि विश्व में हर अधिकार क्षेत्र, पारदर्शिता पर न्यूनतम मानकों का पालन करता है और कर उद्देश्यों के लिए सूचना का आदान-प्रदान करता है। यह न्यूनतम मानक तीन बुनियादी घटकों का पालन करता है: जानकारी की उपलब्धता, सूचना के लिए उचित पहुंच और सूचना तंत्र के आदान-प्रदान की मौजूदगी। आज तक, काले धन की समस्या से निपटने में 70 इकाई राष्ट्रों की गुणदोष समीक्षा रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है। इन बैठकों में भारत की पहल के परिणामस्वरूप कई इकाइयों अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनने के लिए अपने कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदल चुके हैं। सरकार द्वारा नामांकित भारतीय मूल्यांकनकर्ताओं ने भी इस परिणाम को प्राप्त करने में काफी योगदान दिया है।

## ग कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय सम्मेलन

4.2.9 कर मामलों में संयुक्त प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय कन्वेंशन यूरोप की परिषद और ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था और इसे 25 जनवरी 1998 को दोनों संगठनों के सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए प्रारम्भ किया गया था। यह बहुपक्षीय संधि, जिसे शुरू में 15 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, कर वंचना और चोरी से निपटने के लिए विशेष रूप से करों के आकलन और संग्रह में राज्यों के बीच सभी संभव प्रकार के प्रशासनिक सहयोग प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय कर चोरी और वंचना से लड़ने के लिए वैश्विक साधन के लिए जी 20 द्वारा, अप्रैल 2009 के उत्तर में, इस कन्वेंशन को विशेषकर बैंक की अनुरोध पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक संशोधन नयाचार, जो 1 जून 2011 को लागू हुआ था, के माध्यम से कर उद्देश्यों के लिए सूचना विनिमय के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानक पर लाया गया है। संशोधित प्रोटोकॉल में सभी देशों के लिए कन्वेंशन शुरू करने की भी व्यवस्था है। भारत ने 26 जनवरी 2012 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 2 फरवरी 2012 को इसकी स्वीकृति दी, इस प्रकार ओईसीडी और यूरोपीय देशों के बाहर का इसमें शामिल होने वाला यह पहला देश है। कन्वेंशन के वर्तमान में 33 हस्ताक्षरकर्ता हैं और उनमें से 13 ने अनुलग्नक तालिका 5 में दिखाए अनुसार यह पुष्टि की है।

4.2.10 इस कन्वेंशन से कई फायदे हैं। जितने अधिक देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे, सूचना विनिमय का कार्य तेजी से आसान हो जाएगा। कर संग्रह में सहयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन होने की संभावना है। जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान के विकास को सक्षम करके, यह सम्मेलन एक वैश्विक मानक के रूप में स्वतः विनिमय के मानकीकरण के लिए भारत के आह्वान का समर्थन करता है। इस सम्मेलन की एक अनोखी विशेषता है कि एक टैक्स प्रशासन का जारी नोटिस दूसरे अन्य कर प्रशासन द्वारा तामील किए जाने की सुविधा है। यह भी आशा है कि सम्मेलन विदेश में, जो सभी टीआईईए में शामिल है, कर जांच - पडताल की सुविधा प्रदान करेगी,। कन्वेंशन पिछली बैंकिंग जानकारी को साझा करने के लिए भारत की मांग का भी समर्थन करता है। चूंकि अधिक से अधिक देश इस कन्वेंशन में बिना हिचक के शामिल हो रहे हैं, इसके कर सहयोग के लिए प्रभावी उपकरण बनने की संभावना है। हालांकि, इसमें कुछ आरक्षित बात के प्रावधान है भारत अन्य देशों के साथ इस के खिलाफ आम सहमति बनाने के लिए काम करना जारी रखेगा।

## घ वित्तीय कार्य टास्क फोर्स

4.2.11 भारत ने एफएटीएफ के सख्त मूल्यांकन मानदंडों को जून 2010 में पूरा किया, और इसका (34 वां पूर्ण सदस्य) बन गया। इस संबंध में भारत के प्रयासों की मान्यता में, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) और आतंकवादी निधि ने जुलाई 2010 में सिंगापुर में अपनी वार्षिक बैठक में समूह का सह-अध्यक्ष चुना। मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय कार्यक्रम को मजबूत करने के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में शामिल होने के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत ने 18 से 22 जुलाई 2011 के बीच कोच्चि, केरल में एपीजी की वार्षिक बैठक की मेजबानी की। भारत, केवाईसी और ग्राहक के लिए पर्याप्त सावधानी, धनराशि का अवैध हस्तांतरण और उनकी वसूली, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एफएटीएफ के मानदंडों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

## ड. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

4.2.12 9 मई, 2011 को भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पुष्टि देने वाला 152 वां देश बन गया, जिस पर 9 दिसंबर 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। उद्देश्य : कन्वेंशन के प्रयोजन हैं: क काले धन को अधिक कौशल और प्रभावी रूप से निपटने के उपायों को मजबूत करना, ख, सम्पत्ति वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहायता और सहयोग में वृद्धि और सुविधा देना ग, सार्वजनिक और निजी जीवन में घर कर चुके अपराधीकरण एवम जवाबदेह बनाना एवम इस काम में विश्वास जाग्रत करना।

4.2.13 कन्वेंशन यह वांछा करता है कि राज्य दलों को राष्ट्रीय सरकारी अधिकारियों, विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों, गबन, दुर्व्यवहार या संपत्ति के अन्य विभागों के सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी का अपराध करना, अपराध की आय की वैधता, न्याय की रुकावट, और अवैध सम्पन्नता को आपराधिक दंड बनाए। कन्वेंशन देशों में अधिकाधिक ऐसे अपराधों की आय को दंड, जब्ती, और जब्ती के लिए तंत्र होना चाहिए और प्रत्यर्पण और आपसी कानूनी सहायता सबसे ज्यादा संभव हद तक हो। संपत्ति की वापसी इस कन्वेंशन का एक मूलभूत उद्देश्य है और इस संबंध में देशों को एक दूसरे को सहयोग और सहायता के व्यापक उपाय जो करने होंगे, यह निर्धारित करता है

जब्ती के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संपत्ति की वसूली के लिए तंत्र इस सम्मेलन से भ्रष्टाचार के अपराधियों को अवैध रूप से विदेशों में अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने से रोकने में मदद मिल सकती है और इस खतरे से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा।

## च अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

4.2.14 5 मई 2011 को, भारत ने ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (पालेर्मो कन्वेंशन) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की, जिस पर 12 दिसंबर 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को रोकने और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। कन्वेंशन देशों के मध्य, भूमि, समुद्र और वायु के साथ-साथ आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के निर्माण और तस्करी के द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ उपाय करना है। कन्वेंशन उन देशों के साथ भी, जिनके साथ इसके पास कोई पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां नहीं हैं, भारत की आपसी कानूनी सहायता प्रावधानों में अपराधों की आय की पहचान, जब्ती, दंड और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में व्यापक सहायता करेगा।

## छ आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन

4.2.15 8 सितंबर 2000 को आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया और इसे 22 अप्रैल 2003 को पुष्टि दी। इसके लिए हर राज्य पक्षकार को अपने घरेलू कानूनी सिद्धांतों के अनुसार उपयुक्त उपाय करने की जरूरत है और जब्त किए गए अपराधों के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए या आवंटित किसी भी बरामद धन को जब्त करने, जब्ती, या जब्त करना, साथ ही कन्वेंशन में उल्लिखित अपराध, संबंधित आपराधिक कार्यवाही के लिए कथित अपराधियों को हिरासत में लेना, मुकदमा चलाने या उन्हें प्रत्यर्पित करना, निवारक उपायों और प्रतिवादों में सहयोग करना और आवश्यक जानकारी और सबूत विनिमय करना है। मौजूदा प्रत्यार्पण संधियों के तहत और कन्वेंशन के तहत राज्य पक्षकारों के बीच प्रत्यर्पणयोग्य अपराध माना जाता है। यह न केवल उन वित्तपोषण आतंकवाद के खिलाफ भारत की पहुंच को मजबूत करेगा बल्कि आतंकवाद या संगठित अपराध के माध्यम से काले धन के उत्पादन और संचय के खिलाफ जांच के रूप में भी कार्य करेगा।

## ज नारकोटिक ड्रग्स और मनोवैज्ञानिक पदार्थों अवैध आवागमन के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

4.2.16 27 मार्च 1990 को भारत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध आवागमन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी शामिल हो गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पार्टियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि वे इन अंतरराष्ट्रीय आयाम वाले मादक दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों के अवैध कारोबार (ट्रैफिक) के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकें। कन्वेंशन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधीकरण, दंड, जब्ती और अपराध की आय जब्त करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पहल करता है।

4.2.17 प्रवर्तन के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राजस्व खुफिया विभाग का प्रतिनिधित्व, भारतीय सीमा शुल्क करता है। यह विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के तहत या सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और दमन (नैरोबी कन्वेंशन 1977) के लिए आपसी प्रशासनिक सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहयोग का समन्वय करता है। भारत ने 20 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन/ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यवस्था कस्टम अपराधों से निपटने में मदद करती है जो काले धन के उत्पादन के साथ सीधे जुड़े हैं।

## झ : एगमोन ग्रुप

4.2.18 एगॉट ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना के मुफ्त आदान-प्रदान के लिए एफआईयू का समूह है। एफ आई यू इंड को मई 2007 में समूह के सदस्य के रूप में प्रवेश मिला था और तब से भारत इस समूह के माध्यम से एफआईयू के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जून 2010 में ग्रुप की पूर्ण बैठक में, भारत को एशिया समूह का सह-अध्यक्ष चुना गया, जिसने भारतीय प्रतिनिधियों को एगॉट समिति की बैठकों और विचार-विमर्श में भाग लेने का अवसर दिया, जो समूह की नीति-निर्माण संस्था है।

4.2.19 पूर्व चर्चा में यह दर्शाती है कि वैश्विक मंचों में पारदर्शिता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाकर, काले धन के खिलाफ वैश्विक मुकाबले में भारत सबसे आगे रहा है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल हो गया है, और इकाइयों के मध्य सूचना के संपूर्ण प्रवाह का संवर्धन कर रहा है।

### 4.3 उपयुक्त विधायी ढांचे का सृजन

4.3 .1, काले धन की समस्या से लड़ने के लिए समन्वित कार्रवाई की जरूरत पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से यह महसूस हुआ के देश स्तर पर समानांतर कार्रवाई अपेक्षित है। तदनुसार हाल ही में इस विषयक सक्रिय कदम काले धन की खोज एवं इसकी उत्पत्ति की रोकथाम के लिए उपयुक्त विधायी ढांचे के सृजन के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित प्रावधान शामिल करते हुए प्रत्यक्ष कर को मजबूत बनाया गया है।

4.3 .2, काले धन की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एवं वैश्विक इस विषय युद्ध में शामिल होने के लिए वित्त विधेयक 2011 के जरिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जिनको सार रूप में नीचे दिया है  
क आयकर अधिनियम में धारा 94 क नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जो निवासियों एवं दूरस्थ देशों के व्यक्तियों के मध्य लेन देन जो भारत के साथ प्रभावी रूप से सूचना साझा नहीं करते हैं सहयोगी राष्ट्र इस धारा में यह व्यवस्था है कि यदि एक निर्धारिती आज सहयोगी राष्ट्र के किसी व्यक्ति के साथ लेन-देन करता है तो लेन-देन के सभी पक्षकार और इस तरह का लेन देन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन मानते हुए ट्रांसफर प्राइसिंग विनियम लागू होंगे और जब तक निर्धारित संस्था से संगत सूचना मांगते हुए एक अधिकार पत्र नहीं प्रस्तुत करता तो ऐसे भुगतानों पर कोई छूट की अनुमति नहीं होगी उसी तरह इस लेन देन से किसी को जब तक की निर्धारिती निर्धारित सूचना के अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण नहीं करता तो ऐसे खर्च और भत्तों पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी इन सहयोगी इकाइयों में स्थित किसी व्यक्ति से कोई धन अगर प्राप्त होता है तब निर्धारिती पर यह सिद्ध करने का भार होगा कि ऐसे धन का स्रोत बताएं वॉइस में असमर्थ रहता है तो इसे निर्धारिती की आय माना जाएगा इन इकाइयों में स्थित किसी व्यक्ति को किए भुगतान पर 30% कर की देनदारी बनेगी अथवा आयकर अधिनियम में निर्धारित अन्य अधिकतम दर पर कर लगेगा।

ख, डी टी एए और टी आई ई के प्रावधानों के अंतर्गत भारत से बाहर कर अधिकारियों से सूचना का अनुरोध मिलने पर संग्रह में मदद करना जिसके लिए आयकर अधिकारियों के अधिकार धारा 131 एवं 133 ए में बढ़ाए गए हैं।

ग विदेशी कर अधिकारियों को यदि अनुरोध निर्धारण पूरा करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का मिलता है तो वित्त अधिनियम 2011 के जरिए इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है जिसे वित्त विधेयक 2012 के जरिए 1 साल तक बढ़ा दिया गया है

---

4.3.3 वित्त विधेयक 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) 1 अप्रैल 2014 से आम तौर पर आक्रामक करों की जांच के लिए परिष्कृत संरचनाओं के उपयोग के साथ सामान्य विरोधी अवक्षेपण नियम ( जी ए आर आर ) शुरू किए गए हैं। योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के

साथ, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर परिणामों को निर्धारित करने के लिए लेनदेन के वास्तविक मात्रा का ध्यान रखा जाए।

(ख) संबंधित घरेलू पार्टियों के लेन-देन से आय निर्धारण के संबंध में निष्पक्षता और संबंधित घरेलू पक्षकारों के बीच व्यय के तार्किक सामंजस्य के निर्धारण के लिए, अंतरण मूल्य निर्धारण नियमों से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में लागू कर दिया गया है।

(ग) बुलियन और आभूषण क्षेत्र में नकद लेनदेन की मात्रा को कम करने के लिए और इस क्षेत्र में व्यापारिक प्रणाली में बेहिसाब धन के प्रवाह को रोकने के लिए, बुलियन और आभूषणों के विक्रेता को अगर बिक्री का अनुमान क्रमशः '5 लाख और 2 लाख से ऊपर है तो आभूषण और बुलियन के हर खरीदार से अनुमानित बिक्री का अब 1 प्रतिशत टैक्स लेना होगा।

(घ) खनन क्षेत्र में लेनदेन के लिए कर संग्रह को सुविधाजनक बनाने और रिपोर्टिंग तंत्र को सुधारने के लिए, कुछ परिस्थितियों में स्रोत पर 1 % के कर के संग्रह का प्रावधान लागू किया गया है।

(ड.) बहीखातों में काले धन के नियंत्रण के लिए, यह प्रदान किया गया है कि एक निकटवर्ती कंपनी की पुस्तकों में शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम आदि के रूप में जमा की गई किसी भी तरह की प्रकृति और स्रोत को स्पष्ट कर दिया गया है तब निवासी शेयरधारक के हाथों में ऐसे धन को स्पष्ट हुआ माना जाएगा।

(च) काले धन के खिलाफ अधिक प्रतिरोध के लिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68, 69, 69 ए, 69 बी, 69 सी और 69 डी के तहत करदाता की बेहिसाब आय मानकर उस रकम पर बिना किसी भी एलाउंस या कटौती के, अधिकतम मार्जिनल दर पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव है

(छ) अघोषित आय के प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन हेतु यह व्यवस्था की है कि अगर अज्ञात आय छापे के दौरान घोषित की जाती है 10% डंड लगाया जाएगा, रिटर्न दाखिल करने के समय 20%, यदि छापे के बाद प्रकट की है, तो जुर्माना अज्ञात आय का 30 से 90 प्रतिशत होगा।

(ज) कर वचना और शीघ्र अभियोजन कार्रवाई और प्रारंभिक निष्कर्ष के मामलों में, अभियोजन चलाने की सुविधा के लिए, विशेष अदालतों के गठन, समन्वय तामीली, परीक्षण और सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

(झ) किसी कंपनी की शेयर पूंजी में काले धन की जांच करने के लिए जिसमें जनता की काफी हद तक रुचि नहीं है, यह व्यवस्था की है कि ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक की प्राप्ति को कंपनी की आय समझा जाएगा। अगर कंपनी यह सिद्ध कर देती है कि यह उचित बाजार मूल्य उसके वास्तविक और अमूर्त संपत्ति के मूल्य के आधार पर निर्धारित है तब ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(ञ) हस्तांतरण के मामले में, यदि पूंजीगत संपत्ति (एस) के हस्तांतरण के लिए प्राप्ति (कंसीडरेशन) अनुमान योग्य या नियत योग्य नहीं है, तो पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य आय की गणना के लिए, परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य माना जाएगा।

(ट) प्रत्येक करदाता को, ताकि संयुक्त स्वामित्व वाले घर की संपत्ति से आय / नुकसान होने पर, संयुक्त मालिक के नाम और पैन का भी खुलासा करने की अनिवार्यता के तहत रिटर्न फॉर्म भी संशोधित किए गए हैं।

(ठ) धर्मार्थ संस्थानों को दान पर यह प्रावधान किया गया है कि कटौती आदि की इजाजत तभी दी जाएगी, जब 10,000 रुपये से अधिक की राशि, नकद न होकर किसी अन्य तरीके से दी गई हो। रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया गया है और अगर कोई व्यक्ति दान की रकम पर कटौती का दावा करता है, तो उसे दान दाता का विवरण, नाम, पता और दाता के पैन नम्बर देना होगा।

(ड) डीटीए के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 90 और 90 ए को संशोधित कर दिया गया है ताकि टैक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट जमा करना एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति

किसी विदेशी देश में भुगतान किए गए करों के लिए डीटीए के तहत राहत का दावा करता है उसके लिए, रिटर्न फॉर्म को संशोधित किया गया है, तब उस देश के का विवरण, उस देश की कर पहचान संख्या (टिन), उस देश में आय, और करों के भुगतान का पूर्ण ब्योरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ढ) विदेशों में उन परिचालन संपत्ति और बैंकिंग खातों के लिए रिपोर्टिंग तंत्र को, हर निवासी (अनिवार्य व्यक्ति को छोड़कर जो भारत में सामान्य रूप से निवासी नहीं है) के लिए भले ही उसके पास कर योग्य आय न हो, आयकर विवरणी जमा करना अनिवार्य करके, मजबूत कर दिया गया है। रिटर्न फॉर्म को संशोधित किया गया है जिसके तहत हर व्यक्ति को, सामान्यतया निवासी को छोड़कर, जिसके विदेशी बैंक खातों, वित्तीय हित, अचल संपत्तियां या अन्य संपत्तियों, भारत से बाहर हैं, के विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं। किसी भी गलत जानकारी पर अभियोजन प्रारम्भ होगा।

(ण) भारत से बाहर सम्पत्ति की आय जो निर्धारण होने से बच गई है, के सम्बंध में समय सीमा 6 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दी गई है।

(त) व्यक्तियों जिनकी कुल आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है या निवासी व्यक्ति जिनकी विदेश में सम्पत्ति है उनके लिए ई रिटर्न फाइल करना अनिवार्य किया गया है।

4.3.4 गलत मूल्य निर्धारण से संबंधित जीएफआई की रिपोर्ट को देखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 में अंतरण-प्रावधानों को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों वित्त अधिनियमों 2011 और वित्त विधेयक 2012 में विधायी संशोधनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई हैं।

4.3.5 इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाताओं के लिए असुविधा पैदा हो सकने वाले पहलुओं एवम काले धन की उत्पत्ति के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण मजबूत हो प्रक्रियात्मक पहलुओं को भी संशोधित किया जा रहा है। आयकर नियम 1962 के नियम 6 डीडीए के क्लॉज (iv) में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रणाली में एक बार पंजीकृत लेनदेन मिटा या संशोधित न किए जा सकें। हालांकि, सेबी द्वारा वास्तविक मानव त्रुटियों के मामले में, पंजीकृत लेनदेन में संशोधन की अनुमति है। मार्च 2010 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आंकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि करीब 713 सदस्यों ने परिवर्तन किए थे, जिनमें कुल रकम की मात्रा 56,000 करोड़ से ज्यादा थी। ऐसे 19 मामलों में, 5000 से अधिक बार परिवर्तन किए गए थे, जिनकी रकम 22,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस तरह के लगातार परिवर्तन से हेरफेर और दुरुपयोग नकार नहीं सकते, जबकि वास्तविक/असली त्रुटियों के मामले में ये कठिनाइयों का कारण बन सकती है। इन दो विचारों को संतुलित करने के लिए, आयकर नियम 1962 के नियम 6 डीडीए में संशोधन किया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसे लेन-देन का मासिक विवरण भेजेगा जिसमें क्लाइंट के कोड संशोधित किए गए थे।

4.3.6 विदेशी निवेशकों को पैन नंबर के आवंटन में सुविधा के लिए, नए फॉर्म नं 49 ए और 49 एए क्रमशः भारतीय और विदेशी संस्थाओं के लिए तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही, आयकर नियमावली के नियम 114 में भी संशोधन किया गया है ताकि ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं, की पहचान सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय/नागरिकता/करदाता पहचान संख्या की प्रति को, जहां का वह निवासी है उस देश के एपोसिल द्वारा प्रमाणित प्रति पहचान और पते के प्रमाण के रूप स्वीकार किया जाए, इन उपायों से असुविधा को कम करते हुए अनुपालन में सुधार की उम्मीद है और इससे नियामक सुधार में योगदान होता है।

## **ख डीटीए एवं का अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार नेटवर्क बनाना**

4.3.7 डीटीए स्रोत के देश और निवासी देश के बीच कराधान अधिकारों के आवंटन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है और दोहरे कर नहीं होने देता दूसरे देश में ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन को देखकर संबंधित समायोजन सुनिश्चित करता है इसके अतिरिक्त कर विवादों को सुलझाने और कर संबंधी सूचना एकत्र करने कर जांच आज में मदद करता है।

4.3.8 जहां डीटीए नहीं होता टी आईई ए चुना जा सकता है जिससे कर सूचना साझा करने में आपसी सुविधा मुख्य रूप से सुदृढ़ होती है। डीटीए एवम टी आईई ए के विकास से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और ट्रांसफर प्राइसिंग से कर वंचना और

काले धन उत्पन्न होने की समस्या दूर होती है और इस दिशा में हमारे इस दुरुपयोग को रोकने की क्षमता में वृद्धि हुई है।

4.3 . 9

2009 के बाद, वैश्विक सहमति इस बात पर उभरी कि यदि आपूर्ति वाला देश का कोई घरेलू हित नहीं है तो बैंक सूचनाएं एवं अन्य सूचनाएं इन इकाइयों की साझा करने में ठीक रहेगा। कर प्रयोजनों के लिए सूचना विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तदनुसार संशोधित किया गया है। भारत के अधिकांश डीटीए जो 2009 से पहले अस्तित्व में आए वह इन मानकों के अनुरूप नहीं थे, इन पर समझौते किए गए और कई मामलों में यह पूरे कर लिए गए हैं और इन मानकों को विभिन्न देशों के साथ पूरा कर लिया गया है।

4.3 .10 स्विट्जरलैंड जो एक पुराना डीटीए था वह इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। मार्च 2009 में जी-20 देशों के निर्णय के आलोक में स्विट्जरलैंड ने यह घोषणा की कर प्रयोजनों के मामले में वह प्रशासकीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्वीकारेगा और जो अपने पूर्वाग्रह हैं घरेलू हित को छोड़कर बैंकिंग सूचना और अन्य सूचना साझा करने के उनको वापस लेगा। इस नीति के बदल जाने से भारत में तेजी से, 30 अगस्त 2010 को नयाचार पर हस्ताक्षर कर आए जिसमें डीटीए में संशोधन किया गया था और यह नवाचार 7 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हो गया। परिशोधित डीटीए के अनुसार स्विट्जरलैंड को विशिष्ट मामलों में 1 अप्रैल 2011 से आगे की बैंकिंग और अन्य सूचनाएं साझा करनी होगी और पिछले मामले को वह लागू नहीं करेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्विटजरलैंड की नीति में बदलाव से इससे कई देशों ने नयाचार की संधि की है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सूचनाएं साझा की जा सके इन अधिकांश नयाचारों में स्विट्जरलैंड में आगामी प्रभाव से सूचना साझा करना स्वीकार किया है और केवल कुछ ही मामलों में पिछली सूचना अन्य देशों को देने के लिए जैसे भारत माना है ( अनुलग्नक तालिका 6 )।

4.3 .11 सूचना साझा करने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विद्यमान डीटीए के व्यवस्थाओं के अलावा भारत ने कई देशों के साथ नए डीटीए समझौते प्रारंभ किए हैं इनमें कई समझौते अंतिम रूप दे दिए गए हैं और इन नई संधियों में बैंकिंग सूचना सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सूचना साझा करने के प्रावधान है।

4.3 .12 2009 से पहले, कई देश टी आईईए में प्रविष्टि के लिए इच्छुक नहीं थे और वह डीटीए पर जोर दे रहे थे। डीटीए को अंतिम रूप देना क्योंकि हितकारी नहीं था इन देशों के साथ किए के समझौते में समय लगता तो भारत ने इन देशों से टी आई ई ए पर सहमत होने के लिए कहा और समझौते प्रारंभ किए।

4.3 .13 अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यदि एक बार मूल रूप से सूचना प्रेषण करने वाले राज्य के लिए गोपनीय मानी गई है तो इसे केवल कर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन न्यायालय की कार्यवाहियों और न्यायालय के निर्णय में इसे प्रकट किया जा सकेगा। कई देशों के साथ इस गोपनीयता अनुच्छेद को मैं ढील देने के लिए भारत सरकार ने इस मुद्दे पर बातचीत की है। करार किए जाने वाले सभी नए समझौतों में जांच एजेंसियों के मध्य संबंधित अधिकारी की सहमति से इस सूचना को साझा करने के भारत के प्रयास मजबूत होंगे, प्रयास किए जा रहे हैं। इससे कालाधन उत्पन्न करने में कभी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में हो रहा है।

4.3.14 भारत के 82 डीटीए मैसेज में एकत्रीकरण में सहायता का प्रावधान है जो भारत से बाहर संपत्तियां हैं उनके रिपेयर क्रिएशन में इतनी रकम की भरपाई होगी जितना की बकाए की रकम है और जो भारत में वसूल नहीं हो पाई भाई साहब पर कर मामलों में बहुपक्षीय कन्वेंशन जो 1 जून 2012 को लागू हो जाएगी कर एकत्रीकरण में सहायता के प्रावधान है कन्वेंशन के सभी हस्ताक्षरकर्ता जिन्होंने करें एकत्रीकरण में सहायता और संपत्ति को वापस लाने के प्रावधान नहीं किए हैं उन्हें उनको ऐसा करना आवश्यक होगा तथापि यह ध्यान दिया जाए कि स्विट्जरलैंड के साथ कर एकत्र में सहायता का ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है क्योंकि इसने अभी तक कन्वेंशन में शामिल देशों के साथ ऐसा करने की सहमति नहीं दी है।

4.3 .15 भारत में जितने टीआईईए हस्ताक्षरित हुए हैं उनमें कर जांच परीक्षा के प्रावधान है। यह भी कि परिशोधित मानकों के अनुसार डीटीए के अंतर्गत सूचना विनिमय के अनुच्छेद के अंतर्गत कर परीक्षा में सहायता के लिए देश सहायता करने के लिए बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त कई देशों के साथ विदेशों में कर जांच परीक्षा का अनुच्छेद विशेष रूप से भारत में शामिल किया है भारत में हस्ताक्षरित टी आई ई ए, आपराधिक मामलों में अथवा सभी मामलों में पिछली सूचनाएं देने के लिए बाध्य है, ऐसा प्रावधान रखा गया है।

## ग धन शोधन अधिनियम से रोकथाम

4.3.16 धनशोधन को रोकने और धन शोधन में संलिप्त संपत्ति की जब्ती के लिए और ऐसे ही संबंधित प्रयोजनों के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 लागू किया गया था। धन शोधन के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित वैश्विक कार्यवाही कार्यक्रम की राजनीतिक घोषणा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुसरण में अधिनियम कार्य करता है।

4.3 . 17 पीएमएलए के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए 2009 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों के जरिए अधिनियम को मजबूत करने के लिए नई परिभाषाएं जोड़ी गईं और उसने स्पष्ट किया गया और धन शोधन में लिप्त संपत्तियों की जब्ती के प्रावधान मजबूत किए गए। अधिनियम की अनुसूची के खंड क और ख में कई अपराध जोड़े गए हैं जिनमें आंतरिक व्यापार और बाजार में हेराफेरी, पुरातत्व वस्तुओं की तस्करी, आतंकी संगठनों का वित्त पोषण मानवीय ट्रेफिकिंग जिन में वेश्यावृत्ति शामिल नहीं है, और पर्यावरणीय अपराधों जैसे मुद्दे शामिल हैं। खंड ग में क्रॉस बॉर्डर संबंध वाले अपराधों की नई श्रेणी जोड़ी गई है।

4.3 .18 काले धन की समस्या अब भौगोलिक रूप से केवल एक देश की समस्या बन कर नहीं रह गई है। यह इतनी वैश्विक समस्या है कि अकेले किसी राष्ट्र के लिए हल करना संभव नहीं है। इसे देखते हुए भारत ने एफ ए टी एफ की सदस्यता ली है और धन शोधन पर एपीजी में शामिल हुआ है जो धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषित करने की समस्याओं के खिलाफ के अनुसार कार्रवाई और प्रवर्तन का काम करने के लिए संकल्पित हैं। एफ टीईफ को भारत के धन शोधन कानून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने एवं इसकी कमियों को दूर करने के लिए योग्य एजेंसियों ने कार्यान्वित करते समय अनुभव की है, को दूर करने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। पीएमएलए 2002 में इसीलिए, धन शोधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2011 प्रस्तावित किया गया है, जो की संसद में विचाराधीन है। विदेश के कानूनों और भारतीय कानूनों के प्रावधानों में समतुल्यता विधि के विचार से इस विधेयक में कई बातें हैं जो विदेश प्रेडीकेट अपराधों के लिए, जो भारत में किए गए, उनकी आय यहां लाने का प्रावधान रखते हैं। शोध की परिभाषा: धन छिपाना, अर्जन रखना, अपराध से उत्पन्न धन का प्रयोग और आपराधिक गतिविधियां एवं अधिनियम के अंतर्गत 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की वर्तमान सीमा को हटाने का प्रावधान भी करता है। अपराध से प्राप्त आय की जब्ती और कुर्की के प्रावधान इसमें मजबूत किए हैं, निदेशक की जांच शक्तियों को बढ़ाया गया है अनुसूची क और ख में वर्णित अपराधों को एक करके कार्रवाई करने का प्रावधान इसमें है।

## घ बेनामी लेन देन की रोकथाम

4.3 . 19 सरकार ने एक अति महत्वपूर्ण पहल बेनामी लेनदेन निषेध विधेयक 2011 लाकर की है इस व्यापक विधेयक में जो 18 अगस्त 2011 को लोकसभा में पेश किया गया स्थाई वित्त समिति द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है जो कमियां बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 में रह गई थी उनको पूरा करेगा। अब बेनामी कानून को कार्यान्वित करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसमें उन का निर्धारण जब्ती अभियोजन और अन्य चीजें शामिल होंगी।

4.3.20 बेनामी संपत्ति की परिभाषा दी गई है और वह शर्तें लेनदेन की भी और करार जिसमें एक संपत्ति दूसरे व्यक्ति को किसी अन्य के माध्यम से भुगतान पर खरीदी जाती है, वह भी बताया गया है वह सीधे और परोक्ष रूप से तात्कालिक अथवा भविष्य के लाभ के लिए इस तरह की संपत्ति खरीदना चाहता है जो व्यक्ति इसके एवज में धन देता है संपत्ति के विषाक्त लेनदेन या व्यवस्था छद्म नाम में और संपत्ति की मिलिक्यत के बारे में यदि वह दावा नकारता है तो बेनामी लेनदेन की परिभाषा में ये शामिल किया गया है। देसी बेनामी संपत्ति खरीदने अथवा रखने पर उसकी जब्ती के साथ -साथ 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस विधेयक में यह व्यवस्था है की बेनामी संपत्ति के निर्धारण और उसकी जांच और उसके परिणाम और इस प्रयोजन के लिए किस अधिकारी को शक्ति होगी साथ ही अपील प्राधिकारी भी शामिल किए गए हैं। स्थाई समिति की एक रिपोर्ट मिल चुकी है। इस विधेयक को संसद में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा और इसके बाद संगत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

## ड. लोक प्रापण विधेयक

4.3 .21 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अप्रैल 2012 को संसद में पेश करने के लिए लोक प्रापण विधेयक 2012 अनुमोदित कर दिया था। इस विधेयक में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों और अधीनस्थसंबंध कार्यालयोंके प्रापण अथवा खरीद को नियमित करने की व्यवस्था है एवं इसके अधीनस्थ केंद्रीय लोक उद्यमों स्वायत्त संगठनों और विधिक निकायों योगी सरकार केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, की प्रापण की व्यवस्था है जिससे प्रापण में पारदर्शिता जिम्मेदारी और स्वच्छ एवं समान अवसर बोली लगाने वालों को मिल सकें और आर्थिक बचत भी हो और इस प्रापण प्रक्रिया में एवं जनता का विश्वास बना रहे।

4.3.22 यह विधेयक व्यापक सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें कियात्मक नियम, दिशा निर्देश एवं आदर्श दस्तावेज के सेट दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का निर्माण करता है और भारत सरकार की आवश्यकताओं के सर्वथा अनुरूप है। यह लोक प्रापण के लिए विधिक ढांचा बनाएगा जो जवाब दे पारदर्शी एवं नियामक ढांचे में सटीक बैठेगा विधेयक में प्रापण से संबंधित सभी अनिवार्य सिद्धांतों को नियमबद्ध किया गया है ताकि अपेक्षित बचत, कुशलता एवं गुणवत्ता की प्राप्ति हो सके और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी न हो। प्रापण करने वालों के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह इन सिद्धांतों का पालन करें और प्रापण के वक्त प्रतियोगिता बनी रहे और विभिन्न तरह की खरीद में लचीलापन भी हो पारदर्शिता का एक मजबूत ढांचा और जिम्मेदारी पूर्ण निर्वाह एक लोक प्रापण पोर्टल और शिकायत निवारण मशीनरी के द्वारा स्वतंत्र मैकेनिज्म के रूप में उभरेगा, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होंगे।

## च विदेशी लोक अधिकारियों को रिश्वत की रोकथाम विधेयक

4.3 .23 लोक सभा में 25 मार्च 2011 को विदेशी लोक अधिकारी रिश्वत की रोकथाम एवं लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विधेयक 2011 पेश किया गया था जो की स्थाई समिति के समक्ष विचाराधीन है। इसमें विदेशी लोक अधिकारियों को रिश्वत से संबंधित भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं लोक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की रोकथाम के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श है और इन मुद्दों से निपटने के उपाय दिए हैं प्रस्तावित विधेयक विदेशी लोक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठनों के अधिकारियों के लिए रिश्वत लेना निषेध करता है या किसी रूप में इसके प्रोत्साहन को भी निश्चित करता है यह विधेयक केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विदेश में हुए करारों में इन प्रावधानों को लागू करें और प्रस्तावित अपराधों जो इसके अंतर्गत हो उनको मुकदमा योग्य बनाएं और भारत में उनकी भी संपत्ति की कुर्की जब्ती की व्यवस्था करें और संबंधित देशों के साथ पारस्परिक सहायता इस संबंध में मुहैया कराएं।

## छ लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक

4 .3.24 लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 जो कि लोकसभा में पारित कर दिया था वह अब राज्यसभा के समक्ष विचाराधीन है। इस विधेयक में लोकपाल संस्था की स्थापना जो कि निश्चित लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा और उससे संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। विधेयक में लोकपाल संस्था की स्थापना जिसमें एक अध्यक्ष एवं आठ सदस्य होंगे और आधे सदस्य न्यायिक योग्यता वाले होंगे इसकी अपनी जांच शाखा और अभियोजन शाखा होगी और उसमें अधिकारी एवं स्टाफ आवश्यकतानुसार तैनात होंगे। लोकपाल प्रधानमंत्री के, उनके पद त्यागने के बाद, खिलाफ आरोपों की जांच करेगा और मंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप क का कोई अधिकारी और समकक्ष अधिकारी और ग्रुप क का कोई अधिकारी, बॉडी, निगम, प्राधिकरण, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, स्वायत्त संगठन जो संसद द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हो और पूर्णरूपेण केंद्र सरकार के वित्त पोषण और नियंत्रण में हो या उनकी सहायता से चलती हो, या उसे पब्लिक से धन प्राप्त होता हो और उसकी सालाना आय एक निश्चित रकम हो जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की जांच करेगा तथापि धार्मिक संगठन जिनको जनता से दान मिलता हो वह लोकपाल की परिधि से बाहर होंगे। अभियोजन जहां प्रस्तावित हो वहां लोकपाल भ्रष्टाचार निरोध धन अधिनियम 1988 की धारा 19 अथवा भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 197 में मुकदमा चलाने के लिए किसी अनुमोदन अथवा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। लोकपाल इन भ्रष्ट लोकसेवकों की कमाई को कुर्क करने की शक्ति रखेगा। ज नागरिकों की शिकायतों की निवारण विधेयक

4.3 . 25 नागरिकों को समय पर माल एवं सेवा की उपलब्धता कराने एवं उनकी शिकायतों के निवारण के अधिकार का विधेयक 2011 जो कि लोकसभा के समक्ष विचाराधीन है मैं सरकारी विभागों की नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियों को दिया गया है। और यदि किसी को सेवा समय पर और सही सेवा न मिले तो उनकी शिकायत के निवारण के लिए उपाय दिए गए हैं इसमें यह आदेश है कि हर नागरिक अधिकारी अथवा सरकारी विभाग नागरिकों का चार्टर प्रकाशित करेगा जिसमें उस विभाग द्वारा सेवा में कमी अथवा परेशानी होने पर प्रदत्त सेवाएं उल्लिखित की जाएंगी और शिकायत निवारण तंत्र का हवाला दिया जाएगा इसमें केंद्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग गठित करने का भी प्रस्ताव है जो कि समकक्ष प्रत्येक राज्य में भी होगा और शिकायत की

जांच के लिए एक प्राधिकारी नाम उद्दिष्ट किया जाएगा जो कि वह अधिकारी नहीं होगा जिसके शिकायत खिलाफ की गई है। इस विधेयक की अन्य बातें इस प्रकार है:

>सिटीजन चार्टर में उस कार्यालय के शिकायत निवारण प्रणाली का पूरा विवरण होगा जैसे कि विभाग में कितने अधिकारी हैं और किन को शिकायत भेजी जानी चाहिए  
>प्रत्येक सरकारी कार्यालय अथवा लोक प्राधिकारी सूचना एवं सहायता केंद्र स्थापित करेगा जिसमें ग्राहक सहायता लाइन और हेल्प डेस्क होगी जो की शिकायतों का विवरण रखेगी एवं सेवा प्रदान करेगी  
>प्रत्येक लोक प्राधिकारी शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम प्रकाशित करेंगे उन्हें नियुक्त करेंगे और उनसे संपर्क की सूचना जनता को दी जाए शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत दर्ज करने में जनता की मदद करेंगे और शिकायत फाइल करने के 2 दिन के अंदर नागरिक को SMS या मेल से शिकायत नंबर दिया जाएगा और उस अवधि को भी बताया जाएगा जिसके अंतर्गत शिकायत का निपटारा होगा लेकिन वह समयावधि शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ही होगी  
>शिकायत निवारण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा की शिकायत करने वाले व्यक्ति को, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मिल जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो नागरिक नामोद्दिष्ट अधिकारी को अपील कर सकेगा या अधिकारी अन्य को शपथ लेकर बयान देने को कह सकता है

> नामोद्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा की अपील पर 30 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए वह संबंधित अधिकारी पर दंड भी लगा सकता है और नागरिक को क्षतिपूर्ति भी, जैसा उचित समझे कर सकता है  
>यदि कोई नागरिक नाम नामोद्दिष्ट अधिकारी के जवाब या निर्णय से असंतुष्ट है तो वह शिकायत राज्य लोक शिकायत निवारण आयोग यह मानकर की शिकायत एक सरकारी विभाग के खिलाफ है और वह विभाग राज्य के राज्य सरकार के नियंत्रण में है को कर सकेगा

>प्रत्येक राज्य ऐसा आयोग बनाएगा जिसमें 1 मुख्य मुख्य आयुक्त होगा और 10 अन्य आयुक्त होंगे इन की नियुक्ति एक समिति द्वारा होगी जिसमें मुख्यमंत्री राज्य के विपक्ष के नेता उच्च न्यायालय के जज होंगे इन आयुक्तों की कार्य अवधि 5 वर्ष होगी  
>जो नागरिक सरकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा से संतुष्ट नहीं है और जिस का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन है वह अंतिम अपील केंद्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग को कर सकेंगे इस आयोग में मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी लेकिन यह नियुक्ति एक समिति देखने के बाद ही होगी जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज होंगे  
>यदि नागरिक केंद्रीय अथवा राज्य निर्णय से असंतुष्ट हैं तो वह लोकायुक्त अथवा लोकपाल को अपील कर सकेंगे

## इ न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक

4.3.26 जुडिशल स्टैंडर्ड और एकाउंटेबिलिटी बिल 2010 लोकसभा में पारित हो चुका है और यह राज्य सभा के समक्ष विचाराधीन है इस विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के जजों के खिलाफ शिकायत की जांच की प्रणाली दी हुई है जिसमें जुडिशल मानक निर्धारित किए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों से यह अपेक्षित है कि वह अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करें इस विधेयक में यह भी अपेक्षा है जज जांच अधिनियम 1968 को बदलकर उसी ढांचे पर एक नया अधिनियम लाया जाए उच्च जुडिशरी में जवाबदेही और उठ रहे असंतोष के समाधान के लिए यह विधेयक लाया जाना जरूरी है जिससे पारदर्शिता आए और जुडिशरी में विश्वास और स्वतंत्रता आए इस विधेयक में जजों के आचरण के मानक जो लागू होंगे वे निर्धारित किए गए हैं विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं  
>विधेयक में जजों से अपेक्षित है कि वह अपनी संपत्तियों की घोषणा करें इसमें जुडिशल मानक निर्धारित हैं एवं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जजों को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है  
>शिक्षित है कि वे अपने जीवन साथी और बच्चों के संबंध में संपत्ति और देनदारियों की भी घोषणा करें  
>विधेयक में नेशनल जुडिशल ओवर साइज कमेटी शिकायत जांच पैनल एवं एक जांच समिति स्थापित करने की व्यवस्था है

> जज के खिलाफ कोई भी व्यक्ति ओवर साइट कमेटी को अपनी शिकायत दुर्व्यवहार के आधार पर दे सकेगा दुर्विगाह के आधार पर जज को हटाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में लाया जा सकेगा इस तरह का प्रस्ताव ओवर सहित कमेटी को जांच के लिए भेजा जाएगा

> जजोंके खिलाफ जांच गोपनीय होगी एवं जो शिकायतें झूठीपाई जाएंगी उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ओवर साइट समिति जजों को परामर्श या चेतावनी दे सकेगी और राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की भी सिफारिश कर सकेगी

## च व्हिसिलब्लोअर विधेयक

4.3.27 लोकहित प्रकटन एवं प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक 2010 , जिसे व्हिसिलब्लोअर विधायक के नाम से , लोकसभा में पारित किया गया अब राज्यसभा में विचाराधीन है ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार और जानबूझकर विवेकाधिकार का दुरुपयोग करते हैं और सरकार अथवा आयोग को आपने आपराधिक कृत्य द्वारा भारी नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ जो व्यक्ति शिकायत करते हैं उनकी संरक्षण पर्याप्त संरक्षा के लिए इस विधेयक में व्यवस्था है कि ऐसी सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित न किया जा सके ऐसी संरक्षा व्यवस्था प्रक्रिया संबंधी इसमें दी हुई है। झूठी एवं आधारहीन शिकायतें करने पर इसमें दंड की भी व्यवस्था है।

## ट प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान

4.3.28 भ्रष्टाचार मुक्त एवं अच्छे शासन के सरकार के संकल्प के अंग के रूप में वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालय और विभाग विभागों की सुविधा के लिए केवल प्राप्तकर्ता के बैंक खातों में सीधे भुगतान कर सके। सरकार ने संगत नियमों में संशोधन किया है । भारत के महालेखा परीक्षक मैं 1 अप्रैल 2012 से ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं ₹25000 से ऊपर का भुगतान सप्लायरों को ठेकेदारों को एवं क्रांति और लोनी को लोन सीधे उनके बैंक खातों में ही जमा किया जाए । सरकारी कर्मचारी को यह विकल्प रहेगा कि वह वेतन नकद अथवा खाते में जमा कराएं तथापि सरकारी कर्मचारियों को अन्य भुगतान जो 25000 रुपए से ऊपर होंगे वह उनके बैंक खातों में ही जमा किए जाएंगे रिटायरमेंट और सरकारी कर्मचारियों के अन्य टर्मिनल बेनिफिट सीधे उनके बैंक खातों में ही जमा किए जाएंगे । वित्त मंत्री ने सरकार के ई पेमेंट गेटवे क्या है c g a में स्थापित किया है और इसका प्रयोग केंद्रीय सिविल मंत्रालय विभाग वेतन एवं लेखा अधिकारियों के जरिए करेंगे रक्षा लेखा महानियंत्रक अधिकाधिक प्रयोग करेंगे सरकारी विभागों से जो प्राप्तकर्ताओं को धन सरकार के कार्यालयों आदि से मिलेगा उनका सीधा भुगतान उनके खातों में होगा जिसे यह गेटवे सफल और सरल बनाएगा ई पेमेंट गेटवे से सरकारी लेन देन में सरकारी विभागों से स्वच्छ लेन-देन जवाब देह और पारदर्शी लेनदेन होगा।

## ठ विशिष्ट पहचान आधार

4.3.29 जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी 20 करोड़ से ज्यादा नामांकन आधार प्रणाली में हो गया है और 14 करोड़ आधार संख्या अब तक हो चुकी है ।

1 अप्रैल 2012 से शुरू होनेवाले 40 करोड़ लोगों के नामांकन को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई है । इस प्लेटफार्म से ही मनरेगा ,वृद्ध, विधवाओं ,अपंग पेंशन, छात्रवृत्तियां लाभार्थी के खातों में सीधे चुने हुए स्थानों पर खातों में जमा की जाएगी, इससे भारत में काले धन की कमाई और भ्रष्टाचार में कमी की पहल होगी।

## ड

## 4.3.30 एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन

8 सितंबर 2011 को सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एवं साइको ट्रॉपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2011 लोकसभा में पेश किया जो कि अभी स्थाई समिति के समक्ष विचाराधीन है इसमें एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन की बात है जिसमें लघु एवं वाणिज्यिक मात्रा की परिभाषा दी गई है ऐसी औषधि के उपभोग पर दंड के मानक एवं पॉपी स्टॉ कंसंट्रेट के नियामक को राज्य सरकार से केंद्र सरकार में ट्रांसफर करने की व्यवस्था है और जो व्यक्ति अवैध टैफिकिंग और अज्ञात स्रोत से संपत्ति बनाते हैं और जिसको सिद्ध नहीं कर पाते कि यह अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है ऐसी संलिप्तता में उस संपत्ति को

जब करने की व्यवस्था है।

## 4.4 अवैध धन से निपटने के लिए संस्थानों की स्थापना

4.4.1 काले धन की समस्या से निपटने के लिए, विशेषकर सीमा पार प्रवाह की जांच करने के लिए पांच-स्तरीय रणनीति का तीसरे अंगके रूप में, संस्थाएं स्थापित कर रहा है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा की गई कुछ पहल को निम्नलिखित पैरा में वर्णित है।

### क आपराध जांच निदेशालय

4.4.2 हाल ही में, भारत में कर प्रशासन में आपराधिक मामलों में लक्षित जांच के लिए अलग-अलग सेट अप नहीं था। 30 मई 2011 को, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, में आयकर निदेशालय (आपराधिक जांच) या डीसीआई के सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। डीसीआई को किसी भी प्रत्यक्ष कर कानून के तहत अपराध के रूप में दंडनीय किसी भी वित्तीय आपराधिक मामलों के संबंध में कार्य करने के लिए सशक्त है। डीसीआई, प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, निम्नलिखित कार्य करेगा :

- > क्रॉस-बॉर्डर, अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय असर वाले अपराधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों और लेनदेन के बारे में जानकारी ढूँढें और एकत्र करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत दंडनीय हैं;
- > ऐसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल धन के स्रोतों और उपयोगों की जांच करना;
- > किसी भी प्रत्यक्ष कर कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना;
  - > आपराधिक गतिविधि से संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष कर कानून के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज करना;
- > सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी अदालत में दर्ज अभियोजन पक्ष की शिकायत की पैरवी करने के लिए विशेष अभियोजकों और अन्य विशेषज्ञों की सेवाओं का किराये पर लेना;
- > प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत आपराधिक अपराधों के प्रभावी मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त गवाह संरक्षण कार्यक्रम निष्पादित करें, अर्थात् ऐसे गवाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने के मामले में गवाहों की रक्षा करने और पुनर्वास करने के लिए ताकि उन्हें किसी भी नुकसान से उनको बचाया जा सके;
- > भारत में किसी भी अन्य खुफिया या कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ सीमा पार, अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय असर वाले अपराधों की जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञ, तकनीकी और सैन्य सहायता के साथ समन्वय करना और विस्तार करना जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो;
- > भारत में किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसी के साथ जानकारी साझा करने और अन्य सहयोग के लिए समझौतों में दर्ज करें;
- > विदेशी देशों की ऐसी एजेंसियों के साथ सूचना और अन्य सहयोग साझा करने के लिए अनुबंध करना, जैसा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते या संधि के अंतर्गत स्वीकार्य हो ; और
- > उपरोक्त से संबंधित कोई भी अन्य मामला

डीसीआई का नेतृत्व आयकर महानिदेशक (आपराधिक जांच) करते है और वे सीबीडीटी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते है। डीसीआई का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके पूरे भारत में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

ख सूचना के एक्सचेंज के लिए सेल

4.4.3 भारत सरकार ने सीबीडीटी के एफटी और टीआर डिवीजन में सूचना विनिमय (ईओआई) सेल स्थापित किया है। ईओआई आपसी सहयोग के आधार पर काम करता है। विभिन्न देशों के सक्षम अधिकारियों ने डीटीए / टीआईईए के प्रावधानों या पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन के आधार पर एक दूसरे को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। ईओआई, समझौते की शर्तों के आधार पर, प्रशासनिक सहायता, इन शर्तों के तहत, इनमें से किसी एक तरह की होगी (ए) विशिष्ट जानकारी का आदान प्रदान, (बी) सूचना का सहज विनिमय, (सी) सूचना का स्वतः आदान-प्रदान, (डी) कर परीक्षा- जांच, विदेश में, (ई) सूचना का एक साथ विनिमय, (एफ) दस्तावेजों की सेवा, और (जी) टैक्स के संग्रह में सहायता ग आयकर ओवरसीज यूनिट्स

4.4.4 सूचना के आदान-प्रदान, अंतरण मूल्य निर्धारण और सीमा पार से लेनदेन के कराधान क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बड़े दायरे के साथ, भारत सरकार ने आयकर प्रवासी इकाइयों (आईटीओओएस) के नेटवर्क का सृजन करने का निर्णय लिया है। सिंगापुर और मॉरीशस में मौजूदा दो आईटीओयू के अतिरिक्त, आठ और आईओयू खोले गए हैं इन आईटीओयूओ के उद्देश्य हैं

- > डीटीए से संबंधित मुद्दों पर नज़र रखना;
- > अंतरराष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने में अधिकारियों की सहायता करना;
- > मौजूदा डीटीए के लगातार संशोधन में अधिकारियों की सहायता करना;
- > टीआईईए के समझौतों में अधिकारियों की सहायता करना;
- > भारत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित (डीटीए और टीआईईए के अनुसार) इन देशों की योग्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान में जल्दी करना;
- > करों के संग्रह में अधिकारियों की सहायता करना;
- > डीटीए के तहत म्युचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों की सहायता करना;
- > संबंधित देशों के विभिन्न विभागों, विशेषकर आयकर विभाग, रजिस्ट्रार कंपनियों, बैंकिंग सेवाओं के विभाग, और वित्तीय सेवाओं के प्रशासक के साथ संपर्क बनाए रखना;
- > इन देशों से भारत में निवेश करने वाले निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखना;
- > विदेशी निवेशकों को भारत के घरेलू कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करना;
  - > इन देशों में भारतीय निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखना ताकि इन निवेशकों की कोई कर निर्धारण सम्बंधी समस्या न हो ,
  - > मिशन के अध्यक्ष द्वारा अधिकारी को सौंपे गए वाणिज्यिक / आर्थिक कार्य में मिशन की सहायता करना,
  - > राजस्व विभाग , सी बी डी टी द्वारा अधिकारी को सुपुर्द किया गए अन्य कार्य करना

4.4.5 पैरा 4.4.4 में उल्लिखित कार्यों का निर्वहन करने में मॉरीशस और सिंगापुर के आईटीयू बहुत उपयोगी रहे हैं। अब तक, इन देशों से 49 सूचना प्राप्त हुई हैं। यह भी है कि पैरा 4.4.4 में सूचीबद्ध गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। नए आईटीओयू खोलने और कर अधिकारियों की आईटीओयू में उपस्थिति भी कर चोरी के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोध का काम करती है।

## **घ सीबीडीटी में एफटी और टीआर डिवीजन को मजबूत करना**

4.4.6 सीबीडीटी के एफटी एंड टीआर डिवीजन, डीटीए और टीआईईए के बीच समझौतों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों तक लाने में मदद कर रहा है, जो डीटीए / टीआईईए के तहत सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से विदेशी कर प्रशासकों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करते हैं, डीटीए के तहत विवादों का निपटारा / टीआईईए, अंतरराष्ट्रीय सरकारों में भागीदारी, भारत सरकार के विचारों, उन्नत मूल्य निर्धारण समझौतों का प्रशासन, और अंतरराष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए जोर देने के लिए सहभागिता से सम्बंधित हैं।

4.4.7 एफटी और टीआर डिवीजन को निदेशक के 4 नए पद, अंडर सेक्रेटरी के 7 नए पदों और सहायक स्टाफ के साथ अनुभाग अधिकारी (एसओ) के 9 नये पदों बनाकर मजबूत किया गया है।

## ड. सीबीडीटी की जांच प्रभाग की सुदृढीकरण

4.4.8 सीबीडीटी की जांच प्रभाग को मौजूदा 2 से 5 शाखाओं में बढ़ा दिया गया है और काले धन से संबंधित बढ़ते कामकाज से निपटने के लिए निदेशक के 3 पद, अंडर सेक्रेटरी के 3 पद और विशेष ऑफिसर (ओएसडी) (एसओ-स्तर) के 5 अधिकारी सृजित किए गए हैं। इन्कम टैक्स (केंद्रीय सूचना शाखा) के निदेशालयों के नाम को को आयकर (इंटेलिजेंस) के निदेशालयों में बदला गया है और, जानकारी एकत्र और सत्यापित करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत शक्तियों का दी गई हैं।

## 4.5 कार्यान्वयन के लिए प्रणाली विकसित करना

4.5.1 5 स्तरीय रणनीति के चौथे अंग के रूप में उठाए गए कदमों में से कुछ कदम नीचे दिए हैं

क समन्वित करदाता आंकड़े प्रबंधन प्रणाली आई डी डी एम एस एवं 360 अंश प्रोफाइल ए आई आर टीडीएस केंद्रीय सूचना शाखा एनटीईएस, आयकर विभाग द्वारा विभिन्न स्रोतों से एकत्र सूचना कंप्यूटर वातावरण पर 360 अंश प्रोफाइल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है जिसे आईसीडीएस कहा जाता है आईटी डीएमएस कर वंचना की शिकायतों में जांच के समय उपयोग में लाई जाती है और छापे और तलाशी के दौरान कार्यवाही में प्रयोग किया जाता है ख साइबर फोरेंसिक लैब और वर्क स्टेशन बनाना 4.5.2 छापे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान संगत आंकड़ों को प्राप्त करने और उनकी पहचान कर सुरक्षा के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है जिससे कि आंकड़े संरक्षित रहे और उनकी कीमत न्यायालय में बनी रहे दिल्ली और मुंबई की फोरेंसिक लैब की विशेषज्ञता उपलब्ध करके छापे और तलाशी के ऑपरेशन के मामलों में उत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं तलाशी के दौरान न केवल उनकी साक्ष्य कीमत बरकरार रही साइबर फोरेंसिक लैब में छिपे हुए पासवर्ड मिटाई गई फाइलों उन्नत सॉफ्टवेयर औजारों से प्राप्त की गई अगर किनी खास कुंजी को दबाकर कंप्यूटर अथवा प्रणाली को बंद या प्रारंभ न किया गया हो

ग फोकस जांच के लिए सीआईटी 4.5.3 आयकर विभाग की जांच शाखा ने ऑडिट टूल का एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जरिए बही खातों की जांच के लिए कर निर्धारण में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बनाया है कंप्यूटर साधित जांच टूल बाजार में उपलब्ध बहीखाते रखने के विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे टैली की आरती और सेट का विश्लेषण कर सकता है और ऑडिट और जांच में कई दृष्टियों से आयकर विभाग के अधिकारियों की मदद कर सकता है विभाग और विक्रेता मैसेज ऑडी टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन एवं सेवा स्तरीय समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं इसे देश के 25 स्थानों पर कार्यान्वित किया गया है 2011-12 वित्त वर्ष के प्रथम चरण में ऐसा हुआ है और इस तरह अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग आई के मामलों में और कर वंचना के मामलों में पहचान करने में इस सॉफ्टवेयर से विभाग को सहायता मिली है घ माल एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन

4.5.4: केंद्र एवं राज्य सरकारों करदाताओं और अन्य पदाधिकारियों को जीएसटी के कार्यान्वयन में साझा आईटी आधार मूल संरचना सेवाओं की सुविधा देने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन जी एस टी एन एस पी मंत्रिमंडल की मंजूरी से स्थापित किया गया है जीएसटी स्टेज से पहले सेवा में करदाता उपयोग सामान्य विवरण प्रस्तुत करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कॉमन टेक्स भुगतान गेटवे पंजीकरण वटी एडिड सेंट्रल सेल टैक्स एवं सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स बीएस-3 का कमल सामान्य पोर्टल बनाने और प्रणाली विकसित करने में यह सेवाएं मांगने पर मिलती थी द जीएसटीएन एचपीवी 315 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की एक बार की अनावर्ती अनुदान से वित्तपोषित होगा और इसका 3 वर्ष के लिए कार्य में खर्च केंद्र सरकार देगी

4.5 देश में कालेधन को उत्पन्न करने इसको विदेशों में कानूनी रूप से बाहर भेजने और इसकी वसूली के लिए 27 मई 2011 को सीबीडीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जो इस संबंधित कानूनों को मजबूत करेगी मार्च 2012 में वित्त मंत्रालय को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है इसकी मुख्य सिफारिशों को परिशिष्ट 3 में संक्षेप में दिया गया है।

## 4.6 प्रभावी कार्यवाही के लिए कार्मिकों को कौशल प्रशिक्षण देना

पंचस्तरीय रणनीति के पांचवे पहलू के रूप में काले धन की समस्या से निपटने के लिए कार्मिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है जिसकी मुख्य बातों को नीचे 4:00 दिया गया है

4.6.1 आयकर विभाग की मानव स्रोत की क्षमता के संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने के लिए सरकार ने पांचवी स्तरीय रणनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में काले धन की समस्या से निपटने के लिए तैयार की है। इस उद्देश्य के साथ अधिकारियों और स्टाफ के कौशल विकास के लिए प्रयास किए गए हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव और वैश्विक उत्तम पद्धतियों से अवगत कराया गया है और इस विषयक विभिन्न ट्रेनिंग मॉड्यूल से परिचित कराया गया है

4.6.2 आयकर विभाग ने हाल में स्वैच्छिक रूप से एक प्रवर्तन एजेंसी होने के अलावा अनुपालन और उसके सुविधादाता बनने की इच्छा व्यक्त की है और गुणवत्ता वाले करदाताओं की सेवा के लिए आवश्यक कौशल अनुपालन व्यवहार में वृद्धि के लिए तदनुसार प्रयास किए हैं।

4.6.3 प्रशिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और व्यवस्थित करने के लिए विश्लेषण और अनुकूल कौशल की आवश्यकता है इसके लिए विभाग भी एक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)की स्थापना कर रहा है। अन्य बातों के साथ साथ यह उन अधिकारियों की पहचान करेगा जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और साथ ही सभी कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरी करेगा। एचआरएमएस प्रत्येक जानकारी युक्त एक डेटाबेस को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत का विश्लेषण करेगा विभाग में विभिन्न पदों के अधिकारी और नौकरी प्रोफाइल के बारे में कैरियर बेहतरी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण नौकरी जोखिम कौशल उन्नयन और सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा। तत्पश्चात अधिकारियों को नौकरी की आवश्यकता और उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। प्रशिक्षण कार्य सुधार और स्थितियों को संभालने के दोनों ही के लिए विशेष कौशल प्रदान किया जाएगा। एचआरएमएस ऐसे प्रशिक्षित कर्मियों के योग्यता मैपिंग जिनमें संवेदनशील कार्य शामिल है, जैसे काले धन का पता लगाना ताकि सबसे उपयुक्त व्यक्ति की विभिन्न कार्यों के लिए तैनाती हो, विभाग अपने आपको तैयार कर रहा है।

4.6.4 क्षमता निर्माण और मानव शक्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। काले धन से निपटने वाली अन्य एजेंसियों में उदाहरण के लिए यूआईएन नियमित रूप से सक्रिय प्रयास करता है और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रशिक्षण देने के अवसर प्रदान करके अपने कर्मचारियों के कौशल को अपग्रेड करना, आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित आर्थिक मुद्दों, एफ आई यू आई एन ए अधिकारी, नियमित रूप से घरेलू और साथ ही साथ प्रतिभूति बाजार की जांच सहित प्रासंगिक विषय पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कमोडिटी मार्केट जहाज कारपोरेट धोखाधड़ी धर्मार्थ और गैर लाभकारी संगठन का दुरुपयोग साइबर अपराध इंटेलिजेंस बिजनेस क्राफ्ट काउंटर आतंकवाद सामरिक विश्लेषण बीमा धोखाधड़ी द्वितीय सत्र पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं विकास निदेशालय ने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। चाहे व प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधी भर्ती के माध्यम से हो एजेंसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी निदेशालय अधिकारी भाग लेते हैं।

## 4.7 प्राप्त परिणाम

4.7.1 सरकार द्वारा अपनाई गई 5 स्तरीय रणनीति पहले से ही अच्छा परिणाम दे रही है।

4.7 .2 पिछले 2 वर्षों या उससे भी अधिक अवधि में भारत में 62 डी टी ए / टी आई ई ए ( 29 मौजूदा डी टी ए 16 नए डी टी ए और 17 टी आई ई ए ) समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं परिणाम स्वरूप आज भारत में एक बड़ा डीटीए (82) और टी आई ई ए (6 )संधि नेटवर्क है यह अनुलग्नक तालिका 7 में सूचीबद्ध है ।

## डी टी ए ए और टी आईई ए एस के तहत विदेश से प्राप्त जानकारी

4 .7.3 भारतीय सक्षम प्राधिकारी के डी टी ए टी आई ए एस के माध्यम से अन्य देशों के सक्षम अधिकारियों से कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है 18 मार्च 2009 को भारत लिचटेंसटिन में एनजीटी बैंक के खाते वाले भारतीय करदाताओं के बारे में जर्मन सरकार से जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा सूचना का अधिकार और धन कर अधिनियम के अंतर्गत तुरंत उचित कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को भेजा गया था आयकर के मुख्य आयुक्त से इस संबंध में अन्य सूचना से पता चलता है कि एलजीटी बैंक में कुछ प्रश्नों संस्थाओं के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर लिख के लिचटेंसटिन और उसमें लाभार्थियों निर्धारण कार्यवाही फिर से खोल दी गई है और इन मामलों पर फोकस करने को कहा गया। चेन्नई दिल्ली मुंबई और कोलकाता में विभिन्न केंद्रीय प्रभागों में यह मामले खोले गए। इसके परिणाम स्वरूप प्रावधानों के अनुसार कुल 18 व्यक्तिगत मामलों में उन संस्थाओं के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया गया है अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारण के लिए है इन मामलों में कुल निर्धारित आय 39.66 करोड़पति और कुल मिलाकर 24 .26 करोड़ रुपए की मांग की गई थी इन सभी मामलों में आयकर छुपाने के लिए जुर्माना कार्यवाही अलग अलग है और 9 मामलों में 94 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया गया 18 करदाताओं में से एक का निधन हो गया है जबकि सभी 17 करदाताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है।

4.7 .4 जर्मनी से प्राप्त जानकारी, डीटीए के गोपनीय प्रावधानों के अधीन है और उसमें निर्दिष्ट करो। उद्देश्यों के लिए केवल इसका उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार जानकारी की सामग्री काले धन की है जो जर्मन कर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। इस में संलिप्त लोगों के अलावा ओईसीडी और यू एन मॉडल पर कर सम्मेलनों दोनों में निहित प्रावधानों के अनुरूप है आय और संपत्ति कर की कार्यवाही गोपनीय प्रावधान के अनुरूप है इसके बावजूद करदाताओं के नाम जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है पहले ही डीटीए के अनुसार सार्वजनिक हो गए हैं। जब यह सरकार के ध्यान में आया कि भारतीयों के बारे में जानकारी अन्य देशों में बैंक खाते फ्रेंच टैक्स अथॉरिटी के पास उपलब्ध है तब उनके साथ यह मामला उठाया गया। बाद में भारतीय वित्त मंत्री ने तत्कालीन फ्रांस के साथ मामला उठाया और उच्चतम स्तर पर चर्चा के कारण ही भारत के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी भारत फ्रांस डीजीएसई के प्रावधान के अनुच्छेद 28 के तहत भारत को यह जानकारी प्राप्त हुई सूचना का स्रोत सामग्री नहीं है एक बार सूचना डी पी ए सी के तहत शाखा की जाती है तो यह डीटीसी की गोपनीयता द्वारा संरक्षित है इसे सोने से पहले फ्रांस सूचना के गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में भारत से एक लिखित वचन पत्र भी लिया है ।

4.7 .6 219 मामलों में फ्रांस से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग को 565 करोड़ की अघोषित आय का पता चल चुका है और 181 करोड़ की कर की रकम पहले ही वसूली गई है। इन दो विशिष्ट उदाहरणों के अतिरिक्त विदेशी कर अधिकारियों के साथ ईआई तंत्र की आवश्यकता है निम्न कारणों से इन में काफी विस्तार किया गया है

सभी की आयकर अधिनियम की धारा 153 और 153 बी के तहत मूल्यांकन पूरा करने की समयसीमा वित्त वर्ष 2012 तक 1 वर्ष तक और बढ़ा दी गई है।

हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विकास ने बढ़ती हुई जानकारी के आदान प्रदान की गति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुनियाभर में देश केवल कर चोरी का पता लगाने के लिए ही नहीं बल्कि धनशोधन को रोकने के लिए और आतंकवाद वित्तपोषण पर नजर रखने हेतु पारदर्शिता को महत्व दे रहे हैं।

3:00 भारत में युवा सेल के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है पूरे सिस्टम और काम के प्रभाव को स्वचालित कर दिया गया है और पूछताछ के उत्तर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है इंटरनेट के माध्यम से संचार के सूचना के आदान प्रदान में समय की काफी बचत हो गई है।

4.7 .8 इस प्रकार विदेशी देशों से बड़ी संख्या में सूचनाएं मिली है जो कि आगे की जांच के लिए फील्ड अधिकारियों को भेजी गई पिछले कुछ सालों से कई देशों ने में भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त पर संपत्ति और भुगतानों के विवरण के बारे में 12500 से अधिक सूचनाएं जानकारी प्राप्त की गई है और अब प्रसंस्करण और जांच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में है तालिका 4 .1 में वर्षवार विवरण दिया गया है

तालिका 4.1 विदेश से भारतीय करदाताओं के बारे में टैक्स संबंधी सूचना ।

वित्तीय वर्ष	प्राप्त जानकारी की संख्या
2008-10 ( जनवरी 2011 में प्रसारित)	7704
जनवरी से जून 2011	480
जुलाई से दिसम्बर 2011	1006
जनवरी से मई 2012	3339

4.7 .9 इसके अलावा भी देशों को टैक्स अधिकारियों क्षेत्रीय /अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रशासनिक सहायता के लिए अनुरोध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसे तालिका 4 . 2 में दिखाया गया है।

तालिका 4 .2 क्षेत्र अधिकारी से विदेश कर अधिकारियों के लिए अनुरोध।

वित्तीय वर्ष	क्षेत्रीय अनुरोधों की संख्या
--------------	------------------------------

2008-09	39
2009-10	46
2010-11	92
2011-12	386

4.7.10 भारत में स्वचालित यू आई के तहत विदेशी कर अधिकारियों को सूचना भेजना शुरू कर दिया है गत वर्ष 58000 से भी अधिक सूचनाएं पिछले वर्ष 8 देशों को भेजी गई थी ।

4.7.11 बॉक्स 4.1 से 4.3 में पिछले वर्ष में जानकारी के आदान प्रदान की वृद्धि के फलस्वरूप काले धन का पता चला है

#### बॉक्स 4.1 उपहार से संबंधित कनाडा से जानकारी

करदाता के नए करदाताओं बी सी और डी से उपहार प्राप्त किया जो कनाडा के निवासी हैं कार्रवाई के दौरान उपहार के स्रोत को बताने को करदाता से कहा गया वह आय के स्रोतों के प्रमाण के रूप में कनाडा में कनाडियन कर अधिकारियों का बी सी और डी द्वारा गायक आए कर की रिटर्न की प्रति प्रस्तुत कर सका। भारतीय कर अधिकारियों ने कनाडाई सक्षम प्राधिकारी से निम्नलिखित जानकारी मांगी।

क्या बी सी और डी अनुलग्नक में वर्णित उपहार देने के लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं।

या लेनदेन वास्तविक है बी सी और डी कान आयकर या कनाडा में लागू किसी भी अन्य टैक्स के लिए निर्धारण किया जाता है।

बॉक्स	4.2	छापे	के	दौरान	पाया	गया	साक्ष्य
विदेश	से	प्राप्त	सूचना	के	अनुसार		परिपूरित

भारतीय कंपनी जी लिमिटेड पर छापे और जब्ती की कार्यवाही की गई थी ।छापे के दौरान जो साक्ष्य मिला उससे यह संकेत मिला कि कर वंचना में अंतर्राष्ट्रीय इकाई का प्रयोग हुआ है। जी लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसके अमुक प्रबंध निदेशक थे और मुख्य कर्ता-धर्ता थे जी लिमिटेड फार्मास्यूटिकल व्यापार में लगी थी जिसका यूक्रेन, साइप्रस , रूस और यूनाइटेड किंगडम को निर्यात होता था इसने साइप्रस और यूनाइटेड किंगडम कंपनी को यूक्रेन कंपनी के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान का दावा किया था वह रकम श्री अमुक के व्यक्तिगत खाते में जमा हुई जिन्होंने विदेशों में धन संग्रह किया था।

इस छापे और जब्ती की कार्यवाही में विपणन और व्यापारिक संवर्धन के खर्च ,असामान्य रूप से कुल कारोबार के 50% से भी अधिक थे । साइप्रस और यूक्रेन में स्थित कंपनियां पहले इन्हीं अमुक की थी । इन कंपनियों की मोहर और स्टाम्प जी लिमिटेड के परिसर में पाई गई थी जी लिमिटेड के कुछ कर्मचारी उक्रेन और साइप्रस कंपनियों के निकट संपर्क में थे, । निम्न के लिए यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, साइप्रस और यूक्रेन म जांच की गई थी :

इन	कंपनियों	की	स्वामित्व	का	ढांचा
इन	कंपनियों	के	अंतिम	लाभार्थी	स्वामी
निगमित	होने	के	दस्तावेजों	की	प्रतिलिपियां

इन	संस्थानों	के	व्यापार	की	प्रकृति
अमुक	के बैंक खाते	में निधियों	का स्रोत	एवं बैंक	विवरण का ब्यौरा
अमुक और उनके परिवार द्वारा विदेश में संपत्ति खरीदने की निधि का स्रोत					

यूक्रेन कंपनियों के बारे में जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता लगा । स्थानीय कर डेटाबेस के अनुसार एक कंपनी पंजीकृत नहीं थी । कंपनी के विधिक प्रतिनिधि के बयान के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई संपर्क नहीं था एवं जी लिमिटेड ने यह दावा किया की यूक्रेन कंपनियों ने साइप्रस और यूनाइटेड किंगडम के नाम में भी बीजक बनाए थे जिन्होंने बदले में जी लिमिटेड के नाम से बीजक बना दिए । जांच से यह स्पष्ट हुआ की यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम साइप्रस कंपनियों में कोई रिश्ता नहीं था । यूनाइटेड किंगडम में जांच से यह पता लगा कि अमुक और उनकी पत्नी यू के की कंपनियों में डायरेक्टर थे संस्थानों द्वारा कार्यालय परिसर एवं पारिश्रमिक और वेतन के लिए कोई खर्च नहीं किए गए थे । इन कंपनियों की बैलेंस शीट में कोई संपत्ति नहीं थी और पंजीकृत कार्यालय पते को अकाउंटेंट के निवास के पते पर दर्शाया गया था। इसलिए इन कंपनियों के बारे में इस निष्कर्ष को समर्थन मिला कि यह केवल पेपर पर थी। जांच से यह भी पता चला कि श्री अमुक और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में धन का प्रवाह साइप्रस कंपनियों के खाते से था उनके नाम में यह खर्च दावे किए गए थे यू के की जांच में अमुक और उनकी पत्नी की संपत्तियों के बारे में यह पता चला कि भारी निवेश किया है कर दाता का ब्योरेवार बयान रिकॉर्ड किया गया था और वह लेन-देन को ठीक प्रकार से बताने में असफल रहा, इसलिए धारा 132 के अधीन जो दस्तावेज बरामद हुए और ईओआई की जांच के आधार पर करदाता के झूठे दावे जो 150 करोड़ के करीब थे, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया ।

#### बॉक्स 4.3 जापान से तत्काल सूचना विनिमय

जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी ने एक सूचना दी थी कि हांगकांग द्वारा संचालित जापानी इकाई के भारतीय करदाता के बैंक खाते में 48 37 714 अमेरिकी डॉलर जमा हुए हैं ।यह सूचना ईओआई सेल को सूचना के तत्काल विनिमय के अंतर्गत प्राप्त हुई थी , जो आयकर अधिकारियों को प्रेषित की गई थी । प्राप्त सूचना के आधार पर आयकर अधिकारियों ने भारतीय करदाता के व्यापारिक परिसर में धारा 133 ए के अधीन सर्वेक्षण किया , सर्वेक्षण के दौरान 1, 12, 64 , 984 रुपए की नगदी पाई गई, जिसके बारे में करदाता स्रोत नहीं बता सका । जब इस बारे में सवाल किए गए तब कर्दाता ने यह स्वीकार किया कि यह नकदी हिसाब में नहीं ली गई, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 132 के अनुसार छापे और जब्ता की कार्रवाई में सर्वेक्षण कार्रवाई को बदला गया और अस्वच्छ दस्तावेजों के साथ 1.13 करोड़ रुपए को बरामद किया गया ।

छापे के दौरान नेशनल टैक्स एजेंसी जापान से प्राप्त सूचना के बारे में सवाल किए गए तो करदाता कंपनी के प्रबंध निदेशक ने यह स्वीकार किया के हांगकांग में करदाता कंपनी एवं निदेशकों के नाम में दो खाते चल रहे हैं उसने यह भी स्वीकार किया के लौह अयस्क के निर्यात के मूल एवं संशोधित करार ठेके की बिक्री की कीमत में अंतर की रकम को हांगकांग के बैंक खाते में जमा कर दिया गया था उसने 21 . 61 करोड़ रु की अघोषित आय विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव प्राप्ति को, भी स्वीकारा ।

## ग जांच शाखा द्वारा कार्रवाई

4.7.12 आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत खोज और जब्ती कार्रवाई में सीबीडीटी की जांच शाखा

ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में 19,938 करोड़ रुपये की गुप्त आय का पता लगाया है। डीटीए के प्रावधानों के अंतर्गत चालू वर्ष में कई मामलों में विदेशी इकाइयों से प्राप्त सूचना के आधार केंद्रित खोज की गई है

पिछले कुछ वर्षों के लिए खोज और जब्ती के आंकड़े तालिका 4.3 में दिए गए हैं।

#### तालिका 4.3 खोज और जब्ती सांख्यिकी 2006-2012

जब्त की गई संपत्ति का मूल्य करोड़ रु में						
वित्त वर्ष	वारंटों पर अमल नकद	जेवरात	स्वीकारी गई अघोषित आय करोड़ रु में			
			अन्य	योग		
2006-07	3,534	187.48	99.19	77.96	364.64	3612.89
2007-08	3,281	206.35	128.07	93.39	427.82	4,160.58
2008-09	3,379	339.85	122.18	88.19	550.23	4,613.06
2009-10	3,454	300.97	132.2	530.33	963.5	8,101.35
2010-11	4,852	440.28	184.15	150.55	774.98	10,649.16
2011-12	5,260	499.91	271.4	134.3	905.61	9,289.43

4.7.13 विशेष रूप से सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और असंगठित क्षेत्र व्यवसाय नियमों के अनुसार किया जाता है। करों का भुगतान समय से किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 133 ए के अंतर्गत सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है समय पर भुगतान। अप्रैल 2009 से, आयकर विभाग ने सर्वेक्षण में 11,800 करोड़ की आय के तहत कम आय की रिपोर्टिंग का पता लगाया है, और उस पर देय करों को वसूल किया।

#### तालिका 4.4 में पिछले कुछ वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों की संख्या और अंडर-रिपोर्ट- आय का संकेत मिलता है।

वर्ष	किए गए सर्वेक्षण	पकड़ी गई अघोषित आय ( करोड़ रु)
2006-07	6,207	2,612.77
2007-08	6,071	3,581.77
2008-09	5,777	3,059.89
2009-10	4,680	4,857.10
2010-11	3,911	5,894.44
2011-12	3,706	6,572.75

घ आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन

4.7.14 आयकर विभाग अध्याय XXII के तहत कर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाता है आयकर अधिनियम 1961. अभियोजन टैक्स चोरी के लिए, (धारा 276 सी), टैक्स विवरणी न-दाखिल करने (खंड 276 सीसी), स्रोतों पर कटौती / एकत्र किए

गए करों को जमा करने में विफलता (खंड 276 बी और 276 बीबी), गलत सत्यापन (खंड 277), झूठी रिटर्न का दोष (खंड 278), निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन (अनुभाग 275 ए और 275 बी) आदिके कारण अभियोजन प्रारम्भ किए जाते हैं। कम से कम 3 महीने से अधिकतम 7 साल के कारावास की सज़ा के साथ अर्थ दंड का प्रावधान है।

काले धन पर श्वेत पत्र

4.7.15 हालांकि बहुत ही कम इस्तेमाल किया, विभाग ने इन प्रावधानों का उपयोग टैक्स अनुपालन बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक किया है, पिछले छह साल में लगभग 48 प्रतिशत की प्रतिबद्धता या राजकोषीय समझौते की सफल दर के साथ भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में उत्तम में से एक रहा है। तालिका 4.5 दर्ज की गई शिकायतें, निर्णीत मामले, समझौते हुए मामले दंडित मामले एवम सफलता दर का संकेत करता है।

तालिका 4.5 दर्ज की गई शिकायतें, निर्णीत मामले, समझौते हुए मामले दंडित मामले एवम सफलता दर 2006-2012 अभियोजन आंकड़े

वर्ष	दर्ज की गई शिकायत	निर्णीत मामले	अपराधों पर समझौते	दंडित मामले	सफल मामले	सफल दर
2005-06	326	125	84	1	85	68.0
2006-07	73	100	57	2	59	59.0
2007-08	263	280	13	11	24	8.6
2008-09	162	146	13	14	27	18.5
2009-10	312	599	291	32	323	53.9
2010-11	244	356	83	51	134	37.6
2010-11	105	471	342	12	354	75.2
2011-12	1,485	2,077	883	123	1,006	48.4

ड. : अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवम ट्रांसफर प्राइसिंग

4.7.16 ट्रांसफर प्राइसिंग के निदेशालय ने पिछले दो वित्तीय वर्ष में मामलों में ₹67,768 करोड़ रु के गलत प्राइसिंग का पता लगाया है (तालिका 4.7) (चालू वित्त वर्ष में ₹44,531 करोड़) इससे मुनाफे के बराबर राशि का देश से बाहर हस्तांतरण प्रभावी ढंग से बंद कर दिया गया है।

4.7.17 अंतर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय ने सीमा पार से पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में लेनदेन के रूप में ₹48,951 करोड़ के कर एकत्र किए हैं यह तालिका 4.6 से देखा जा सकता है।

( करोड रु में)

वित्त वर्ष	लेनदेन
2002-03	1,356
2003-04	1,729
2004-05	4,418
2005-06	8,049
2006-07	9,147
2007-08	11,790
2008-09	15,740
2009-10	21,509
2010-11	27,442

तालिका 4.7 ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन 2004-12

वित्त वर्ष	पूरे किए टीपी आडिट की संख्या	समायोजित मामलों की संख्या	समायोजित मामलों का प्रतिशत	समायोजन की राशि ( करोडरु)
2004-05	1,061	239	23	1,220
2005-06	1,501	337	22	2,287
2006-07	1,768	471	27	3,432
2007-08	219	84	39	1,614
2008-09	1,726	670	39	6,140
2009-10	1,830	813	44	10,908
2010-11	2,301	1,138	49	23,237
2011-12	2,638	1,343	52	44,531

### च: एफ आई यू द्वारा प्रेषित सूचना

4.7.18 एफआईयू आई एन डी जो 2005 में सक्रिय हो गया, सारवान वित्तीय सूचना संबंधी कर वंचना और मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी सीबीडीटी कोमा CBSE कोमा 4 कोमा डीजीसीईआई एवं ईडी को मुहैया करता रहा है यह जानकारियां आरबीआई, सेबी, इरडा को जांच में सहायता के लिए साझा की जाती रही है जिससे वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में खास निगरानी और नियामक नीतियों के निर्माण में यह सहायक हो सके F I U I N D द्वारा जो एसटीआर प्रेषित की गई है उनकी संख्या वर्षवार तालिका 4.8 में दी गई है।

एजेंसी	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
ई डी	35	88	90	221	317	1,616	2,346
सी बीडीटी	254	677	1,766	5,360	7,475	10,956	26,488

सीबीईसी/डीआरआई/ एवम डीजी सी ईआई	10	14	26	96	121	1,130	1,397
आर बी आई	1	2	5	19	8	51	86
सेबी	27	35	30	76	59	117	344
आई आर डी ए	0	1	6	7	5	2	21

4.7.19 find राजस्व अधिकारियों से जो सूचना के अनुरोध प्राप्त होते हैं उनका नियमित रूप से जवाब देता रहा है जिनमें सीबीडीटी, कॉमेडी और CID जैसी एजेंसियों की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सूचना से संबंधित मामले बहुत ज्यादा मामलों में आई यू आई एन डी के डेटाबेस को खंगालकर इन एजेंसियों को सूचना दी गई है यह रिपोर्टिंग इकाइयों से सूचना प्राप्त करके भेजी गई है uind से सूचना कानून प्रवर्तन और आसूचना एजेंसियों को जो अनुरोध प्राप्त हुए हैं उनके वर्ष बाद तालिका 4.9 दिया गया है ।

**तालिका 4.9 , आसूचना एवम विधि पृवर्तन अजेंसियों को भेजी सूचनओं का वर्ष वार विवरण**

उप वर्ग	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
आसूचना एजेंसियों से प्राप्त अनुरोध	40	67	190	226	428	473	1,444
विधि पृवर्तन एजेंसियों से मिले अनुरोध	0	13	42	118	186	117	476
	40	100	232	344	614	590	1,920

4.7.20 कई मामलों में एफ आईयू आई एन डी को सूचना विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों से प्राप्त हुई है कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आसूचना एजेंसी की ओर से विदेशी A5 को जो अनुरोध भेजे गए उनका वर्ष बाद विवरण तालिका 4.10 में दिया गया है ।

विनिमय प्रकार	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
विदेशी एफ आई यू को भेजे सूचना अनुरोध	2	13	17	46	67	46	191

छ पीएमएलए के अंतर्गत मामले  
 4.7 .21 पीएमएलए 1 जुलाई 2005 को प्रवृत्त हुआ। प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के अंतर्गत अब तक 1437 मामले की जांच के लिए पंजीकृत कर चुका है जांच के दौरान 22 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और 1214 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति के संबंध में 131 अनंतिम कुर्की के आदेश जारी किए गए।

4 .7.22 विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के, जो 1 जून 2000 को प्रवृत्त हुआ है, एक जून, 2000 से 31 मार्च 2012 तक की सांख्यिकी	निम्नानुसार	है
क पंजीकृत मामलों की संख्या	23,118	
ख कारण बताओ नोटिस जारी किए गए	4819	
ग न्याय निर्णित मामलों की संख्या	3259	
घ लगाया गया जुर्माना वसूला गया	71678 करोड़ रुपए	

## 5 आगे की राह

### 5.1 परिचय

5.1.1 भारत में काले धन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारकों के विश्लेषण करने पर यह साफ है कि विभिन्न तरीकों से अब तक इसके रोकथाम की कोशिश की गई है, लेकिन कोई ऐसी रामबाण दवा नहीं है कि समाज को इस बिमारी से निजात दिला सके। यदि इस काम में केंद्र और राज्य सरकारें अपनी सारी एजेंसियों को समन्वित रूप में धैर्य एवं संयम-सूझबूझ के साथ सोची-समझी रणनीतियों को व्यापक मेलजोल से समन्वित करके क्रियान्वित करेंगी तो काले धन के जनन एवं उसके प्रत्यावर्तन (लौटाने) सहित उसकी रोक, नियंत्रण एवं अंतिम रूप से उन्मूलन असंभव नहीं है।

5.1.2 भारत में शासनतंत्र प्रजातांत्रिक होने से यह जरूरी है कि दीर्घावधि रणनीति कामयाब तभी होगी जब जनता उसे स्वीकारे, जिसमें व्यापक राजनीतिक जनाधार सहमति एवं उसे कार्यान्वित करने का संकल्प भी हो। इस दस्तावेज में दी गई रणनीति, सरकार का सुविचारित मंतव्य नहीं है। इस दस्तावेज के जरिए भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए एक सुविचारित रणनीति को अंतिम रूप देने हेतु जनता के समक्ष सभी विकल्प रखे जा रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सभी पणधारी जिन्हें भ्रष्टाचार के नियंत्रण और उन्मूलन से लाभ पहुँचने की अपेक्षा है वे इस महत्वपूर्ण पहल का सहयोग करेंगे एवं इसके खात्मे के लिए अपनी सूचनाएँ/इनपुट उपलब्ध कराएंगे।

### 5.2 कानूनी और वैध गतिविधियों से काला धन बनाने (पैदा करने) पर नियंत्रण के लिए रणनीतियां।

5.2.1 यह कहना उचित होगा कि काले धन के उत्पादन में ऐसी गतिविधियां शामिल नहीं हैं जो खुद में आपराधिक हैं, करों से बचकर काले धन पैदा करने वाले व्यवसायी के लिए, करों से बचने के लिए प्रोत्साहनों को कम करने और विश्वसनीय ठोस और हतोत्साहनों को प्रभावी बनाने की रणनीतियों की आवश्यकता है। संक्षेप में, ऐसे मामलों में रणनीतियां एक तर्कसंगत रूप में काले धन पैदा करने वाले व्यक्ति को सुधारती हैं जो तार्किक आर्थिक एजेंट बने जो उपयुक्त प्रोत्साहनों व हतोत्साहनों और विधि निर्वहन के द्वारा कानून का पालन करे। इस तरह का रणनीतिक मिश्रण में निम्नलिखित चार अलग-अलग स्तंभों में होगा:-

- क. स्वैच्छिक अनुपालन के खिलाफ हतोत्साहन को कम करना
- ख. अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों में सुधार

## क. स्वैच्छिक अनुपालन के खिलाफ छूट को कम करना

5.2.2 किसी व्यक्ति को उसकी आय या संपत्ति की सही रिपोर्टिंग से विमुख कर देने वाले कई कारक हो सकते हैं मुख्य रूप से वे पालन करने में लगी लागत हैं जो व्यक्ति कानून और इसके रिपोर्टिंग नियमों का पालन करने में लगी लागत मूल्य होते हैं। इन लागतों में दो प्रमुख घटक होते हैं, एक वह जो कि अनुपालन के रूप में कर का भुगतान, दूसरे वह नियामक दायित्वों का पालन करने के लिए करों के अलावा खर्च करने की जरूरत है। वे दोनों महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कम करने से प्रकटीकरण में सुधार हो सकता है और काले धन का उत्पन्न होना कम हो सकता है।

### क1. कर दरों का तर्कसंगत मूल्यांकन

5.2.3 कर अनुपालन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक कर की दर है। लाफ़र वक्र 1 रेखा की यह धारणा है कि जब उत्पादक अधिशेष पर कर की दरें 100 प्रतिशत तक पहुंच जाती हैं तो कर राजस्व भी शून्य हो सकता है, क्योंकि आर्थिक एजेंटों को उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। कर की दर अधिक होगी तो कर अनुपालन के खिलाफ यह हतोत्साहन है और काला धन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। इस प्रकार कर दरों में कमी, विशेष रूप से प्रगतिशील करों की अधिकतम सीमांत दरों, राजस्व में दो तरीकों से वृद्धि कर सकती है। पहला कर आधार बढ़ाकर और दूसरे कर के नियमों के अनुपालन को बढ़ाकर। इससे काला धन उत्पन्न होना कम होगा।

1. लाफ़र वक्र, कराधान द्वारा उठाए गए सरकारी राजस्व और कराधान की सभी संभव दरों के बीच संबंध है।

5.2.4 पिछले दो दशकों में, भारत ने धीरे-धीरे सभी केकेंद्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रमुख करों को कम करने के दृष्टिकोण का पालन किया है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप बढ़ता कर राजस्व अधिक स्वैच्छिक अनुपालन और नीति उपायों की स्पष्ट सफलता को प्रतिबिंबित करता है।

5.2.5 टैक्स की दरों के युक्तिकरण काले धन पैदा करने को रोकने के लिए मौलिक और कोर रणनीतियों में से एक है। इस सरल दृष्टिकोण की दीर्घकालिक सफलता अन्य रणनीतिक पर निर्भर है। जो कि विश्वसनीय प्रतिरक्षा के निर्माण और टैक्स के बारे में कर वंचना की सार्वजनिक धारणा में आवश्यक परिवर्तन उनमें शामिल हैं। यदि कर प्रशासन अपेक्षाकृत कमजोर है, तो कर दर में कोई परिवर्तन भा अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सकता।

### क2. अनुपालन और प्रशासन के लेनदेन लागत को कम करना

5.2.6 कानून और विनियम के अनुपालन से जुड़े उच्च लेनदेन लागत दूसरे वे बड़े कारक हैं जो अनुपालन बाधित करते हैं और लोगों को काले धन पैदा करने की तरफ धकेलते हैं। यह इसमें करदाता और कर प्रशासन के लिए समय और संसाधनों की अवसर लागत शामिल है। एक तरह से येलागत, कर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि करों के विपरीत, जो कि निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तांतरण की प्रकृति में हैं, ये लागत समाज के लिए वास्तविक लागत है।

5.2.7 लेनदेन लागत में अनुपालन की लागत होती है, जो कि नागरिकों या करदाताओं द्वारा वहन किया जाता है और प्रशासन की लागत, जिसे राज्य द्वारा खर्च किया जाता है, लेकिन अंततः नागरिकों द्वारा करों के रूप में वहन किया जाता है जो ऐसे व्यय का वित्तपोषण करते हैं। दोनों में, अनुपालन की लागत आम तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होती है। चूंकि ये बड़ी संख्या में आर्थिक एजेंट हैं। यह बात है कि बजटीय प्रक्रिया और कर प्रशासन की लागत को नियंत्रित करने में प्रशासनिक और नियामक ओवरसाइट्स अत्यधिक प्रभावी हैं, लेकिन अनुपालन की लागतों के मामले में हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस तथ्य को देखते हुए कि अनुपालन की लागत अनुपालन और रिपोर्टिंग की लागत के खिलाफ एक बड़ा हतोत्साहन काला धन उत्पन्न करने के खिलाफ किसी रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में एक होता है जिसे कम किया जा सकता है। कर प्रशासन के क्षेत्र में, भारत में कर संग्रह की लागत परंपरागत रूप से दुनिया में सबसे कम है, कई वर्षों से यह 1 प्रतिशत से कम है अब ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी लागतें 1 से 2 प्रतिशत घूमती रहती हैं। यह कि सकारात्मक भारतीय कर प्रशासन में संग्रह की कम लागत की दोनों ही अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो यह कि सकारात्मक उपलब्धि (खजाने पर कम बोझ पड़ने के कारण) के साथ-साथ दूसरे नकारात्मक इस कारण कि कर प्रशासन के लिए उपलब्धि बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी, जो बदले में करदाता के लिए अनुपालन करने में बढ़ी हुई लागत को और बढ़ा देती है, भारत में कुछ हद तक प्रशासन की लागत बढ़ाकर अनुपालन की लागत में कटौती करना भी संभव है, जो कि

नागरिक वहन करते हैं। सीधे शब्दों में कहें, में निवेशटैक्स और अन्य नियामक उपायों के अनुपालन के प्रशासनिक सुगम सुधार में सुधार हो सकता है

5.2.8 लेनदेन लागत में कटौती के लिए प्रमुख अवसरों में से समाज के लिए सकारात्मक लाभसूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रगति हाल ही में अपनाया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही में प्रशासन ने ई-गवर्नेंस के विभिन्न उपायों द्वारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, धन-वापसी का ई-फाइलिंग, रिटर्न की कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय संसाधन, और इलेक्ट्रॉनिक मुद्दे और रिफंड का स्थानांतरण सेपैन के सफल आवंटन इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के उपयोग के कारण यह संभव हो गया है। भविष्य की रणनीतियों में इलेक्ट्रॉनिक एवं नेट आधारित सेवाओं का और विकास करके प्रयास करना है ताकि कर प्रशासन के संसाधनों में सुधार का लाभ करदाता के लिए अनुपालन की लागत को कम **के आगे का आर्थिक उदारीकरण**

5.2.9 आर्थिक गतिविधि में गैर-टैरिफ बाधाएं टैरिफसे बाधाओं तुलना में आम तौर से जहां वैध गतिविधि के लिए एक परमिट नहीं प्राप्त होता, लेन-देन की लागत कीमत अनन्तता हो, और वे गतिविधियां असूचित एवं बेहिसाब किताब के हों उन पर आर्थिक काफी छूट हो तो काला धन पैदा होगा। पिछले दो दशकों के दौरान आर्थिक उदारीकरण के सतत दौर ने इस तरह के गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है, लगातार जारी रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रदान करने के लिए है, जिससे सभी व्यक्तियों को सेवा सुपुर्दगी की पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, पहुंच और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी, को दिसंबर 2011 में संसद के समक्ष पेश किया गया है। अधिनियमित होने के बाद, यह इस दिशा में अच्छी सेवा प्रमुख रूप से प्रदान करेगा। साथ में, ये उपाय लेनदेन लागत को काफी कम करेंगे। ये उपाय विनियामक व्यवस्था के अनुपालन में आई लागत और स्वैच्छिक अनुपालन में हुए हतोत्साहन को कम करेंगे, जिससे वैध आर्थिक गतिविधियों से काले धन की पैदाइश प्रतिबंधित होगी।

## **ख. काले धन के निर्माण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुधार**

5.2.10 अब तक की चर्चाओं से पता चलता है कि काले धन का एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था के कुछ कमजोर क्षेत्रों से उत्पन्न होता है जिनमें भविष्य में प्रमुख रणनीति प्रभावी सुधारों की जरूरत का सुझाव निहित है। इस में सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक गोल्ड ट्रेडिंग है, जो भारत में काले धन की पैदाइश के प्रमुख स्रोतों में से एक था और यहां तक कि अपराध पूर्व तक, उस क्षेत्र में प्रेरित सुधार होने तक भारत में सोने का प्रवाह निरंतर बढ़ोत्तरी पर है, सोने की तस्करी जैसी यह कुछ दशकों से पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। दूसरे का समान या ऐसे ही या अधिक प्रभावी सुधार अचल संपत्ति जैसे नाजुक क्षेत्रों में काले धन की पैदाइश कम करने के रूप में एक महत्वपूर्ण दीर्घावधि में महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकते हैं।

### **ख1. वित्तीय क्षेत्र**

5.2.11 वित्त क्षेत्र, धन जिस साधन से भी कमाया हो, आगे कमाई करने के लिए हस्तांतरण करने का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। संभवतः इसलिए यह वह क्षेत्र है जो काले धन से अछूता नहीं रहता है। अक्सर काला धन वित्तीय साधनों के रूप में या अन्य प्रक्रियाएँ से प्रवेश कर जाता है जो कभी-कभी मनी लॉन्ड्रिंग में तब्दील हो जाता है। इसी से इसकी विराटता का अनुमान लगाएँ कि स्रोतों और अपराधियों के साथ काले धन की पहचान और रोकथाम जरूरी होती है। वित्तीय नियमन का ठीक-ठाक तालमेल इसलिए लोन्ड्रिंग की प्रक्रिया में काले धन का पता लगाने एवं काले धन के उत्पादन के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए मुख्य क्षेत्रों में से एक है।

### **5.2.12 वित्तीय बाजार की जरूरतों के लिए निरीक्षण तंत्र की प्रभावकारिता में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है**

आगे बढ़ना होगा इस प्रयोजन के लिए, यह आवश्यक है कि प्रासंगिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित हो। वित्तीय जांच और निरीक्षण के उचित डोमेन ज्ञान के साथ जनशक्ति समाधान में से एक उपाय उचित निगरानी रखने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के परिचालन / सतर्कता मशीनरी में लगी एजेंसियां के वित्तीय अधिकारियों जिनको अपेक्षित डोमेन ज्ञान और अनुभवी कुशल अधिकारियों को इस काम में लगाया जाए।

### **5.2.13 पिछले दो दशकों में, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और फंड सहित कई विदेशी संस्थाएं**

स्थानांतरण संस्थाओं ने भारत में व्यवसाय स्थापित किए हैं सीबीडीटी के चेयरमैन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने हाल ही में रिपोर्ट की है कि भारतीय कर निवासियों ने इन संस्थाओं या विदेशों में अपनी शाखाओं के साथ पर्याप्त मौद्रिक लेन-देन किया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि भारत देश में की कार्यरत सभी ऐसी संस्थाओं पर जोर दे। लेनदेन की एक सीमा से ऊपर के सभी लेनदेन की रिपोर्ट करें। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कानून, नियम या इन संस्थाओं के साथ संविदात्मक / लाइसेंसिंग व्यवस्था तैयार की जा सकती हैं, जैसा कि कुछ अन्य देशों में किया गया है। वित्त विधेयक 2012 में नवाजी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आय विवरणी दाखिल (साधारण निवासियों को छोड़कर) किसी भी संपत्ति या बैंकिंग खाते जो भारत के बाहर स्थित हैं, भले ही उनके पास

कर योग्य आय न हो शुरूआत कर दी गई है। इस संबंध में रिपोर्ट के फार्मेटों को अधिसूचित किया गया है। अन्य रिपोर्टिंग सिस्टमों की इसी तरह की सुदृढ़ता सुनिश्चित हो। ताकि भविष्य में संदिग्ध लेनदेन को चिन्हित और उनकी समय पर पता लगाने और रोकथामी की जा सके।

## ख2 रियल एस्टेट

5.2.14 भारत में रियल एस्टेट सेक्टर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 11% है। बेहिसाबी धन का संपत्ति में निवेश आम बात है, और अचल संपत्ति में लेनदेन की एक बड़ी संख्या सही तरीके से सूचित नहीं होता या आधा-अधूरा सूचित रहता है। ऐसे अचल संपत्ति पर लेनदेन के कर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में ऊँची दरों पर होने के कारण है। एक कुशल संपत्ति बाजार के विकास के लिए अचल संपत्ति के लेनदेन की ऊँची दर सबसे बड़ी बाधा है। संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क, जो 5 प्रतिशत से भी ज्यादा है जो तलाश, विज्ञापन विवाद और मुकदमेबाजी से संबंधित खर्च कमीशन पंजीकरण और अच आकस्मिक लागत संपत्ति इसके कारण बाजार में बहुत ज्यादा आती है। यह भारत में अव्यवस्थित संपत्ति बाजारों में से एक है। अंतर्निहित विकृतियों में उचित सुदार लाने तक, इस तरह के दुरुपयोग को रकेने में मुश्किलें आएँगी।

5.2.15 राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों के विभाजन के अनुसार, रियल एस्टेटमोटे तौर पर राज्य सरकारों को कानून बनाने और टैक्स के लिए राज्यों का विषय है। 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के बाद भी जो स्थानीय ग्रामीण और शहरी निकायों को सरकार तीसरा स्तर माना गया है। रियल एस्टेट संपत्तियों और लेनदेन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्यों का ही विषय रहा है विभिन्न राज्य सरकारों ने कई जगह इस क्षेत्र में सुधार किए हैं, जबकि उनका कार्यान्वयन संबंधित स्थानीय शहरी निकायों की क्षमता और प्रतिबद्धता पर निर्भर है।

5.2.16 रियल एस्टेट क्षेत्र के सुधारों में केंद्र सरकार की भूमिका आम तौर पर सीमित है और सलाहकार की प्रकृति की है, हालांकि, इसने भारत सरकार को पहल की शुरुआत करने से नहीं रोका है कि वे इसमें सुधारों को प्रोत्साहित करें, इसका प्रमुख कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम), 2005-06 के बाद से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकिमौद्रिक और गैर-मौद्रिक सहायता दोनों प्रदान करके शहरी ढांचागत विकास का समर्थन किया जा सकेस्थानीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए, इसमें स्टाम्प ड्यूटी व्यवस्था सुधारों को शामिल करने के लिए इसे 5% से अधिक न होने देने का प्रस्ताव है। कुछ राज्यों ने इस सुधार को पूरा किया है, लेकिन अन्य राज्य अभी भी बहुत उच्च स्टैम्प शुल्क ले रहे हैं। उन राज्यों के लिए जिनके पास अर्थाभाव है, वे संसाधन विवशता में पर्याप्त राजस्व-तटस्थ विकल्प को पहचानने और लागू करने के लिए एक मुद्दा है कि वे स्टाम्प ड्यूटी को युक्तिसंगत बनाए।

5.2.17 एक कुशल प्रतियोगी वास्तविक संपत्ति बाजार के उद्भव के लिए कई अन्य लंबित सुधार आवश्यक हैं। इसमें शहरी भूमि सीमा विनियमन अधिनियम (यूएलसीआरए) को रद्द करना, शामिल है,किराए पर नियंत्रण अधिनियम में सुधार, जो कि किरायेदारों और मालिकों के हितों और उसके विकृतियों के मुक्त संपत्तियों को संतुलित करेगा, शामिल हैं, इमारतों के निर्माण, साइटों के विकास के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उप-नियमों का संशोधन,कृषि से गैर-कृषि तक भूमि के रूपांतरण के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक रूपरेखाओं का सरलीकरणप्रयोजनों, शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति के मिल्कियत प्रमाणन प्रणाली का चलन, परिचयभूमि और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया, स्थानीय प्रशासन में ई-शासन का चलन और कर भुगतान, कम्प्यूटरीकृत राजकोषीय कैदस्टों का निर्माण और संपत्ति कर डिजाइनों के युक्तिकरण जैसे उपाय शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को शहरी/परियोजनाओं के वित्त पोषण जारी करने के लिए सशर्त बनाने के जरिए केंद्र सरकार द्वारा जोर दिया गया था। सबूत बताते हैं कि इस मिशन ने काफी सफलता हासिल की है।हालांकि, इस संबंध में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। स्थानीय नगर अधिकारियों के एकीकरण के लिए भी यह एक मामला है कि एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल डाटाबेस में शहरी प्राधिकरण केंद्रीय एजेंसियां और राज्य डेटा और सूचना साझा करें।

5.2.18 प्रत्यक्ष कर कानून के मौजूदा प्रावधान के अनुसार अचल संपत्ति अगर मूल्य संपत्ति का 5 लाख रुपये से अधिक है के क्रेता एवं विक्रेता को टीआईएन नंबर देना संपत्ति का मूल्य अगर 30 लाख रूपए से अधिक है तो अचल संपत्तियों में लेनदेन के बारे में जानकारी के हर साल पंजीकरण की आवश्यकता है। हालांकि, कई रजिस्ट्रार कार्यालय अभी भी यह काम हाथ से करते हैं ऐसे लेनदेन की रिपोर्टिंग करने में कई अंतराल और चूक है।

5.2.19 अचल संपत्ति से संबंधित लेनदेन में और काले धन के तत्व को कम करने के लिएनगरानी एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित खुफिया के आधार पर केंद्रित कार्रवाई, सरल रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि एक राष्ट्रव्यापी डाटाबेस का विकास करने में सुविधा हो। इस तरह के एक डाटाबेस को कंप्यूटर से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि अधिकारियों और लोगों के बीच न्यूनतम आवाजाही के साथ, और यह सभी वित्तीय नियामक अधिकारियों को सुलभ हो।

5.2.20 रियल एस्टेट सेक्टर से काले धन के इस्तेमाल को रोकने के उपायों में से एक अचल संपत्ति लेनदेन पर किए गए भुगतान पर स्रोत में कर काटने का प्रावधान हो सकता है और यह संवितरित संपत्ति के पंजीकरण के लिए पूर्व शर्त के रूप में अनिवार्य किया जाए। संपत्ति के डेवलपर्स से स्रोत पर कर कटौती एक संभावित नीति उपाय के रूप में प्रारंभ हो। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग इस संबंधित अनुपालन के बोझ को कम कर सकता है।

5.2.21 अचल संपदा से संबंधित लेनदेन में काले धन के तत्व को कम करने के लिए, आयकर कानून में एनओसी का प्रावधान किया जा सकता है। जिससे प्रशासनिक जटिलताएं कम हों और अनुपालन में सानी हो, ताकि एक उपयुक्त और समान डाटाबेस की स्थापना हो और एक उचित राष्ट्रीय स्तर के नियमन का प्रादुर्भाव हो। नई प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच आमना-सामना कम से कम हो और काम कम्प्यूटर संचालित हो और पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर आयकर विभाग जांच मशीनरी के भीतर समर्पित इकाई संचालन प्रक्रियाएं बनाए।

### ख. 3 बुलियन और आभूषण क्षेत्र

5.2.22 बुलियन और आभूषण काले धन के उत्पादन और उपभोग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिनके पास काला धन है वे मुद्रास्फीति के मूल्यहास से अपने काले धन के मूल्य की रक्षा के बचाव हेतु इस क्षेत्र में ही काफी बड़ी मात्रा में लेनदेन करते हैं। यह भी कि इस क्षेत्र में किया लेनदेन का पता नहीं लग पाता इसलिए काले धन के निवेश और उपभोग की राह सुगम होती है।

5.2.23 इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को सुधारने के लिए तत्काल आवश्यकता भी है जबकि इस तरह के व्यवसायों पर कई वित्तीय कानून पहले से ही लागू हैं। यह आयकर और कस्टम ड्यूटी के नियमों में संशोधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में आयकर अधिनियम ने पैन या फॉर्म 60 / फॉर्म 61 अनिवार्य कर दिया है। 5 लाख से ऊपर की राशि के जेवरों की खरीद पर सभी लेनदेनों पर नजर रखने की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्तावित जीएसटी अधिनियम की परीक्षा होगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है, प्रभावकारिता के मामले में सावधानीपूर्वक विश्लेषण की जरूरत होगी। अपेक्षित नियमों के लागू होने से पहले लागत और लाभ का आकलन किया जाता है।

### ख. 4 नकद अर्थव्यवस्था

5.2.24 नकद में किया गया लेनदेन हमेशा काला धन को सुविधाजनक बनाता रहा है चूंकि इसकी पूछताछ पड़ताल (ऑडिट ट्रेल) नहीं होती, नकदी लेनदेन को विनियमित करने और नियंत्रित करने के प्रयासों को दो कारणों से सीमित कर दिया गया है। पहला, यह है कि गरीबों को लेनदेन (सौदा) नकद में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, करना पड़ता है, और तदनुसार श्रमिक मजदूरी का भुगतान या ग्रामीण कारीगरों और संस्थानों को किए गए भुगतान नकद ही करना होता है। दूसरा, किसी भी नियम द्वारा लगाई गई लेनदेन की लागत, अर्थव्यवस्था में फैल जाने की संभावना है, जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को प्रभावित करेगी, जिससे लोग विरोध करेंगे और समर्थन भी नहीं करेंगे।

5.2.25 पैसा, नकदी लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगा। कानून के साथ, हालांकि, काले धन के प्रयोग एवं उसके बनाने से अधिक, नकदी को प्रमुख रूप से अधिक तरजीह देने से भी नकदी से लेनदेन इस तरह हो कि कानून का पालन करने वालों को इससे कठिनाई न हो। लेकिन काले धन वालों को लेनदेन के दोनों छोर पर ऑडिट (पूछताछ) काफी उच्च लेनदेन के जरिए यह मुश्किल हो। कानूनी प्रतिबंधों एवं विनियमों से इस काम को भविष्य में और मजबूत किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में काला धन न खप सके।

5.2.26 अब, कोई भी भारी मात्रा में नकदी रखने के लिए कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है या इसे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने किसी को इसकी रिपोर्ट करने और न ही इसके लिए कोई स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। यह सुझाव दिए गए हैं कि सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करने पर विचार करे जिनमें सिक्का अधिनियम, 2011 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, फेमा

और भारतीय दंड संहिता शामिल हैं या एक पूरी तरह से नए कानून को बनाए जिसका उद्देश्य सीमा तक अधिक नकदी के रखने और परिवहन लाने-ले जाने को नियंत्रित करे। इसमें निजी इस्तेमाल के लिए नकदी रखने की एक सीमा हो, ऐसी निर्धारित सीमा ज्यादा नकदी के जब्ती के लिए प्रावधान भी हो। हालांकि, ऐसे कानूनों के लिए एक व्यापक राजनीतिक जनाधान/ समर्थन की आवश्यकता है ताकि संसद में उनको स्वीकृति मिल सके।

5.2.27 इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण उपाय बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहन यथा क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेनदेन क्योंकि वे ऑडिट के लिए पर्याप्त निशान छोड़ देते हैं और इसलिए काला धन उत्पन्न करने से रोकते हैं। ठीक इसके विपरीत व्यापार क्रियाओं के बारे में सच है, जो लेखा परीक्षा के लिए निशान नहीं छोड़ते हैं, जैसे चेक डिस्काउंटिंग, उसी तर्क पर इसे हतोत्साहित कर सकते हैं। व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध होने के साथ जवाबदेही को मजबूत बनाने और बेहिसाब गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए जोरदार पहला का हर कोई अनुमान लगा सकता इस दिशा में, कुछ महत्वपूर्ण पहल पहले ही उठाए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी चेक और डिमांड ड्राफ्ट की अवधि छह से तीन महीने की होगी, जोपरक्राम्य उपकरणों की छूट को प्रभावित करेगी। भारतीय ई-सेवा मध्यस्थों के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान जैसे 'रुपे' जैसे कार्डों का उपयोग करने की लागत को कम कर सकता है, उनकी स्वीकार्यता में सुधार कर सकता है, और इस तरह से इन विधियों में भुगतान को प्रोत्साहित करें और नकद अर्थव्यवस्था को कम करें। यह आवश्यक है कि वेतन का भुगतान और निजी क्षेत्र में वेतन बैंकिंग चैनलों के जरिए होना चाहिए और नकद रहित होना चाहिए। वित्तीय समावेशन के सरकारी उद्देश्य से सरकार कर प्रोत्साहन प्रदान करने के बारे में भी विचार कर सकती है। कोरिया गणराज्य में प्रचलित क्रेडिट / डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए स्रोत पर कर के संग्रह में कमी के लिए प्रावधान नकदी की खरीद पर स्तर को संभावित नीति विकल्प के रूप में भी माना जा सकता है।

## ख.5 खनन और प्राकृतिक संसाधनों पर संपदा अधिकारों का आवंटन

5.2.28 खानों, जंगल, भूमि, जल और स्पेक्ट्रम सहित प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से देश के हैं लेकिन उनके कुशल आवंटन और उपयोग की मांग है जोकि सरकार संपत्ति के अधिकार को सौंपे सरकारी खजाने के लिए किए गए वित्तीय भुगतान के बदले निजी पार्टियां यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जिससे पारदर्शिता में सुधार और सार्वजनिक जवाबदेही और उचित कीमत तथा खोज तंत्र होगा जिनके अभाव में ये क्षेत्र अवैध अतिक्रमण के लिए कमजोर हो सकते हैं, जबकि उनके आवंटन अत्यधिक सब्सिडी दरों पर आर्बिट्रियों के लिए अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। इसलिए इसके लिए व्यापक सुधारों में राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय और सहमति की आवश्यकता होती है।

5.2.29 प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के पारदर्शी और कुशल आवंटन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से दुर्लभ संसाधनों के लिए - भूमि, खनिजों और जंगल के संबंध में व्यापक नियमों, स्वतंत्र नियामक के रूप में, और शिकायत के लिए लोकपाल की नियुक्ति एक उपाय के रूप में माना जा सकता है।

## ख.6 इक्विटी ट्रेडिंग

5.2.30 जब इक्विटी ट्रेडिंग में पिछले कुछ दशकों के दौरान बड़े पैमाने पर सुधार हुए हैं, तो इसमें है कार्टेल आधारित मूल्य में हेरफेर से मिलकर नियामकों द्वारा सामना की जा रही नई चुनौतियों का भी पता चला है। मुनाफाखोरी, कन्ड्रूट के माध्यम से प्रॉक्सी निवेश, और मामले में टैक्स हेवन के जरिए निवेश की रूटिंग एफआईआई है। इनमें से, टैक्स हेवन के माध्यम से निवेश के मुद्दे पर इस अध्याय में बाद में निपटाया गया है, लेकिन इस क्षेत्र में कई अन्य क्षेत्र हैं जिनके लिए आगे सुधारों की आवश्यकता है।

5.2.31 आरबीआई केवाईसी मानदंडों के कार्यान्वयन को पहले से ही मजबूत कर दिया है। इस संबंध में, वहाँ सुझाव दिए गए थे कि यह इन नियमों के सख्त क्रियान्वयन पर विचार कर सकता है और उनकी संख्या को सीमित कर सकता है। खाते एक व्यक्ति द्वारा शुरू किए जा सकते हैं और उन खातों की संख्या जो इन्हें बनाए रखा जा सकता है किसी भी इकाई द्वारा एक ही शाखा और खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक ही पते के बारे में सतर्कता बनाए रखें। विभिन्न नामों में खाते से केवाईसी के मानदंडों को सख्ती पालन करने और लागू करने में मदद मिलेगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उचित अनुपालन तथा सरकार, साथ ही आरबीआई लिए आवश्यक है एक बेहतर नियामक ढांचे को गलत व्यक्तियों / संस्थाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।

5.2.32 'ऑफ-मार्केट' और 'डब्ला-ट्रेडिंग' के दुरुपयोग को रोकने या मान्यताप्राप्त स्टॉक के बाहर व्यापार करने के लिए एक्सचेंजों, आयकर कानून में और संशोधन के लिए ऑफमार्क में घाटे की अनुमति देने के लिए शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे लेनदेन से व्युत्पन्न मुनाफे के खिलाफ केवल लेनदेन साझा करना इस तरह के एक उपाय ऐसे व्यापार का दुरुपयोग करने के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं और काले धन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण बचाव का रास्ता प्लग कर सकते हैं।

## ख.7 काले धन के सृजन के लिए कॉर्पोरेट संरचना का दुरुपयोग

5.2.33 विभिन्न तरीकों से करों से बचने के लिए कॉर्पोरेट संरचना का दुरुपयोग किया जा सकता है।

पूर्ववर्ती अध्यायों में विस्तार से चर्चा में यह यहाँ बताना पर्याप्त होगा कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास, अधिक पारदर्शिता बनाने और जानकारी के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए भारत को आगे ले जाने के लिए है। भारत के बाहर कॉर्पोरेटों द्वारा किए जाने वाले प्रेषणों, का एक मजबूत डाटाबेस बनाने की आवश्यकता भी है। प्रकृति और वैधता को समझने के क्रम में उनके पिछड़े और आगे के संबंधों का विश्लेषण करें। प्रेषित धन एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा सशक्त किया जा सकता है (अन्य रिपोर्टों के समान भारतीय वित्तीय प्रणाली के माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय निधि स्थानान्तरणों पर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की एफआईयूप्रस्तुत की गई।

## ख.8 गैर लाभकारी संगठन और सहकारी क्षेत्र

5.2.34 गैर-लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनों चल रही हैकई वित्तीय और विनियामक विशेषाधिकार हैं। सहकारी संगठन, उनकी आय, विभिन्न स्थितियों के अधीन, कर के लिए अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। निजी स्वामित्व वाले लाभ-उन्मुख चिंताओं के उद्देश्य के लिए यह संभावित अवरोधकों के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी चिंताओं को गैर-लाभदायक, धर्मार्थ या प्रकृति में सहकारी रूप से छिपाने के लिए इससे केवल निपटा जा सकता है। एक तरफ उनको उपलब्ध विशेषाधिकारों को कम करने और बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से उन्हें दूसरे पर एक सख्त नियामक शासन के लिए हालांकि, कल्याण में वास्तविक एनपीओ की भूमिका को देखते हुए इस तरह के प्रयासों के समर्थन की दलित और व्यापक सरकार की नीति का, यह कुछ हद तक है। जटिल समस्या जो आसानी से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मजबूत कर सकती है और इसलिए इसे एक बड़ी आम सहमति के बाद समाज में पहुंचने के बाद केवल लागू किया जा सकता है।

5.2.35 वर्तमान में, किसी भी सरकारी एजेंसी एनपीओ का पूरा डेटाबेस नहीं है। सीबीडीटी में सबसे बड़ा डेटाबेस है। ऐसे डेटाबेस गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियों जैसे अन्य एजेंसियों के साथ जानकारी हो सकती है। सीईआईबी द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सीबीडीटी को केंद्रीयकृत एजेंसी की भूमिका में नियुक्त किया जा सकता है। जो हर एनपीओ को पंजीकृत होना जरूरी होगा और जिसके द्वारा इसे एक अनूठा नंबर आवंटित किया जाएगा। यह क्षेत्र के संभव दुरुपयोग के प्रकाश में सरकार द्वारा उठाए गए फैसले के अनुरूप होगा। अवांछनीय गतिविधियों के लिए एनपीओ सेक्टर मूल्यांकन समिति द्वारा किए गए सुझाव, एक अंतर-मंत्रिस्तरीय निकाय, स्वीकार किया जाना चाहिए और आयकर महानिदेशक (छूट) उचित रूप से कार्यालयजनशक्ति, अवसंरचना, और क्षमता निर्माण के संदर्भ में मजबूत बनाया गया।

5.2.36 सहकारी क्षेत्र में केवाईसी मानदंडों का विनियमन और प्रवर्तन को मजबूत किया जा सकता है। राज्य सरकारें और साथ ही केंद्र सरकार को इस में किसी भी चूक के लिए उत्तरदायित्व तय किया जा सकता है। साथ में किसी भी संदिग्ध लेनदेन के संबंध में अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद के किसी भी असफलता के संबंध में ऐसे खाते में जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

## ग. प्रभावी विश्वसनीय प्रतिरोध का निर्माण

5.2.37 चूंकि न तो कर दरों और अनुपालन का लेनदेन लागत शून्य से नीचे लाया जा सकता है, और काले धन के सृजन के लिए हमेशा एक निश्चित प्रोत्साहन भी रहेगा, जिसका केवल प्रभावी विश्वसनीय प्रतिरक्षा द्वारा सामना किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इस सूची में प्रतिरक्षा तीसरे स्थान पर है, रणनीति नहीं है क्योंकि यह पिछले रणनीतियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि यह अग्रानुक्रम में काम करता है, अतः रणनीतियों के साथ पहले उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए, उस

अनुपालन की लागत के साथ बनाया गया प्रतिरोधकाले धन सृजन करने के खिलाफ विघटन के बाद से उल्टा हो सकता है। इसी तरह, अगरटैक्स की दर प्रतिबंधों और आर्थिक गतिविधियों में बाधाओं के साथ बहुत अधिक है। चोरी और गैर अनुपालन के परिणामस्वरूप उच्च प्रोत्साहन को ऑफसेट करने की आवश्यकता होगी। अंत में, गंभीर दंड के आधार पर बहुत उच्च स्तर का प्रतिरोध होना दंड प्रोत्साहन की और विकृतियां पैदा करता है। निगरानी, पर्यवेक्षण, निगरानी और मुकदमेबाजी के अतिरिक्त स्तर, जो सभी लेनदेन में जोड़ते हैं लागत और चोरी और गैर-अनुपालन के लिए प्रोत्साहनों को और बढ़ाते हैं।

5.2.38 कारकों का यह जटिल परिपालन निगरानी एजेंसियों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी हैं व इसका पता लगाने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता है। एक तेजी से बढ़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ, और सूचना प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग में विकास, तकनीकी चुनौतियां कभी-कभी अधिक जटिल होती जा रही हैं। इन सभी चुनौतियों को निम्नलिखित में चर्चा की गई बहुआयामी रणनीतियों से निपटने की आवश्यकता है।

## ग.(1) डाटाबेस का एकीकरण जिसका परिणाम मानीटरिंग एजेंसियों द्वारा कार्ययोग्य आसूचना है

5.2.39 आधुनिक प्रशासन और जांच सभी प्रासंगिक आंकड़ों को इकट्ठा करने पर केंद्रित होनी चाहिए, इसकी निर्बाध जानकारी और विभिन्न कानूनों और विनियमों चल रही है विभिन्न स्रोतों से स्वचालित संग्रह, और इसके एकीकरण सामूहिक राष्ट्रीय डेटाबेस में इसे सार्थक जानकारी उत्पन्न करनी चाहिए जिसे प्रक्रिया में किया जा सकता है। उनके संबंधित प्रयोजनों के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों द्वारा कार्रवाई योग्य खुफिया एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके कार्यों को ध्यान केंद्रित और अच्छी तरह से लक्षित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जांच की दिशा में निर्देशित किया जाता है व संभावित आक्रमणकर्ताओं, जबकि कानून और नियमों का पालन करने वालों को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ता है। जांच या जांच की हालांकि विभिन्न राज्य एजेंसियां पहले से ही अपने कार्यों को समन्वित कर रही हैं काफी सफलता के साथ काले धन की समस्या से निपटने के लिए, आगे को एकीकरण करने की आवश्यकता है सिस्टम और विभिन्न एजेंसियों के डेटाबेस, प्रयासों के दोहराव और एक सुसंगत तैयार करने से बचने के लिए और काले धन से लड़ने के लिए प्रभावी रणनीति होनी चाहिए।

5.2.40 विभिन्न एजेंसियों के सिस्टम और संगठनों को एकीकृत करने के प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं। करदाताओं को विभिन्न तरह के रिटर्न और उनकी कर दायित्व के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है जैसे कि आय और संपत्ति कर का रिटर्न, स्रोत पर कटौती कर (टीडीएस), अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उद्यमों के साथ लेनदेन, कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की रिपोर्ट।

इन सभी रिटर्न और फॉर्म के माध्यम से प्राप्त जानकारी आयकर विभाग के डेटाबेस में संकलित की गई है। बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों जैसे विभिन्न एजेंसियों से सूचना भी एकत्र की जाती है, अचल संपत्ति के रजिस्ट्रार, भूमि अभिलेख कार्यालय, म्यूचुअल फंड संगठन और क्रेडिट कार्ड एजेंसियां आयकर विभाग की अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह सारी जानकारी आयकर के डेटाबेस में संग्रहित है। इस सूचना के आधार पर, प्रणाली प्रत्येक वर्ष जांच के लिए मामलों का चयन करती है। भविष्य की रणनीतियों व डाटाबेस के प्रसंस्करण द्वारा संभाव्य आक्रमणों को ध्वज करने की क्षमता को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।

5.2.41 इसी प्रकार की प्रणाली और डेटाबेस अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक व्यक्तिगत खातों को बनाए रखते हैं और प्रत्येक बैंकिंग लेनदेन के बारे में जानकारी रखते हैं। करदाताओं का सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग में निर्यात, आयात, और संबंधित जानकारी है। इन सभी विभागों और एजेंसियों के साथ उपलब्ध जानकारी एकीकृत करने की आवश्यकता है। विभिन्न अधिनियमों के गोपनीय प्रावधानों के अधीन वास्तविक समय आधार पर यह एक असली चुनौती है जिस पर विचार किया जा रहा है। भारत का विशाल करदाता आधार और प्रत्येक विभाग / एजेंसी के साथ उपलब्ध विशाल आंकड़े इसकी जरूरत है। एक आम करदाता पहचानकर्ता और विभिन्न एजेंसियों के सिस्टम की रीयल-टाइम कनेक्टिविटी एकताव्यायाम को डेटाबेस के नियमित रूप से अद्यतन करने और डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

5.2.42 यह समन्वय सभी स्तरों पर आवश्यक है जिसमें पीढ़ी, लेयरिंग और परिचय /काले धन का संग्रह एकीकरण को कानूनी प्रावधानों, प्रणालियों, संगठनों के माध्यम से होनी चाहिए व साथ ही अनौपचारिक स्तर पर भी। भारत सरकार ने सुधार के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों की शुरुआत की है। समन्वित प्रयासों वेट की शुरुआत और जीएसटी को पेश करने के प्रस्ताव के उदाहरण हैं। ऐसे उपाय सामान्य है कि काले धन के उत्पादन के प्रमुख स्रोतों में से एक हैलेखा पुस्तकों से बाहर अलग-अलग करों से बचने के लिए करदाताओं द्वारा इन पुस्तकों से बाहर बिक्री की जाती है। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, और आयकर वेट की शुरुआत के साथ, इनपुट पर ड्यूटी का दावा किया जा सकता है कि अगर वेट पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार वह लेखा पुस्तकों से बाहर की बिक्री को हतोत्साहित करता है। इस प्रकार माल के पुनर्विक्रय पर कोई बिक्री कर देने की आवश्यकता नहीं थी। अब प्रत्येक विक्रेता को भुगतान करना होगा। माल के मूल्य के लिए उसके द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त टैक्स पर यह बेहतर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है और इन्हें हतोत्साहित करता है। काले धन का सृजन जीएसटी की शुरुआत प्रयासों के एकीकरण में काले धन से निपटने वाली विभिन्न एजेंसियों का एक बड़ा कदम होगा।

5.2.43 विभिन्न आर्थिक एजेंसियों की जानकारी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है अधिक व्यापक आधार है ताकि आर्थिक गतिविधि की पूरी प्रक्रिया एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हासिल की जा सके। सभी एजेंसियों को लगातार इस क्षेत्र में तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की आवश्यकता है। काले धन के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एजेंसियों के पास उपलब्ध मानवशक्ति संसाधनों के कौशलको भी लगातार उन्नयन और काम के अपने क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संपर्क में आने की जरूरत है।

## **ग.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन (डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन) को मजबूत करने के लिए रणनीतियां**

5.2.44 राजस्व संग्रह में प्रत्यक्ष करों का योगदान बढ़ता है, प्रत्यक्ष कर प्रशासन होना चाहिए। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया गया है कि यह बढ़ती अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों के साथ तालमेल रखें। यह कारक महत्वपूर्ण भी है क्योंकि प्रत्यक्ष कर डेटाबेस देश में उपलब्ध सबसे बड़े डेटाबेस में से एक हैं और एक खाते-आधारित कर होने के कारण, इसमें उचित लेखापरीक्षा ट्रेल्स बनाने की क्षमता होती है। चोरी के खिलाफ प्रतिरोध और साथ ही साथ अपवंचकों को पकड़ने में मदद और दोनों देश और विदेश के भीतर विभिन्न रूपों में रखा काले धन का पता लगाने इसमें कई उपाय हैं जो कि एक अंतर्निहित अंग बन सकते हैं। इसकी रणनीति और उनसे निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की जाती है।

5.2.45 काले धन को उजागर करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के एक प्रमुख भूमिका निभानी है। इस भूमिका को निर्वहन करने के लिए विभाग को प्रशिक्षित करने वाले कर्मियों को ठीक से लैस करने की आवश्यकता है। जांच मूल्यांकन आय का रिटर्न धन का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिस पर किसी कर का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि, इस पर मुकदमा चलाने के लिए कर प्रशासन की क्षमता से पूरित होना जरूरी है। उनके खिलाफ उचित सबूत इकट्ठा करके आक्रमणकारियों इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, क्षमता का एक बहुत निर्माण की आवश्यकता होगी क्योंकि आपराधिक जांच की आवश्यकताएं उन लोगों से काफी भिन्न हैं। सिविल जांच की आपराधिक जांच निदेशालय, यदि सही प्रशिक्षण, अवसंरचना, शक्तियां, और संसाधन, कर चोरी और काले धन के खिलाफ एक बहुत प्रभावी निवारक बन सकता है

5.2.46 बड़ी करदाता इकाइयां (एलटीयू) कई स्थानों पर अवस्थित निगमों के मामले संभालती हैं। बड़े करदाताओं के कर जांच में यह कार्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू एलटीयू का आयकर और एक्साइज विभागों के कामकाज का समन्वय है। बड़े कंपनियों के वित्त के विश्लेषण और कर चोरी को रोकने में मदद करता है। एलटीयू अधिक प्रभावी बन सकता है, यदि आयकर, सेवा कर और उत्पाद शुल्क विभागों के ऑडिट चक्र को गठबंधन किया गया है। इस समय ये तीन एजेंसियां एलटीयू की व्याप्ति के नीचे हैं हालांकि, वे विभिन्न लेखांकन की छानबीन करते हैं। इससे एक साथ एक ही समय में अवधि जांच और जांच की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा, उन्हें बनाने के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बड़े कॉर्पोरेट घरों से संबंधित मुद्दों के बारे में पता होने हेतु अधिकारियों को उद्यम संसाधन में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। इन बड़े करदाताओं द्वारा लागू योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर बड़े कॉर्पोरेट के खातों की किताबें को आम तौर पर इस सॉफ्टवेयर चल रही है बनाए रखा जाता है जो सत्यापन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और जीएसटी की शुरुआत के साथ, कर चोरी का पता लगाना वेट की व्याप्ति के नीचे आ सकता है

5.2.47 अंतर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय ने काले धन का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संबद्ध उद्यमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में गलत स्पिरिंग का पता लगाया। निदेशालय को पता चला है कि हाल के दिनों में इस तरह के कई लेनदेन और उन्हें कर में लाया गया है। हालांकि, जनशक्ति और निदेशालय को उपलब्ध प्रौद्योगिकी को सुधारने की आवश्यकता है।

5.2.48 आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों चल रही हैनिर्दिष्ट संस्थाओं के लिए एक आवश्यकता है एआईआर के माध्यम से उच्च मूल्य लेनदेन की रिपोर्ट करें। विभाग को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है एआईआर के जरिए संदिग्ध अप्रयुक्त आय इन मामलों के एक बड़े अनुपात में, लेनदेन नहीं करते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि कई मामलों में, कंपनियों ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है ऐसे मामलों में टीडीएस की कटौती की गई है। इसी तरह के विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि डेटा विभाग में उपलब्ध है, जो मामलों को निकाल सकता है जहां रिटर्न नहीं दायर किया जा रहा है, हालांकि संस्थाएं संबंधित वर्ष के दौरान आय अर्जित कर रही हैं, वहीं उपयुक्त कार्रवाई कभी-कभी पर्याप्त जनशक्ति की कमी के कारण नहीं हो पाई है।

5.2.49 आधुनिक कर प्रशासन में टीडीएस के महत्व को देखते हुए दोनों को प्लग इन करने की जरूरी आवश्यकता है। जनशक्ति के अंतराल के साथ-साथ टीडीएस की निगरानी के लिए सिस्टम को मजबूत करना और इसके आंकड़ों के संदर्भ में एकीकरणमौजूदा डेटाबेस केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) की तर्ज पर जो पहले से ही कार्यात्मक हैं और धीरे-धीरे आय के रिटर्न के प्रसंस्करण के थोक से निपटने के लिए, सीपीसी को भी टीडीएस के लिए परिकल्पित किया जाता है, जो टीडीएस निगरानी को और अधिक कुशल बना देगा, जिससे अधिक डेटा एकत्र कर और अधिक से अधिक बनाना होगा। अर्थव्यवस्था में लेनदेन के लेखापरीक्षा निशान, जो खुद कर चोरी और गैर अनुपालन के खिलाफ रिपोर्टिंग नियमों का एक प्रमुख निवारक है।

5.2.50 अभी तक, 11 करोड़ से अधिक संस्थाओं को पैन आवंटित किया गया है जबकि आयकर रिटर्न 3.5 करोड़ संस्थाओं द्वारा दायर की गई। इस प्रकार, जिन संस्थाओं के पास पैन है, उनकी संख्या के बीच एक बड़ा अंतर है। आवंटित आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कटौतीकर्ताओं की संख्या के बारे में संसदीय स्थायी समिति ने वित्त के लिए इस अंतर की ओर इशारा किया है और विभाग को उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। इस तरह की कार्रवाई फिर से पैन के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति के साथ-साथ लगातार कार्य कार्यान्वित और सही के साथ अनुपालन की आवश्यकता होती है

5.2.51 इसी प्रकार, सीआईबी सूचना के लगभग 3 करोड़ मर्दे सिस्टम में अपलोड किए जाते हैं जिसमें करदाताओं का वित्तीय डेटा में ऐसे मामलों में पर्याप्त प्रतिशत शामिल हैं, जहां पैन नहीं है। करदाता संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों का उपयोग करके इस डेटा को कुशलता से संसाधित किया जाना चाहिए। अंतर्निहित प्रणालियों के साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई, दोनों के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त मानवशक्ति की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने से विभाग की दक्षता में सुधार में बहुत अधिक मदद मिल सकती है।

5.2.52 विभाग के डेटा-खनन क्षमता को जोखिम-विश्लेषण उपकरण के साथ एकीकृत करने बनाने की आवश्यकता है। विभिन्न स्रोतों से विश्लेषण के लिए आने वाले बड़े डेटा के कारण, काम मैनुअल रूप से नहीं किया जा सकता और उन्नत सॉफ्टवेयर को इस अंत तक जोखिम प्रबंधन तैयार करने की आवश्यकता है। निदेशालय की स्थापना की भी आवश्यकता है।

### ग.3 अभियोजन तंत्र का सुदृढीकरण

5.2.53 कभी-कभी करदाता कर चोरी का जोखिम लेने के लिए तैयार हो सकता है और यह भी औचित्यपूर्ण भी हो सकता है कि एक 'व्यावसायिक जोखिम' के रूप में प्रभावी अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार की गणना जोखिम लेने से अधिक प्रभावी ढंग से विचलित हो सकती है। आयकर अधिनियम 1961 में आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए विस्तृत प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि एक करदाता

जानबूझकर किसी भी कर, ब्याज, या जुर्माना के भुगतान से बचने का प्रयास करता है, तो उस कठोर कारावास की सजा हो सकती है। छह महीने से सात साल तक और ठीक, यदि कर की मांग की गई थी, और 100,000 रुपये से अधिक है। आगे

की, विभिन्न अन्य अपराधों जैसे कि झूठे बयान या रोक लगाने के लिए अभियोजन शुरू किया जा सकता है। यदि कोई कंपनी किसी भारतीय या विदेशी व्यक्ति द्वारा अपराध करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने समय इस तरह के अपराध के लिए आयोग का कार्यभार संभाला था, या इसके संचालन में कंपनी के लिए जिम्मेदार था, व्यवसाय का दोषी माना जाता है और अभियोजन पक्ष के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, इन प्रावधानों में होने के बावजूद कानून, भारत में कर मामलों में आपराधिक मुकदमों की वास्तविक स्थिति कुछ हद तक निराशाजनक है। बहुत कम मामलों, में कर अधिकारियों ने अभियोजन पक्ष के लिए विकल्प चुनते हैं और कर चोरी मामलों में बाद में सजा कम होती है और हाई-प्रोफाइल सर्च के मामलों में भी नहीं पाया जा सकता और एक विशेष अभियोजन पक्ष की अनुपस्थिति और बोझिल प्रक्रिया इस मामले की स्थिति में योगदान करती है।

5.2.54 हाल के दिनों में सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। एक निदेशालय की इसचल रही है सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में कार्य करने के लिए आपराधिक जांच की गई है। आयकर अधिनियम और इसमें सरकार की एक विशेष शाखा के रूप में कार्य करेगी जो आपराधिक मुकदमा चलाने से संबंधित है। कर चोरी का मामला वित्त विधेयक 2012 अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष अदालतों के गठन के लिए प्रदान करता है। आयकर अधिनियम चल रही है कर मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है। मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा, यह अधिकतम सजा कम कर देता है। मुकदमे की सरलीकरण के लिए तीन साल से लेकर दो साल तक विभिन्न अपराधों चल रही है निर्धारित अपराधों से अधिक वर्षों की अधिकतम सजा लेना 'वारंट केस' प्रक्रिया के अधीन है जोकि कम से कम दो साल की सजा देने वाले अपराधों की तुलना में अधिक समय लगता है। वित्त विधेयक 2012 का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के लिए भी प्रदान करता है। न्यायालयों से पहले कर अधिकारियों का मामला है।

#### ग.4 सूचना का विस्तारित आदान-प्रदान

5.2.55 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि हुई वैश्वीकरण और उदारीकरण और निकासी / छूट के साथ विदेशी निवेश / विदेशी मुद्रा के नियंत्रण के कारण सीमा पार के कारोबार में कई गुना वृद्धि हुई है। करदाता की तुलना में टैक्स चोरी और बचाव के लिए करदाताओं को अधिक से अधिक अवसर देने वाले लेनदेन केवल घरेलू बाजारों में ही चल रहा है। संबंधित न्यायालयों तक सीमित इस प्रकार, टैक्स चोरी / से बचने के लिए प्रभावी तरीके से निपटने के लिए करदाताओं के लिए यह जरूरी है कि कर प्रशासक एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इस तरह के एक प्रमुख तत्व कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सूचना तंत्र के आदान-प्रदान के माध्यम से होता है। डीटीए और टीआईईए के माध्यम से और साथ ही देश आदान प्रदान सूचना के लिए बहुपक्षीय उपकरणों के माध्यम से कार्य करते हैं।

5.2.56 आयकर विभाग के अधिकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए विधायी रूपरेखा का उपयोग कर सकते हैं। कॉर्पोरेट परतों में स्वामित्व जैसे विवरण मांगकर विदेशी न्यायालयों से, ट्रस्ट के मामलों में गठन दस्तावेजों और बाद के अद्यतन, लाभार्थियों का विवरण और अन्य शर्तें, लेखा रिकॉर्ड और विवरण, बैंकिंग जानकारी, और टैक्स रिटर्न।

5.2.57 इसके साथ ही, हमारे कर अधिकारियों के बीच तेजी से उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। सूचना विनिमय नेटवर्क इन मुद्दों को संबोधित करते हुए सूचना के आदान-प्रदान पर एक पुस्तिका की तैयारी है इसके अलावा, जैसा कि विदेशी न्यायालयों के साथ एक्सचेंजों में काफी वृद्धि होगी, एक कम्प्यूटरीकृत इसलिए ईओआई सेल को सीबीडीटी के एफटी और टीआर डिवीजन में बनाया गया है, जिसमें दो निदेशक स्तर और चार अवर सचिव अधिकारी हैं। यह ईओआई सेल, जिसे अन्य देशों के सर्वोत्तम अभ्यासों की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है, इनबाउंड और आउटबाउंड एक्सचेंजों का एक व्यापक डेटाबेस विकसित कर रहा है, जो सुरक्षा का एक उच्च स्तर है, और अन्य देशों के सक्षम अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विनिमय की सुविधा व ईओआई सेल की जरूरत है। आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो। सूचना के आदान-प्रदान, टैक्स में सहायता जैसे विभिन्न मामलों में प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग भी किया जा सकता है। विदेश में कर परीक्षा, एक साथ कर परीक्षा, और दस्तावेजों की सेवा इसमें शामिल है। ईओआई सेल भी दूसरे देशों की प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है। यह समय अंतराल को कम करने व सूचना के आदान-प्रदान में मदद करेगा।

## ग.5 आयकर समुद्रपारीय इकाइयां

5.2.58 सूचना के आदान-प्रदान, अंतरण मूल्य निर्धारण, और अन्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा के लिए सीमा पार से लेनदेन का कराधान, आईटीओओ को निगरानी के मुद्दों के उद्देश्य से खोल दिया गया है। दोहरे कराधान से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय कराधान से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को निपटाने में सहायता और ट्रांसफर प्राइसिंग, कर हेवन और गैर सहकारी न्यायालयों के साथ टीआईईए की बातचीत में तेजी लाने की सुविधा सूचना के समीपवर्ती आदान-प्रदान, और करों के संग्रह में पारस्परिक सहायता की सुविधा प्रदान करना है। ये इकाइयां करों से संबंधित मामलों के साथ-साथ जानकारी के आदान-प्रदान के लिए तेजी से और बेहतर उपयोग किए जाने की आवश्यकता है व यह काले धन को रोकने के लिए है।

5.2.59 आईटीओओ के लिए आगे का रास्ता विदेशी के सक्षम प्राधिकारी कार्यालय के साथ समन्वय है देश के रीयल-टाइम आधार पर कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के साथ-सूचना, कर संग्रह में सहायता, एक साथ कर परीक्षा, विदेश में कर परीक्षा, और सेवादस्तावेजों का आईटीओओएस म्यूचुअल समझौते की प्रक्रिया और उन्नत मूल्य समझौते चल रही है मामलों को सुलझाने के साथ सक्षम प्राधिकारी की सहायता करेंगे।

## ग.6 अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए जाने के प्रयास

5.2.60 भारत को अधिक पारदर्शिता और सहयोग के लिए मुद्दों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इनमें से कुछ मुद्दों में जानकारी का आदान-प्रदान, अतीत की जानकारी साझा करना, देश-वार रिपोर्टिंग, लाभकारी स्वामित्व के रजिस्ट्रों, और काउंटरमेशर्स के टूलबॉक्स की आवश्यकता है।

## ग.7 अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण

5.2.61 अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण दोनों नए फोकस क्षेत्र हैं, जो काले धन की समस्या को रोकने के लिए हैं। पैसा और कर संग्रह की वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय पक्ष पर कुछ प्रकाश में लाकर पिछले अध्याय में कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, हमने एक करीब और अधिक महत्वपूर्ण को प्रेरित किया है। अंतरण मूल्य निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय कराधान प्रथाओं के असर और इस तरह से विचार अपने प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सरकार ने पहले ही पुरःस्थापित वित्तीय वर्ष 2012-13 में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) एपीए माध्यम से एक उपकरण है। जो एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के आर्म्स लेंथ की कीमत अग्रिम में निर्धारित किया जाएगा यह न केवल व्यापार गलत कीमत निर्धारण से बचने में सुनिश्चित करें, लेकिन यह भी यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ में स्थित एमएनई के लिए कर निश्चितता है। बहुस्तरीय पार सीमा में अनुसंधान को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। लेनदेन और कभी-कभी अंतरण-मूल्य निर्धारण जोड़तोड़ के लिए काफी अवसरों को रोकने के लिए पूंजीगत रूझान, कर से बचाव, और काले धन का सृजन और अंतरण है।

## ग.8 टैक्स हेवन्स के जरिए स्ट्रक्चरिंग की प्रभावी नियंत्रण

5.2.62 भारत ने सतत रूप से टैक्स हेवन्स के माध्यम से लेन-देन की संरचना के खिलाफ लगातार कदम उठाए हैं। करों से बचाव के लिए सहायक कंपनियों की एक जटिल श्रृंखला भारतीय कर प्रशासन का सदैव प्रयास रहा है कि भारत में विदेशी निवेशकों को भारत या उनके निवास देश में अपनी आय पर कर का भुगतान करना चाहिए, संरचनाओं और इस तरह के अपारदर्शी करों से बचने के उपयोग से दोनों देशों में करों से बचने के प्रयासों का समर्थन नहीं करता है। वित्त विधेयक 2012 में शामिल विधायी उपायों और जीएआर(गार) की शुरूआत ऐसी संरचना के खिलाफ आवश्यक प्रतिरोध और कर चोरी के लिए इस बचाव का रास्ता प्लग करें।

## ग. 9 अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाना

5.2.63 अप्रत्यक्ष कर प्रशासन पिछले दो दशकों के दौरान प्रमुख सुधारों से गुजर रहा है। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कस्टम ड्यूटी के युक्तिकरण से संबंधित हैं और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। हाल के दिनों में आर्थिक विकास के लिए अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण विकास है सेवा कर का शुरूआती संग्रह, जो कि अब केंद्र सरकार के राजस्व में

काफी योगदान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण और टैरिफ बाधाओं के कारण काले धन के सृजन के लिए प्रोत्साहनकम हो गया है कम हो गया है लेकिन उन्हें पूरी तरह से हटा नहीं दिया गया। यह पहलू टैक्स प्रशासन को मजबूत करने और अप्रत्यक्ष करों की चोरी व इसके खिलाफ प्रभावी प्रतिरक्षा के निर्माण से जुड़ा है।

5.2.64 अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में मुख्य जोर एक अधिक डेटा और सृजन का संग्रह हो सकता है। अधिक डेटा-प्रोसेसिंग क्षमता का जो अन्य डेटा के साथ एकीकृत किया जा सकता है और उसमें गुणा करने में मदद करता है तथा संभावित अपवंचकों को ध्वस्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में प्रणाली की संवेदनशीलता में मदद करता है।

5.2.65 उदाहरण के तौर पर, टीबीएमएल को कटौती करने के लिए मामलों की जांच के लिए निर्यात और संबंधित आयात डेटा के बीच बेमेल की संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि डेटा विश्लेषण और अनुसंधान द्वारा किया गया है। अमेरिकी सीमा शुल्क की व्यापार पारदर्शिता प्रणाली (डार्ट्स) के लिए भारतीय सीमा शुल्क को स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। ट्रेड ट्रांसपेरेन्सी यूनिट (टीटीयू) इन लाइनों के साथ जो उपयुक्त कानूनी ढांचे को पेश किया जा सकता है। मौजूदा सीमा शुल्क सहयोग समझौतों में व्यक्तिगत रूप से आपसी प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाती है। जांच चल रही है। मामले इन समझौतों के आदान-प्रदान के लिए संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। नामकरण प्रणाली (एचएसएन) निर्यात और आयात के अध्याय-वार डेटा समान व्यवस्था अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए बनाया जा सकता है।

## ग. 10 एफआईयू-आईएनडी को सुदृढ़ बनाना

5.2.66 एफआईयू को बेहिसाब धन के सृजन और विभिन्न कानूनी और अवैध तरीके से इसके उपयोग के खिलाफ और आगे मजबूत बनाने के लिए समग्र बनाने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एफआईयू-आईएनडी ने पहले ही (वित्तीय आसूचना नेटवर्क) परियोजना शुरू कर दी है ताकि अपनाने के लिए कार्य किया जा सके। महत्वपूर्ण सूचना एकत्र करने, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए उद्योग के सर्वोत्तम अभ्यास और उपयुक्त तकनीक मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए जानकारी परियोजना वित्तीय आसूचना नेटवर्क में काफी वृद्धि होगी। एफआईयू-इंडस्ट्रीज के संग्रह, विश्लेषण, और प्रसार के मुख्य कार्य में दक्षता और प्रभावशीलता वित्तीय जानकारी है। फरवरी 2010 में सिस्टम एकीकृत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और नया तकनीकी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस तरह के प्रयासों को और विस्तारित करने की आवश्यकता होगी।

5.2.67 प्रतिनिधियों के कार्यकारी दल द्वारा 88 रैड फ्लैग संकेतकों का विकास और पहचान, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), बैंक ऑफ इंडिया और एफआईयू-आईएनडी का एक बड़ा विकास रहा है। वित्तीय गतिविधियों की देखरेख ये रैड फ्लैग रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ साझा किए जाने हैं और नियामकों, वर्तमान में अलर्ट तैयार करने के लिए कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में हैं।

## ग.11 सीईआईबी को मजबूत बनाना

5.2.68 सीईआईबी के लिए आईटी क्षमता और नेटवर्किंग के उन्नयन को प्रभावी ढंग से समन्वयन की अपनी प्राथमिक भूमिका को पूरा करने के लिए, विश्लेषण, और संबंधित एजेंसियों को खुफिया और सूचना के प्रसार की आवश्यकता है। यह माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक आसूचना परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। क्षमता विकसित करने के लिए आर्थिक महासचिव के बहुआयामी विद्यालय स्थापित करने के लिए आर्थिक बुद्धि के क्षेत्र में निर्माण स्कूल व इसके पाठ्यक्रम स्थापित करने और निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

## ग.12. अन्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाना

5.2.69 राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय और मजबूत हो सकता है। विभिन्न निगरानी एजेंसियों के समन्वित कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यकर्ताओं का, अद्यतित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, और डाटाबेस का एकीकृत उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है।

## ग. भारत के भीतर कालेधन के सृजन को रोकने के लिए अन्य उपाय

5.2.70 अपराध के रूप में गंभीर और अभ्यस्त कर चोरी को पहचानने और सख्त शासन को लागू करने की आवश्यकता है। अभ्यस्त कर चोरी के खिलाफ प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए राजकोषीय और दंडात्मक परिणाम। अभियोगआयकर विभाग में तंत्र को मजबूत बनाने औरसुव्यवस्थित प्रत्यक्ष कर कानूनों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। अभियोजन मामलों में कानूनी सलाह की प्रणाली की समीक्षा करें और प्रभावी मशीनरी लागू करें।साक्षी सुरक्षा कार्यक्रमों सहित, अभियोजन पक्ष के प्रावधानों को लागू करने के लिए, उन क्षेत्रों को भी शामिल करना है जिन्हेंदेखा जा सकता है कि आयकर विभाग ने पहले ही इन सभी दिशाओं में कार्रवाई शुरू कर दी है।

5.2.71 तीसरे पक्ष की जानकारी सहित जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट करने के लिए कानून और प्रक्रियाएं दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से, और इसके प्रभावी उपयोग, को फिर से सृजित करने की आवश्यकता है।सूचना के सत्यापन के लिए तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। विशाल जानकारी के प्रभावी डेटा खननइकट्टा किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी संभावित गैर-प्रकटीकरण या कर चोरी के मामले में रेड फ्लेग दिखाकर और सूचित किया गया है और उचित करें को एकत्र करने और टैक्स अपराधियों पर गंभीर कार्रवाई करने के लिए और अभ्यस्त मामलों में तुरंत कार्रवाई की गई है।

5.2.72 भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों से निपटने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स (जेटीएफ) दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। कर धोखाधड़ी, आतंकवादी वित्तपोषण, धन-शोधन, पॉजी / एमएलएम योजनाएं, बैंकिंग / वित्तीय धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी / लॉटरी आदि है। ऐसे मामलों में जेटीएफ एजेंसी के नेतृत्व में सभी संबंधित एजेंसियों से मिलकर बना सकता है। कानून के मुख्य उल्लंघन के साथ जुड़ा हुआ है।

5.2.73 काले धन के सृजन को नियंत्रण के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय कराधान, स्थानांतरणमूल्य निर्धारण, आपराधिक जांच, और सूचना के आदान-प्रदान के साथ-साथ इसके साथ-साथ कार्रवाई भी आवश्यक है जैसेजनशक्ति, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी आदि के संसाधन और आवश्यक बजटीय आवंटन।

## घ. समर्थकारी उपाय

### घ.1 सार्वजनिक जागरूकता सृजित करना और सार्वजनिक सहायता बनाना

5.2.74 सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, राजनीतिक इच्छा और निर्णय आम तौर पर जनता का कार्य होता है। मांग और धारणा में यह महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को सरकारी रणनीतियों के बारे में (लूप) में रखा जाता है, औरयह पत्र उन कदमों में से एक है जो सरकार ने इस संबंध में विशेष रूप से अपनाया है। लोगों को यह समझने के लिए कि सरकार काले धन की समस्या को कैसे देखती है और यह कैसे निपटने की योजना बना रही है औरइसे नियंत्रित करें टैक्स अनुपालन के गुणों के बारे में अधिक सार्वजनिक वार्ता और बहस शुरू करने की भी आवश्यकता है। काले धन की समस्या, बयानबाजी से ऊपर उठते हुए और ईमानदारी से विकसित करने का प्रयास करते हुएइसके बारे में व्यापक समझ क्या है और यह कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसे समझा जाना चाहिए। एक और सभी राज्य अधिकारियों के पास वह जादू नहीं है जिसके साथ वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वे इच्छा या प्राप्त करने के लिए निर्देशित हैं।

### घ. 2. लेखापरीक्षकों की जवाबदेही बढ़ाना

5.2.75 कई विकसित देशों के विपरीत, भारत में लेखा परीक्षकों को अपेक्षित रूप से जवाबदेह नहीं किया गया है, परिणामस्वरूपइस महत्वपूर्ण पहलू को लगातार कम करने में विरूपणकारी कापेरिट के हालिया मामलों के अलावाउच्च प्रतिष्ठित फर्मों से जुड़े शासन, नियमित रूप से नियामक प्राधिकरणों द्वारा मामलों का पता लगाया जाता है। लेखा परीक्षक कुल उल्लंघन और यहां तक कि स्पष्ट गलत बयानों को इंगित करने में विफल रहे हैं। अनुपस्थिति मेंपर्याप्त प्रभावी प्रावधानों के लिए, इन चूकों के लिए लेखा परीक्षकों को शायद ही कभी जिम्मेदार रखा जाता है। एक औरइस समस्या का पहलू यह है कि जिस तरीके से एक लेखा परीक्षक कम जवाबदेही के इस माहौल में एक फर्म को चुनता है। और प्रचलित चोरी, क्योंकि एक सख्त

लेखा परीक्षक विस्ल के लिए तैयार है, इसके बीच में यह मुश्किल से उम्मीद कर सकता है। जिनमें से कई विभिन्न स्तरों पर सहयोग और समझौता करने के इच्छुक हैं।

परिणामस्वरूप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियामक उपकरण वास्तव में अधिक से अधिक अनुपालन के लिए योगदान करने में अपनी भूमिका को खोना है। कामकाज और भूमिका के नियमन के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए भविष्य में आवश्यकता होगी। लेखापरीक्षकों और विभिन्न अन्य पेशेवरों द्वारा घोषित घोषणाओं और बयानों की पुष्टि करना और सुनिश्चित करें कि ऐसे पेशेवरों की पर्याप्त सुरक्षा और पर्याप्त जवाबदेही है।

### घ.3 व्हाइस्लेब्लूनर्स और गवाहों को सुरक्षा

5.2.76 भारत में, कानून मुखबिरों/हस्तियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है, न ही सरकारी विभागों में प्रभावी गवाह-संरक्षण कार्यक्रम हैं। परिणामस्वरूप, विश्वसनीय जानकारी आगामी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष होते हैं। सीबीडीटी में डीसीआई को इस तरह के कार्यक्रम को चलाने का अधिकार दिया गया है। तदनुसार, गवाह-संरक्षण कानून को एक विकल्प के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद, साक्षी सुरक्षा कार्यक्रम सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

### घ.4 अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल होने और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों का उपयोग करने की आवश्यकता

5.2.77 एक वैश्विक दुनिया में, जहां सभी हितधारक एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई देश एकतरफा नहीं हो सकता है। अपने हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के बिना इस प्रकार, ऐसे परिदृश्य में, वहाँ अधिक से अधिक उपायों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ एकीकृत और घरेलू रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का, देश में काला धन सृजन को रोकने के उद्देश्य से उपयोग करें।

5.2.78 जी -20 के पहले शिखर सम्मेलन में, भारत ने टैक्स चोरी और परेशानियों पर चिंता जताई है।

कर चोरी के मामलों में पिछले वर्षों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है। कुछ देशों / न्यायालय, अधिकांश विकसित और विकासशील देशों के विपरीत, 'कर धोखाधड़ी' और 'कर चोरी' के बीच अंतर है। जबकि कर धोखाधड़ी एक अपराध है, कर चोरी नहीं है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने से इनकार करते हैं और कर चोरी के बारे में जानकारी का आदान प्रदान धारणा में यह अंतर जानबूझकर सहायता करता है। कर से बचने के उद्देश्य के लिए धन को छिपाना, कुछ विकसित देशों में एक अपराध के रूप में माना जाता है। दुनिया, और सूचना के प्रभावी विनिमय बाधित इस भेद को हटाने की आवश्यकता है। टैक्स धोखाधड़ी का पीछा करने में सरकारी अधिकारियों के प्रयासों की मदद करें जिन्होंने अपने देशों के बाहर धन उगाह लिया है।

5.2.79 भारत सक्रिय रूप से सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान करने के लिए एक मानक का भी सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। जी -20 सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वर्तमान में देशों के लिए विनिमय का कोई दायित्व नहीं है हालांकि स्वचालित रूप से जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह कर जानकारी के आदान-प्रदान का सबसे अच्छा तरीका है जो स्वैच्छिक अनुपालन और कमी को बढ़ावा दे सकता है। कर की चोरी के संबंध में भारत ने जी 20 देशों से अनुरोध किया है कि उन्हें सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। स्वतः आपस में और फिर वे एक कॉल दे सकते हैं और ऐसा करने के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

5.2.80 लेखांकन मानक अधिक पारदर्शिता और योगदान करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं

काले धन के सृजन के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करना। यही कारण है कि जी -20 देशों को जारी रखना चाहिए व बुसान के दौरान इसके द्वारा वकालत के रूप में 'उच्च गुणवत्ता वाले एकल सेट, वैश्विक लेखा मानकों' पर जोर देना जी 20: वित्त मंत्रियों की घोषणा जी 20 देशों को विशेष रूप से इस विचार का समर्थन करना चाहिए और देश-दर-देश के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक का कार्यान्वयन, जिसमें (प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रत्येक देश में रिपोर्ट करे जिसमें इसमें इसके प्रासंगिक विवरण शामिल हैं: इसकी वित्तीय प्रदर्शन, बिक्री, खरीद, श्रम लागत, वित्तपोषण की लागत का विवरण, सुविधा भुगतान, प्री-टैक्स लाभ, कर प्रभार, और बुक वैल्यू है।

## घ.5 संगत कानूनों और विनियमों को परिष्कृत (फाइल-टयून) करने की अपेक्षा

5.2.81 विनियमन के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता भी है। बदलते माहौल के साथ जिसमें इन कानूनों को लागू किया जाना है, वहां हमारे कानूनों और प्रथाओं को भी संशोधित करने की जरूरी आवश्यकता है व प्रचलित वातावरण में उन्हें प्रभावी बनाने की। हालांकि इस तरह के प्रयास केंद्रीय क्षेत्र में हैं। ऐसे कई अन्य कानून हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काले धन के सृजन के लिए संबंधित हैं, को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है उनमें से कुछ प्रतिमान बदलाव की प्रकृति में हो सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, जो कि नागरिकों को सशक्त बनाने और मनोविज्ञान में एक प्रमुख पहल है, प्रणाली में पारदर्शिता अन्य विधायी उपायों का उद्देश्य प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। वित्तीय अपराधों के अपराधियों के खिलाफ एक उदाहरण आयकर अधिनियम में हालिया संशोधन है, जिससे आयकर मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए सीमा अवधि को विदेश में आयोजित अव्यवहारिक संपत्ति पर कर लगाने के लिए के वर्तमान छह वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

5.2.82 काले धन से प्रभावी रूप से नहीं लड़ा जा सकता जब तक न्यायिक मशीनरी से निपटने के लिए विशेष प्रक्रिया न हो। अपराधों का मुकदमा तेज है और दंडनीय अनुकरणीय है। विभिन्न कानून प्रवर्तन के लिए कानूनी समर्थन एजेंसियों को बढ़ाया जाना चाहिए। सभी वित्तीय अपराधों को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के माध्यम से जांचना चाहिए। विधि मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे को उठाना पड़ सकता है और फास्ट-ट्रैक को स्थापित करने की व्यवस्था कर सकती है पूरे देश में एक समयबद्ध तरीके से अदालतें न्यायिक अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार आर्थिक अपराधों की तकनीकी पहलुओं इनपुट प्रदान किया जा सकता है।

5.2.83 सभी कर मुकदमों से निपटने के लिए एक प्रोफेशनल राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया कि आर्थिक अपराधों के आपराधिक मुकदमों के लिए, उच्च न्यायालय अनन्य रूप से स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। विशेष अपराध प्रक्रिया के साथ आर्थिक अपराध न्यायालय आर्थिक कानूनों के अंतर्गत, अलग-अलग सजाविभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित हैं व आर्थिक अपराधों के लिए न्यूनतम सजा भी निर्धारित की जानी चाहिए। अधिक प्रतिरक्षा के लिए बढ़ी सजा, अन्य गंभीर आर्थिक अपराधों के बराबर होने की संभावना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ और अधिक प्रभावी प्रतिरोध प्रदान करें।

## घ.6 सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाना

5.2.84 काले धन के खतरे के खिलाफ लड़ाई को एक साथ, नैतिक, सामाजिक-आर्थिक, और प्रशासनिक स्तर पर लड़ा जाना अपेक्षित है। नैतिक स्तर पर, हमें मूल्य / नैतिक शिक्षा को मजबूत करना होगा स्कूल के पाठ्यक्रम और अच्छे नागरिकों का निर्माण, विशेष रूप से कर चोरी और काले धन की समस्याओं पर प्रकाश डाला। सामाजिक-आर्थिक स्तर पर, सार्वजनिक नीति का जोर विशिष्ट और बेकार को हतोत्साहित करना चाहिए खपत / व्यय, बचत, मितव्ययिता और सादगी को प्रोत्साहित करती है, अमीर और गरीब बीच की खाई को कम करती है

## 5.3 अवैध या आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से काले धन के सृजन की कमी के लिए रणनीतियां

5.3.1 अवैध और आपराधिक गतिविधियों काले धन के सृजन और कटौती का समान रूप से महत्वपूर्ण स्रोत हैं वे सरकार की समान प्राथमिकता के समान हैं। चूंकि इनमें से कई गतिविधियों में गिरावट आई है। कानून और व्यवस्था के मुद्दों के दायरे, वे मुख्य रूप से राज्य सरकारों के डोमेन में हैं, यह कहा जा सकता है कि इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति इन क्षेत्रों में हासिल किया जाता है और सभी राजनीतिक हितधारक इन रणनीतियों का पीछा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध हैं।

## क. संगठित अपराध

5.3.2 संगठित अपराध, जहां कहीं और मौजूद है, मुनाफाखोरी और संपदा के संचय की ओर जाता है

कि रिपोर्ट नहीं की जा सकती, जिससे काले धन पैदा हो। इस तरह के काले धन या तो सफेद किया जाता है और जवाबदेह अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाता है या देश से बाहर ले जाया जाता है या देश के भीतर रहता है, जहां यह प्रकृति में ठोस और अमूर्त दोनों, बेनामी संपत्तियों में निवेश कर सकती है। संगठित अपराध कई क्षेत्रों में मौजूद हो सकते हैं और अक्सर असुरक्षित व अनुपस्थित वैध गतिविधियों के साथ मिश्रित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किरायेदारों के सशक्त अवैध निष्कासन का सहारा लेने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर इसमें शामिल हो सकता है। काले धन उत्पन्न करने के लिए वैध और अवैध दोनों गतिविधियां राज्य सरकारों द्वारा सख्त कार्रवाई इन अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है।

## ख. भ्रष्टाचार

5.3.3 आज भ्रष्टाचार देश के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक माना जाता है, और यह सरकार पूरी तरह से इसका विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि विस्तृत चर्चा सभी कारकों को छूती है भ्रष्टाचार का नेतृत्व और नीतियों के व्यापक सुधार और उनके निष्पादन के दायरे से इस पेपर से बाहर हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहु-आयामी दोनों रणनीतियों की आवश्यकता होती है व्यापक सुधार और साथ ही साथ अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली संस्थाओं की क्षमता निर्माण जो कि इसे रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

5.3.4 सरकार ने सार्वजनिक प्रापण बिल 2012 पेश किया है। यह विधेयक जनता को विनियमित करना चाहता है सभी मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों की खरीद इसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, निष्पक्ष और बोलीदाताओं का न्यायसंगत उपचार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, और दक्षता और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

5.3.5 विभिन्न कार्यक्रमों चल रही है भारी सार्वजनिक व्यय से जुड़े सामाजिक-क्षेत्रीय योजनाएं, कथित रूप से पीड़ित हैं जोड़तोड़ और रिसाव से लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष स्थानांतरण एक समाधान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वे फर्जी मुहर रोल जैसे जोड़तोड़ को रोकेंगे। यद्यपि यूआईडी जैसे प्रयास और सीधे सब्सिडी के हस्तांतरण से कुछ क्षेत्रों में रिसाव बंद हो जाएगा, अन्य क्षेत्रों में अलग ढंग से संबोधित समस्या होनी होगी।

5.3.6 लोकपाल और लोकायुक्त के संस्थानों को केंद्र और राज्यों द्वारा क्रमशः जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच में तेजी लाने और दोषी को दोषी मानने के लिए क्रमशः राज्य लोकपाल के संबंध में विधायी कदम पहले ही ले जा चुका है और बिल का विचार संसद में विचाराधीन है इसके अलावा, इस संदर्भ में अन्य विधेयक जो अधिनियमित करने के लिए संसद में लंबित हैं, लोकहित प्रकटीकरण और प्रकटीकरण करने वाले व्यक्तियों के लिए संरक्षण विधेयक, 2010 (भंडाफोड़ विधेयक) न्यायिक मानक और जबावदेही विधेयक, 2010 और नागरिक शिकायत निवारण विधेयक, 2010 है।

## ग. अन्य आपराधिक गतिविधियां जो काले धन तक ले जाती हैं

5.3.7 कई अवैध गतिविधियां और अपराध हैं जो महत्वपूर्ण आय के कारण होते हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं की जा सकती है क्योंकि गतिविधियां अवैध स्वरूप होती है। इनमें नकली मुद्रा, ड्रग व्यापार और आतंकवाद शामिल हैं। उनमें से हर एक काले धन के सृजन का प्रमुख स्रोत हो सकता है और उनका नियंत्रण एक ही हो सकता है। समाज से पहले महान चुनौतियों का इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों की सभी एजेंसियों की आवश्यकता है वसक्रिय रूप से दीर्घकालिक रणनीतियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें रोकना है।

5.4 विदेश में जमा काले धन के प्रत्यावर्तन के लिए रणनीतियां और सूचना की गोपनीयता से संबंधित मुद्दे  
सूचना की गोपनीयता

क. विदेश में रखे गए काले धन का प्रत्यावर्तन

5.4.1 भारत सरकार ने बार-बार भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में रखे गए काले धन को वापस लाने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। हालांकि, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सरकार द्वारा एकतरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसमें समन्वय और अन्य देश के सहयोग की आवश्यकता है। यह हासिल करने के लिए, सरकार एक वातावरण विकसित करने और इस तरह के सहयोग के लिए कानूनी तंत्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। वैश्विक आम सहमति और विशिष्ट द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से डीटीए और टीआईईएस के नेटवर्क है जिन्हें अध्याय 4 में हाइलाइट किया गया है और यह इस दिशा में एक प्रमुख कदम है हालांकि, इन डीटीए / टीआईईएस के पास अज्ञात आस्तियों के प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान नहीं है मौजूदा कानूनों में से कुछ में सीमित प्रावधान हैं, हालांकि, अज्ञात आस्तियों के प्रत्यावर्तन के लिए तंत्र की कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है। विदेश में स्थित इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहमति के बिना, घरेलू कानून को लागू करना मुश्किल है। विदेशों में स्थित संपत्ति के प्रत्यावर्तन का एकमात्र अपवाद संयुक्त राष्ट्र चल रही है प्रावधान है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कन्वेंशन (यूएनसीएसी), जहां यह स्थापित किया गया है कि अज्ञात संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रष्टाचार की राशि को जब्त किया जा सकता है और प्रत्यावर्तन किया जा सकता है। भारत ने 9 मई 2012 को यूएनसीएसी की पुष्टि की है और इस प्रकार भ्रष्टाचार के मामलों में, यह विदेशों में स्थित संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए एक प्रभावी उपकरण होगा।

5.4.2 अक्टूबर 2010 में स्विस् संसद द्वारा पारित अवैध परिसंपत्ति अधिनियम, 2011 का पुनर्निर्धारण, प्रदान करता है। राजनीतिक रूप से उजागर हुए व्यक्तियों, या उनके सहयोगियों की फ्रीजिंग, जब्ती और पुनर्स्थापना के लिए, जहां एक अनुरोध अनुरोधित राज्य में राज्य संरचनाओं की विफलता के कारण एमएलएटी चल रही है किया गया परिणाम एक परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता है।

राज्य संरचना की असफलता उन मामलों में होगी जहां अनुरोध करने वाले राज्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। कुल या पर्याप्त पतन के कारण एमएलएटी या इसके राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली की अनुपलब्धता जबसे भारत में एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली है और स्विट्जरलैंड के साथ मिलनसार एमएलएटी भी है, हम ऐसा नहीं करते हैं। इस अधिनियम का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है।

5.4.3 आयकर अधिनियम, कर, दंड ब्याज और जुर्माना (100% से 300% के बीच) विदेशों में स्थित अज्ञात आस्तियों के बारे में जानकारी होने पर भी टैक्स से बचने के लिए लगाया जाता है) में ज्यादातर मामलों में यह अज्ञात संपत्ति के बराबर या 100 प्रतिशत से अधिक है। कर देयता (दंड सहित) को फिर से भारतीय संपत्ति से वसूल किया जा सकता है यदि कर दायित्व को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है भारतीय संपत्ति से, अन्य देश की सहायता (जहां अज्ञात संपत्ति स्थित है), हो सकता है अगर डीटीए में कर संग्रह में सहायता के लिए एक प्रावधान है जिसे लिया गया है। यह प्रावधान भारत के 82 डीटीए 30 में से मौजूद है (नॉर्वे, बोत्सवाना, रोमानिया, डेनमार्क, पोलैंड, तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, त्रिनिदाद और टोबैगो, जॉर्डन, चेक गणराज्य, मोरक्को, पुर्तगाली गणराज्य, बेल्जियम, किर्गिज गणराज्य, बांग्लादेश, यूक्रेन, युगांडा, सूडान, आर्मेनिया, आइसलैंड, ताजिकिस्तान, लक्समबर्ग, कतर, मेक्सिको, उरुग्वे, मोजाम्बिक, और जॉर्जिया)। अन्य डीटीए में इस प्रावधान के साथ-साथ शामिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

5.4.4 भारत ने कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर 2 फरवरी 2012 को बहुपक्षीय कन्वेंशन की पुष्टि की है। यह 1 जून 2012 से लागू होगा। यह कन्वेंशन टैक्स में सहायता प्रदान करता है। कन्वेंशन के पक्ष हैं, उन देशों से संग्रह (बशर्ते इस तरह की सहायता पर) उन्होंने कोई भी धारणा नहीं रखी है। इस प्रकार भारत इन कर दायित्व की सीमा तक देशों से पैसा वापस लाने के लिए बेहतर सुसज्जित होगा।

5.4.5 चोरी की परिसंपत्तियां रिकवरी (स्टार) विश्व बैंक समूह और यूएनओडीसी के बीच एक साझेदारी है। (ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) जो कि उनके लिए सुरक्षित हैवन को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। भ्रष्ट धन इस दिशा में, यह एक साथ सरकारों के नियामक प्राधिकरण, वित्तीय संस्थानों, और सिविल सोसायटी के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और चोरी, संपत्ति पहचान, और चोरी की वसूली के लिए कार्रवाई करता है। भारत ने खुद को स्टार पहल के साथ संबद्ध करने के लिए कदम उठाए हैं।

5.4.6 इस कानूनी ढांचे के भीतर, भारत सरकार अवैध धन वसूलने के लिए कदम उठा रही है

जो विदेश में रह गया है सरकार को डीटीए के कानूनी ढांचे के विस्तार की आवश्यकता होगी और पिछले कुछ सालों की तरह जानकारी का एक बहुत उपयोगी स्रोत रहा है सरकार को इसके लिए भी आवश्यकता होगी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने और कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के अपने प्रयासों को बनाए रखें। टैक्स चोरी मामलों में पैसे के प्रत्यावर्तन पर सहायता बनाने पर यह वैश्विक आम सहमति प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करेगी।

## ख. स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाएं और कर वसूली

5.4.7 विदेश में रखे गए काले धन को वापस लाने के लिए सुझाए गए विकल्पों में से एक स्वैच्छिक योजना है। ऐसी जमा राशि का खुलासा यह विकल्प सफलतापूर्वक कुछ देशों (यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, आदि) द्वारा अंगीकृत किया गया है। इन योजनाओं में, अभियोजन पक्ष से उन्मुक्ति के रूप में केवल आंशिक लाभस्वैच्छिक प्रकटीकरण के एवज में उपलब्ध कराए गए थे, जैसा कि एकमुश्त ब्याज और जुर्माना भुगतान किया जाना है, के साथ करों के साथ है। अतीत में, भारत ने स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं का भी चयन किया है। एक समान योजना, लक्षितकर की बढ़ती क्षमता को ध्यान में रखते हुए, विदेशों में जमा हुए काले धन पर एक बार विकल्प हो सकता है। विदेशी अधिकार क्षेत्र से जानकारी का उपयोग करने के लिए प्रशासन हालांकि, इन योजनाओं को भी किया गया है। ऐसी योजनाओं और परिणामी नैतिक खतरों की भविष्य की अपेक्षाओं को बनाने के लिए आलोचना की। हाल के वर्षों में, आम जनता की भावना को भी कर चोरी करने वालों के लिए कोई भी उन्मुक्ति देने के खिलाफ है। भारत से बाहर रखे धन को हालांकि ऐसी योजनाएं खोए हुए कर राजस्व में से कुछ को हासिल करने में मदद करती हैं, उनकी संपूर्ण व्यवहार्यता का मूल्यांकन इस पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए।

5.4.8 इस संबंध में कुछ क्वार्टरों से सोना जमा योजना का भी सुझाव दिया गया है जो अनिवार्य रूप से यह बताता है कि यदि जमाकर्ताओं का सोने के साथ हिस्सा आता है, तो वे इसे वापस सोने के रूप में प्राप्त करेंगे। यह एक भी ले सकता है वापसी की मामूली दर और हस्तांतरणीय होना चाहिए ताकि बिक्री के लिए संपार्श्विक रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा यह है कि धारकों को पूरा करने के लिए आगे आने पर पूरी कर प्रतिरक्षा होनी चाहिए। जमा और जमाकर्ताओं से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि वे सोना कहां से लाएं। हालांकि, मुद्रापूरा कर प्रतिरक्षा अन्य नीतिगत उद्देश्यों के प्रकाश में जांच की जानी चाहिए।

## ग. राजस्व साझाकरण के लिए देशों के बीच समझौता

5.4.9 स्विट्जरलैंड के लिए यूके और स्विट्जरलैंड के बीच प्रशासनिक सहमति है। स्विस् बैंक में ब्रिटेन के नागरिकों के खातों पर यूके के साथ करों का हिस्सा इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि 24

अगस्त 2011 यूके और स्विट्जरलैंड ने पूंजीगत आय के संबंध में एक कर समझौता शुरू किया है। स्विट्जरलैंड में संपत्ति से ब्रिटेन निवासियों इस समझौते से यूके द्वारा करों पर लगाए जाने की सुविधा दी जाती है। दो तरीकों से आय:

- (i) उन खातों के संबंध में एक पूर्वव्यापी शुल्क जो कि 31 दिसंबर 2010 को संचालित थे और 31 मई 2013 को; तथा
- (ii) किसी भी भविष्य की आय पर कर शुल्क।

पूर्वव्यापी कर प्रभार के संदर्भ में, यूके के निवासी को एक बार एकमुश्त राशि के रूप में कर का भुगतान किया जाएगा। नाम के प्रकटीकरण के बिना भुगतान (संपत्ति के मूल्य के 19 से 34% के बीच कर की दर); या वह उसके खाते के प्रकटीकरण की अनुमति दे सकते हैं और फिर कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है टैक्स शुल्क पर भविष्य की आय का 27% (कैपिटल गेन के लिए) और 48% के अंतिम रोक लगाने वाला टैक्स होगा (निवेश आय के लिए) यह मूल रूप से एक राजस्व-साझाकरण समझौता है। समझौते की 2013 के अंत में लागू होने की उम्मीद है। समान राजस्व-साझाकरण समझौतों जर्मनी और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में किया गया है।

5.4.10 भारत ने पहले ही स्विट्जरलैंड के साथ इस मुद्दे को उठाया है हालांकि, लागतों का आकलन करने की आवश्यकता है कि किसी भी नीति निर्णय लेने से पहले कदम के संभावित लाभ यह देखा जा सकता है कि बीच में समझौता ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड एक राजस्व-साझाकरण मॉडल के अधिक है जो कि राजस्व की हिस्सेदारी साझा करने की अनुमति देता है। पहचान प्रकट करना नाम, के प्रकटीकरण की अनुमति तब ही दी जाती है जब ब्रिटेन के निवासी, संपत्ति में होल्डिंग स्विट्जरलैंड,

स्वयंसेवकों को उनके नाम का खुलासा करने या ब्रिटेन के कर अधिकारियों ने निकटतम प्रासंगिकता मानदंड स्थापित करने के बाद एक अनुरोध किया है।

5.4.11 इस प्रकार, भारत को पहले निर्णय करना होगा कि क्या इस तरह के समझौता इसके पूरा करेगा या नहीं। राष्ट्रीय उद्देश्य जहां इसे स्विस सरकार के साथ हुई संपत्ति पर करों को साझा करने का अवसर मिल सकता है। भारतीय निवासियों की पहचान सीखने के बिना स्विट्जरलैंड में भारतीय निवासियों द्वारा

भारत सरकार संसद के भीतर और बाहर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की आगे के कदम उठाने से पहले उम्मीद करती है।

## घ. डीटीए / टीआईईएस चल रही है सूचना की गोपनीयता

5.4.12 सरकार संधि प्रावधानों चल रही है बाध्य होती है जिस चल रही है सूचना प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक, डीटीए / टीआईईएस चल रही है आदान-प्रदान की जाने वाली टैक्स जानकारी गोपनीयता से संरक्षित है संबंधित डीटीए / टीआईईएस की धारा जिस चल रही है सूचना प्राप्त होती है। गोपनीयता प्रावधान के तहत डीटीए / टीआईईएस आमतौर पर केवल कर उद्देश्यों के लिए जानकारी या सूचना का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। भारत गोपनीयता की धारा को छोड़कर अपने डीटीए से पुनः बातचीत करने या नए डीटीए / टीआईईएस को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली, हालांकि कुछ देशों ने एक ऐसा प्रावधान शामिल करने के लिए सहमति जताई है जो साझा करने की अनुमति देता है। अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की जाने वाली जानकारी कुछ शर्तों की पूर्ति के लिए होती है, उन्होंने गोपनीय प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म करने के भारत के अनुरोध को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, क्योंकि वे दृढ़ता से महसूस करते हैं कि जब तक कोई अदालत के सामने टैक्स का मामला सामने नहीं आ जाता तब तक सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इन देशों ने भारत में मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी गुप्तता पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें देश से लगभग 100 भारतीय बैंक खातों की जानकारी मिलती है, तो यह साबित नहीं होता है कि स्वचालित रूप से ये सभी 100 खाते भारतीय नागरिकों के काले धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, के मामले हो सकते हैं जहां खाताधारक एक एनआरआई हो सकता है जो कि भारत में कर के संबंध में मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उन रकम या जमा राशि पहले से आयकर विभाग को बताई जा चुकी हैं। जांच और कर-निर्धारण के पूरा होने के बाद ही कोई उचित रूप से कह सकता है कि क्या बैंक में रखा गया धन काले धन को द्योतक है।

5.4.13 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्यांकन के बाद इन नामों के पूरा होने के बाद इन नामों में कोई देरी नहीं हुई है सरकार ने एक राय ली है कि उन मामलों में जहां किसी भी अज्ञात विदेशी संपत्ति है

(अज्ञात विदेशी बैंक खातों सहित) का पता लगाया गया है, पहली अपील के निपटारे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है यामुकदमा चलाने के लिए जुर्माना लगा देना है। तदनुसार, अभियोजन पक्ष 17 मामलों में शुरू किया गया था। जर्मन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मूल्यांकन के पूरा होने के तुरंत बाद एलजीटी बैंकों में बैंक खाते वाले भारतीयों के बारे में और इन 17 नामों को अभियोजन शुरू होने पर सार्वजनिक हो गए हैं। अन्य मामलों में इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है जहां अज्ञात विदेशी संपत्तियां का पता चल गया।

5.4.14 आगे भारत सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अधीन है डीटीए / टीआईईएस चल रही है प्राप्त इस संदर्भ में यह सभी देशों की पीयर समीक्षा प्रक्रिया के अधीन है। टैक्स प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं व भारत ग्लोबल फोरम के पीयर रिव्यू ग्रुप के उपाध्यक्ष है। पीयर रिव्यू ग्रुप मूल्यांकन कर रहा है व सभी देशों के संदर्भ के एक सेट के खिलाफ संदर्भ की एक संदर्भ (सी .3) स्पष्ट रूप से जनादेश व सक्षम अधिकारियों के बीच सूचना के गोपनीयता के साथ-साथ संवाद भी कोई भी उल्लंघन गोपनीयता खंड न केवल भारत की रेटिंग को अपने समीक्षकों की समीक्षा में ही प्रभावित करेगा, बल्कि इसकी अंतरराष्ट्रीय छवि भी यह संकेत दे कि भारत अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यह गंभीरता से जोखिम में डाल सकता है। भविष्य में अन्य देशों से समान जानकारी पाने के लिए भारत के प्रयास इस प्रकार सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण व जर्मनी, फ्रांस, या अन्य देशों से प्राप्त की

जाने वाली किसी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और इस संबंध में किसी भी भविष्य के प्रयासों को खतरे में डालना नहीं है।

5.4.15 एक अन्य संबंधित सवाल है, अर्थात् फ्रांस के साथ संधि खुलासा न करने के लिए कैसे प्रासंगिक है, भारतीयों के नाम स्विस् बैंकों में खाते हैं। डीटीए देशों चल रही है विनिमय करने के लिए बाध्य हैं, यदि उनके पास कर चोरी की पहचान होती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उनके देश में उपलब्ध जानकारी उस देश को जानकारी प्राप्त की गई है इसलिए फ्रांस सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए दायित्व में है। भारत-फ्रांस डीटीए चल रही है भारत में अगर यह भारतीय नागरिकों के बैंक खातों के बारे में जानकारी रखता है जो टैक्स चोरी का पता लगाने की संभावना है, भले ही बैंक खाता तीसरे देश में स्थित हो। इसके अलावा, यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक भी है कि आपूर्ति करने वाले राज्य को सूचना देनी चाहिए, चाहे इसमें घरेलू रुचि नहीं है।

5.5 इस दस्तावेज़ को इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का एक गंभीर प्रयास है। काले धन की, इसके सृजन और अवैध धन उगाहने के लिए रणनीतियां हैं। उम्मीद की जाती है कि यह दस्तावेज़ इस विषय पर अधिक जानकारी वाले सार्वजनिक बहस को आधार प्रदान करेगा। कारकों की जटिलता है कि इस समस्या को रेखांकित करने के लिए राजनीतिक और संस्थागत विभाजन के पार एक व्यापक आधार पर साथ ही विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच भी सहमति जरूरी है। नीति पर आम सहमति बनाने में सफलता व विनियमन करने के लिए रूपरेखाएं और आखिरकार इस संकट को समाप्त करने से देश को बनाने में काफी मदद मिलेगी।

मानव उद्यम की सुविधा के लिए अधिक न्यायसंगत और कुशल होगा।

## अनुबंध

### अनुलग्नक 1: धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराध

क्रम सं०	अपराध की निर्दिष्ट प्रकृति	पीएमएलए अनुसूची के अनुसार एक्ट का नाम
1.	संगठित आपराधिक समूहमें सहभागिता और धमकी देकर काम करना	भारतीय दंड संहिता, 1 99 6 (120 बी - आपराधिक साजिश) अनुसूची का भाग ख
2.	आतंकवाद सहित आतंकवादी वित्तपोषण	गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1 9 67 (एसएस धारा 3; 11 एसएस.3 और 7 के साथ पढ़ा; 13 s.3 से पढ़ें 16 पढ़ें एस। 15, 16 ए, 17,18, 18 ए, 18 बी, 1 9, 20, 21, 38, 39 और 40) - अनुसूची का भाग क
3	मानवों का अवैध व्यापार और प्रवासी तस्करी	बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1 9 76 (एसएस 16, 18 और 20) - अनुसूची के भाग बी मानव के प्रत्यारोपण अंग अधिनियम 1994 (एसएस'18, 1 एस और 20) - भाग बी का अनुसूची बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1 9 2 9 (14) - अनुसूचित जनजाति के भाग बी (देखभाल और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2000 (एसएस 23 से 26) - भाग बी अनुसूची- उत्प्रवासन अधिनियम, 1 983 (एस। 24) - भाग बी का अनुसूची पासपोर्ट अधिनियम, 1 9 67 (एस .12) - भाग बी अनुसूची विदेशियों अधिनियम, 1 9 46 (एसएस 14, 14 बी और 14 सी)

-  
अनुसूची का भाग बी

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 4  | यौन शोषण,<br>यौन सहित<br>बच्चों का शोषण                        | मानव तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1 9 56 (एसएस। 5.6, 8 और 9) -<br>अनुसूची का भाग बी   |
| 5  | मादक पदार्थों में अवैध तस्करी<br>दवाओं और मनःप्रभावी<br>पदार्थ | मादक पदार्थ एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम(नारकोटिक ड्रग्स एंड<br>साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1 9 85)<br>(एसएस 15 से 24, 25 ए, 27 ए और 2 9) - अनुसूची के भाग ए  |
| 6  | हथियारों का अवैध व्यापार                                       | शस्त्र अधिनियम 1959 (एसएस 25 से 30) - अनुसूची के भाग बी   |
| 7  | चोरी किए और वस्तुओं का<br>अवैध व्यापार, लेनदेन                 | भारतीय दंड संहिता, 1860 (411 से 414) –अनुसूची का भाग बी   |
| 8  | भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी                                       | भारतीय दंड संहिता, 1860, (एसएस .17 से 424) - भाग बी<br>अनुसूची  |
| 9  | धोखाधड़ी   | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1 9 88 (एसएस 7 से 10 और 13) -<br>अनुसूची का भाग बी   |
| 10 | नकली मुद्रा  | भारतीय दंड संहिता 1860 (एसएस 48 9 ए और 48 9 बी) – अनुसूची<br>का भाग ए   |
| 11 | उत्पादों की नकल और चोरी  | कॉपीराइट एक्ट, 1 9 57 (एसएस 7 से 10 और 13) -बीपी बी का<br>अनुसूची। ट्रेड मार्क एक्ट, 1 9 99 (एसएस 103, 104, 105, 107 और<br>120) - अनुसूची के भाग बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। 2000 (एस<br>.72 और 75) - शेड्यूल्यू बायोलॉजिकल का भाग बी डायवर्सिटी एक्ट,<br>2002 (एसयू। 55 के साथ पढ़ा हुआ 55) - भाग बी का शेड्यूलली<br>प्लांटवर्तियों और किसानों का संरक्षण राइट्स एक्ट, 2001 (एस 70 से<br>73 सी .66 के साथ पढ़ा) - भाग बी अनुसूची भारतीय दंड संहिता 1860<br>(255. 257 तक) 260, 475, 476, 486 से 488) - अनुसूची का भाग बी |
| 12 | पर्यावरण संबंधी अपराध  | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (धारा 5 के साथ पढ़ा गया एसएस 7<br>और 8) - अनुसूची के भाग बी जल (रोकथाम और<br>प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1 9 74 (एसएस 41 (2) और 43) - भाग<br>बी अनुसूची हवा (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम,<br>1 9 81 (एस। 37) - अनुसूची के भाग बी वन्य जीवन (संरक्षण)<br>अधिनियम। 1 9 72 (एस। 51, एसएस 9, 17 ए, 39 44, 48 और 49 बी<br>के साथ पढ़ा) – अनुसूची का भाग बी   |
| 13 | हत्या, गंभीर शारीरिक<br>चोट                                    | भारतीय दंड संहिता, 1860 (302, 304, 307, 308, 327, 32 9)-<br>अनुसूची का भाग बी   |
| 14 | अपहरण, अवैध बंधक व्यक्ति                                       | भारतीय दंड संहिता, 1860 (364 ए) - अनुसूची का भाग बी   |
| 15 | डकैती या चोरी  | इंडियन पेनलकोड 1860 (एसएस 392 से 402) - भाग बी  |

16	तस्करी	सीमा शुल्क अधिनियम 1 9 62 (135) - अनुसूची का भाग बी
17	धन ऐंठना	भारतीय दंड संहिता 1860 ( एसएस 383 से 389) अनुसूची का भाग बी
18	जालसाजी	भारतीय दंड संहिता, 1860 (एसएस 467, 471 से 473) -अनुसूची का भाग बी
19	समुद्री डकैती (पाइरेसी)	मैरीटाइम की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी प्रतिबंधों का दमन नेविगेशन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट, 2002, पर निर्धारित प्लेटफार्म(एसए 3) - कॉन्टिनेंटल पर शेड्यूल एंड फिक्स्ड प्लैटफॉर्म का भाग बी
20	अंदरूनी ट्रेडिंग व जोड़तोड़ बाजार	शेल्फ एक्ट, 2002 (3) - अनुसूची के भाग ख भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1 99 2 (12 एस.24 के साथ पढ़ें) - अनुसूची का भाग बी

## अनुलग्नक 2: जी 20 विज्ञापितियों का पाठ

1.जी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, पेरिस, 18-19फरवरी 2011की बैठक में विज्ञापित।

"हम सभी न्यायिक अधिकारों से आग्रह करते हैं कि वे अपने टैक्स सूचना एक्सचेंज करारों के नेटवर्क को आगे बढ़ाएं और न्यायालयों को पारस्परिक प्रशासनिक स्तर पर बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने पर विचार करने के लिए व कर मामलों में सहायता के लिए प्रोत्साहित करते हैं"

2. जी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, वॉशिंगटन की बैठक में टिप्पणीडीसी, 14-15 अप्रैल 2011 "हम गैर-सहकारी न्यायक्षेत्र से निपटने और पूरी तरह से निपटने के लिए कार्रवाई के लिए गति को बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। जी 20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई योजना को लागू करना हमने ग्लोबल फ़ोरम से पूछा कि हमें तरीके बताएं ताकि कर जानकारी के आदान-प्रदान की प्रभावशीलता में सुधार हो"

3. जी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स पेरिस, फ्रांस की बैठक में 14-15 अक्टूबर 2011 टिप्पणी, "हमने उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक लेखा मानकों के एक समूह को हासिल करने के लिए हमारे उद्देश्य की पुष्टि की। हम गैर-सहकारी न्याय-क्षेत्र और कर से निपटने में हुई प्रगति की चर्चा के लिए तत्पर हैं। केंज में आश्रय हमने विशेष रूप से व्यापक कर जानकारी के महत्व को रेखांकित किया। ग्लोबल फ़ोरम में अपने काम को जारी रखने के लिए सक्षम अधिकारियों को एक्सचेंज और प्रोत्साहित करें। इसे सुधारने के लिए साधनों का मूल्यांकन और बेहतर परिभाषित करें। "

4. जी 20 सियोल शिखर सम्मेलन में नेताओं की घोषणा नवंबर 2010: "गैर-सहकारी न्याय-क्षेत्र को जोखिमों को खारिज करने से रोकने के लिए हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली और एफएसबी, टैक्स पर ग्लोबल फ़ोरम द्वारा चल रहे प्रयासों का स्वागत किया। पारदर्शिता और सूचना का एक्सचेंज (ग्लोबल फ़ोरम), और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), व्यापक, सुसंगत और पारदर्शी मूल्यांकन पर आधारित है। हम लोग समझौता पर पहुँच गए।

एफएसबी वसंत 2011 द्वारा निर्धारित उन न्यायालयों को पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया या वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर अनुपालन के लिए अपर्याप्त प्रगति दिखाती है। अनुशासित क्रियाओं के आधार पर, सहमति से संबंधित आदान-प्रदान और सहयोग के मानकों के अनुरूप सहमत समय सारिणी ग्लोबल फ़ोरम ने इस बात से सहमत उद्देश्य प्राप्त करने के लिए चरण 1 और 2 समीक्षाओं की प्रगति के लिए तेजी से प्रगति की है। टोरंटो में नेता और नवंबर 2011 तक प्रगति की रिपोर्ट। समीक्षा किए गए न्यायालयों के रूप में पहचान की जानकारी के एक प्रभावी आदान-प्रदान को प्राप्त करने के

लिए तत्काल तत्वों को नहीं होना चाहिए। हम सभी अधिकार क्षेत्र से अनुरोध करते हैं कि वे एक प्रासंगिक सहयोगी द्वारा अनुरोधित एक्सचेंज करार कर जानकारी समाप्त करने के लिए तैयार हों।"

5. नवंबर 2011 में जी 20 केंज शिखर सम्मेलन में नेताओं की घोषणा:

"हम जोखिमों से हमारे सार्वजनिक वित्त और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। टैक्स हेवन और गैर सहकारी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत होने वाली क्षति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कम विकसित देशों के लिए आज हमने निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में की गई प्रगति की समीक्षा की:-

कर क्षेत्र में, ग्लोबल फोरम में अब 105 सदस्य हैं। 700 से अधिक सूचना विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वैश्विक मंच एक व्यापक सहकर्मों की समीक्षा प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है। कानूनी ढांचा (चरण 1) और मानकों का कार्यान्वयन (चरण 2) हम ग्लोबल फोरम से पूछते हैं। मंच 1 चरण के पहले चरण को पूरा करने और चरण 2 समीक्षाएं आगे बढ़ने के लिए फोरम अगले साल के अंत तक हम अपने अगले शिखर सम्मेलन में प्रगति की समीक्षा करेंगे। 159 न्यायालयों में से कई ग्लोबल फोरम द्वारा समीक्षा की गई है जो पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर शिकायत कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं। 379 प्रासंगिक सिफारिशों के कार्यान्वयन के माध्यम से हम सभी न्यायालयों से आग्रह करते हैं। अपनी समीक्षाओं के दौरान पहचानी गई कमी से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। विशेष रूप से 11 न्यायालय, जिनके ढांचे ने उन्हें इस स्तर पर करने की अनुमति नहीं दी है चरण 2 हम विशेष रूप से व्यापक कर सूचना विनिमय के महत्व को रेखांकित करते हैं और सक्षम अधिकारियों को मूल्यांकन करने के लिए ग्लोबल फोरम में अपने काम को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बेहतर इसे बेहतर बनाने के साधन को परिभाषित हम सभी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय कन्वेंशन और जोरदार प्रोत्साहन इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अन्य न्यायालय इस संदर्भ में, हम जानकारी का आदान-प्रदान करने पर विचार करेंगे। स्वैच्छिक आधार पर स्वचालित रूप से उचित और जैसा कि सम्मेलन में प्रदान किया गया है;

- विवेकपूर्ण क्षेत्र में, एफएसबी ने एक प्रक्रिया का नेतृत्व किया है और पालन के मूल्यांकन के लिए एक बयान प्रकाशित किया है

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सूचना विनिमय और सहयोग मानकों के लिए 61 न्यायालयों में से कई आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर उनके महत्व के लिए चयनित, हम संतुष्टि के साथ ध्यान दें कि 41 न्यायालयों ने पहले से ही इन मानकों के लिए पर्याप्त मजबूत पालन का प्रदर्शन किया है और 18 अन्य लोग उनसे जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पहचान किए गए एफएसबी द्वारा अनुरोधित कार्यों को लेने के लिए गैर-सहयोगी न्यायालयों से आग्रह करते हैं।

- मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद क्षेत्र के वित्तपोषण से निपटने में, एफएटीएफ हाल ही में है रणनीतिक कमियों के साथ न्यायालय की एक अद्यतित सूची प्रकाशित की हम सभी न्यायालयों से आग्रह करते हैं और विशेष रूप से उन लोगों की पहचान करने के लिए, जिनकी पहचान उनको मजबूत करने के लिए पर्याप्त प्रगति या नहीं है एफएटीएफ के साथ सहयोग में एमएल / सीएफटी सिस्टम है।

हम सभी न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि कर, विवेकपूर्ण और एमएल / सीएफटी क्षेत्रों न्यायालयों से निपटने के लिए हम अपने मौजूदा प्रति उपायों का उपयोग करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो तैयार रहें

जो इन मानकों को पूरा करने में विफल है। एफएटीएफ, ग्लोबल फोरम और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन

पारदर्शिता बढ़ाने और कर के बीच सहयोग की सुविधा के लिए मिलकर काम करना चाहिए इन मानकों के कार्यान्वयन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं। हम भी एफएटीएफ पर कॉल करते हैं और ओईसीडी कॉर्पोरेट वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए और काम करने के लिए है "

**अनुलग्नक 3: काले धन पर सीबीडीटी के चेयरमैन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें**

सीबीडीटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक समिति का गठन 27 मई, 2011 को किया गया था। देश में काले धन के सृजन को रोकने के कानूनों को मजबूत करना, विदेश में इसकी कानूनी हस्तांतरण और इसकेवसूली। समिति ने अपनी रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय को 29 मार्च, 2012 को प्रस्तुत कर दिया है और इसके सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है:

## क.काले धन के सृजन को रोकना

6.1 भारत को पारदर्शी, समयबद्ध और बेहतर विनियमित अनुमोदन / परमिट, एकल खिड़की सुनिश्चित करना चाहिए। यथासंभव त्वरित और न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरणसेवा बिल, 2011 जो कि सरकार द्वारा सभी के लिए सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रदान करना चाहता है। ऐसे लोगों की पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, पहुंच और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सेवाएं संबंधी बिल दिसंबर, 2011 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई।

6.2 काले धन की राक्षसता के खिलाफ लड़ाई नैतिक, सामाजिक और आर्थिक होनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर नैतिक स्तर पर, हमें स्कूल में मूल्य / नैतिक शिक्षा को मजबूत करना होगा। पाठ्यक्रम और अच्छे चरित्र नागरिकों का निर्माण, विशेष रूप से चोरी और काले धन की बीमारियों पर प्रकाश डाला सामाजिक-आर्थिक स्तर पर, सार्वजनिक नीति का जोर विशिष्ट और हतोत्साहित होना चाहिए। बेकार खपत / व्यय, बचत, मितव्ययिता और सादगी को प्रोत्साहित करना और अमीर और गरीब के बीच में अंतर को कम करना होना चाहिए।

6.3 सरकार सार्वजनिक खरीद कानून के विधेयक पर विचार कर रही है। सार्वजनिक खरीद बिल, 2012 का उद्देश्य सभी मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा सार्वजनिक खरीद को विनियमित करना है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, बोलीदाताओं का निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है।

6.4 स्वाभाविक और मानव निर्मित संसाधनों, निरीक्षण की पारदर्शी और कुशल आवंटन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विनियमों के रूप में, और शिकायत निवारण के लिए लोकपाल, विशेष रूप से दुर्लभ संसाधन - भूमि, खनिजों, जंगल, दूरसंचार आदि को शुरू करने और लागू करने की शीघ्रज रूरत है।

6.5 विभिन्न कार्यक्रमों चल रही है भारी सार्वजनिक व्यय से संबंधित सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं। संभावित जोड़तोड़ और रिसाव से ग्रस्त लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष स्थानान्तरण कर सकते हैं। यद्यपि यूआईडी जैसे प्रयास और सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण से कुछ क्षेत्रों में रिसाव बंद हो जाएगा, अन्य क्षेत्रों में समस्या होगी। तदनुसार, हम अनुशंसा करते हैं कि सभी के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य हो। सामाजिक योजनाओं के लिए क्षेत्र की योजनाएं जो कि लाभार्थी के बैंक खाते में क्रेडिट के सीधे हस्तांतरण को शामिल नहीं करती हैं। जिला / क्षेत्र स्तर, और मुख्यालय स्तर पर एक दूसरा और बाद में एजी लेखा परीक्षा। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि मंत्रालय / विभाग / एजेंसी प्रायोजित टीमों द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण की एक प्रणाली मॉनिटर कर सकती है। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए सार्वजनिक निधियों का उपयोग है।

6.6 सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वित्तीय अपराधों से निपटने में एक समर्पित प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए क्योंकि इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। सीबीडीटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था और संघीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण केंद्र (एफएलईटीसी), ब्रंसविक की प्रशिक्षण पद्धति का अध्ययन किया। वित्तीय अपराधों की जांच में प्रशिक्षण के लिए एकके एफएलईटीसीकी लाइनों की तर्ज पर बहु-अनुशासनात्मक संस्थान स्थापित किया जा सकता है।

6.7 निजी क्षेत्र में निरीक्षण लगभग अनुपस्थित है, कुछ पेशेवर प्रबंधन कंपनियों को छोड़कर यह मुख्य रूप से कंपनी और आयकर कानूनों चल रही है स्वयं-विनियमन, और लेखा परीक्षा के होते हैं। यह प्रणाली व्यावसायिक लेखा-परीक्षा की पेशेवर प्रबंधन उद्यमों में भी बिल्कुल अप्रभावी हो सकती है। सत्यम मामले द्वारा प्रदर्शित हम इस बात को मानते हैं कि दोहरी ऑडिट के

बोझ को कम करना चाहिए। एकल ऑडिट (दोनों कंपनी और कर कानून के लिए) और ऑडिट सिस्टम प्रबंधन से अलग और व्यापार का नियंत्रण इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि केंद्र सरकार नियामक की स्थापना करेगी (नीचे से कंपनी कानून / आयकर कानून) विभिन्न ग्रेड में ऑडिटों को सूचीबद्ध करने के लिए और यादृच्छिक रूप से इन्हें प्रदान करते हैं। अनिवार्य रोटेशन और अधिकतम दो साल की अवधि के साथ श्रेणी और भुगतान क्षमता के आधार पर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं।

6.8 प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर जीएसटी शासन शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि स्पिन-ऑफ इसके कार्यान्वयन से कुछ राज्य सरकारों द्वारा अनुकसान की भरपाई की तुलना में ज्यादा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे व हानि क्षतिपूर्ति होगी।

6.9 वर्तमान में, कोई भी सरकारी एजेंसी के पास एनपीओ के पूरा डेटाबेस नहीं है। सीबीडीटी का सबसे बड़ा डेटाबेस इस क्षेत्र के बारे में है। इसमें अन्य एजेंसियों जैसे एमएचए, सीईआईबी, आदि के साथ जानकारी हो सकती है। यह वांछनीय है कि सीबीडीटी को एक केंद्रीकृत एजेंसी की भूमिका सौंपी जाएगी जिसके साथ हर एनपीओ को पंजीकृत होना होगा और उन्हें एक अनूठा नंबर आवंटित किया जाएगा। यह सरकार द्वारा उठाए गए फैसले के अवांछनीय गतिविधियों में क्षेत्र के संभावित दुरुपयोग की रोशनी के अनुरूप होगा। एनपीओ द्वारा दिए गए सुझाव हैं। सेक्टर आकलन समिति, एक अंतर-मंत्रिस्तरीय निकाय, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और कार्यालय डीजीआईटी (छूट) जनशक्ति, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के मामले में उचित रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।

6.10 विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) चल रही है वास्तविक समय डेटा का भी हिस्सा और डीजीआईटी (छूट) और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय होना चाहिए। पंजीकरण धारा 12 एए और धर्मार्थ के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) / 10 (21) / 35/80 जी चल रही है मंजूरी संगठनों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार होना आवश्यक है इस उद्देश्य के लिए,

आयकर विभाग को प्रभावी निगरानी और बेहतर नियंत्रण की सुविधा के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। पंजीकरण देने की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन के माध्यम से एनपीओ के कर प्रशासन पर या अनिवार्य बनाने के लिए, पैन से जुड़ी प्रणाली-जनित विशिष्ट संख्या को आवंटित करके अनुमोदन के अनुसार टैक्स रिटर्न में इस नंबर का उद्धरण और मौजूदा टैक्स रिटर्न फॉर्म में उपयुक्त बदलाव तैयार करना। यह फर्जी दावों को फ़िल्टर करेगा और एनपीओ के प्रामाणिक डेटा बेस को बनाए रखने में भी मदद करेगा।

6.11 सार्वजनिक और निजी दोनों कार्यालयों की जवाबदेही को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि हम मुख्य रूप से यहां सार्वजनिक क्षेत्र की जवाबदेही के चिंतित हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि इस तरह के अच्छे व्यवहारों के अलावा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम और परिणाम बजट के रूप में, प्रदर्शन से जुड़े पहले से ही विचाराधीन होने वाले पुरस्कारों और दंड की मूल्यांकन प्रणाली शीघ्रता से होनी चाहिए।

6.12 कर्नाटक में खनन उद्योग पर आयकर विभाग की हालिया जांच में, यह है कि राज्य कानून अपंजीकृत डीलरों (यूआरडी) को खनिजों में व्यापार करने की अनुमति देता है। संभवतः एक उपाय के रूप में राजस्व बढ़ाने के लिए यह केंद्रीय खानों और खनिजों (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और खनिजों में अवैध खनन और अनियमित व्यापार को प्रोत्साहित करती है। इस स्थिति में तत्काल आवश्यकता है कि उपाय और लाइसेंसिंग और खनन में विनियमन से संबंधित सभी कानूनों की पूरी तरह से समीक्षा की आवश्यकता है। यह भी प्रकाश में आया है कि निर्यात और अंतर प्रेषण के बीच बेमेल था, साथ ही उपलब्ध सूचनाओं के बीच भी विभिन्न अधिकारियों के साथ यूआरडी के संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच विसंगतियों को तुरंत हटाया जाना चाहिए।

## **ख. काले धन का उपयोग करने से हतोत्साहित करना**

6.13 सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन पर विचार कर सकती है (सिक्का अधिनियम 2011, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत अधिनियम 1934, एफएएमए, आईपीसी, सीआर पीसी, आदि), या एक नया कानून बनाने, कब्जे को विनियमित करने के लिए

और नकदी के हस्तांतरण विशेष रूप से निजी उपयोग के लिए नकदी वाले होल्डिंग्स पर एक सीमा डालने, और इसमें शामिल हैं निर्धारित सीमा से परे नकदी की जब्ती के लिए प्रावधान। इससे व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान होगा। विभिन्न न्यायालयों द्वारा, और भारत के चुनाव आयोग, चुनाव के दौरान धन शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए है।

6.14 अचल संपत्तियों, प्रावधान से संबंधित लेनदेन में काले धन के तत्व को कम करने के लिए एनओसी की प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ आयकर कानून में पेश किया जाना चाहिए और अनुपालन में आसानी से बढ़ोतरी, ताकि एक उचित और समान डेटा-बेस भी स्थापित किया गया हो, और एक उचित राष्ट्रीय स्तर के नियमन को स्थापित किया गया है। नई प्रणाली को कम से कम कंप्यूटर से संचालित किया जाना चाहिए। टैक्स अधिकारियों और कर दाता के बीच का इंटरफेस, और एक समर्पित इकाई द्वारा इस में लागू पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर आयकर विभाग की खोजी मशीनरी। एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न एनओसी भी होगा जोकि कर निकासी प्रमाणपत्र के रूप में कार्य करेगा।

6.15 आईसीएआई द्वारा लेखांकन मानक सं. 7 को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि वह अचल संपत्ति डेवलपर्स भी पर लागू हो। एस - 7 और एस - 9 को आयकर अधिनियम, 1961 चल रही है अधिसूचित किया जाना चाहिए।

6.16 राज्यों के बीच कृषि आयकर की लेवी के मामले में कोई समानता नहीं है। कृषि देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% उत्पन्न करता है। आयकर के लिए कृषि आय को क्रेडिट देना दावे के सत्यापन के बिना उद्देश्यों से वित्तीय व्यवस्था में काले धन लाने के लिए एक अवसर की अनुमति मिलती है। कृषि आय के रूप में राज्य सरकारों के लिए सुविधा के साथ कृषि आय कर की लेवी पर विचार कर सकते हैं। कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण और चयनात्मक सत्यापन यह एक तरफ राज्य के राजस्व में वृद्धि करेगा। सरकार और दूसरी तरफ, कृषि आय के परिधान में काले धन की रोकथाम को रोकने के लिए है।

### **ग. काले धन का प्रभावी पता लगाना**

6.17 सहकारी क्षेत्र में केवाईसी मानदंडों का विनियमन और राज्य सरकारों और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लागू करने से इसे मजबूत किया जा सकता है। किसी भी चूक के लिए उत्तरदायित्व तय किया जा सकता है। इस संबंध में, साथ ही साथ किसी भी ऐसे खातों में संदिग्ध लेनदेन के संबंध में अधिकारियों को चेतावनी देने में विफलता के बाद है।

6.18 भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी मानदंडों के सख्त परिपालन और खातों की सीमा तय करने पर विचार किया था जोकि एक ही व्यक्ति द्वारा शुरू की जा सकती है। उसी शाखा में रखे जा सकने वाले खातों की संख्या किसी भी इकाई द्वारा और अलग पते पर खातों को खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले उसी पते के बारे में अलर्ट सख्त बैंकों द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और पालन करने के लिए केवाईसी मानदंडों की आवश्यकता है, और वित्तीय संस्थाएँ हेतु लागू करने के लिए आवश्यक है। सरकार, साथ ही साथ आरबीआई को भी बेहतर विनियामक ढांचा तैयार करने की जरूरत है। गलत व्यक्तियों / संस्थानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।

6.19 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, जो पहले से ही सभी कंपनियों का एक केंद्रीकृत डेटा-बेस है, एक ही परिसर से संचालन कंपनियों की संख्या और जिन कंपनियों में एक व्यक्ति निदेशक बन सकता है की संख्या पर एक कैप रखना अपेक्षित है।

6.20 सरकार बचत साधन के रूप में सोने के आकर्षण को कम करने के लिए वैकल्पिक वित्तीय साधनों को शुरू करने पर विचार कर सकती है व कस्टम शुल्क में संशोधन करने पर विचार कर सकती है। सोने और आभूषण अनुत्पादक संपत्तियों में निवेश को हतोत्साहित करने के लिए बुलियन पर कराधान संरचना और आभूषण, जिसमें वैट / बिक्री कर शामिल है, सुसंगत होना चाहिए।

6.21 बुलियन / आभूषण में लेनदेन का पता लगाने के लिए बेहतर रिपोर्टिंग / मॉनिटरिंग सिस्टम रखा जाना है। आयकर / सीमा शुल्क / बिक्री कर अधिनियमों के माध्यम से जबकि आयकर विभाग ने इसे अनिवार्य बना दिया है। 5 लाख रूपए से ऊपर

बुलियन की खरीद के लिए पैन या फॉर्म -60 / फॉर्म -61 प्राप्त करने के लिए समान नियमों के लिए फ्रेमयुक्त किया जाना चाहिए। बुलियन / आभूषण की खरीद / बिक्री, और खरीद के स्रोत पर कर का विशेष रूप से नकद में संग्रह है।

6.22 बैंकिंग चैनलों और क्रेडिट / डेबिट कार्डों का उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि व्यापार से 3 महीनों के लिए प्रथाओं के रूप में चेक डिस्काउंटिंग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। चेक / डीडी की वैधता अवधि कम हो गई है। 1 अप्रैल 2012, के प्रभाव से जो कि परक्राम्य उपकरणों की छूट को हतोत्साहित करेगा। डेबिट / क्रेडिट कार्ड द्वारा ई-सर्विस बिचौलियों के माध्यम से भुगतान में सरलता और भुगतान को प्रोत्साहन देना होगा। इन विधियों और नकद अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए यह जरूरी है कि वेतन का भुगतान निजी क्षेत्र को बैंकिंग चैनलों के जरिये होना चाहिए और सरकार के मुकाबले नकदी कम होनी चाहिए। यह वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है।

6.23 आयकर विभाग, जिसमें वित्तीय लेनदेन का बड़ा डेटा-बेस है, को उचित डेटा खनन और जोखिम विश्लेषण के लिए तुरंत जोखिम प्रबंधन निदेशालय की स्थापना करनी चाहिए। आयकर विभाग के तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग तंत्र को कम्प्यूटरीकृत बनाया जाना चाहिए और वित्तीय क्षेत्र में सबसे उच्च-मूल्य वाले लेनदेन को कवर करते हैं।

6.24 कॉर्पोरेट ढांचे और औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साधनों का उपयोग करते हुए विदेशी प्रेषण विदेशी अधिकारिताओं को धन के हस्तांतरण (गैरकानूनी मूल के भी) के हस्तांतरण का, या वापस करने के लिए रूटिंग का एक लोकप्रिय तरीका हो सकता है। इस तरह के मजबूत डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रेषण और समझने के लिए उनके पिछड़े और आगे के संबंधों का विश्लेषण किया जा सके। संचरित धन की प्रकृति और वैधता एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा सशक्त किया जा सकता है। (भारतीय वित्तीय संस्थान के माध्यम से सभी अंतरराष्ट्रीय निधि-स्थानान्तरणों पर एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत अन्य रिपोर्टों के समान) प्रणाली अपेक्षित ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के एफआईयू में ऐसे रिपोर्टों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं।

6.25 जनवरी 2011 में जारी किए गए एक परिपत्र से सेबी ने रिपोर्टिंग प्रारूप में बदलाव लाए हैं। महीने के दौरान पीएनएस के डाउनस्ट्रीम जारी करने के विवरण को केचर करना है। मार्च 2012 से, इन विस्तृत रिपोर्ट को मासिक आधार पर दायर किया जाना चाहिए, लेकिन छह महीने का अंतराल है। हालांकि इस तरह के विवरण में उपयोगी होगा। संदेहास्पद लेनदेन की पहचान, उपलब्ध जानकारी में छह महीने के अंतराल की ताकत कम करने की संभावना है। सुधारात्मक कार्रवाई की जो कि सेबी द्वारा की जा सकती है। ये नियम सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता है। सबसे हालिया महीनों के लिए डाउनस्ट्रीम जारी करने पर यह सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करेगा और सेबी द्वारा जरूरी समय पर और समय पर हस्तक्षेप इसके अलावा, एक प्रभावी निगरानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तंत्र को सख्त केवाईसी मानदंडों को सुनिश्चित करने में निहित है। पीएन उपभोक्ताओं का केवाईसी मानदंडों के घर देश या मेजबान देश जो भी कठोर है अधीन होना चाहिए। यद्यपि इस तरह के प्रावधान वर्तमान में विद्यमान हैं। प्रावधानों को सेबी के नियमों में बेहतर रूप से बेहतर अनुपालन के लिए बनाया जाना चाहिए।

6.26 वित्तीय बाजारों के लिए निरीक्षण तंत्र की उचित डोमेन के साथ प्रशिक्षित जनशक्ति होनी चाहिए। वित्तीय जांच का ज्ञान इसमें वित्तीय जांच एजेंसियों से अधिकारियों को शामिल करना शामिल होगा। उचित निगरानी रखने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संचालन / सतर्कता तंत्र में सुनिश्चित करें कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है।

6.27 विदेशी संस्थाएं - बैंक, वित्तीय संस्थान, फंड ट्रांसफर संस्थाएं आदि - ने भारत में व्यवसायों को स्थापित किया है। यह पाया गया है कि भारतीय कर निवासियों के पास पर्याप्त मौद्रिक लेनदेन हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से या विदेशों में अपनी शाखाओं के माध्यम से। कुछ देशों ने इसे बनाने के लिए कानून लागू किए हैं। विदेश में किए गए सभी लेनदेन की जानकारी प्रस्तुत करने

के लिए अनिवार्य है हम अनुशंसा करते हैं कि भारत भी, भारत में कार्यरत संस्थाओं पर जोर दे कि सभी सीमाओं के ऊपर सभी वैश्विक लेनदेन को रिपोर्ट करें। इस उद्देश्य के लिए, उचित कानून, नियम या इन संस्थाओं के साथ संविदात्मक / लाइसेंसिंग व्यवस्था तैयार की जा सकती है।

6.28 भारत में, सूचनाओं / सीटी-ब्लोअर को बचाने के लिए कोई कानून नहीं है, न ही कोई विभाग है। प्रभावी साक्षी सुरक्षा कार्यक्रम नतीजतन, विश्वसनीय जानकारी अपर्याप्त रूप से नहीं है, उपस्थित नहीं होता या प्रतिकूल हो जाता है जिसका परिणाम अभियोजन मामलों में दोष मुक्ति होता है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एक कार्यक्रम चलाती है, और हाल में निर्मित आपराधिक जांच निदेशालय (डीसीआई) सीबीडीटी में इस तरह के कार्यक्रम को चलाने के लिए सशक्त किया गया है। तदनुसार, हम अनुशंसा करते हैं कि एक गवाह संरक्षण कानून शीघ्रता से लागू किया जा सकता है और सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां, साक्षी सुरक्षा कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है।

6.29 डीआरआई अपने कस्टम्स ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क (सीओओएन) कार्यालयों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखता है ताकि संदेहास्पद आयात / निर्यात पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से खुफिया और सूचना साझा करने के लिए लेन-देन को गलत घोषणा के मामलों, जो कि कर चोरी और पैसे से भी जटिलता से जुड़े हैं, को स्थापित किया जा सके। क्राइन कार्यालयों का दायरा और आगे बढ़ाना और मजबूत किया जाना चाहिए। कस्टम अधिकारियों को उन प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के देशों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे उन सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ सम्पर्क कर सकें व देशों के संदिग्ध व्यापार लेनदेन का सत्यापन कर सकें।

6.30 लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं को केंद्र और राज्यों क्रमशः में शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच में तेजी व दोषी को कानून के अनुसार दंड मिले।

### **घ. प्रभावी जांच और न्याय-निर्णयन**

6.31 सरकार को मानव शक्ति की कमी के मुद्दों को कम करने के तरीकों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विभिन्न एजेंसियों, विशेष रूप से सीबीडीटी और सीबीईसी के कामकाज में बाधा डाल रही है। इसके अलावा, दोनों बोर्डों ने अपने क्षेत्रीय संरचनाओं के पुनर्गठन के प्रस्ताव पेश किए हैं। इन्हें लिया जाना चाहिए और लागू करने के लिए एक फास्ट ट्रैक आधार पर लागू करने के काला धन मुद्दे को हल करने के लिए सरकार के संकल्प को दिखाने के लिए है।

6.32 इसके साथ-साथ सीबीडीटी और सीबीईसी में आर्थिक नीतियों के समग्र सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए कर नीतियां तैयार करने के लिए और विकास, बेहतर कर प्रशासन के लिए और सर्वश्रेष्ठ करदाता सेवा प्रदान करने के लिए अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता होनी चाहिए इससे पहले कई समितियों ने और कर प्रशासन आयोग द्वारा इसकी निरंतर सिफारिश की है।

6.33 जटिल कानूनी मैट्रिक्स के उद्भव के साथ, एक कानून का उल्लंघन हमेशा के एक और उल्लंघन की ओर जाता है काले धन के खिलाफ लड़ाई में अंतर-एजेंसी समन्वय महत्वपूर्ण है। एक को प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो कानून का उल्लंघन करने वालों, कानून भंग करने वालों की पहचान करता है और ऐसे सभी मामलों की जांच करने के लिए स्थाई संयुक्त तंत्र की आवश्यकता है। कुछ विकसित देशों के पास संयुक्त कार्य बल और इस मुद्दे से निपटने के लिए विवाद कार्यक्रम है। यही समय है जब हम अध्ययन करते हैं कि कैसे यह दृष्टिकोण और कार्यक्रम कार्य, इसे भारतीय परिस्थितियों में समायोजित करें और इसे लागू करें।

6.34 विभिन्न आर्थिक एजेंसियों की जानकारी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने को अधिक व्यापक आधार दिए जाने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक गतिविधि के सभी पहलुओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नियंत्रित और आंकड़ेबद्ध किया जा सके और विश्लेषण किया जा सके। सभी एजेंसियों को प्रभावी ढंग से इस क्षेत्र में तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की आवश्यकता है ताकि

काले धन के खतरे से निपटा जा सके। एजेंसियों के पास उपलब्ध मानवशक्ति संसाधनों के कौशल को भी लगातार उन्नयन और काम के अपने क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संपर्क में आने की जरूरत है।

6.35 प्रभावी कानून प्रवर्तन के लिए खुफिया साझाकरण सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी / अधिक प्रभावी साझा करने के लिए एक मंच होना चाहिए। विभिन्न आर्थिक कानून प्रवर्तन / खुफिया संगठनों के बीच सूचना विनिमय एक तकनीकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, आम तौर पर एक आम प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से हो जाना चाहिए। एक ही समय पर सूचना के लिए अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए तकनीकी रूप से और दोनों को अभिगम नियंत्रण और आवधिक सुरक्षा लेखा परीक्षा के माध्यम से डेटा-सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

6.36 टीबीएमएल को कम करने के लिए, बेमेल के मामलों की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। निर्यात और संबंधित आयात डेटा के बीच, जैसा कि डेटा विश्लेषण और लिए संयुक्त राष्ट्र सीमाशुल्क की ट्रेड पारदर्शिता पद्धति द्वारा किया गया है। भारतीय सीमा शुल्क को, इन लाइनों पर यूनिट (टीटीयू) जिसके लिए उपयुक्त कानूनी ढांचे को पेश किया जा सकता है। एक व्यापार पारदर्शिता स्थापित करनी चाहिए। मौजूदा कस्टम्ससहयोग समझौते ज्यादातर व्यक्तिगत मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। सुसंगत प्रणाली के आदान-प्रदान के लिए इन समझौतों में संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। नामकरण (एचएसएन) निर्यात और आयात के अध्याय-वार आंकड़े अधिमानी व्यापार समझौतों (पीटीए) और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए किया जाना चाहिए।

6.37 काले धन के खिलाफ प्रभावी लड़ाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक कि इस से निपटने के न्यायिक मशीनरी विशेष हो और अपराधों का मुकदमा तेज है और दंडनीय अनुकरणीय हों। कानूनी समर्थन करने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बढ़ाया जाना चाहिए। सभी वित्तीय अपराधों की जांच फास्ट ट्रेक न्यायालयों द्वारा तेजी से होनी चाहिए। कानून मंत्रालय को इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लेना चाहिए और इसके लिए व्यवस्था व समय-सीमा में पूरे देश में फास्ट-ट्रेक अदालतों की स्थापना करना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक अपराधों के तकनीकी पहलुओं में अपेक्षित इनपुट प्रदान किया जा सकता है।

6.38 विभिन्न गतिविधियां बिक्री प्राप्तियों को विनियमित करने के लिए 'प्राथमिक' अधिनियमों द्वारा, वास्तविक उत्पादन, वैधानिक राशि से अधिक राशि चार्ज, आदि कुछ मामलों में, आयकर अधिकारियों द्वारा जांच से राज्य के कानूनों के उल्लंघन का पता चलता है। ऐसे मामलों में, अदालतों द्वारा राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाते हैं। प्रावधानों के कानून या आयकर कानून के प्रभाव के लिए प्रावधान पर विचार किया जा सकता है। भले ही सबूत प्राथमिक कानून के तहत सृजित पैदा किया गया है, जहां कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया है, यह कर उद्देश्यों के लिए निर्णायक प्रमाण नहीं होगा।

6.39 छोटे 'एंटी ऑपरेटर' / 'बिल मास्टर्स' मिस्कूल कमीशन में बड़ी रकम का धनशोधन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपीलिय टैक्स बॉडी अपनी आय को मामूली दरों पर कर देते हैं। ऐसी फर्जी रसीदों पर कमीशन लगाने के इसके अलावा कोई प्रभावी प्रतिरोध नहीं है। लाभार्थियों के हाथों में प्रविष्टि की रकम जुटाने से आम तौर पर न्यायिक जांच नहीं होती है। वित्त बिल 2012 में प्रस्तावित संशोधनों द्वारा लाभार्थियों के हाथ में इस मुद्दे का ध्यान रखने की उम्मीद है। इसलिए, नकली बिल प्रदान करने और प्रविष्टियों का अपराधको मजबूती से निपटा जाना चाहिए।

6.40 जैसा कि कराधान एक अति विशिष्ट विषय है, अदालत के फैसलों में सबसे ज्यादा रिवर्सल्स न्यायशास्त्र कर में पाए जाते हैं। सरकार विशेष न्यायपालिका के लिए आवेदनों की विभिन्न कानूनों में एकरूपता प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने पर विचार कर सकती है।

6.41 राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को अभी अस्तित्व में आना बाकी है। तेजी से विकसित विशेष संस्थानजटिल समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक डोमेन ज्ञानदेश के सामने एक प्राथमिकता है। कर प्रशासन के प्रतिनिधित्व के साथ व्यवसायिक राष्ट्रीय कर अधिकरण को सभी कर मुकदमेबाजी से निपटने के लिए तत्काल गठित करना चाहिए।

6.42 रिपोर्टिंग, विश्लेषण और संचार के मामले में सुधार आगे न्यायिक प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का उन्नयन द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता है। इससे कानून प्रवर्तन सक्षम हो जाएगा सूचित फैसले लेने में एजेंसियां अच्छी तरह से समर्थ होंगी।

6.43 हम आगे अनुशांसा करते हैं कि आर्थिक अपराधों के अपराधिक मुकदमे के लिए, उच्च न्यायालयों पर विचार किया जा सकता है। विशेष सारांश प्रक्रिया के साथ विशेष आर्थिक अपराधों के गठन में न्यायिक अधिकारियों द्वारा इन अदालतों में टैक्सेशन कानूनों में रीफ्रेशर पाठ्यक्रम ले सकते हैं ताकि जटिल कर मामलों के निपटने के क्रम में उचित तरीके से उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

6.44 आर्थिक कानूनों चल रही है विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजा दी जाती है। आर्थिक अपराधों के लिए न्यूनतम सजा भी अधिक प्रतिरोध करने के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्य को सुकर बनाने के लिए 3 साल से 2 साल की सजा को कम करने पर सारांश प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षण व विचार किया जा सकता है। एनडीपीएस अधिनियम चल रही है अधिकतम दंड 10 और 20 वर्ष हैं। एनडीपीएस अधिनियम चल रही है, दूसरा गंभीर अपराध मृत्यु के साथ दंडनीय है।

दवा नशीली (ड्रग्स) से संबंधित अपराधों या धन-शोधन के मुकाबले कम खतरनाक माना जाता है। इसलिए, अधिकतम भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में सजा को 10 साल तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह, न्यूनतम भ्रष्टाचार के विभिन्न अपराधों के लिए सजा मौजूदा 6 महीनों से बढ़ा कर 1 वर्ष और 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी जानी चाहिए।

जैसा कि निम्न सारणी में सारांशित है:

## आर्थिक कानूनों चल पर रही मौजूदा और प्रस्तावित न्यूनतम और अधिकतम सजा

वर्तमान करावास				प्रस्तावित	
	अधिकतम	न्यूनतम	मृत्यु	अधिकतम	न्यूनतम
1 आयकर अधिनियम	7	0		7	3 महीने
2 धन कर अधिनियम	7	0		7	3 महीने
3 सीमा शुल्क अधिनियम	7	0		7	3 महीने
4 केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	7	0		7	3 महीने
5 पी सी एक्ट	7	0		10	6 महीने
6 पीएमएल अधिनियम	10	0		कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
7 एनडीपीएस अधिनियम	20	0	हां*	आजीवन करावास	6 महीने

### टिप्पणियाँ :

\* दूसरे दोषसिद्धि में 10-20 साल की कारावास के साथ दंडनीय।

1. कैद वर्षों में है, जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो।
2. आर्थिक अपराधों के लिए मौत की सजा का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

## इ अन्य उपाय

6.45 सिक्के और मुद्राओं को लागू करने के लिए मुद्रा (डीओसी) निदेशालय को मजबूत किया जा सकता है। बैंकों के माध्यम से नकद लेनदेन के मार्ग को आसान, उपयोगकर्ता के अनुकूल और कम करने के लिए बैंकों को नकदी जमा को हतोत्साहित करने में सक्षम बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस प्रकार नकद अर्थव्यवस्था को कम करना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीओसी को मजबूत करने की आवश्यकता है।

6.46 'ऑफ-मार्केट' का दुरुपयोग रोकने के लिए, और 'डब्बा-ट्रेडिंग' या मान्यताप्राप्त स्टॉक के बाहर कारोबार एक्सचेंजों, ऑफ-मार्केट शेयर लेनदेन में नुकसान की अनुमति के लिए आयकर कानून में संशोधन शुरू किया जा सकता है। इस तरह के लेनदेन से प्राप्त लाभ के खिलाफ ही सेट होना है।

6.47 आवास वित्त कंपनियों और संपत्ति के खरीदारों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान की जाती हैं। यह भी होता है कि अनुमान और फ्लिपिंग लेनदेन के लिए इसे रोकने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 54 होनी चाहिए। अपने जीवनकाल में करदाता द्वारा केवल दो बार इस लाभ का लाभ उठाने के लिए संशोधन किया गया।

6.48 आय कर निर्धारण को फिर से खोलने की सीमा का समय मौजूदा, विदेश में आयोजित अव्यवक्त संपत्ति कर के लिए छह साल से सोलह वर्ष बढ़ाया जाना चाहिए।

6.49 विदेशों में राष्ट्रीय मुख्यधारा में आयोजित संपत्ति / धन प्राप्त करने का एक तरीका अनुपालन योजना है। समिति का मानना है कि यदि उपर्युक्त सिफारिशें, ठीक से लागू की गई हैं विदेशों में आयोजित संपत्ति के बारे में जानकारी पाने के साथ-साथ आय के सृजन को भी जांचना संभव होगा। देश के भीतर काले धन का और विदेश में अवैध हस्तांतरण पहले से ही आय में प्रावधान हैं। टैक्स कानून अभियोजन पक्ष को माफ़ करने और कर कानूनों के अनजान उल्लंघन के वास्तविक मामलों में दंड को कम करने के लिए इस तरह के करदाता इन प्रावधानों चल रही है हमेशा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और भारत या विदेश में अज्ञात आय / परिसंपत्तियां घोषित कर सकते हैं।

## अनुलग्नक तालिका - 1: भारतीयों के प्रति स्विस बैंकों की देनदारियां

समाप्ति वर्ष	एक्सचेंज दर	भारतीयों के प्रति बैंकों की देनदारियां	सभी देशों के प्रति देनदारियां	भारतीयों के प्रति देनदारियां (न्यासी पूर्ण कारोबार)	सभी देशों के प्रति देनदारियां (न्यासी पूर्ण कारोबार)	भारतीयों के प्रति देनदारियां	कुल देनदारियां	सभी देशों के प्रति कुल देनदारियां	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में भारतीयों के प्रति देयताएं
--------------	-------------	--	-------------------------------	---	--	------------------------------	----------------	-----------------------------------	--

2010	47.79	1.66 बिलियन सीएचएफ (7924 करोड़ रू)	1349.24 बिलियन सीएचएफ	0.29 बिलियन सीएचएफ (1372 करोड़ रू)	145.18 बिलियन सीएचएफ	1.95 बिलियन सीएचएफ(9295 करोड़ रू)	1494.42 बिलियन सीएचएफ	0.1302
2009	45.79	1.39 बिलियन सीएचएफ(6286 करोड़ रू)	1335.98 बिलियन सीएचएफ	0.57 बिलियन सीएचएफ (2594 करोड़ रू)	179.03 बिलियन सीएचएफ	1.97 बिलियन सीएचएफ(8879 करोड़ रू)	1515.01 बिलियन सीएचएफ	0.1297
2008	45.52	1.59 बिलियन सीएचएफ(7214 करोड़ रू)	1739.90 बिलियन सीएचएफ	0.82 बिलियन सीएचएफ (3710 करोड़ रू)	280.23 बिलियन सीएचएफ	2.40 बिलियन सीएचएफ (10924 करोड़ रू)	2020.13 बिलियन सीएचएफ	0.1188
2007	34.79	2.92 बिलियन सीएचएफ (10168 करोड़ रूपए)	2070.44 बिलियन सीएचएफ	1.38 बिलियन सीएचएफ (4811 करोड़ रू)	364.3 बिलियन सीएचएफ	4.31 बिलियन सीएचएफ 14979 करोड़ रू)	2434.77 बिलियन सीएचएफ	0.1769
2006	36.17	4.99 बिलियन सीएचएफ (18041 करोड़ रू)	1900.27 बिलियन सीएचएफ	1.47 बिलियन सीएचएफ (5332 करोड़ रू)	328.26 बिलियन सीएचएफ	6.46 बिलियन सीएचएफ (23373 करोड़ रू)	2228.53 बिलियन सीएचएफ	0.290

## अनुलग्नक तालिका - 2: स्विस बैंकों की देनदारियां - सभी देश

दिसंबर 2010				दिसंबर 2016				
देश	स्विस बैंकों की देयाता(बिलियन सीएचएफ में)	देयता (फीड्डीसीयरी न्यास बिजनेस) (बिलियन सीएचएफ में)	कुल देयता (बिलियन सीएचएफ में)	आयु प्रतिशत	स्विस बैंकों की देयाता(बिलियन सीएचएफ में)	देयता (फीड्डीसीयरी न्यास बिजनेस) (बिलियन सीएचएफ में)	कुल देयता (बिलियन सीएचएफ में)	प्रतिशत
<b>भारत</b>	1.66	0.29	1.95	0.13	4.99	1.47	6.46	0.29

जर्मनी	52.78	2.62	55.40	3.60	148.08	8.01	156.09	7.00
फ्रांस	37.55	2.87	40.42	2.63	64.71	7.74	72.45	3.25
लक्जेमबर्ग	37.47	2.47	39.94	2.60	50.25	4.68	54.93	2.46
यूनाइटेड किंगडम	324.09	7.54	331.63	21.55	447.70	15.72	463.42	20.79
रूस	10.51	2.84	13.35	0.87	7.53	5.09	12.62	0.57
यूरोप के अन्य देश	88.38	15.58	103.96	6.77	123.04	33.64	156.66	7.03
यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका	240.62	2.99	243.61	15.83	395.59	8.38	403.97	18.13
ऑस्ट्रेलिया	24.55	0.37	24.92	1.62	29.28	0.94	30.22	1.36
जापान	33.32	0.43	33.75	2.19	44.16	0.96	45.57	2.04
कनाडा	6.93	1.47	8.40	0.55	8.48	2.17	10.65	0.48
न्यूजीलैंड	1.74	0.56	2.25	0.15	1.70	0.87	2.57	0.12
ऑफसोर वित्तीय सेंटर	377.51	68.22	445.73	28.97	427.82	149.31	577.13	5.90
लेटिन अमेरिका और कैरेबियन	26.90	10.73	37.63	2.45	24.75	31.74	56.49	2.53
अफ्रीका और मध्य पूर्व	43.46	21.39	64.85	4.21	64.74	49.94	14.68	5.15
एशिया और पैसेफिक (भारत को मिलाकर)	43.43	5.15	48.58	3.16	62.44	9.07	71.51	3.21
कुल	1349.24	145.18	1538.60	100.00	1900.27	328.26	2228.50	100.00

### अनुलग्नक तालिका 3: अवैध प्रवाह, जीएफआई रिपोर्ट, दिसंबर, 2011

क्रम सं०	देश	अवैध प्रवाह का स्तर (अरबों डॉलर)
1	चीन	2467
2	मेक्सिको	453
3	रूस	427
4	सऊदी अरब	366
5	मलेशिया	338
6	कुवैत	269
7	संयुक्त अरब अमीरात	262
8	बेनेजुएला, बीआर	171
9	कतर	170

10	पोलैंड	160
11	नाइजीरिया	158
12	कजाकिस्तान	123
13	फिलीपींस	121
14	इंडोनेशिया	119
15	भारत	104
16	यूक्रेन	92
17	चिली	84
18	अर्जेंटीना	83
19	ईरान के इस्लामी गणराज्य	66
20	मिस्र	60

#### अनुलग्नक तालिका 4: शीर्ष निवेश देशों के एफडीआई इक्विटी के प्रवाह का हिस्सा यूएस \$ मिलियन में सभी आंकड़े

क्रम सं	देश	2008-09	2009-10	2010-11	2000-1 से 2010- 11 संचयी अंतर्वाह	संचयी इन्फ्लो अंतर्वाह का प्रतिशत)
1	मॉरीशस	11229	10376	6987	54227	41.80
2	सिंगापुर	3454	2379	1705	11895	9.17
3	यूएसए	1802	1943	1170	9449	7.28
4	यूके	864	657	755	6639	5.12
5	नीदरलैंड	883	899	1213	5700	4.39
6	जापान	405	1183	1562	5276	4.07
7	साइप्रस	1287	1627	913	4812	3.71
8	जर्मनी	629	626	200	2999	2.31
9	फ्रांस	427	303	734	2264	1.75
10	यूई	257	629	341	1890	1.46
<b>कुल एफडीआई अंतर्वाह</b>		<b>27331</b>	<b>25834</b>	<b>19427</b>	<b>129716</b>	<b>100.00</b>

अनुलग्नक तालिका 5: उन देशों की सूची, जिन्होंने कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता संबंधी बहुपक्षीय अभिसमय पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है।

देश	मूल कन्वेंशन			प्रोटोकॉल (पी) संशोधित कन्वेंशन (एसी)		
	हस्ताक्षर 25.01.1988	अनुसमर्थन, स्वीकृति या	लागू होने की	हस्ताक्षर 27.05.2010	अनुसमर्थन, स्वीकृति या	लागू होने की

	को किए गए	अनुमोदन के निर्देश को जमा करना	तारीख	को किए गए	अनुमोदन के निर्देश को जमा करना	तारीख
अर्जेंटीना				03-11- 2011 (एसी)		
ऑस्ट्रेलिया				03-11- 2011 (एसी)		
अज़रबैजान	26-03- 2003	03-06- 2004	01- 10- 2004			
बेल्जियम	07-02- 1992	01-08- 2000	01- 12- 2000	04-04- 2011 (पी)		
ब्राज़ील				03-11- 2011 (एसी)		
कनाडा	28-04- 2004			03-11- 2011 (पी)		
कोस्टा रिका				01-03- 2012 (एसी)		
डेनमार्क	16-07- 1992	16-07- 1992	01- 04- 1995	27-05- 2010 (पी)	28-01- 2011	01-06- 2011
फिनलैंड	11-12- 1989	15-12- 1994	01- 04- 1995	27-05- 2010 (पी)	21-12- 2010	01-06- 2011
फ्रांस	17-09- 2003	25-05- 2005	01- 09- 2005	27-05- 2010 (पी)	13-12- 2011	01-04- 2012
जॉर्जिया	12-10- 2010	28-02- 2011	01- 06- 2011	03-11- 2010 (पी)	28-02- 2011	01-06- 2011
जर्मनी	17-04- 2008			03-11- 2011 (पी)		
यूनान	21-02- 2012			21-02- 2012 (पी)		
आइसलैंड	22-07- 1996	22-07- 1996	01- 11- 1996	27-05- 2010 (पी)	28-10- 2011	01-02- 2012
इंडिया				26-01- 2012 (एसी)	21-02- 2012	01-06- 2012
इंडोनेशिया				03-11- 2011 (एसी)		

आयरलैंड				30-06-2011 (एसी)		
इटली	31-01-2006	31-01-2006	01-05-2006	27-05-2010 (पी)	17-01-2012	01-05-2012
जापान	03-11-2011			03-11-2011 (पी)		
कोरिया	27-05-2010	26-03-2012	01-07-2012	27-05-2010 (पी)	26-03-2012	01-07-2012
मेक्सिको	27-05-2010			27-05-2010 (पी)		
मोल्डोवा	27-01-2011	24-11-2011	01-03-2012	27-01-2011 (पी)	24-11-2011	01-03-2012
नीदरलैंड	25-09-1990	15-10-1996	01-02-1997	27-05-2010 (पी)		
नॉर्वे	05-05-1989	13-06-1989	01-04-1995	27-05-2010 (पी)	18-02-2011	01-06-2011
पोलैंड	19-03-1996	25-06-1997	01-10-1997	27-05-2010 (पी)	22-06-2011	01-10-2011
पुर्तगाल	27-05-2010			09-07-2010 (पी)		
रूस				27-05-2010 (पी)		
स्लोवेनिया	27-05-2010	31-01-2011	01-05-2011	03-11-2011 (एसी)	31-01-2011	01-06-2011
दक्षिण अफ्रीका स्पेन	12-11-2009	10-08-2010	01-12-2010	27-05-2010 (पी) 03-11-2011 (एसी)		
स्वीडन	20-04-1989	04-07-1990	01-04-1995	11-03-2011 (पी)	27-05-2011	01-09-2011
तुर्की				27-05-2010 (पी)		
यूक्रेन	30-12-2004	26-03-2009	01-07-2009	03-11-2011 (एसी)		
संयुक्त किंगडम	24-05-2007	24-01-2008	01-05-	27-05-2010 (पी)	30-06-2011	01-10-2011

संयुक्त

2008

27-05-  
2010 (पी)

राज्यों

28-06-  
198930-01-  
199101-  
04-  
1995

4.

### अनुलग्नक तालिका 6: नई स्विस संधियों का सारांश

देश	हस्ताक्षर तारीख	की लागू होने की तारीख	वह तारीख जिससे जानकारी दी जाएगी, से संबंधित सूचना	वह तारीख जिससे जानकारी दी जाएगी	संभावित भूतलक्ष्यी
भारत	30.8.2010	7.11.2011	राजकोषीय वर्ष की शुरुआतया जनवरी के पहले दिन के बादकी तारीख के बादहस्ताक्षर	1.4.2011	सीमित लागू होगा
अमेरिका	23.9.2009	अभी नहीं	किसी तिथि की शुरुआत या प्रोटोकॉल कीहस्ताक्षर की तारीख के बाद	जानकारी दर्ज करने परबल, जानकारी23.09.2009 से दी जाएगी	सीमित लागू होगा
यूके	7.9.2009	15.12.2010	जनवरी के पहले दिनप्रोटोकाल के लागू होने के पश्चात	1.1.2011	केवल लागू होगा
नीदरलैंड	26.2.2010	9.11.2011	किसी तिथि की शुरुआत यामार्च के पहले दिन के बादहस्ताक्षर की तिथि के बाद	1.3.2010	सीमित लागू होगा
रूस	25.9.2011	अभी नहीं	अगले जनवरी के पहले दिनलागू होने के पश्चात	लागू होने पर, सूचना अगली जनवरी से दी जाएगी	केवल लागू होगा
फ्रांस	27.8.2009	4.11.2010	हस्ताक्षर की तारीख के पश्चात आने वाले वर्ष की 1 जनवरी अथवा इसके पश्चात शुरू होने वाले कैलेंडर वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष	1.1.2010	सीमित लागू होगा
जर्मनी	27.10.2010	अभी लागू नहीं	अवधि 1 से शुरू वर्ष की जनवरी हस्ताक्षर करने के बाद	1.1.2011	सीमित लागू होगा

तालिका 7: डीटीए / टीआईई की सूची में / बातचीत चल रही है

क्रम सं०	देश का नाम	डीटीए/टीआईई के लागू होने की तारीख	ईओआई और अन्य अनुच्छेदों (अर्टिकलो) पर आर्टिकल के अद्यतन किए जाने के लिए पुनःवार्ता की वर्तमान स्थिति
1	ग्रीस	17/03/1967 *	पुनःवार्ता चल रही है
2	मिस्र	30/09/1969 *	पुनःवार्ता चल रही है
3	तंजानिया	16/10/1981 *	पुनः वार्ता पूर्ण हुई व्यापकसंशोधित डीटीए पर 27 मई 2011 को हस्ताक्षर किए और 12 दिसंबर 2011 को लागू हुआ
4	श्रीलंका	19/04/1983 *	पुनःवार्ताचल रही है
5	श्रीलंका	19/04/1983*	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
6	मॉरीशस	06/12/1983 *	पुनःवार्ताचल रही है
7	जाम्बिया	18/1/1984 *	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
8	फ़िनलैंड	18/11/1984	पुनः वार्ता पूर्ण हुई व्यापकसंशोधित डीटीए पर 15 जनवरी 2010 को हस्ताक्षर किए और 19 अप्रैल 2010 को लागू हुआ
9	केन्या	20/08/1985 *	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
10	थाईलैंड	13/03/1986	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
11	कोरिया	01/08/1986	पुनःवार्ताचल रही है
12	न्यूजीलैंड	03/12/1986	पुनःवार्ताचल रही है
13	नॉर्वे	31/12/1986	पुनः वार्ता पूर्ण हुई व्यापकसंशोधित डीटीए पर 02 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर किए और 20 दिसंबर 2011 को लागू हुआ
14	रोमानिया	14/11/1987	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
15	इंडोनेशिया	19/12/1987	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
16	नेपाल	01/11/1989	पुनः वार्ता पूर्ण हुई। व्यापकसंशोधित डीटीए पर 27 नवंबर 2011 को हस्ताक्षर किए। अन्य देश की प्रक्रिया आंतरिक के पूरा होने पर बल में प्रवेश करेगा।
17	नीदरलैंड्स	21/01/1989	पुनः वार्ता पूर्ण हुई 10 मई को हस्ताक्षरित, 2012 की समाप्ति पर लागू होगा अन्य देश की आंतरिक प्रक्रिया
18	डेनमार्क	13/06/1989	पुनःवार्ताचल रही है
19	पोलैंड	26/10/1989	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
20	जापान	29/12/1989	पुनःवार्ताचल रही है
21	अमरीका	18/12/1990	पुनःवार्ताचल रही है
22	ऑस्ट्रेलिया	30/12/1991	पुनः वार्ता पूर्ण हुई। इस पर 16 दिसंबर 2011 को हस्ताक्षर किए गए क्या बल में प्रवेश करेंगे, अन्य द्वारा आंतरिक प्रक्रिया का पूरा करने होना
23	ब्राज़ील	11/03/1992	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
24	बांग्लादेश	27/05/1992	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
25	संयुक्त अरब अमीरात	22/09/1993	पुनःवार्ता पूर्ण हुई। 16 अप्रैल 2012 को हस्ताक्षर किए। अन्य देश की आंतरिक प्रक्रिया को पूरा करने पर बल दिया जाएगा
26	यूके	26/10/1993	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
27	उजबेकिस्तान	25/01/1994	पुनःवार्ता पूर्ण हुई। 11 अप्रैल 2012 को हस्ताक्षर किए। अन्य देश की आंतरिक प्रक्रिया को पूरा करने पर बल दिया जाएगा
28	फिलीपींस	21/03/1994	पुनःवार्ताचल रही है
29	सिंगापुर	27/05/1994	24 जून 2011 को हस्ताक्षर किए, 1 सितंबर 2011 को लागू हुआ।
30	फ्रांस	01/08/1994	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
31	चीन	21/11/1994	पुनःवार्ताचल रही है
32	साइप्रस	21/12/1994	पुनःवार्ताचल रही है

33	स्विस परिसंघ	29/12/1994	पुनःवार्ता पूर्ण हुई। 30 अगस्त 2010 को हस्ताक्षर किए, 7 अक्टूबर 2011 को लागू हुआ।
34	स्पेन	12/01/1995	पुनःवार्ता पूर्ण हुई।
35	वियतनाम	02/02/1995	पुनःवार्ताचल रही है
36	माल्टा	08/02/1995	विद्यमान डीटीए के व्यापक संशोधन के लिए पुनर्विचार
37	बुल्गारिया	23/06/1995	पुनःवार्ताचल रही है
38	इटली	23/11/1995	पुनःवार्ताचल रही है
39	मंगोलिया	29/03/1996	पुनःवार्ताचल रही है
40	इजरायल	15/05/1996	पुनःवार्ताचल रही है
41	जर्मनी	26/10/1996	पुनःवार्ताचल रही है
42	तुर्की	01/02/1997	पुनःवार्ताचल रही है
43	कनाडा	06/05/1997	पुनःवार्ताचल रही है
44	ओमान	03/06/1997	पुनःवार्ताचल रही है
45	तुर्कमेनिस्तान	07/07/1997	पुनःवार्ताचल रही है
46	बेल्जियम	01/10/1997	पुनःवार्ताचल रही है
47	कजाकिस्तान	02/10/1997	पुनःवार्ताचल रही है
48	दक्षिण अफ्रीका	28/11/1997	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
49	स्वीडन	25/12/1997	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
50	रूस	11/04/1998	पुनःवार्ताचल रही है
51	बेलारूस	17/07/1998	पुनःवार्ताचल रही है
52	नामीबिया	22/01/1999	पुनःवार्ताचल रही है
53	चेक गणराज्य	27/09/1999	पुनःवार्ताचल रही है
54	त्रिनिदाद और टोबैगो	3/10/1999	पुनःवार्ताचल रही है
55	जॉर्डन	16/10/1999	पुनःवार्ताचल रही है
56	कतर	15/01/2000	पुनःवार्ताचल रही है
57	मोरक्को	20/02/2000	पुनःवार्ता पूर्ण हुई
58	पुर्तगाली गणराज्य	30/04/2000	पुनःवार्ताचल रही है
59	किर्गिज़ रिपब्लिक	10/01/2001	पुनःवार्ताचल रही है
60	ऑस्ट्रिया	05/09/2001	पुनःवार्ताचल रही है
61	यूक्रेन	31/10/2001	पुनःवार्ताचल रही है
62	आयरलैंड	26/12/2001	पुनःवार्ताचल रही है
63	मलेशिया	14/08/2003	पुनः वार्ता पूर्ण हुई 9 मई को हस्ताक्षर किए, 2012 की समाप्ति पर लागू होगा
64	सूडान	15/04/2004	पुनःवार्ता चल रही है
65	युगांडा	27/08/2004	पुनःवार्ता चल रही है
66	अर्मेनिया	09/09/2004	पुनःवार्ता चल रही है
67	स्लोवेनिया	17/02/2005	पुनःवार्ता चल रही है
68	हंगरी	04/03/2005	पुनःवार्ता चल रही है
69	सऊदी अरब	01/11/2006	पुनःवार्ता चल रही है
70	कुवैत	17/10/2007	पुनःवार्ता चल रही है

71	आइसलैंड	21/12/2007	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	
72	बोत्सवाना	30/01/2008	पुनःवार्ता चल रही है	83
73	मोंटेनेग्रो	23/09/2008	पुनःवार्ता चल रही है	
74	सर्बिया	23/09/2008	पुनःवार्ता चल रही है	कोलंबि
75	सीरिया	10/11/2008	पुनःवार्ता चल रही है	या
76	म्यांमार	30/01/2009	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	
77	ताजिकिस्तान	10/04/2009	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	
78	लक्समबर्ग	09/07/2009	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	
79	मैक्सिको	01/02/2010	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	नई
80	मोज़ाम्बिक	28/02/2011	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	डीटीएए
81	ताइवान	02/09/2011	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	
82	जॉर्जिया	08/12/2011	अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जानकारी	13 मई 2011

को हस्ताक्षर किए अन्य की आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर देश लागू होगा

84	इथियोपिया	नया डीटीएए	25 मई 2011 को हस्ताक्षरित। अन्य की आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर देश में लागू होगा।	
85	लिथुआनिया	नया डीटीएए	26 जुलाई 2011 को हस्ताक्षरित अन्य की आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर देश में लागू होगा	
86	एस्टोनिया	नई डीटीएए	19 सितंबर 2011 को अन्य देश के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर	
87	उरुग्वे	नई डीटीएए	8 सितंबर 2011 को अन्य देश के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर	
88	भूटान	नई डीटीएए	वार्ता पूरी हुई	
89	चिली	नई डीटीएए	वार्ता पूरी हुई	
90	क्रोएशिया	नया डीटीएए	वार्ता पूरी हुई	
91	फिजी	नई डीटीएए	वार्ता पूरी हुई	
92	हंगकांग	नई डीटीएए	वार्ता पूरी हुई	
93	लाटविया	नई डीटीएए	वार्ता पूरी हुई	
94	अल्बानिया	नया डीटीएए	वार्ता पूरी हुई	
95	अजरबैजान	नई डीटीएए	बातचीत चल रही है नया डीटीएए	
96	ईरान	नई डीटीएए	बातचीत चल रही है नया डीटीएए	

97	सेनेगल	नई डीटीए	बातचीत चल रही हैनया डीटीए
98	वेनेजुएला	नया डीटीए	बातचीत चल रही हैनया डीटीए
टीआईईए			
1	बरमुडा	न्यू टीआईईए	3 नवम्बर, 2010 को
2	बहामा	नई टीआईईए	1 मार्च, 2011 को लागू किया गया
3	आइल ऑफ मैन	न्यू टीआईईए	17 मार्च, 2011 को लागू किया गया
4	ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स	न्यू टीआईईए	5 जुलाई, 2011 को लागू किया गया
5	केमन द्वीपसमूह	न्यू टीआईईए	8 नवम्बर, 2011 को लागू किया गया
6	जर्सी	न्यू टीआईईए	8 मई, 2012 को लागू किया गया
7	मकाऊ	न्यू टीआईईए	03 जनवरी 2011 को अन्य देश द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद आंतरिक प्रक्रिया लागू होने पर
8	लाइबेरिया	न्यू टीआईईए	03 अक्टूबर 2011 को अन्य देश द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद आंतरिक प्रक्रिया लागू होने पर
9	अर्जेंटीना	न्यू टीआईईए	21 नवंबर 2011 को अन्य देश द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद आंतरिक प्रक्रिया लागू होगा
10	ग्वेर्नसे	न्यू टीआईईए	20 दिसंबर 2011 को हस्ताक्षर किए अन्य देश द्वारा आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर प्रवर्तित होगा।
11	बहरीन	नई टीआईईए	वार्ता पूरी हुई
12	लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की	नई टीआईईए	वार्ता पूरी हुई
13	कोस्टा रिका	नई टीआईईए	वार्ता पूरी हुई
14	जिब्राल्टर	न्यू टीआईईए	वार्ता पूरी हुई
15	मार्शल द्वीपसमूह	न्यू टीआईईए	वार्ता पूरी हुई
16	मोनाको	न्यू टीआईईए	वार्ता पूरी हुई
17	सेंट किट्स एंड नेविस	न्यू टीआईईए	वार्ता पूरी हुई

18	नीदरलैंड एंटिलीज़	नई टीआईईए	12 अक्टूबर, 2010 को, नीदरलैंड एंटिल्स कोतीन भागों में विभाजित किया गया। बीएसई द्वीप नीदरलैंड नगरपालिका के हिस्से बनें जबकि कुराकाओ और सिंट मार्टिन नीदरलैंड किंगडम के भीतर घटक देश बने। क्यराकाओ और सिंट मार्टिन के साथ टीआईईए के वार्ता के लिए अनुरोध को अलग से किया गया।
19	लिकटेंस्टीन	न्यू टीआईईए	वार्ता चल रही है
20	मालदीव	नई टीआईईए	वार्ता चल रही है
21	पनामा	न्यू टीआईईए	वार्ता चल रही है
22	सेशेल्स	न्यू टीआईईए	वार्ता चल रही है
23	अंडोरा	न्यू टीआईईए	वार्ता चल रही है
24	एंगुइला	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
25	एंटीगुआ और बारबुडा	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
26	अरूबा	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
27	बारबाडोस	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
28	बेलीज	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
29	ब्रुनेई दारुस्सलाम	नई टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
30	कुक आइलैंड्स	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
31	कुराकाओ	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
32	डोमिनिका	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
33	डोमिनिकन गणराज्य	नई टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
34	फरो आइलैंड्स	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
35	ग्रीनलैंड	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
36	ग्रेनेडा	नई टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
37	होंडुरास	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध

38	जमैका	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
39	मोंटेसेराट	नई टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
40	पेरू	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
41	सेंट लूसिया	नई टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
42	सेंट विसेंट और ग्रेनेडीन्स	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
43	समोआ	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
44	सैन मारिनो	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
45	सिंट मार्टेन	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
46	तुर्क और कैकोस	नई टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध
47	वानुअतु	न्यू टीआईईए	किए गए वार्ता के लिए अनुरोध

### संक्षेप अक्षरों की सूची

एआईआर	वार्षिक सूचना विवरणी
एएमएल / सीएफटी	धन-मोधन रोधी / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना
एपीए	अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार (एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट)
एपीजी	एशिया पैसिफिक समूह
एएस	लेखा मानक के रूप में
बीआईएस	अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक
बीओआई	अप्रवासी ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन)
सीआईएटी	कंप्यूटर सहायता प्राप्त जांच उपकरण
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीआई	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सीएनबी	केंद्रीय स्वापक ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स)
सीसीआर	जाली मुद्रा रिपोर्ट
सीईडी	बाह्य ऋण में परिवर्तन
सीईआईबी	केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
सीआईबी	केंद्रीय सूचना शाखा

सीआईएटी	इंटर-अमेरिकन सेंटर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन
सीजीए	महानियंत्रक लेखा
सीजीडीए	महानियंत्रक रक्षा लेखा
सीओआईएन	सीमाशुल्क असमुद्रीय अन्वेषण नेटवर्क (कस्टम्स ओवरसीज इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क)
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीआरपीसी	आपराधिक प्रक्रिया संहिता
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर
सीटीआर	नकद लेनदेन रिपोर्ट
डार्ड्स	डेटा विश्लेषण और व्यापार पारदर्शिता प्रणाली के लिए अनुसंधान
डीजीआईटी	महानिदेशक, आयकर (डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स)
डीजीसीईआई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना विभाग के महानिदेशक
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीसीआई आयकर निदेशालय डायरेक्टोरेट	ऑफ इनकम टैक्स(आपराधिक जांच)
डीटीएए	बाहरी कराधान परिहार करार
डीटीएसी	डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन
ईडी	प्रवर्तन निदेशालय
ईओआई	(एक्सचेंज सूचना) सूचना का आदान-प्रदान
ईओडबल्यू	आर्थिक अपराध विंग
ईआरपी	उद्यम संसाधन योजना
एफएटीएफ	फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (वित्तीय कार्य बल)
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
फेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999
एफईआरए	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1 9 73
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
फाइनेट	फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क(वित्तीय आसूचना नेटवर्क)
एफआईयू	फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट
एकएलईटीसी	संघीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण केंद्र
एफएमसीजी	फास्ट मूविंग कन्जूमर गुड
एफओबी	बोर्ड पर मुफ्त
एफएसबी	फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौता
एफटी और टीआर	विदेशी कर और कर अनुसंधान
जी 20	ग्रुप ऑफ ट्वेंटी
गार	जनरल एंटी अवॉयडेंस नियम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीडीआर	ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद
जीईआर	सकल छोड़कर रिवर्सल
जीएफआई	वैश्विक वित्तीय सत्यनिष्ठा
जीएनपी	सकल राष्ट्रीय उत्पाद
जीएसटी	माल और सेवा कर
जीएसटीएन	माल और सेवा कर नेटवर्क

जीएसटीएसपीवी  
एचएलसी  
एचआरएमएस  
एचएसएन  
आईबीए  
आईसीएआई  
आईसीपी  
आईएफएफ  
आईएमसीसी

आईएमएफ  
आईसीबी  
इंटरपोल  
आईपीसी  
आईपीओ  
आईपीआर  
आईआरडीए  
आईटीडी  
आईटीडीएमएस  
आईटीओयू  
जेएनएनयूआरएम  
जेटीएफ  
केवाईसी  
एलटीयू  
एमएचए  
एमएलएटी  
एमएलएम  
एमएनई  
एमओयू  
एमएसएमई  
एनएस  
एनसीईआर  
एनसीबी  
एनसीआरबी  
एनडीपीएस  
एनजीओ  
एनआईए  
एनआईएफएम  
एनआईपीएफपी  
एनओसी  
एनपीओ  
एनएसई  
ओडीआई

माल और सेवा कर विशेष प्रयोजन वाहन

उच्च स्तरीय समिति  
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली  
नामावली समुलित पद्धति  
इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन  
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया  
आप्रवासन चेक पोस्ट  
अवैध वित्तीय प्रवाह  
आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन निवारण की अंतर-मंत्रिस्तरीय समन्वय समिति  
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  
इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड  
इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस संगठन  
भारतीय दंड संहिता  
इनीशियल पब्लिक ऑफर  
बौद्धिक संपदा अधिकार  
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
आयकर विभाग  
एकीकृत करदाता डेटा प्रबंधन प्रणाली  
आयकर समुद्रधारीय यूनिट  
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन  
संयुक्त कार्य बल  
अपने ग्राहक को जानें  
बड़े करदाता इकाई  
गृह मंत्रालय  
परस्पर कानूनी सहायता संधि  
मल्टी लेवल मार्केटिंग/बहुस्तरीय विषपान  
मल्टी नेशनल एंटरप्राइज़/बहुराष्ट्रीय उद्यम  
समझौता ज्ञापन  
लघु और मध्यम उद्यम  
राष्ट्रीयकरण प्रणाली  
राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान केंद्र  
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो  
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  
स्वापक औषधिय और मनःप्रभावी पदार्थ  
गैर सरकारी संगठन  
राष्ट्रीय आसूचना एजेंसी  
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान  
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान  
अनापत्ति प्रमाणपत्र  
गैर लाभकारी संगठन  
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज  
ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट

ओईसीडी	आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन
ओएफसी	ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर
ओएलटीएस	ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम
ओएसडी	विशेष कार्यधिकारी (ओएसडी)
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन और लेखा अधिकारी
पीएमएलए	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002
पी एन	सहभागी नोट
पीटीए	अधिमानी व्यापार समझौता
आरबीआई	कंपनी रजिस्ट्रार
आरईआईसी	क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद
आरओसी	कंपनियों के रजिस्ट्रार
आरओएस	रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज
सार्क	क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन
एसएपी	सिस्टम विश्लेषण और कार्यक्रम विकास
एसबीए	स्विस बैंकर्स एसोसिएशन
सेबी	प्रतिभूति एवं भारतीय विनिमय बोर्ड
एसएफआईयू	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय
स्टार	चोरी परिसंपत्तियां रिकवरी
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसटीआर	संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीबीएमएल	व्यापार आधारित धन शोधन
टीडीआर	हस्तांतरण योग्य विकास अधिकार
टीआईईईए	कर सूचना आदान-प्रदान समझौता
टीटीयू	ट्रेड पारदर्शिता इकाई
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनसीएसी	संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-रोधी अभिसमय
यूएनओडीसी	संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय
यूएलसीआरए	शहरी भूमि सीमा और विनियमन अधिनियम
यूआरडी	अपंजीकृत डीलर
वैट	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन